महानगर नई दिल्ली बुधवार 19 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

# जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

# पाकिस्तान का दामन दागदार

## एफएटीएफ के उप-समूह ने की पड़ोसी देश को ग्रे-सूची में रखने की सिफारिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

आतंक के लिए वित्तपोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक निकाय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के एक उप-समूह ने मंगलवार को सिफारिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट (संदिग्ध सूची) में ही रखा जाए। यह निर्णय एफएटीएफ के अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आइसीआरजी) की बैठक में लिया गया। इस उप-समूह की मुहर लगने के बाद एफएटीएफ प्लेनरी की बैठक में इसे स्वीकृत करने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। प्लेनरी की अंतिम बैठक 21 फरवरी को होगी।

*आतंक* के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने में नाकाम पाया गया

*तीन* देशों- चीन, तुर्की और मलेशिया ने दिया पाक का साथ

*विदेश मंत्रालय के अधिकारियों* ने आइसीआरजी की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर कहा, आतंकवाद को लेकर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 29 सूत्री काम सौंपे थे, जिनमें 11 पर काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा बाकी कार्यों को लेकर पाकिस्तान के तर्कों से एफएटीएफ की एजंसी संतुष्ट नहीं हो पाई है। नियमानुसार इस संस्था को पाकिस्तान को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने का फैसला लेना था और उसे प्लेनरी के लिए अग्रसारित करना था।

बैठक बुधवार से शुरू हो रही है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने आइसीआरजी की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर कहा, आतंकवाद को लेकर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 29 सूत्री काम सौंपे थे, जिनमें 11 पर काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा बाकी कार्यों को लेकर पाकिस्तान के तर्कों से एफएटीएफ की एजंसी संतुष्ट नहीं हो पाई है। नियमानुसार इस संस्था को पाकिस्तान को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने का फैसला लेना था और उसे प्लेनरी के लिए अग्रसारित करना था। लेकिन चीन, मलेशिया और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और संदिग्ध सूची के बारे में ही फैसला हो सका। एफएटीएफ ने **बाकी पेज ८ पर**

### अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा

# गुजरात : मिसाइल व सैटेलाइट फोन मिला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले गुजरात में पाकिस्तान से सटे इलाकों से बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल के पुर्जे और एक सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। हांगकांग का झंडा लगा जहाज पकड़ा गया है जो मिसाइल और पुर्जे लेकर कराची जा रहा था। इन बरामदगियों के बाद भारतीय सुरक्षा व खुफिया एजंसियां किसी बड़ी साजिश का अंदेशा कर रही हैं और जांच में जुट गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी से दो दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब तीन घंटे के कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद भी जाएंगे।

*कांडला* बंदरगाह पर मिसाइल और मिसाइल के पुर्जे लदा पाकिस्तान जा रहा जहाज जब्त

*कच्छ* के एक निर्जन द्वीप पर लावारिस पड़ा मिला सैटेलाइट फोन

भारतीय कस्टम अधिकारियों ने पाकिस्तान जा रहे जहाज को कब्जे में लिया। इस पर बैलिस्टिक मिसाइल व उसके पुर्जे मिले हैं। हांगकांग के झंडे वाला यह जहाज कराची के पोर्ट कासिम जा रहा था। इस जहाज को जांच के लिए गुजरात के कांडला बंदरगाह पर रखा गया है। डीआरडीओ की टीमों ने इस जहाज की जांच शुरू कर दी है। **बाकी पेज ८ पर**

### झुग्गीवासियों को जगह खाली करने का नोटिस

अमदाबाद में मंगलवार को दीवार पर ट्रंप के स्वागत के लिए लगे पोस्टरों के सामने से गुजरती महिला।

अमदाबाद, 18 फरवरी (भाषा)।

गुजरात के अमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम के समीप झुग्गियों में रह रहे कम से कम 45 परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 24 फरवरी को निर्धारित यात्रा से पहले जगह को खाली करने का नोटिस दिया है। हालांकि अधिकारियों ने इस प्रस्तावित हाईप्रोफाइल यात्रा और नोटिस जारी किए जाने के बीच किसी तरह के संबंध से इनकार किया है लेकिन झुग्गीवासियों ने इस कदम के समय को **बाकी पेज ८ पर**

# कोरेगांव-भीमा मामले की जांच केंद्र को नहीं सौंपेंगे : उद्धव

मुंबई, 18 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले की जांच केंद्र को नहीं सौंपेगी। वहीं ठाकरे ने यह भी साफ किया कि वह राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। ठाकरे ने आश्वासन दिया कि वह एनपीआर के सभी कालम की जांच खुद करेंगे।

**'नहीं रोकेंगे एनपीआर'**

*ठाकरे* ने ट्वीट किया कि सीएए-एनआरसी अलग और एनपीआर अलग है *उन्होंने* कहा कि एनपीआर राज्य में लागू होगा क्योंकि उसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है

पुणे के शनिवारबाड़ा में 31 दिसंबर 2017 को आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषण के परिणामस्वरूप हिंसा भड़की थी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में एल्गार परिषद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) को सौंपने की मंजूरी दी थी।

ठाकरे ने कहा, 'एल्गार और कोरेगांव-भीमा दो अलग विषय हैं। मेरे दलित भाइयों से जुड़ा मुद्दा कोरेगांव-भीमा का है और इसे मैं केंद्र को नहीं सौंपूंगा। मैं यह **बाकी पेज ८ पर**

# खुलापन हिंदुओं की खासियत : भागवत

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को स्तंभकारों के एक समूह के कहा कि खुलापन हिंदुओं की विशेषता है और इसे बचाए रखा जाना चाहिए। सूत्रों ने यह जानकारी दी। समझा जाता है कि भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए लेकिन किसी के विरूद्ध नहीं होना चाहिए।

भागवत ने दिल्ली के छत्तरपुर इलाक में देशभर के 70 स्तंभकारों से बंद कमरे में संवाद किया और आरएसएस के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणा को लेकर चर्चा की। आरएसएस

### 70 स्तंभकारों से बंद कमरे में संवाद

भागवत ने दिल्ली के छत्तरपुर इलाके में देशभर के 70 स्तंभकारों से बंद कमरे में संवाद किया और आरएसएस के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणा को लेकर चर्चा की। स्तंभकारों ने इस संवाद को सार्थक बताया जिसमें विविध विषयों पर चर्चा हुई

प्रमुख के साथ बैठक में मौजूद कुछ स्तंभकारों ने इस संवाद को 'सार्थक' बताया जिसमें विविध विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। एक स्तंभकार के मुताबिक, भागवत ने कहा कि खुलापन हिंदुओं की विशेषता है और इसे बचाए रखा जाना चाहिए। भागवत ने हिंदुओं को जागृत व सतर्क रहने पर जोर देते हुए कहा कि जब तक हिंदू संगठित व सतर्क **बाकी पेज ८ पर**

### बजट में अयोध्या हवाई अड्डे के लिए पांच सौ करोड़ की राशि

# जेवर हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए

लखनऊ, 18 फरवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मंगलवार को चौथा बजट पेश किया। कुल 5,12,860.72 करोड़ रुपए के इस बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए रखे गए हैं। बजट में जेवर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजना के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा जिसके 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। वहीं बजट में अयोध्या हवाईअड्डे के लिए भी 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

*बजट* में मेट्रो नेटवर्क, हवाई अड्डों और एक्सप्रेस वे विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है

*इसके* अलावा मार्च 2021 तक गरीबों के लिए चार लाख मकानों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है

कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपए, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट 2020-21 पेश होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

राज्य का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2020-21 का यह बजट राज्य विधानसभा में पेश करते हुए कहा कि अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रखे गए हैं। जबकि अयोध्या में हवाईअड्डा बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वहीं, तुलसी स्मारक भवन के नवीकरण **बाकी पेज ८ पर**

# जम्मू-कश्मीर में पंचायतों के उपचुनाव सुरक्षा कारणों से स्थगित

जम्मू, 18 फरवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शैलेंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पांच मार्च से निर्धारित पंचायत उपचुनाव को सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

*जम्मू-कश्मीर* के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जल्द से जल्द उपयुक्त सभी चिंताओं को दूर करने के बाद संभवतः दो से तीन सप्ताह में चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में 12,500 से अधिक पंचायत सीटों के लिए पांच मार्च से आठ चरणों में उपचुनाव होने वाले थे।

कुमार ने कहा, 'पंचायतों के उपचुनावों को सुरक्षा कारणों से तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है।' उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों को लेकर गृह विभाग से मिली जानकारी के बाद यह कदम उठाया गया।

पंचायत उपचुनाव पांच से 20 मार्च के बीच आठ चरण में होने वाले थे। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जल्द से जल्द उपयुक्त सभी चिंताओं को दूर करने के बाद संभवतः दो से तीन सप्ताह में चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी।

पंचायत चुनाव के लिए जारी शेड्यूल और पहले व दूसरे चरण के चुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव था। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई थीं।

# बिहार को पिछलग्गू नेता नहीं चाहिए : प्रशांत किशोर

पटना, 18 फरवरी (भाषा)।

बिहार में सत्ताधारी जद (एकी) से निष्कासित प्रशांत किशोर ने मंगलवार कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री यहां के दस करोड़ लोगों के नेता हैं। उनका सम्मान, शान और आन है। वे कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे दल का नेता उन्हें डिप्यूट करे कि यह हमारे नेता होंगे। यह अधिकार केवल और केवल बिहार की जनता का है। प्रशांत ने कहा कि, हम लोग ऐसा नेता चाहते हैं कि जो सशक्त, समृद्ध भारत और बिहार के लिए अपनी बात कहने के वास्ते किसी का पिछलग्गू न बने।'

नीतीश को 'बिहार की शान' करार देते हुए उन्होंने कहा कि आज 16 सांसदों वाले दल के

*बिहार* के मुख्यमंत्री दस करोड़ लोगों के नेता हैं, कोई मैनेजर नहीं कि किसी दूसरे दल का नेता उन्हें डिप्यूट करे कि यह हमारे नेता होंगे'

नेता को जब गुजरात के कोई नेता (अमित शाह) यह बताते हैं कि आप ही राजग के बिहार में नेता बने रहिएगा, तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती। प्रशांत ने पटना में पत्रकारों को संबोधित करते **बाकी पेज ८ पर**

### सेना के वरिष्ठ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने कहा

# पीओके में लांच पैड आतंकियों से भरे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

सेना के वरिष्ठ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी 'लांच पैड' आतंकवादियों से पूरी तरह भरे हैं। संघर्षविराम उल्लंघन की आड़ में उन आतंकियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की हर कोशिश का कड़ाई और दंडात्मक रूप से जवाब दिया जा रहा है।

कश्मीर के श्रीनगर स्थित 15वीं कोर की रणनीतिक कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों को घाटी में घुसाने और शांति में खलल डालने के प्रयासों में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने कहा, 'सुरक्षाबलों ने जनमत निर्माताओं और नागरिक संस्थाओं के परामर्शदाताओं सहित विभिन्न पक्षों के साथ समन्वय से काम कर कश्मीर घाटी में शांति को सुदृढ़ किया है।' लेफ्टिनेंट जनरल **बाकी पेज ८ पर**

> *पाकिस्तान* के कब्जे वाले कश्मीर में सभी आतंकी शिविर और लांच पैड पूरी तरह भरे हैं। ये आतंकी कैडर हमारी चौकियों पर गोलीबारी करने वाली पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ करना चाहते हैं।'
>
> -लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों

**दरअसल**

### मौसम की मार

मुंबई में 1966 के बाद फरवरी माह का सर्वाधिक तापमान दर्ज

पुणे और हैदराबाद में भी तापमान 30 डिग्री के पार

# सर्दी ने सताया, अब गर्मी निकालेगी पसीना

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

इस साल रेकार्ड तोड़ सर्दी के बाद फरवरी में ही गर्मी ने पिछले लगभग 50 साल का रेकार्ड ध्वस्त करना शुरु कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गर्मी ने उत्तर के मैदानी इलाकों में दस्तक देने से पहले तटीय क्षेत्रों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई में मंगलवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाना, इसका ताजा उदाहरण है।

विभाग के अनुसार फरवरी में 1966 के बाद मुंबई में अब तक का सर्वाधिक तापमान 17 फरवरी को 38.1 डिग्री सेल्सियस और 18 फरवरी को बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से सात डिग्री अधिक था।

### मुंबई में 39 डिग्री पहुंचा पारा

*आर्थिक राजधानी* मुंबई में 17 फरवरी को 38.1 डिग्री सेल्सियस और 18 फरवरी को तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से सात डिग्री अधिक था। इससे पहले मुंबई में 25 फरवरी 1966 को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

इससे पहले मुंबई में 25 फरवरी 1966 को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

विभाग की पूर्वानुमान इकाई की प्रमुख वैज्ञानिक सती देवी ने बताया कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में तटीय इलाकों में तापमान के स्तर में लगतार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि भारत में सामान्य तौर पर पश्चिम के तटीय इलाकों से गर्मी की शुरुआत होती है लेकिन तापमान में इजाफे के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली हवाओं के रुख में तेजी को देखते हुए इस साल फरवरी में ही तापमान रेकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

मंगलवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद में 33 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पुणे और हैदराबाद में भी पारा 30 डिग्री के स्तर को पार कर गया है।

मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विभाग ने भी ग्रीष्म लहर (हीट वेव) से बचाव के बारे में मंगलवार को परामर्श जारी कर दिया। इसके अनुसार मैदानी इलाकों में अधिकतम ताापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस पर **बाकी पेज ८ पर**

www.readwhere.com

जनसत्ता
क्लासीफाइड

## व्यक्तिगत

It is for general information that I, Ishrat Begum W/o Hanif Khan R/o S-2A/12, Joga Bai Extn, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025, inform that name of my father has been wrongly written as Shabbir Ahamad in my educational documents, The actual name of my father is Shabbir Ahmad respectively. Which may be amended accordingly. 0040532541-1

It is for general information that I, Adeel Ahmad S/o Hanif Khan R/o S-2A/12, Joga Bai Extn, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025, inform that name of my father has been wrongly written as Hanif Ahamad in my educational documents, The actual name of my father is Hanif Khan respectively. Which may be amended accordingly. 0040532541-2

I, SHWETA JHA, daughter of SHRI ASHOK MISHRA and wife of KISHORE KUNAL, aged 32 years, R/oOLIVE COUNTY, TOWER B-3, FLAT NO.1003, SECTOR-5, VASUNDHARA, GHAZIABAD, UTTARPRADESH-201012, INDIA, have changed my name after marriage from SHWETA SHIVAM toSHWETA JHA, for all purposes vide affidavit dated 17.02.2020. I further state that SHWETA SHIVAM(name before marriage) and the present name SHWETA JHA is the name of one and the same personand that is myself. 0040532626-1

I,Sunil S/o Mangat Ram R/o.3626,Ground Floor,Gali No.5,Narang Colony,Tri Nagar,Delhi-110035,have changed my name to SUNIL KUMAR for all future purposes. 0040532529-2

I,Rajrani W/o Soran R/o-H.No.B-21,Sanjay Basti, Timarpur,Dr. Mukherjee Nagar,Delhi-9,have changed my name to Dropti Devi for all purpose. 0040532529-6

I,Ashok Chopra s/o Hans Raj R/o B-396, Sudershan Park, New Delhi-110015,have changed my name to Ashok Kumar Chopra for future purposes. 0040532634-1

I, Yashwant Domajirao Patil, S/O Sh.Domaji Rao Patil R/O-Qtr.No.1010, Block-25, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110001,Have Changed My Minor Son Name From Rujul Yashwant Patil To Rujul Yashwantrao Patil, For All Future Purposes. 0040532591-6

I, Yashika D/o Ashok Paswan R/o C-87/2, F/F, Flat No.2, Paryavaran Complex, Saket, New Delhi-110030 have changed my name to Yashika Paswan for all purposes. 0040532539-1

I, Vishnu Datt S/o Late Sh.Mukhtiar Singh, R/o House No.398, Sector-30, Faridabad – 121003, have changed my name to Vishnu Datt Sharma for all future purposes. 0040532632-1

I, Vijaya Ahuja W/o Lajpat Kumar Ahuja R/o H.No.-506, Sector-37, Noida(U.P.) have changed my name from Vijaya Kumari Ahuja to Vijaya Ahuja for all future purposes 0040532546-2

I, Vijay Kumar Arora S/O Late.Tilak Raj Arora R/O-B-10 Old-Gobindpura, Parwana Road, Street No.23 Delhi-110051, Have Changed My Name To Vijay Arora For All Purposes. 0040532577-4

I, Vanita Kwatra W/o Pradeep Kumar R/o- C-6/9, Keshav Puram, Delhi-35, changed my name to Poonam for all purposes. 0040532582-9

I, Uttam Kumar HomRoy S/o Late Asoke Kumar HomRoy R/o K-1/146 2 nd Floor, C.R. Park, New Delhi – 110019, hereby declare that my wife's name which is Arpita HomRoy in my passport has been inadvertently spelled as Arpita HomRoy in my passport. Both are one and the same person. 0040532509-1

I, Tasleem S/O Mohammad Ayyub Mirza H.No-2188, street-Meher Parver Kucha Chelan Daryaganj Delhi-110002. Have Changed My Name To Mohammad Tasleem. 0040532591-2

I, Tarun Kursija, S/o Shri.Daulat Ram Kursija R/o-G21/4, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have changed my Daughter's name from Jia Kursija to Jea Kursija. 0040532591-4

I, Tammana Saifi D/O Anwar Ahmad, H.No-Du-201/2, Geeta Bhawan Kalra Colony Palwal-121102. changed My Name To Tammana. 0040532602-4

I, Sweta Tyagi D/o Narendar tyagi R/o-H.No.107 Near Hanuman-Mandir, Makanpur, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed my name to Shweta Tyagi. 0040532566-1

I, Shankar Ram S/O Ganga Ram H.No-1238, Gali.No-26, Block-L-II, Near Shiv-Mandir, Sangam Vihar, Delhi-110080.Have Changed My Name To Shankar Lohia. 0040532591-3

I Rupa Sinha D/o Santosh Mahato R/o B-2 (HB)/51 Kalyani, Nadia, WB-741235, have changed my name to Rupa Mahato 0070699043-1

## व्यक्तिगत

I, Sushma W/o Sandeep Gupta R/o Flat No.115, Bhagirathi Apartments, Sector-62, Noida, UP-have changed my name to Sushma Gupta. 0040532582-2

I, Sunita W/o Manjeet Singh R/o-H.No.603, Janta-Qtrs., PKT-3, Paschimpuri, New Delhi-110063, have changed my name to Sonu permanently. 0040532570-3

I, Suman, spouse of No.14851677L Hav/CSD Amit R/o-VPO-Bahu Akbar Pur, Teh & Distt.-Rohtak, State-Haryana Pin-124001,have changed my name from Suman to Suman Kumari vide Affidavit dated-14/02/2020 before Executive Magistrate, Civil Lines,Delhi-54 0040532529-1

I, Sukrit Kumar Setia R/O House No. 229 Sector-29, Faridabad Haryana-121008 have changed my name to Sukrit Setia for all purposes. 0070699071-1

I, Sudershan Kaur Makhni W/o Satpal Singh R/o-J-205, VikasPuri, New Delhi-110018 have changed my name to Sudershan Kaur 0040532570-2

I, Shakil Ahmed S/O- Ahmed Saeed R/O-170, Shahzada-Bagh-I, Inder-Lok, Delhi-35, Have Changed My Name To Shakil Ahmed Qureshi. 0040532577-7

I, Satpal Singh Makhni S/o Amrik Singh R/o-J-205, VikasPuri, New Delhi-110018 have changed my name to Satpal Singh 0040532570-1

I, Sartaj Ahamad F/o Amaan Rana R/o A-15, Deepak Vihar, Sector-57, Noida, inform that my name in my Son's 10th School record wrongley mention as Sartaz Ahmad my correct name is Sartaj Ahamad. 0040532580-1

I, Sarita Chhikara w/o Virender Chhikara R/o-B-310, Sudershan Park, New Delhi-110015, have changed my name to Sarita Dahiya. 0040532591-1

I, Rekha Rani W/o Rakesh Kumar Sharma R/o B-942, 1st Floor, Block-B, Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed my name to Rekha Sharma. 0040532553-1

I, Ramesh Chandra S/o Shankar Dutt R/o F-1 Plot No.103, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad UP-201010 have changed my name to Ramesh Chandra Kandpal for future. 0040532530-1

I,Sunita Kumari W/o-Late Sh. Chander Parkash Sapra R/o-1007/23, DLF Colony, Rohtak, Haryana-124001 have changed my name to Sunita for all purposes. 0040532625-1

I, Puneet Kumar R/o-I-118, Gali.no-6, Garhwali Mohalla Laxmi-Nagar East, Delhi-92, have changed my minor daughter name Chhavi to Chhavi Arya. 0040532570-5

I, Pradeep Kumar Kwatra@ Pradeep Kwatra @Pardeep Kumar@Pardeep Kumar Kwatra@Pardeep Kwatra R/o-C-6/9, Keshav Puram, Delhi-35, changed my name to Pradeep Kumar permanently. 0040532582-8

I, Parvati Devi D/o Late Ram Kishan Panchal W/o Anil Sharma R/o A-115, Jawahar Park, Devli Road, Khanpur, New Delhi-110062 have changed my name to Anshu for all purposes. 0040532491-1

I, Parth S/o Sunil Kumar R/o D-300 A, Krishna Park Devli Road, Delhi-110062 have changed my name to Parth Monga, permanently. 0040532548-1

I, Parmod Gulati s/o Roshan Lal Gulati r/o 113, Paschim Vihar Extn., New Delhi-110063 have changed my minor (DOB: 21.01.2007) son's name from Sidharth Gulati to SIDDHARTH GULATI. 0040532528-1

I, Parduman Lal Mawkin S/o Niranjan Dass Mawkin R/o-I-7A, Lajpat Nagar-II, N.Delhi-110024 have changed my name to Parduman Lal Maken. 0040532582-1

I, Neelam Devi W/o Shivraj Teotia R/o-Flat No.210, Patrakar Parishar, Vasundhra, Ghaziabad. have changed my name to Neelam Teotia. 0040532570-6

I, Navneet Kaur Anand D/o Jagmohan Singh Anand R/o-A-98, Asha-Park, New Delhi-110018 have changed my name to Navneet Kaur. 0040532582-3

I, Narender Kumar S/o Sh.Vishnu Gopal Sharma R/o A-73, Badli Extn., Samai Pur, Delhi-110042 have changed my name to N.K. Sharma for all purposes. 0040532491-2

I, Nancy w/o Deepak Verma R/o 7/57, Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Nancy Verma. 0040532629-1

I, Nahela Sabreen Sania, Nahila Sabreen Nizami W/o Syed Haseeb Nizami R/o 45, Basti Hazrat Nizamuddin, New Delhi-110013 have changed my name to Nahela Sabreen Nizami for all purposes. 0040532494-1

I Angad Singh S/o Satnam Singh R/o E-50, Kalkaji, New Delhi-110019 have changed my name to Angad Singh Chawla for all purposes 0040532590-1

I Alfia Rehman D/O Ataur Rehman H.No-357 Kabir Basti, Gali Hotel-Wali, CLOCK Tower, SUBZI Mandi Malka Ganj Delhi 110007, Changed My Name To Alfiya Rehman. 0040532602-3

I Kanika Singh W/O Vikas Kumar H.No-B-1118, 2nd Floor, Gate-No-4, Green Feilds Colony, Faridabad, HARYANA-121010., Changed My Name To Kanika. 0040532577-10

I, Munish Kumar Khurana S/O Ajit Pal Khurana R/o-1/9449, Gali-No.-7, West Rohtash-Nagar, Delhi-110032 have changed my name to Manish Khurana. 0040532582-7

I, Mohammed Altaf Azam R/o F-68, Street No-10, West Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Altaf Azam. 0070699096-1

I, Mansha Kumari D/O Shivparsan Pandey R/O-Chenari, Tetari, Chenari, Rohtas, Bihar-821104.Have Changed My Name After Marriage To Mansha Devi,W/O Sonu Chaubey R/O-Khasra No.1201, Second-Floor, Gali-No.16, Malik-Pur Kohi Alias Rang Puri, South/West/Delhi, Delhi-110037, For All Future Purposes. 0040532591-5

I, Manmohan Dass S/o Late Murari Lal R/o 71, Basant Nagar, Chhattar Singh Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057, have changed my name to Manmohan Thakur. 0040532602-1

I, Manju W/o Sh. Arvind Kumar R/o-SMQ No.289/4, Subroto-Park, New Delhi-110010 have changed my name to Manju Rani. 0040532570-7

I, Km Mukul Shukla W/o Vijender Sharma R/o-237, Bank Enclave, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Jyotsna Sharma. 0040532582-4

I, Mahesh Kumar Sinha S/o Narsingh Sahay, residing H. No. 62, Block-A, Sector-8, Sonipat Haryana , I also known as Mahesh Roman Sinha but in future I shall be known as Mahesh Kumar Sinha for all purposes. 0040532524-1

I, Madhuri Singh Tripathi W/o Amitabh Tripathi, resident of 10 Bank Enclave Lakshmi Nagar Delhi have changed my name from Madhuri Singh Tripathi to Madhuri Singh for all future purpose. 0040532546-1

I, Kavita W/o Shri Vishnu Datt Sharma, R/o House No.398, Sector- 30, Faridabad – 121003 have changed my name to Kavita Sharma for all future purposes. 0040532631-1

I, Hunny S/o Sh. Satish Chawla R/o G-12/7,Sector-15, Rohini, Delhi-89 have changed myname to Himanshu for all purposes. 0040532517-1

I, Harpreet Singh Panesar S/o Balwinder Singh R/o-5-C-33, Vishnu Garden, New Delhi-110018, have changed my name to Harpreet Singh. 0040532570-4

I, Hament Kumar S/O Hari Shankar R/O H.No.730, Block-A, Shastri Nagar, Delhi-52, Have Changed My Name To Hemant Kumar. 0040532577-8

I, Gokal W/O Sattar Ahmed R/O-A-2/395, Block-A/2, Bhalswa Resettlement-Colony, Delhi-42, Have Changed My Name To Gokul. 0040532577-6

I, Dr. Vinod H. Gupta aged about 47 years S/o Sri Hari Ram Gupta R/o C-214, Rajajipuram, Lucknow have changed my name from Dr. Vinod Gupta which is wrongly mentioned in the records of my Son Ayush Gupta Personal No. 17658 Class 8-B La Martiniere College, to Dr. Vinod H. Gupta for all future purposes. 0060073018-2

I, Deepmala Upadhyay, D/o Keshav Prasad Dixit, aged 39 years, resident of Park View City-1, Sector 48, Sohna Road, Gurugram, Haryana-122018 have changed my name from Deepmala Upadhyay to Shivohie Bhawaye. 0040532500-1

I, Deepak Kumar Gupta S/o Mahabir Prasad Gupta, R/o H.No.46, Road No.72, West Punjabi Bagh, New Delhi - 110026, have changed my name from minor Daughter's name from Tvisha to Tvisha Gupta for all future purpose. 0040532501-1

I, Dalip Kumar Arora s/o Behari Lal r/o FF, D-13-B, Moti Nagar, Delhi-110015 have changed my name to DALIP KUMAR. 0040532526-2

I, Ayyub Khan S/o Mohd Qayyum R/o H.No.2301 Gali Nal Bandan Turkman Gate Delhi-110006 have changed my name to Mohd Ayyub for all purposes. My true and actual Date of Birth is 27-02-1968. 0040532543-1

I, Aruna W/o Sanjeev Sachdeva R/o-D-2/89, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Aruna Rani. 0040532570-8

I, Arpita HomRoy D/o Ashit Kumar Chanda R/o K-1/146, C.R. Park, New Delhi – 110019, hereby declare that my husband's name which is Uttam Kumar HomRoy has been inadvertently mentioned as Uttam HomRoy in my passport. Both are one and the same person. 0040532511-1

I, Army No.4484644P, L/Nk Manjit Singh, Unit-4 Sikhli, c/o 99 APO, Pin-912304, S/o- Balbir Singh, VPO-Thathgarh, Tehsil & Distt-Tarn Taran, Punjab-143009, inform that in my Service Records my wife name wrongly written as Rajwinder Kaur instead of Rajwinder Kaur. 0040532527-1

I Jai Bhagwan,S/O Sh.Rameher H.No.149, Surya-Nagar Phase-2,Sector-91 Faridabad Haryana. Have Changed My Name From Jai Bhagwan To Jai Bhagwan Suhag. 0040532577-3

I Nirmala W/O K.Murthy H.No.I-6, NDMC Palika Niketan Quarters, R.K.Puram, New Delhi-110022 Have Chnaged my Name to Nirmala Murthy. 0040532582-6

## व्यक्तिगत

I, Archana Devi spouse of No. 7779834Y Rank NK (MP) Uday Pratap Pandey S/o Shri Om Prakash Pandey R/o Unit-4, Rapid Provst unit Allahabad C/o 56 APO have changed my name from Archana Devi to Archana Pandey & DOB FROM 7.7.1981 to 1.7.1981 vide affidavit dt. 15.02.2020 before Civil Court Lucknow. 0060073007-2

I, Kaushal Gupta S/o Sh. Hari Prasad Gupta R/o H.No.I-36/10, Brahampuri, Delhi-53 have changed my name from Kaushal To Kaushal Gupta For All Future Purposes. 0040532502-1

I, Amit Kumar S/o Rajender Kumar R/o-E-301, Mandir Marg, East-Babarpur, Shahdara, Delhi-110032, have changed my minor Son name from Panash Kumar(DOB-12.02.2008)to Aditya kumar. 0040532566-2

I, Ajay Bhushan S/o Shri Kamta Pershad R/o SRB 126A, Shipra Riviera Gyan Khand -3, Indirapuram Ghaziabad U.P.-201014, have change my name from Ajay Bhushan Gupta to Ajay Bhushan for all future purposes 0040532521-1

I, Ahmed Siddique Syed S/O Mohammad Suleman Siddiqui H.No-N-83/A Batla House Jamia Nagar New Delhi-110025, Changed My Name To Syed Ahmad Siddiqui. 0040532602-2

I, Aditi W/o Ajay Kumar R/o-14/40, Shakti Nagar, Delhi-110007,have changed my minor son's name from Yash Choudhary to Yash Khanduja. 0040532570-9

I, Aditi W/o Ajay Kumar R/o-14/40, Shakti Nagar, Delhi-110007,have changed my minor son's name from Lakshay Choudhary to Lakshay Khanduja. 0040532570-10

I, Achhay Miya S/o Habib Ahmed R/o 49, Gali No.4A, Aram Park Shastri Nagar, Delhi-110031 have changed my name to Achhe Miyan, permanently. 0040532499-1

I, Abhishek Mitra, S/O Adhir Ranjan Mistry, R/O A-418, Pragati Vihar Hostel, Delhi-110003 have changed my name to Abhishek Mitra for all purposes. 0040532572-1

I want to change my name from Danish Usmani to Mohammed Danish Usmani S/O Ziaul Hasan Usmani R/O 7-Dalibagh, near Surabhi Apartment, Lucknow - 226001 U.P In my son's school record. 0060073011-2

I Vinit Kumar S/O, Sriram Prasad R/o Rc 944, Gali No. 4, Prakash Nagar, Khora Colony, Ghaziabad, Up have changed my name to Vinit Kumar Prasad for all purposes. 0040532639-1

I Vikash Kumar S/O Yashpal Singh R/O-H.No-B-1118,2nd Floor, Gate No 4,Green Feilds-Colony, Faridabad, Haryana-121010. Changed My Name To Vikas Kumar. 0040532577-9

I Tamada Balraju S/o Tamada Durgaya R/o Karnibhadra, Siali, Gajapati, Kashinagar, Odisha-761206, have changed my name to Tamada Balaraju 0070699090-1

I Suresh Chand S/o-Chhajju Ram Sharma R/o-RZ-H3/93B, 93C, Flat.No.201 2nd-Floor, Mahavir-Enclave, Dabri, Delhi-110045. have changed my name to Suresh Chand Sharma. 0040532577-1

I Satnam Singh R/o E-50, Kalkaji, New Delhi - 110019 change my minor son's name from Kabir Singh to Kabir Singh Chawla for all purposes 0040532593-1

I Sangram Keshari Nayak S/o Gouranga Charan R/o 203, Guru Yogiraj Puram, Rani Khera, Delhi-110081, have changed my name to Thakur Sangram Singh 0070699046-1

I Sanchit Gupta S/o Vijender Kumar Gupta R/o 3417, Sector-D, Pocket-3, Vasant Kunj, Delhi-110070, have changed my name to Sanchit Singh 0070699095-1

I Saddam Urf Shehzad S/o Feroz Khan R/o House No-146, Pasonda, Sahibabad, Ghaziabad, UP-201005, have changed my name to Shehzad Chaudhary 0070699092-1

I Rishi Pal S/o Chhatrapal Singh R/o A-639, Gharoli Dairy Farm, Mayur Vihar Phase-3, Delhi-110096, have changed my name to Rishi Singh 0070699087-1

I Pawan Kumar Jha S/o Baidyanath Jha R/o F-174/F-2, Dilshad Colony, Delhi-110095, have changed my name to Pawan Kumar 0070699081-1

I Parma Nand S/o Karamchand Govindram Kataria R/o-Plot No-17 Wathoda NearSarjutown Nagpur Mh-440008, Changed My Name To Parma Nand Kataria. 0040532577-5

I Nishanth Vincent Sequeira S/o Joseph Canute Sequeira R/o 350A, Jade Villa, Block-H, Palam Vihar, Gurgaon, Haryana 122017 declare that Nishant V Seqeira & Nishanth Vincent Seqeira are the same person. 0040532609-1

I Deepak Kumar S/O Suresh Rai R/O- 402-A/1, Munirka-Village, New Delhi-110067 Have Changed My Name to Deepak Rai. 0040532582-5

I Champa Sharma W/o Jitender Kumar R/o Flat No-506, Block No-K, Aparna Kanopy, Tulip, Gundlapochampally, Medchal, KV Rangareddy, Telangana-501401, have changed my name to Khushi K 0070699078-1

I Neha Chauhan W/O, Mayank Pratap Singh R/o Flat No.104, Plot K642 Street No.19 Indra Park Palam Colony Near Railway Line-110045 have changed my name to Neha Parihar for all purposes. 0040532624-1

I Meenakshi Harbhajanka W/o Gaurav Goyal R/o-WA-134, Gali.No-10, Shakarpur, Bramad, Delhi-110092 have changed my name from Meenakshi Harbhajanka to Sakshi Goyal after-my-marriage. 0040532582-10

I Manish Kumar Yogi S/O, Arvind Kumar Yogi R/o B 1/ F-136, Jawahar Park, Khanpur, New Delhi-110062 have changed my name to Manish Kumar for all purposes. 0040532571-1

I Irshad Ahmed Khan Alias Irshad Ahmed S/o Abdul Tawwab R/o D-924 A, First Floor, Jaitpur Extension-2, Jaitpur, Badarpur, Delhi-110044, have changed my name to Irshad Ahmed 0070699084-1

I Arbaaz S/O, Atik Ahmad R/o 250a, Gali No-4, Near Green Land Public School, suriya Vihar, Gurgaon, Haryana have changed my name to Arbaaz Ahmad for all purposes. 0040532574-1

I Anita Mukkawar D/O Chandra Kant R/O-I-12 sai-appt sec-13 Rohini ND-85. have changed my name after marriage, from kokadwar Anita Chandrakant to Anita Mukkawar,for all future purposes. 0040532577-2

It is for general information that, I PUNDEO THAKUR S/O-Sh.RAM DAHIN Residing at Rz-643/313,Gali.No-6,Gitanjali Park,West Sagarpur,New Delhi-110046,inform That Name Of Mine has been wrongly written as PUNDEV THAKUR in my service book. That actual name of mine is PUNDEO THAKUR Respectively which may be intended accordingly Newspaper + Affidavit. 0040532443-2

I,Nitu Rastogi W/o-Anjani Kumar Rastogi R/o-RZ-O-19A,NANDA BLOCK, MAHAVIR-ENCLAVE PART-1,New Delhi-110045,have changed my name to Natasha Rastogi after marriage for future purposes. 0040532443-3

## खोया+पाया

I, Chander Parkash S/o.Late Tilak Raj R/o.B-5/7, IInd Floor, Sector-15, Rohini Delhi-110089. Have Lost My Conveyance Deed Of Shop No.166,New Lajpat Rai Market, Delhi-110006 And Original Cancelled Lease Deed Of The Same Address. 0040532498-1

I, GURPREET Kaur D/o Surjeet Singh h.no-130 sainik-vihar Delhi. Have lost my original certificate class-10th(2010) Rollno-6143000 class-12th (2012) Rollno-9137280 CBSE-Delhi. 0040532602-7

I, Himanshu sharma S/o Deepak sharma R/o-Wz-43(A-94) 1st-floor Tihar village tilaknagar Delhi-18 have lost my original/certificate class-10th year-2017 Rollno-8200651 CBSE-Delhi. 0040532602-8

I, Nidhi Malhotra D/o Veena Malhotra R/o F-86, 2nd Floor, Rajouri-Garden Delhi-110027 has lost my Original CBSE Certificate 10th-Class Roll'No.6132503 Year-2009. & 12th-Class Roll.No.9127410 Year-2011. 0040532602-9

I, Vinay Kumar Bhogra, have Lost my Original DSIDC-Lease deed-4 sets Issued In The Name of 'Vikas-Packers'of I-74, Sector-1, Bawana Industrial Area, Delhi, If anyone finds it, kindly contact-9810564523. 0040532602-10

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2015, Roll No.5350118 and Senior Secondary Examination of Year 2017 and Roll No.9138197 issued by CBSE has been actually lost. KHAN ZAHRA MATLOOB D/o MATLOOB AHMAD KHAN R/o 1721, BLOCK-E, J.J.Colony Bawana, Delhi-110039, Tel: 8527039632. 0040532503-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year-2011, Roll No.8696349 and Senior Secondary Examination of Year-2013 and Roll No.9682914 issued by CBSE has been actually lost. SANDHYA D/o Suraj Pal R/o 31, Gali No.16, C-Block, Dayalpur, Delhi-110094, Tel:8920593048. 0040532497-1

I Anjani chouhan S/O Dinesh kumar chouhan have lost 12th class certificate marksheet Roll.no.9142868, Year-2019, Mobile-9821678552. 0040531244-4

### PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, HARI SHANKAR RAI S/o Sh. Badri Prasad residing at E-166, J.J.Colony, Sector-24, Rohini, Delhi-110085, declare that name of my father has been wrongly written as BADRI PD RAI in my driving license. The actual name of my father is BADRI RPASAD, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

### PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Bindu Shrikant W/o Shrikant Sharma R/o 1619/C-7, S.P. Mukherjee Marg, Fire Station Building, Delhi-110006 do hereby declare that name of mine has been wrongly written as Bindu Sharma in the school record and birth certificate of my minor son Aditya Sharma aged 14 years and name of mine has been Bindu Sharma in my minor son Pranay Shrma aged 12 years birth certificate. The actual name of mine is Bindu Shrikant, which may be amended accordingly.

### PUBLIC NOTICE

It is to inform to the general public that my clients Sh. Ram Prakash, S/o Sh. Babu Lal Kasyap and his wife Smt. Kamlesh, both R/o House No. C-453, Street No. 7, Shiv Vihar, Phase-11, Karawal Nagar, North East Delhi-94 have severed all their relations with their daughter Ms. Kumkum and have disowned and debarred her from their all movable and immovable properties due to her adamant nature and behavior and she is not under the control of my clients. My clients shall not be responsible for any act of the above said daughter in future, if any person dealing with her shall do at his/ her/ their own risk.

Sd/-
**DINESH KUMAR**
**(Advocate)**
**Ch. No. 717, Saket Courts**
**New Delhi-17**

### PUBLIC NOTICE

Be It know to all that my clients, SH. PAWAN KUMAR MISHRA S/o Late Sh. Sakhan Mishra and his wife Mrs. Renu Mishra Both R/o A-101, Top floor, Front Side, Gali No.19, Bharat Vihar Rajapuri, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Do here by with the present notice, disown, debarred and disinherited their son Roshan Kumar Mishra and his Wife Mrs. Jaya Kumari from all their moveable and immovable property whatsoever from the immediate effect and further severe all kind of relationship with them as they have become disobedient towards my clients. Anybody dealing with them shall do the same on hiS/her own risk,' cost and Consequences and my client shall not be responsible for any act and deed of his whether made at any point of time.

Sd/-
**RAJEEV K. TEWARI (ADVOCATE )**
**Ch. No. 394-395, Civil Wing,**
**Tis Hazari Courts, Delhi-54**

### PUBLIC NOTICE

My clients Sh. S.N Sharma S/O Lt. Sh. Baijnath Sharma and his wife Smt. Meena Sharma R/o C-6/44, Keshav Puram, Delhi-110035, has severed all relationship from their Son Ashish Vashisht and his wife Himani Sharma (Daughter-in-law) along with their grand Son Arav, and debarred from all of their movable and immovable properties and my clients has nothing to do with them. My clients shall not be responsible for their acts, deeds from now onwards.

Sd/- **UTSAV PANDEY (Advocate)**
**Ch. No. 455, IInd Floor, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54**

### PUBLIC NOTICE

This is to inform to all, that my client Shri Bharat S/o Late Lal Singh R/o House no. 407/1, Gali no. 11, Samey Pur, Delhi-110042, has severed all his relations with his daughter namely Beena and has disowned and disowned and disinherited her from all his movable and immovable properties, as the said daughter is not within the control of my client and is disobedient and disregardful to my client. My client shall not be liable for any act and deeds of his daughter named above.

Sd/-
**Z.S. Yadav**
**Advocate**
**Ch. No. 351, Western Wing,**
**Tis Hazari Coruts, Delhi-54**

### PUBLIC NOTICE

Be it known to all Concerned that my clients Mr. KISHORI LAL SON OF LATE MOTI RAM & Mrs. BADAMI DEVI WIFE LATE KISHORI LAL BOTH RESIDENT OF HOUSE No. I-IIND/92, MADANGIR, NEW DELHI -110062, dishonest/ disinherits their son Mr. SANJAY MALHOTRA from their all Moveable and immovable properties for all purposes. they have become dishonest and disobedient. My clients shall not be responsible for any acts and any manner whatsoever done by them. If they body deals with them his/her/their will to so own their costs, consequences.

Sd/-
**PRABHU DAYAL (ADVOCATE)**
**Enroll No. D-1632/04**
**Chamber No. 572,**
**Lawyers Chamber Block**
**Saket Court**

### PUBLIC NOTICE

That my Client Mrs. Sarswati Devi wife of Late Salik Ram resident of C-429, Dakshinpuri, Dr. Ambedkar Nagar. New Delhi-110062, disowned her son namely Mukesh Kumar son of Shri Salik Ram, his wife Taruna wife of Shri Mukesh Kumar and grand sons Yash Kumar & Vikrant Kumar from her all moveable and immovable properties for all purposes. they have become dishonest and disobedient. My clients shall not be responsible for any acts and any manner whatsoever done by them. It they body deals with them his/her will to so own their costs, consequences.

Sd/-
**PRABHU DAYAL (ADVOCATE)**
**Enroll No. D-1632/04**
**Chamber No. 572,**
**Lawyers Chamber Block**
**Saket Court**

### PUBLIC NOTICE

My client Balwant Singh S/o Late Inder Singh R/o H.No A-3, U/G Floor, Hingri Enclave, Nilothi Extension, Nangloi, West Delhi, Delhi-110041, do hereby through this Public Notice declare that the public Notice dated 23.08.2016 published in the Indian Express and Jansatta News papers are published without the consent/ knowledge of my client hence, my client through this Public Notice, declare notice dated 23.08.2016 as void and through this notice revoke and denied the contents of said Legal Notice published without his consent/permission. My client further reserves the right to take legal recourse towards all those who without his conscious knowledge published the above mentioned public notice on dated 23.08.2016.

**Mahesh Kohli (Advocate)**
**Ch. No. 713, Saket Courts, Delhi-110017**

### PUBLIC NOTICE

My client Sh. Davinder Singh Chhatwal S/o Sh. Sardar Baljeet Singh R/o L-64A, F/F, Malviya Nagar, New Delhi-110017 has disowned and debarred his son namely Govind Singh Chhatwal from all his movable and immovable property and disowns civil and criminal liabilities and has no relation with him in future.

Sd/-
**NARENDER KUMAR SHARMA**
**ADVOCATE**
**Ch. No. 170, Saket Courts**
**New Delhi**

### PUBLIC NOTICE

It is publicly informed that my client SHAM SUNDER THAREJA S/O LATE SHRI TEJ BHAN THAREJA R/O 49, KALYAN VIHAR, DELHI, who claims to be the owner of 49, Kalyan Vihar, Delhi-110009, had lost the original Conveyance Deed of said property alongwith his original Pan Card and his original Adhaar Card and he has also got a N.C.R./L.R for the missing documents/ papers, vide N.C.R./L.R. No. 168356/2020. Any person who may found the same and/or any bank and/or any financial institution have any sort of right, claim in the said property then he/she/they may claim and contact either me in writing at advocatedhirachawla@gmail.com or my client at his address or at 9810761881/9560731751 within fifteen days from the date of this notice otherwise such claim shall be treated as null and void.

Sd/-
**DHIRAJ CHAWLA**
**(Advocate)**
**OFF. NO. 4, G.F. RU- BLOCK,**
**C.S.C PITAMPURA DELHI**

### PUBLIC NOTICE

FOR AND ON BEHALF OF MY CLIENT SMT. PARAMJEET KAUR W/O SH. JASBIR SINGH R/O B-1, CHANDER NAGAR, JANAKPURI, NEW DELHI, I RENU BALA (ADVOCATE) SERVE THIS PUBLIC NOTICE THAT MY CLIENT HEREBY CANCEL AND REVOKE DEBARMENT OF HER SON SH. SURENDER SINGH AND THE PREVIOUS PUBLIC NOTICE PUBLISHED ON 30.01.2019, WILL BE DEEMED AS CANCELED AND REVOKED.

Sd/-
**RENU BALA (ADVOCATE)**
**Enrl. No. D-4533/2014 Shop No. 9,**
**RU- Block, Pitampura, Delhi-88**

### PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS Sh. Ravinder Singh S/o Sh. Mithan Lal and Smt. Sangeeta W/o Sh. Ravinder Singh, R/o H.no. 5/1, Village Aliganj, Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003, have severed all relations and disowned their sons Sachin Baisoya and Risabh Chaudhary from their all moveable-immoveable properties due to their disobedience and disrespectful behaviour towards my clients. My clients and their other family members shall not be responsible for their acts.

Sd/-
**ROHIT KUMAR**
**Advocate**
**Ch. No. 768**
**Saket Courts New Delhi-17**

### PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my client Sh. Sukhlal S/o Shri Tej Singh R/o House No. B1-17, J.J. Colony, Madan Pur Khadar, New Delhi 110076 have disowned his Real Son namely Dhaara Singh and his wife Namely Chander Wati, and their four sons Namely Neeraj, Beeru, Titu and Lalit from all his movable and immovable properties and hve severed all his relations with them on account of their immoral conduct and intolerable physical and mental cruelties with him. Anyone dealing/ transacting with them shall be fully responsible for their acts and my clients shall not be responsible for any of their acts in future.

Sd/-
**Dharamvir Singh Chauhan**
**(Advocate)**
**Ch. No. 322, Saket District Courts**
**New Delhi 110017**

### PUBLIC NOTICE

This is to certify that my client namely Smt. Rajni Bala has purchased a property bearing No. Entire Ground Floor, i.e. Property bearing No. 7/10 Situated at Sarvapriya Vihar New Delhi. hereinafter referred to as property in question by virtue of Sale Deed dated 30.03.2019. That Smt. Rajni Bala is intending to mortgage the aforesaid property in question with State Bank of India. If any person has any objection with respect to the aforesaid property in question the same can be filed within 10 days from the date of the publication.

Sd/-
**R. K. Gupta**
**Advocate**
**Mobile No. 9810472855**

### सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल किशोर उम्र 58 निवासी 46-बी पुलिस कालोनी, माडल टाउन सेकिंड, दिल्ली-110009, ने एक नोटिस जनसत्ता अखबार में 25.08.2018 को दिया था। जिसके अनुसार उन्होंने अपने पुत्र कमल एवं अर्चना को अपनी सभी चल एवं अचल सम्पति से बेदखल कर दिया था अब इनके संबंध सही हो गए हैं, इसलिए मेरे मुवक्किल किशोर ने आज दिनांक 18.02.2020 को अपनी पहले दी गई सूचना को रद्द कर दिया है आज के बाद उनके पुत्र कमल एवं अर्चना का इनकी संपति पर सभी अधिकार होंगे। नीतू सेठी एडवोकेट सीट नं0 36 बार रूम नं0-2 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

### PUBLIC NOTICE

The general public is hereby put to notice that our client Shri jatinder Kumar Luthra S/o Late Shri Roshan Lal and Smt. Seema Luthra W/o Shri Jatinder Kumar Luthra both R/o 449, Kohat Enclave, Pitam Pura, Delhi-110034 have severed all relationship, disowned and debarred their son Shri Bhupesh Luthra, their daughter-in-law Smt. Shikha Luthra and their grandson mehul Luthra and Rhythm Luthra all R/o 3052, Soleman Heights, Sector 19B, Dwarka, New Delhi who are residing separately from our client for the last six years. That our clients have severed their relations from their son and also with their daughter-in-law for all intents and purposes owing to their disputes with each other and dueto misbehavior of their daughter-in-law. They or any other person acting through them shall have no right or title over the said properties of our clients or claiming any rights whatsoever over the same. Anyone dealing with them shall do so at his/her own risks and consequences without prejudice to the rights of our client.

SD/-
Advocate – Puneet Bajaj
Chamber No. 227, Civil Side,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

### PUBLIC NOTICE

I, RACHANA MEHTA W/o Mr. Surinder Mehta R/o 106-C, Kenwood Towers, Charmwood Village, Surajkund Road, Faridabad, Haryana-121009, have lost the original Regd. Sale Deed of Corner Portion bearing Private No.203, on S.F. of the Property No.234-A, Chandi Plaza, Sant Nagar, in the Village Garhi Jharia Maria, New Delhi-110065, out of Khasra No.185/150/2/1, and 185/150/2/2, which is duly registered as document No.5179 in Additional Book No.1, Vol. No.7104 on pages 136 to 142 on 12.08.91 in the office of Sub-Registrar, New Delhi, and regarding the same an NCR/LR No.164302/2020 has been registered by the P.S: Crime Branch, Delhi vide dated 15.02.2020. Any person found the same can contact me on 9810601991 and if this document is in possession of any one / authority in any way. Please inform me within 3 days otherwise will lose all claim or stake whatever it is.

**(AJAY SETH) Advocate**
**Enrol. No. D/71/96**

### PUBLIC NOTICE

On behalf and under instructions of my client Ms. Bharti Rawat, D/O Jagdish Singh Rawat, R/O H.no-1209, R.K. Puram, New Delhi 110022. I, do hereby notify to all members of the public and all authorities and institutions that my client is not associated with and is not living with her Ex-husband Mr Ashutosh Vijay, current resident of farm house at Khasra no. 649, village Gadiapur, Bandh Road, Delhi 110030 I further notify that she is not involved nor have any past or present interest participation or stake holding in any company, Business establishment or indirectly, with Mr. Ashutosh Vijay. Accordingly she bears no responsibility or liability towards any financial or non-financial transaction / agreement and is not responsible or liable for any past or present civil/ criminal liabilities or proceedings whatsoever, on any matter related to Mr. Ashutosh Vijay's personal or commercial dealings.

Sd/-
**Rakesh Sherawat (Advocate)**
**D/796/1990, Ch. No. 171,**
**New Lawyers Chamber Block,**
**Delhi High Court,**
**New Delhi-110 003**

### PUBLIC NOTICE

My client Smt. Munar Devi W/o Late Sh Bhagwati Din R/o RZ-323, Karan Vihar-1, Gali No.6, Kirari Extn. Suleman Nagar, Delhi-110086, have debarred her daughter Smt. Rekha Kumari W/o Sh. Suresh D/o Late Sh Bhagwati Din and her children from her moveable and immovable properties and have severed all relations from them due to their misconduct, bad behaviour and bad intentions. Any person dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibilities. My Client will not be responsible for the same.

**SANJEEV JAIN (Advocate)**
**OFF: RU-17, DDA MKT**
**Pitampura, Delhi-88**

### PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that under instructions and from and on behalf of **Smt. Kastoori** W/o Sh. Heera Lal R/o H.No.S-2-A, School Block, Shakarpur, Delhi-110092, has cancelled public notice dated **31.01.2018** in Newspaper **"Jansatta"** and **" The Indian Express"** New Delhi, regarding disown of her son namely **Subhash**, daughter in law namely **Shalu** and their children. It is being done due to changes in dishonesty, disobedient & unfaithful nature. Now, they are honest, obedient & faithful with my client and they have absolute rights in all my client's movable & immovable properties being her legal heirs. **Tarun Babbar** (Advocate) 84, Manu Apptts., Mayur Vihar-I, Delhi-91

### सार्वजनिक सूचना

हम आम जनता को सूचित करना चाहते है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 09.01.2003 को कनिका इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जारी किया गया सी 14.01423 पंजीकरण का प्रमाण पत्र खो गया है। यदि कोई व्यक्ति जो इसे पाता है, से अनुरोध है कि नीचे दिए गए पते पर इसे वापस भेज दें

**कनिका इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**
कमरा नंबर 211,प्लॉट 32, बीएलके–56, एमपीएल–8294 दूसरी मंजिल, पार्क एरिया,अजमल खान रोड, करोल बाग, दिल्ली– 110005

### PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, **Dolly Bahal** W/o Sh. Vinod Kumar Bahal R/o Janta Flat No.319, Single Storey, BLK-A, PKT-1, Madipur, Paschim Puri, New Delhi-63 Will owner of **Janta Flat No. 319, Single Storey, BLK-A, PKT-1, Madipur, Paschim Puri, New Delhi** has applied for conversion of the aforesaid Flat from lease hold to free hold in DDA original documents i.e. possession slip, physical possession letter NOC water & electricity issued from DDA File No F25 (27) 1972 HBA of the above has been lost. An FIR LR No. **164250/2020** to this effect has been lodged in police station. Any person claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents may write with above named person at above address /phone **9654600785** within 15 days from date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform write to Dy. Director (LAB) Housing, D-BLK, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-23.

### PUBLIC NOTICE

Be it known to the public at large that my clients Mohd. Naim S/o Ziauddin@Kallu and Mst. Rukhsana W/o Mohd. Naim both resident of 2150, Main Bazar, Turkman Gate, Delhi 110006 do here by sever all relation with their daughter **Madiya** as she has deserted the home in company with one Suhail S/o Mursaleen and are married as on date. While leaving home she took Khandani Gold Jewellary weighing about 120 Tola and cash of business lying in the house. My clients sever all relations and debar their daughter from inheriting their movable and immovable properties and said Madiya will have no right, title and interest in properties, what so ever; left by them on their demise. My client shall not be responsible for any acts by said Madiya and Suhail either jointly or severally.

Sd/-
**M.N. JHA (Advocate)**
**Court Seat: Opp. Treasury**
**Tis Hazari Courts, Delhi-54**

## अदालती सूचना

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**
**(TESTAMENTARY INTESTATE JURISDICTION)**

**CITATION U/s 283, INDIAN SUCCESSION ACT, 1925**

In the matter of **TEST CASE No. 87/2019**

**MUKUL KUMAR** ...PETITIONER
**VS**
**STATE AND ORS** ...RESPONDENTS

To,
**All Concerned,**

In the matter of estate of **Late Shri Kailash Nath,** S/o **Late Shri Amar Nath, R/o 39, Prithvi Raj Road, New Delhi-110021.**

Whereas **Mukul Kumar, S/o Shri Mahendra Kumar, R/o H.No. 5/48, Malcha Marg-Commercial Complex, Chanakya Puri, New Delhi-110021** has filed a petition **under Section 276 of the Indian Succession Act, 1925 for grant of Probate in respect of Will dated 23.06.2015 of Shri Kailash Nath, deceased.**

And whereas the aforesaid case is fixed for hearing **before this Hon'ble Court on 17.03.2020 at 10:30 A.M.** This citation is issued, in terms of Section 283 of the said Act to all persons claiming to have any interest in the properties of the said deceased to come to this court, file objections, if any and take part in the proceedings on the date specified above for the grant of Probate.

Given under my hand and the seal of this Court, in terms of the order dated 22nd day of November, 2019.

Sd/-
seal **Assistant Registrar (O)**
*for* **REGISTRAR GENERAL**
rb

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

McGraw-Hill writer
RAMESH SINGH'S
GS ECONOMY
Basics+Current
updated with the latest
Survey 2019-20 and Budget 2020-21
New batch: Mar. 02-Apr. 20 (2.30-4.45pm)
4A/41 Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60
www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812

M. PURI
ONLINE
GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY
Your Ambition Our Guidance
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

**विरोध**

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से केंद्रीय बजट को जनविरोधी बताते हुए मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान माकपा नेता प्रकाश करात व भाकपा नेता डी राजा के साथ कई अन्य शामिल रहे।

### मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी

# दिल्ली वालों को जल्द मिलेंगी नई बसें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली की सड़कों पर बस यात्रियों के लिए बसों का संकट खत्म होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह संकट खत्म करने का आश्वासन दिया है। ज्ञात हो कि दिल्ली लम्बे समय से बसों की कमी से जूझ रही है। इस वजह से ही मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है और यातायात जाम में भी दिल्ली वालों को फंसना पड़ रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बस आ रही है और इसमें समय लगा। लेकिन आखिरकार हमने सभी बाधाएं पार कर लीं। बसें आनी शुरू हो गई हैं। वर्तमान में शहर में करीब 6000 बसें हैं। इन बसों में 3762 डीटीसी बसें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र 'गारंटी कार्ड' में 11000 से अधिक बसें लाने और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर से अधिक बढ़ाने का वादा किया था। अब तक दिल्ली सरकार केवल कलस्टर बस सेवा के तहत बसें लेकर आ रही है। लेकिन दिल्ली में डीटीसी बसों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान दिल्ली को सर्वाधिक नई बसें मिली थी। डीटीसी के बड़े में लाल-हरी बसों को शामिल किया गया। बीते सालों में इन सभी बसों की हालत खराब हुई है और इनके ब्रेकडाउन भी बढ़े हैं।

**2019 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट**

वाहनों में इजाफा (2016-17 व 2017-18)

| | |
|---|---|
| टैक्सी | 0.21 फीसद (गिरावट) |
| दुपहिया वाहन | 7.12 फीसद |
| 'ऑटो रिक्शा | 7.28 फीसद |
| कार | 2.98 फीसद |
| अन्य यात्री वाहन | 27.56 फीसद |

समय लगा, लेकिन आखिकार सभी अटकलें दूर हो चुकी है। नई बसों का आना शुरू हो गया चुका है। मैं दिल्लीवालों को विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही बसों की दिक्कत दूर होगी।
-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

### 5.81 फीसद बढ़ी है निजी वाहनों की खरीद की रफ्तार

2019 में सामने आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी सरकार ने बताया कि मार्च 18 तक दिल्ली में 5.81 फीसद तक वाहनों की संख्या बढ़ी है। इस समय तक दिल्ली में 109.86 लाख वाहन थे। यह तुलनात्मक अध्ययन 2016-17 व 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में दिल्ली में 1.03 करोड़ वाहन थे जो 2017-18 में बढ़कर 1.09 करोड़ हुए हैं। टैक्सी की संख्या में 0.21 की गिरावट आई है।

## प्रदूषण की समीक्षा करेगी दिल्ली सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय 20 फरवरी को समीक्षा करेंगे। इसके लिए सचिवालय में उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है। गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण में कमी लाना केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

दिल्ली को हर साल भीषण प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इसका कारण दूसरे राज्यों में होने वाली आगजनी की घटनाएं और अन्य कारण भी रहते हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में सर्दियों के दौरान प्रदूषण कैसे कम किया जाए इस विषय पर पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारियों को अपनी योजना का खाका प्रस्तुत करने को कहा गया है। सरकार के लिए सर्दियों में प्रदूषण पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती है।

## बिजली-पानी के बाद अब सड़कों की मरम्मत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली में मुफ्त बिजली-पानी की योजना के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती खस्ताहाल फ्लाइओवरों को संवारा होना। मार्गों की हालत खराब है और कई जगहों पर आधे-आधे फुट के गड्ढें हैं। इस वजह से न सिर्फ सड़कों पर जाम बढ़ता है बल्कि प्रदूषण में भी इजाफा होता है। अधिकांश मार्ग दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के तहत आते हैं। दिल्ली में 60 फुट चौड़ी सड़कें है, जो करीब 1260 किलोमीटर लंबी है।

**मुख्यालय के बाहर से ही होता है आगाज** : लोक निर्माण विभाग का कार्यालय आइटीओ पर स्थित है। खस्ताहाल सड़कों की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। आईटीओ तक पहुंचाने वाले मुख्य पुल की सड़कें टूटी हुई है और बिटुमिन की अलग-अलग पट्टियां

बन गई है। ये सड़के वाहन सवारों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। आईटीओ तक पहुंचाने वाले प्रमुख फ्लाइओवर की भी हालत भी खास तारीफ लायक नहीं।

**जीटी रोड शाहदरा से सीलमपुर** : यह मार्ग दिल्ली व उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला अहम मार्ग है। इस मार्ग पर शाहदरा फ्लाइओवर को संवारने के लिए पहले मार्ग को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था। लेकिन मार्ग जगह-जगह टूटा हुआ है। जो मार्ग पर प्रदूषण बढ़ाने और जाम लगने की वजह बन रहा है। यह हालत सिर्फ मार्ग पर ही नजर नहीं आ रही है बल्कि फ्लाइओवर पर भी बिटुमिन टूट रहा है। जो कि वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

**शास्त्री पार्क से गांधी नगर** : पूर्वी दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ने के लिए इस मार्ग का प्रयोग होता है। यातायात में बदलाव होने की वजह से इस पूरे मार्ग पर अधिक यातायात है। इस मार्ग से सीधे बस अड्डा व गांधी नगर से होते हुए सीधे आईटीओ और फरीदबाद तक जाया जाता है। इसलिए इस मार्ग पर अधिक यातायात होता है। इस मार्ग पर अधिक यातायात होने की वजह मार्ग की हालत बेहद ही खस्ता है। यह खस्ताहाल मार्ग वाहन सवारों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है और जाम की बड़ी वजह भी साबित हो रहे हैं।

## आप की गारंटियों पर शुरू होगी मंत्रणा, मुख्यमंत्री की बैठक आज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जनता के बीच 10 कामों का गारंटी का कार्ड लेकर आई थी। यह गारंटी कार्ड दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों की बैठक लेंगे।

सरकार ने गारंटी दी है कि वे निर्बाध बिजली आपूर्ति, कूड़ा रहित दिल्ली तथा अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं देंगे। बुधवार को होने वाली बैठक के एजंडा में पेयजल की पाइप द्वारा आपूर्ति, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, समाज के विभिन्न तबकों के लिए निःशुल्क बस सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई आदि शामिल हैं। इसमें सभी विभागों के सचिव और प्रधान सचिव शामिल होंगे।

**गारंटी कार्ड में प्राथमिकता**

- सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था
- सस्ती, सुलभ और बेहतरीन इलाज
- 11 हजार बसें व 500 किलोमीटर मेट्रो सेवा
- वायु प्रदूषण को 3 गुना तक कम करना
- दिल्ली को कूड़े व मलबे से मुक्ति दिलाना
- महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे
- कच्ची कॉलोनियों में बिजली,पानी, सड़क
- जहां झुग्गी-वहीं मकान योजना लागू करना

## राज्यसभा की तैयारी में प्रियंका गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

लोकसभा के बीते चुनाव के बीच कांग्रेस की महासचिव बनाई गईं प्रियंका गांधी जल्दी ही पार्टी की राज्यसभा सदस्य बनाई जा सकती हैं। प्रियंका को छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश से उच्च सदन भेजने की तैयारी है। उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने की पुरजोर पैरवी कर रहे नेताओं की दलील है कि भाजपा से दो-दो हाथ करने के लिए सोनिया-राहुल के अलावा प्रियंका का भी संसद में होना जरूरी है।

पार्टी के नेता आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। वहीं प्रियंका के राज्यसभा जाने की वकालत करते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जबकि भाजपा का मुकाबला करने के लिए प्रियंका गांधी को राज्यसभा के लिए चुना जाना चाहिए।

राज्यसभा सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल राज्यसभा की कुल 73 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें से चार सीटें पहले से खाली हैं जबकि 69 सीटें इस साल फरवरी से लेकर नवंबर तक खाली होनी हैं। खाली होने वाली सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस खाते की हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है उनमें मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, कुमारी सैलजा आदि प्रमुख हैं।

कांग्रेस शासित राज्यों में मध्यप्रदेश-राजस्थान से तीन-तीन और छत्तीसगढ़-हरियाणा से दो-दो सीटें

*मध्यप्रदेश* कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने कहा कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए प्रियंका को चुना जाना चाहिए।

शामिल हैं। कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार से संबंधित राज्य महाराष्ट्र से सात सीटें रिक्त हो रही हैं जबकि झारखंड से भी दो लोगों को राज्यसभा के लिए चुना जाना है।

प्रियंका की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी राज्यसभा से ही अपनी संसदीय यात्रा शुरू की थी। लिहाजा कहा जा रहा कि कांग्रेस महासचिव गांधी भी राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

सूत्रों की मानें तो प्रियंका को राज्यसभा भेजे जाने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि उन्हें संसद नहीं भेजा गया तो उन्हें लोधी रोड स्थित अपना टाइप छह सरकारी बंगला खाली करना होगा। एसपीजी सुरक्षा हटा लिए जाने के बाद यह बंगला उनसे खाली कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों ही नेताओं की एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। जानकारों का कहना है कि सोनिया और राहुल का बंगला इसलिए बच गया क्योंकि वे सांसद हैं। हालांकि बताया जाता है कि प्रियंका अपने बंगले के पूरे किराए का भुगतान करती हैं।

## गार्गी कॉलेज मामले में दो अन्य गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में घुसकर छात्राओं के साथ की गई छेड़छाड़ के मामले में दो अन्य लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

दक्षिणी जिले की हौज खास पुलिस ने मामला प्रकाश में आने के बाद 452/354/509 और 34 आइपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले गार्गी कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कुछ बाहरी लड़के घुस आए थे जिन्होंने छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। छात्राओं ने कार्रवाई के लिए कॉलेज में प्रदर्शन भी किया था।

### जामिया में हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद

## दिल्ली पुलिस की टीम ने विवि का दौरा किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को हुई हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अपराध शाखा (एसआईटी) की एक टीम ने मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का दौरा किया। उस घटना के चार वीडियो हाल ही में सामने आए हैं, जिनमें से एक नया वीडियो सोमवार को जारी हुआ।

उधर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्रों के संघ ने मंगलवार को पिछले साल 15 दिसंबर को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में घुसने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और धर्म के अपमान का मामला दर्ज किया जाना चाहिये। दिल्ली पुलिस की विशेष जांच दल (एसआइटी) के उपायुक्त, अपराध शाखा राजेश देव के नेतृत्व में एक टीम ने पुस्तकालय का मंगलवार को दौरा किया। टीम के सदस्य छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की घटना की तहकीकात की।

इस घटना में कथित पुलिस कार्रवाई के दौरान बुरी तरह से कई छात्र घायल हो गए थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक टीम के सदस्यों ने पुस्तकालय को हुए नुकसान का विश्लेषण और वीडियोग्राफी की। उन्होंने प्राक्टर कार्यालय का भी दौरा किया। रविवार को सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मियों को पुस्तकालय में छात्रों को पीटते हुए देखा जा सकता है। दो अन्य वीडियो में कुछ नकाबपोश युवक पुस्तकालय में घुसते दिख रहे हैं।

**प्रपत्र बी**
**सार्वजनिक घोषणा**
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

**बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 22.03.2006 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कानपुर (आरओसी, कानपुर) कंपनी अधिनियम के तहत |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U27104UP2006PTC031518 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता | **पंजीकृत कार्यालय :** डी –80, उद्योग कुंज, साइट–V, पनकी, कानपुर –208022, यूपी |
| 6. | कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि | 16.05.2019 (CIRP शुरू होने की तारीख से 180वां दिन+CIRP में 90 दिन का विस्तार) |
| 7. | कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि | 10.02.2020 (आदेश की प्रति को आरपी/परिसमापक को 18.02.2020 सूचित किया गया) |
| 8. | परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर | **नाम : पवन के गोयल**<br>**पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P00203/2017-2018/10392 |
| 9. | परिसमापक का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है | **पता:** 206बी और 207, जगदंबा टॉवर कमर्शियल काम्प्लेक्स, 13, प्रीत विहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली –110092<br>**ईमेल :** pawankgoel1@gmail.com |
| 10. | परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल, यदि क्रमांक 9 में दिए गए पते से अलग है | **पता:** सी–11, दूसरी मंजिल, राज नगर आरडीसी, गाजियाबाद, यूपी – 201 002<br>**ईमेल :** liquidation.beekay@gmail.com |
| 11. | दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | **20.03.2020** (अर्थात इस सार्वजनिक घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन) |

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहबाद पीठ ने **10 फरवरी, 2020** को **बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** के परिसमापन का शुरू करने का आदेश दिया है। परिसमापन के आदेश की प्रति, परिसमापक को 18.02.2020 को सूचित की गई थी।

**बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** के हितधारकों को इसके द्वारा **20 मार्च 2020** को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे परिसमापक के पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसे की मद संख्या 10 के सम्मुख उल्लेख किया गया है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

**असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।**

हस्ता/–
**पवन के गोयल**
परिसमापक
बी के प्रिसिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
**पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P00203/2017-2018/10392

**दिनांक :** 19.02.2020
**स्थान :** कानपुर

www.readwhere.com

# अमर सिंह ने अपनी टिप्पणियों के लिए अमिताभ बच्चन से खेद जताया

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को ट्विटर एवं फेसबुक पर खेद प्रकट किया।

अमर सिंह ने ट्वीट किया कि इस समय में जब वे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, वे बच्चन और उनके परिवार से अपनी टिप्पणी के लिए खेद प्रकट करते हैं।

उन्होंने कहा, 'आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और आज ही मुझे अमिताभ बच्चन जी का संदेश मिला।

जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा हूं तो मुझे अमित जी और परिवार के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए खेद है। ईश्वर उन सभी को आशीर्वाद दे।'

गौरतलब है कि कुछ साल पहले अमर सिंह की किडनी में समस्या आई थी, जिसका इलाज चल रहा है। अमर सिंह ने ट्वीट के अलावा फेसबुक पर वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के उपचार के लिए आने एवं अमिताभ बच्चन के साथ होने और इसके बाद बच्चन के साथ छूटने का जिक्र भी किया।

वीडियो में सिंह ने कहा, 'अमितजी मुझसे उम्र में बड़े हैं इसलिए उनके प्रति मुझे नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटुवचन मैंने बोला है, उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए।'

# नक्सल अभियान में घायल सीआरपीएफ कमांडो की मौत

रायपुर, 18 फरवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पिछले सप्ताह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए सीआरपीएफ कमांडो की मंगलवार को रायपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

## दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू) VI
डब्ल्यू.एस.टी.पी. केशोपुर, नई दिल्ली-110018

प्रैस एन.आई.टी. सं. 23/ईई (एसडीडब्ल्यू) VI/(2019-20)

| क्रम सं. | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत | धरोहर राशि | निविदा शुल्क | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 वर्षों की अवधि के प्रचालन तथा व्यापक रखरखाव सहित राज निवास में डीबीओ आधार पर 50 केएलडी एसटीपी का निर्माण तथा अन्य प्रासंगिक/उपयुक्त कार्य। | 15224481/- | 304500/- | 1000/- | 2020-DJB-188163-1 तिथि 17.2.2020 | 3.3.2020 के 3.00 बजे अप. में। |

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 2019-20/829

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू) VI

## Parsvnath Developers Limited

CIN:L45201DL1990PLC040945
Regd. & Corp. Office:Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032
Phone No:011-43010500, 011-43050100; Fax No:011-43050473
E-mail Address: mail@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

**NOTICE**

Whereas, M/s Parsvnath developer Ltd, have been granted licence nos 1205-1206 of 2006 dated 06.10.2006 for development of a residential Group Housing Sonipat over an area measuring 28.106 acres at village Shahpur Turk, Sector 9 & 18 Sonipat. Out of the this licenced area, we have already applied for Surrender of part of this licenced area measuring 14.606 acres falling under licence no 1206 of 2006 and in-principle approval for surrender of 1206 of 2006 have been accorded vide DGTCP memo no LC-874-JE(MK)-2020/3951 dated 11.02.2020.

And whereas the office of Director General, Town & Country Planning Haryana, Chandigarh has required seeking of objections against the surrender of this licence as a pre-condition for allowing this approval Accordingly, vide this public notice, objections are hereby invited from the general public.

Any person having any objection on Surrender of this licence, may file his objection in the office of District Town Planner (Planning) Sonipat within 15 Days of the publication of notice, failing which it shall be assumed that there are no objection to the proposed surrender of licence.

Date : February 18, 2020
Place : Delhi

For Parsvnath Developers Ltd
(Shailendra Modi)

## KAMDHENU LIMITED

CIN: L27101RJ1994PLC067034
Regd. Off.: A 1112 & A 1114, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan-301019
Corp. Off.: 2nd Floor, Tower A, Building No.9, DLF Cyber City, Phase-3, Gurgaon 02
Ph.: +91-124-4604500 (30 Lines) Fax: +91-124-4218524
Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com, www.kamdhenulimited.com

KAMDHENU GROUP

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and such other applicable laws and regulations, the approval of Members of Kamdhenu Limited (the "Company") is being sought for the following Resolutions by way of Postal Ballot including e-voting:

| S.No. | Description of Resolution |
|---|---|
| 1. | Shifting of registered office of the Company from State of Rajasthan to State of Haryana. |
| 2. | Approval of amendment in "Kamdhenu Employee Stock Option Scheme 2017". |
| 3. | Designate Mr. Satish Kumar Agarwal as Chairman & Managing Director of the Company and continuation of his appointment even after attaining the age of 70 years for a period of 3 consecutive years with effect from 1st April, 2020 upto 31st March, 2023. |

The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement and Postal Ballot Form on 15th February, 2020 to all Members of the Company, whose names appeared on the Register of Members as on Friday, 7th February, 2020 i.e. the cut-off date

(a) through electronic mail to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depositories, and

(b) through physical mode, along with a self-addressed pre-paid Business Reply Envelope to the Members whose email IDs are not registered.

Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on Friday, 7th February, 2020. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of Kfintech Private Limited for providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that the voting, both through Postal Ballot and e-voting, will commence at 09:00 hours (IST) on Tuesday, 18th February, 2020 and will end at 17:00 hours (IST) on Wednesday, 18th March, 2020. The Members can opt for only one mode of voting i.e. physical ballot or e-voting. The detailed procedure for voting has been provided in the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Praveen Kumar Bharti, Advocate of M/s Rajeev Goel & Associates, Advocates & Solicitors, Delhi as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot forms should reach the Scrutinizer on or before 17:00 Hours (IST) on Wednesday, 18th March, 2020. Postal ballots received from Members after 17:00 Hours (IST) on Wednesday, 18th March, 2020 will not be considered as valid and voting through postal ballot or e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any Member who does not receive the postal ballot form may either send an e-mail to Kamdhenu@kamdhenulimited.com or may apply to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and obtain a duplicate postal ballot form. The Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website on the link https://www.kamdhenulimited.com/Financial-Results/Postal-Ballot-Notice-and-Form.pdf

The results of the voting by Postal Ballot (along with the Scrutinizer's report) will be announced by the Chairman of the Company on or before Friday 20th March, 2020, at the **Registered Office** of the Company and will also displayed on the website of the Company (www.kamdhenulimited.com), website of RTA (www.evoting.karvy.com) besides being communicated to the Stock Exchanges, Depositories and Registrar & Share Transfer Agent.

In case of any queries or grievances with regard to voting by Postal Ballot or e-voting, Members can contact Mr. Suresh Babu D. Deputy Manager- Corporate Registry email id: suresh.d@kfintech.com.

Place: Gurgaon
Date: 17th February, 2020

For **KAMDHENU LIMITED**
Sd/-
Jogeswar Mohanty
(Company Secretary)
M.No. ACS 23247

KAMDHENU STEEL | KAMDHENU PAS10000 | KAMDHENU Nxt | KAMDHENU PAINTS | Dreamz Colour

## प्रपत्र क
## सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

**रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ**

**संबंधित विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 21/06/1990 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U74899DL1990PTC040591 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता | 31/6, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली -110005 भारत |
| 6. | कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि | 14 फरवरी, 2020 (18 फरवरी, 2020 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की वेबसाइट से आदेश की प्रति डाउनलोड की गई) |
| 7. | ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि | 12/08/2020 |
| 8. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर | नाम: श्री कांति मोहन रुस्तगी<br>पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240 |
| 9. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है | पता: ई-7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली 110048<br>ईमेल: kanti.rustagi@patanjaliassociates.com |
| 10. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल | पता: रिसर्जेंट रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, 905 9वीं मंजिल, टॉवर सी, यूनिटेक बिजनेस जोन निर्वाणा सिटी सेक्टर -50 गुडगांव -122018 ईमेल: crp.rajatwires@gmail.com |
| 11. | दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि | 03.03.2020 |
| 12. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई | लागू नहीं |
| 13. | किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) | लागू नहीं |
| 14. | (क) संबंधित प्रपत्र और<br>(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध हैं | वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads<br>लागू नहीं |

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **14 फरवरी 2020** को **रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। **(18 फरवरी, 2020 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की वेबसाइट से आदेश की प्रति डाउनलोड की गई)**

**रजत वायर्स प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **03 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के सामने वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

*दावे उनके विशिष्ट निम्नलिखित प्रपत्रों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं: **फॉर्म बी**- परिचालन लेनदारों द्वारा दावा के लिए कामगारों और कर्मचारियों को छोड़कर, **फॉर्म सी**- वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए **फॉर्म डी**- दावा करने वाले और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए, **फॉर्म ई**- श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावा के लिए, **फार्म एफ**- लेनदारों द्वारा दावों के लिए (वित्तीय लेनदारों और कॉर्पोरेट ऋणदाता के परिचालन लेनदारों के अलावा)

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ संबंधित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि का प्रपत्र सीए में (लागू नहीं) निर्दिष्ट करेगा।

**दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।**

हस्ता/-
कांति मोहन रुस्तगी
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240

दिनांक: 19 फरवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली

## HDFC हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

WITH YOU, RIGHT THROUGH

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067
दूरभाष: 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

**कब्जा सूचना**

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

| क्र. सं. | कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या | बकाया राशि | मांग सूचना की तिथि | कब्जा करने की तिथि | अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री ब्रम्ह दत्त गौतम श्रीमती आशा गौतम एवं श्री अमित गौतम ऋण खाता सं. 610866636 | 30-अप्रैल-2019* के अनुसार रु. 1,45,16,081/- (एक करोड़ पैंतालीस लाख सोलह हजार इक्यासी रुपये मात्र) | 28-मई-2019 | 15-फरवरी-2020 (भौतिक) | फ्लैट नं. 1637, दूसरी और तीसरी मंजिल, पॉकेट-1, सैक्टर बी, डीडीए वसन्त कुंज, वसन्त कुंज, नई दिल्ली। |
| 2. | श्री बिजेन्द्र सिंह ऋण खाता सं. 583449152 | 31-जनवरी-2017* के अनुसार रु. 7,53,219/- (सात लाख तिरपन हजार दो सौ उन्नीस रुपये मात्र) | 01-मार्च-2017 | 14-फरवरी-2020 (प्रतिकात्मक) | प्लॉट नं. 950, सैक्टर - 12, सोनीपत - 131001, हरियाणा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। |
| 3. | श्रीमती सीमा एवं श्री बिजु जार्ज ऋण खाता सं. 617279382 | 31-जनवरी-2019* के अनुसार रु. 30,26,296/- (तीस लाख छब्बीस हजार दो सौ छियानवे रुपये मात्र) | 12-अप्रैल-2019 | 14-फरवरी-2020 (प्रतिकात्मक) | फ्लैट नं. यू2-603, 6वीं मंजिल, टॉवर यू2, किंग्सबरी अपार्टमेंट, टीडीआई, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा। |
| 4. | श्री विनीत शर्मा ऋण खाता सं. 613978209 | 31-जुलाई-2019* के अनुसार रु. 6,77,712/- (छह लाख सतहत्तर हजार सात सौ बारह रुपये मात्र) | 17-सितम्बर-2019 | 17-फरवरी-2020 (प्रतिकात्मक) | फ्लैट नं. ए-2261, दूसरी मंजिल, ब्लॉक 36/टॉवर 36, दिनेश नगर, एनएच-24, पिलखुवा, तहसील धौलाना, जिला - हापुड़, पबलामोदीनगर रोड, नियर पिलखुवा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा। |
| 5. | श्री जसविन्दर सिंह ऋण खाता सं. 581141768 | 31-जुलाई-2019* के अनुसार रु. 5,50,038/- (पांच लाख पचास हजार अड़तीस रुपये मात्र) | 12-सितम्बर-2019 | 17-फरवरी-2020 (प्रतिकात्मक) | प्लॉट नं. 3/1306, यूपी आवास विकास परिषद, वसुंधरा योजना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। |
| 6. | श्री दीपक अहलावत एवं श्रीमती सविता ऋण खाता सं. 625922355 | 31-जुलाई-2019* के अनुसार रु. 11,14,706/- (ग्यारह लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये मात्र) | 20-सितम्बर-2019 | 17-फरवरी-2020 (प्रतिकात्मक) | फ्लैट नं. एफ17/8सी, तीसरा तल, ब्लॉक एफ, ईडब्ल्यूएस, जीडीए मधुवन-बापूधाम स्कीम, एनएच-58, मेरठ रोड, ऑपोजिट राज नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा। |

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालांकि, चूंकि यहां उपरोक्त वर्णित कर्जदार/रों बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी/रियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्र. सं. 1 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **भौतिक कब्जा** तथा क्र. सं. 2, 3, 4, 5 और 6 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **प्रतिकात्मक कब्जा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहां उपरोक्त वर्णित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं और कथित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) / विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

**स्थानः दिल्ली**
**दिनांकः 18.02.2020**

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/-
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

## ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स — ई-नीलामी सूचना

ओ.बी.सी
(भारत सरकार का उपक्रम)
समूह कार्यालय - आर.आर.एल नोएडा, एसएच-12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सैन्टर, सैक्टर-गामा-I,
ग्रेटर नोएडा -201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई-मेलः rrl_7656@obc.co.in

**परिशिष्ट-IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,**

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 06.03.2020 को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

**अचल सम्पत्तियों का विवरण**

| क्र. सं. | शाखा/कर्जदार/गारंटर का नाम | सम्पति का विवरण | आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि | बकाया राशि | ई-नीलामी की तारीख/समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फेज-II, नोएडा, यू.पी.<br>श्री अरविन्द कुमार वार्ष्णेय और श्रीमती हेमलता | फ्लैट नं. 131 एस, द्वितीय तल, ब्लॉक-बी, सैक्टर-ओमीक्रॉन-01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, यू.पी. क्षेत्रफल 32 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में - स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब में - स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम में - स्थित मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम में - स्थित मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा) | ₹7.21 लाख<br>₹0.73 लाख<br>₹0.10 लाख | ₹ 10,27,268.00 और दिनांक 01.08.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |
| 2 | शाखा : आई.ई.एम.एल. ग्रेटर नोएडा<br>श्री दिनेश कुमार | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 239 एसएफ (द्वितीय तल) ब्लॉक-सी, सैक्टर- ओमिक्रॉन-1, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., उप-जिला सदर, गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत पंजीकृत, जिला गौतमबुद्ध नगर, चौहद्दीः उत्तर पूरब में - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा) | ₹7.07 लाख<br>₹0.71 लाख<br>₹0.10 लाख | ₹8,05,620.00 और दिनांक 01.10.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |
| 3 | बरौला, सैक्टर-49, नोएडा, यू.पी.<br>श्री आनंद कुमार एवं श्रीमती रिंकी | व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. एसएफ-211, द्वितीय तल, अंसल प्लाजा, प्लॉट नं. 1-सी, नौलेज पार्क -1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल 45.55 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में - मेन रोड की तरफ खुला, पश्चिम में - बराम्दा, उत्तर में - ऑफिस यूनिट नं. 210, दक्षिण में - ऑफिस यूनिट नं. 212 (भौतिक कब्जा) | ₹14.15 लाख<br>₹1.50 लाख<br>₹0.10 लाख | ₹ 26,35,504.00 और दिनांक 01.01.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |
| 4 | डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फेज-II, नोएडा, यू.पी.<br>श्री बंस बहादुर सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 122 जी, भूतल, ब्लॉक-डी, सैक्टर, ओमिक्रान - 01 ग्रेटर नोएडा और जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित, सब डिस्ट्रिक सब रजिस्ट्रार सदर गौतम बुद्ध नगर, और जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत, क्षेत्रफल 32.00 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा) | ₹7.66 लाख<br>₹0.75 लाख<br>₹0.10 लाख | ₹8,19,928.07 दिनांक 14.02.2017 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |
| 5 | एलायन्स, सैक्टर-22 नोएडा, यू.पी.<br>श्री मनोज चौधरी | प्लॉट नं. ए-1/32 पर निर्मित रिहायशी मकान एलआईजी फ्लैट नं. एफ-2, (प्रथम तल पर पीछे की तरफ का बिना छत के अधिकार के), डी एल एफ दिलशाद एक्सटैन्शन-2, भोपुरा, गाजियाबाद, यू.पी., क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूरब में - प्लॉट नं. ए-1/15, पश्चिम में - 30 फीट रोड, उत्तर में - प्लॉट नं. ए-1/33, दक्षिण में - प्लॉट नं. ए-1/31 (भौतिक कब्जा) | ₹7.30 लाख<br>₹0.73 लाख<br>₹0.10 लाख | 8,10,392.00 और दिनांक 01.09.2013 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |
| 6 | सैक्टर-पाई, ग्रेटर नोएडा, यू.पी.<br>श्री फईम बाबू | फ्लैट नं. 54, ब्लॉक ई, सैक्टर - ओमीक्रॉन - 01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल 30 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में - स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब में - स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम में - स्थित मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम में - स्थित मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा) | ₹6.84 लाख<br>₹0.70 लाख<br>₹0.10 लाख | ₹ 7,09,748.88 और दिनांक 31.07.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |
| 7 | एलायन्स, सैक्टर-22 नोएडा, यू.पी.<br>श्री दीपक कुमार और गारंटरः श्री जय प्रकाश | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. डी-888, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, इंद्रप्रस्थ, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद (यू.पी.), चौहद्दी : पूरब में - प्लॉट नं. 825, पश्चिम में - 7.5मी. चौडी रोड, उत्तर में - 9 मी. चौडी रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. 889, (भौतिक कब्जा) | ₹8.14 लाख<br>₹0.85 लाख<br>₹0.10 लाख | ₹ 9,60,782.12 और दिनांक 01.09.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |
| 8 | डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पाउंड, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी.<br>श्री कृष्ण कुमार राय पुत्र श्री फुर्ती लाल राय | रिहायशी फ्लैट नं. 62, तीसरा तल, ब्लॉक सी, सैक्टर ओमीक्रॉन-01ए, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल-31 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम - स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा) | ₹8.08 लाख<br>₹0.80 लाख<br>₹0.10 लाख | ₹ 10,71,726.08 और दिनांक 01.10.2015 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार | 06-03-2020 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर) |

**नियम एवं शर्तें**

1. सम्पत्ति "जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जा रही है तथा इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बैंक प्रभारों के अतिरिक्त ऋणभारों के संबंध में सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए तथा सम्पत्ति के स्वामित्व, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत किए जाने के बाद बिक्री की जा रही सम्पत्ति के संबंध में अथवा किसी अन्य मामले में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने और बोली पूर्व औपचारिकताओं के लिए **https://ibapi.in** पर अपना पंजीकरण करवाना होगा तथा सम्पत्ति संबंधी पूछताछ और सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए शरद खन्ना, मुख्य प्रबंधक, आरआर एवं एल क्लस्टर, नोएडा, ई-मेल : rrl_7656@obc.co.in, मोबाइल : 9319688633 से सम्पर्क करें।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली देने से पहले, ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच स्वयं कर लेनी चाहिए। सम्पत्ति, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है तथा प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सम्पत्ति का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक किया जा सकता है।
4. बंधक अथवा प्रभारित सम्पत्ति के हस्तांतरण की स्थिति में, पट्टाकर्ता (जीनोएडा/नोएडा प्राधिकरण/गाजियाबाद प्राधिकरण अथवा कोई अन्य प्रशासक निकाय) पट्टा किराया और सम्पत्ति के मूल्य में वसूल नहीं की गई वृद्धि का ऐसे प्रतिशत हेतु दावा और वसूली करने का अधिकारी होगा, जैसा संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्णय किया जाए और ऐसी राशि उक्त सम्पत्ति के सफल बोलीदाता/क्रेता द्वारा वहन की जाएगी।
5. बोली देने से पहले आस्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और अपनी संतुष्टि करना इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को नीलाम की जा रही सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी वेब पोर्टल : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ao_no_login.jsp (जिसमें यूजर आईडी तथा पासवर्ड अपना नाम https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ao_no_login.jsp पर पंजीकृत करवा कर निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं) के माध्यम से लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के जरिये जमा करनी होगी। सुरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी केवल (आरटीजीएस नहीं) के जरिये सिस्टम में जनित चालान में वर्णित खाते में देय होगी। कृपया नोट करें कि ईएमडी राशि हेतु चैक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. बोलीदाता द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराए जाने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को पूर्व वेब पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां बोली (बोलियां) जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपलोड करनी होंगी नामतः 1) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति, 2) पैन कार्ड की प्रति, 3) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसेकि वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रति, 4) पते के प्रमाण की प्रति ; जिनके बिना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
8. केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक और एनईएफटी के जरिये ईएमडी भुगतान की पुष्टिधारक क्रेता ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।
9. इच्छुक बोलीदाता, जो 06-03-2020 को अप. 5.00 बजे से पहले ईएमडी, जो सुरक्षित मूल्य के 10% से कम नहीं है, ऑनलाइन विधि से जमा कर चुके होंगे, ई-बोलीदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। उपरोक्त सम्पत्तियों की ई-नीलामी प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित नियत तिथि और समय पर बोलीदाताओं के मध्य परस्पर बोलीदान की विधि से संचालित की जाएगी। बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (असीमित विस्तार)। उच्चतम बोली (सुरक्षित मूल्य से कम नहीं) देने वाले बोलीदाता को ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उस प्रभाव की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी जो प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत क्रेडिटर के अनुमोदन के अधीन होगी।
10. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्राप्ति के अंश रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि (पहले अदा की गई ईएमडी सहित), प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के बाद अतिशीघ्र जमा करनी होगी तथा बोली मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन अथवा पूर्व अथवा एकमात्र प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार और लिखित सहमति के अनुसार विस्तारित तिथि के भीतर जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता कर्जदार का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
11. प्रत्याशित योग्यताप्राप्त बोलीदाता **https://ibapi.in** पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ई-नीलामी की तिथि से पूर्व प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक किसी इंटरनेट नेटवर्क संबंधी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा इच्छुक बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी आयोजन में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हैं।
12. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटीज/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण प्रभार इत्यादि और किसी निकाय को देय सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, उप-करों, आकलन प्रभारों, शुल्क इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
14. आयकर नियमों के अनुसार, क्रेता को बिक्री प्रतिफल की 1प्रतिशत राशि टीडीएस के रूप में कर अधिकारियों के पास जमा करनी होगी। यह रू. 50 लाख से अधिक मूल्य की सभी सम्पत्तियों के लिए है।
15. इच्छुक बोलीदाताओं को सूचना दी जाती है कि बैंक बोलीदाता द्वारा जमा की गई किसी भी राशि पर कोई लागत, क्षतिपूर्ति, हरजाना इत्यादि अदा नहीं करेगा, यदि कोई न्यायालय/न्यायाधिकरण/फोरम नीलामी कार्यवाही पर स्थगन आदेश जारी करता है अथवा किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण/फोरम के किसी स्थगनादेश/किसी अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश से खाली कब्जा प्रदान करने में कोई विलम्ब होता है।
16. ई-नीलामी असफल होने की स्थिति में बैंक का सम्पत्ति को प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बेचने का अधिकार सुरक्षित है।
17. बोलीदाताओं को अपनी बोली देने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले **https:ibapi.in** पर ई-नीलामी के विस्तृत निबंधन एवं शर्तें आद्यंत पढ़ लेने की सलाह दी जाती है।
18. बैंक ने इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ऑनलाइन बोली जमा करने में सहायता के लिए नोएडा स्थित अपने क्लस्टर कार्यालय को सरलीकरण केन्द्र नामित किया है।
19. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने और बिना कोई कारण बताए तथा बिना कोई पूर्व सूचना दिए बिक्री /किसी नियम एवं शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है।
20. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें : www.obcindia.co.in/content/auctions www.tender.gov.inAnd https://ibapi.in, and www.eprocure.gov.in/epublish

दिनांक 18-02-2020, स्थान : ग्रेटर नोएडा, यू.पी.
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

www.readwhere.com

जनसत्ता



# समाधान की राह

राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी, उससे अब कोई नया रास्ता निकलने की उम्मीद जगी है। हालांकि अदालत ने एक बार फिर यह साफ किया है कि लोकतंत्र में लोगों को विरोध जताने का बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसी के साथ अदालत ने यह कहा कि आंदोलनकारियों के लिए ऐसी कौन-सी वैकल्पिक जगह हो सकती है, जहां यातायात को बाधा पहुंचाए बिना विरोध जारी रखा जा सकता है! जाहिर है, शाहीन बाग में प्रदर्शन की वजह से जैसी स्थिति बनी हुई है, उससे असुविधा की स्थिति तो बनी है। लेकिन असहमति और विरोध जाहिर करने का अधिकार चूंकि लोकतंत्र को ही मजबूती देता है, इसलिए इस समस्या का व्यावहारिक हल निकालने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि इस प्रदर्शन की के कारण सड़क बाधित होने पर कोई फैसला सुनाने के बजाय इससे उपजी समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए अदालत ने तीन लोगों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है, जो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे।

जाहिर है, देश में लोकतांत्रिक परंपराएं और संवैधानिक ढांचे का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई व्यावहारिक उपाय निकालने की कोशिश में है, ताकि आम लोगों के विरोध के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हो और सड़क पर आवाजाही को फिर से शुरू किया जा सके। जिन तीन लोगों को मध्यस्थता करके किसी हल तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा गया है, वे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों पक्षों की बीच सहमति के बिंदु तैयार करके एक सर्वमान्य और सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाला जा सकेगा। हालांकि अदालत ने यही कहा है कि क्या विरोध प्रदर्शन के लिए कोई वैकल्पिक जगह हो सकती है! यह सही है कि सड़क बाधित होने की वजह से यातायात संबंधी एक असुविधा खड़ी हो गई है, लेकिन अच्छा यह है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था बहाल करने से जुड़े तंत्र ने विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार को बाधित करने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाने के बजाय संवाद का रास्ता खुलने का इंतजार किया। दरअसल, एक स्वस्थ लोकतंत्र में किसी व्यावहारिक हल तक पहुंचने के यही तकाजे हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में एक कानून के रूप में अस्तित्व में आए सीएए के विरोध के मसले पर हुए आंदोलनों के दौरान शाहीन बाग में भी धरना-प्रदर्शन शुरू हुआ। इसे दो महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच संवाद के जरिए हल निकालने के लिए कोई ठोस पहलकदमी नहीं हुई। जब सड़क यातायात बाधित होने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जाकर इससे जुड़ी असुविधाओं और लोगों के अधिकारों पर बातचीत होने लगी। यह सवाल उठा कि किसी के लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक के तहत विरोध प्रदर्शन को गलत नहीं कहा जा सकता, मगर क्या लंबे समय तक एक ऐसी सड़क पर आवाजाही को बाधित होने दिया जाना चाहिए, जिससे रोजाना लाखों लोग आते-जाते हों। सच यह है कि इसकी वजह से दिल्ली से नोएडा जाने के लिए अन्य मौजूद वैकल्पिक मार्गों पर दबाव बढ़ा है और उन पर भी जाम की स्थिति बनी। सुप्रीम कोर्ट में इसी वजह से याचिका दाखिल की गई कि शाहीन बाग में बाधित सड़क यातायात को सामान्य करवाया जाए। सही है कि कई बार तात्कालिक असुविधाएं दीर्घकालिक असर वाले सवालों से जुड़ी होती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि शाहीन बाग में बाधित यातायात फिर से सामान्य हो, लेकिन लोगों की असहमति और विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक हकों का हनन भी नहीं हो।

# चुनौती और रणनीति

किसी भी देश की सुरक्षा उसकी मजबूत सशस्त्र सेना और बेहतर रणनीति पर निर्भर करती है। अगर भारत के संदर्भ में इसे देखें तो देश की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है। भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से जैसी चुनौतियां मिलती रही हैं, उन्हें देखते हुए सुरक्षा का मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो जाता है। देश तीन तरफ से समंदरों से घिरा है। जाहिर है, जल सीमा भी हजारों किलोमीटर में है। इसलिए देश की सुरक्षा चाक-चौबंद बनाने के लिए सैन्य व्यवस्था के कायापलट की जो कवायदें अब शुरू हुई हैं, उनकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति इस दिशा में पहला बड़ा कदम थी। उसके बाद यह साफ हो गया था कि अब तीनों सेनाओं को मजबूत बनाने और इनमें तालमेल स्थापित करने के लिए भी जल्द ही काम शुरू हो जाएंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सेना के तीनों अंगों- थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए अब थिएटर कमान बनाने के विचार को मूर्त रूप देने पर काम शुरू हो गया है।

भारत को अपने दोनों पड़ोसियों- पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा है। दो बार पाकिस्तान और एक बार चीन के साथ। पाकिस्तान ने पिछले तीन दशक से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तानी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी हमले होते रहे हैं। दूसरी ओर, भारत-चीन सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है और चीनी सैनिकों द्वारा अक्सर भारतीय सीमा में घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसलिए अब किसी भी संकट से निपटने के लिए तीनों सेनाएं मिल कर मोर्चा संभालेंगी। इसी योजना के तहत देश के मौजूदा सैन्य ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है और सेना के तीनों अंगों को मिला कर थिएटर कमान बनाई जा रही हैं। अभी इनकी संख्या दो से पांच के बीच होने की बात है। सबसे महत्त्वपूर्ण कदम कश्मीर को लेकर होगा, जिसके लिए अलग से थिएटर कमान होगी। इसमें कोई दोराय नहीं कि जम्मू-कश्मीर देश का संवेदनशील इलाका है और इस वक्त घाटी में जिस तरह के हालात हैं और सीमापार से आतंकी गतिविधियों का सिलसिला जारी है, उस स्थिति में वहां सेना की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। थल और वायु सेना को हर तरीके से सशक्त होने की जरूरत है।

थिएटर कमान बनाना सेना की नई रणनीति और तैयारियों को परिलक्षित करता है। इस लिहाज से अगले दो साल महत्त्वपूर्ण हैं। थिएटर कमान 2022 तक तैयार हो जाएंगी। वायु सुरक्षा कमान अगले साल के मध्य तक अस्तित्व में आ जाने के संकेत हैं। इसकी खूबी यह होगी कि इसमें सेना की मिसाइल प्रणाली और नौ सेना की कुछ इकाइयां भी शामिल होंगी। इसके अलावा अगले साल के आखिर तक नौ सेना की मौजूदा दो कमानों को मिला कर एक पेनिनसुला कमान बना दी जाएगी और इसकी कमान नौ सेना कमांडर संभालेंगे। गुजरात के सरक्रीक से लेकर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तक के समुद्री इलाके की रक्षा पेनिनसुला कमान के हवाले होगी। अभी देश में सत्रह कमान हैं और इतनी ज्यादा कमान होने की स्थिति में संकट के वक्त फैसले लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थिएटर कमान के गठन के बाद इन मुश्किलों से पार पाया जा सकेगा। इसके अलावा, सेना के तीनों अंगों को अत्याधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत है। हालांकि पिछले दो साल में छोटे हथियारों की खरीद और देश में ही उनके निर्माण को लेकर सरकार सक्रिय हुई है। रफाल जैसे लड़ाकू विमान भारत को मिलने हैं। पर हथियार भी तभी कारगर होते हैं जब रणनीति मजबूत हो। ऐसे में सेना का पुनर्गठन वक्त की मांग है।

## कल्पमेधा

सच्चा प्रेम नाप-तौल नहीं करता,
यह सिर्फ दिया जाता है।
-मदर टेरेसा

# जीसैट-30 और संचार क्रांति

योगेश कुमार गोयल

**जीसैट-30 की मदद से जहां इंटरनेट की गति बढ़ेगी, वहीं देश में जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां उसका विस्तार किया जा सकेगा, और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कॉल ड्रॉप जैसी समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। दुनियाभर में इस समय 5जी इंटरनेट पर तेज गति से काम चल रहा है। भारत में भी इंटरनेट की नई तकनीक आ रही है। अरबों रुपए खर्च करते हुए ऑप्टीकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। ऐसे में देश को पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर संचार उपग्रह की आवश्यकता थी।**

पिछले दिनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से यूरोपीय राकेट 'एरियन 5-वीटी 252' के जरिए अपना संचार उपग्रह 'जीसैट-30' कक्षा में स्थापित किया था। एरियन अंतरिक्ष केंद्र से एरियन-5 राकेट का पहली बार इस्तेमाल पिछले साल तब हुआ था, जब इसी रॉकेट के जरिए एक भारतीय उपग्रह को छोड़ा गया था। एरियन 5 के जरिए इसरो के जीसैट-30 के अलावा यूटेलसैट के उपग्रह भी सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। अब सी और केयू बैंड दायरा और क्षमता बढ़ाने के लिए आने वाले दिनों में जीसैट-30 को भूमध्य रेखा से छत्तीस हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू-स्थैतिक कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। कक्षा उठाने के अंतिम चरण में इसके दो सौर एंटीने खुल जाएंगे। इसके बाद इसे अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह अपना काम शुरू कर देगा।

भारत के पास हालांकि चार टन वजनी क्षमता का रॉकेट जीएसएलवी-एमके-3 है। फिर भी इसरो ने अपने 3.3 टन वजनी जीसैट-30 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 'एरियन स्पेस' की मदद ली है, तो उसकी वजह जानना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एक उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए जीएसएलवी-एमके-3 तकनीक को अपनाने में लंबा समय लगता है और इसी कारण उन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों से संपर्क किया जाता है, जो इस तरह की तकनीक के जरिए उपग्रह प्रक्षेपित कर रही हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 'एरियन स्पेस' दूसरे देशों के मिशन को अपने अंतरिक्ष केंद्रों से अंजाम देती हैं। एरियन स्पेस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) की वाणिज्यिक शाखा है, जो भारत की पुरानी साझेदार है। इसी एजेंसी की मदद से अब तक कई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। सबसे पहले वर्ष 1981 में भारत के एक छोटे प्रयोगात्मक उपग्रह 'एप्पल' को छोड़ा गया था। एरियन से प्रक्षेपित किया गया जीसैट-30 भारत का चौबीसवां उपग्रह है। फ्रेंच गुयाना के एरियन स्पेस सेंटर से ही पिछले साल छह फरवरी को भारत का संचार उपग्रह जीसैट-31 प्रक्षेपित किया गया था और उससे पहले देशभर में इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए पांच दिसंबर, 2018 को भी पांच हजार आठ सौ चौवन किलो वजनी उपग्रह जीसैट-11 को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के यूआर राव उपग्रह केंद्र के निदेशक पी. कुन्हीकृष्णन के अनुसार एरियन 5 एक बेहद भरोसेमंद प्रक्षेपक है, जिसके जरिए भारत ने जीसैट-30 को छोड़ा है।

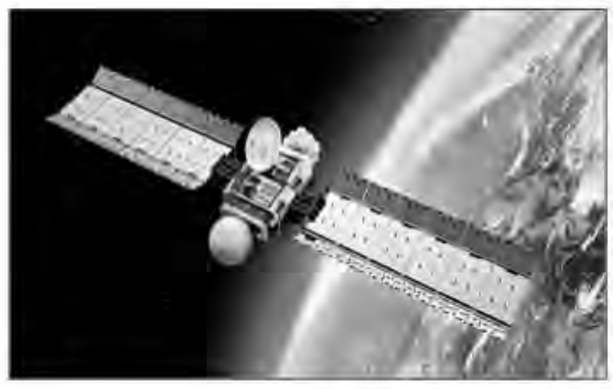

जीसैट-30 का सबसे बड़ा काम भू-स्थिर कक्षा में सी और केयू बैंड क्षमता बढ़ाने का है। यह उपग्रह अगले पंद्रह वर्षों तक काम करेगा और यह इनसैट-4ए की जगह लेगा, जिसे वर्ष 2005 में छोड़ा गया था। इनसैट-4ए की उम्र पूरी हो रही है, इसीलिए उसकी जगह अब जीसैट-30 को दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है। इसरो के अध्यक्ष के. सिवन का कहना है कि जीसैट-30 कई आवृत्तियों पर काम करने में सक्षम है और इससे इंटरनेट का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी इंटरनेट सेवाओं की पहुंच नहीं है, ऐसे में जीसैट-30 इंटरनेट सेवा का दायरा बढ़ाने में वरदान साबित होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि संचार उपग्रह से राज्य संचालित और निजी सेवा प्रदाता कंपनियों के संचार लिंक देने की क्षमता बढ़ सकती है। अभी जीसैट श्रृंखला के चौदह उपग्रह काम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत देश में संचार व्यवस्था कायम है और अब प्रक्षेपित किया गया 'जीसैट-30' जीसैट श्रृंखला का बेहद ताकतवर और महत्त्वपूर्ण संचार उपग्रह है, जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली में और बढ़ोतरी होगी। यह डीटीएच, टेलीविजन अपलिंक, टेलीपोर्ट सेवाओं, डिजिटल उपग्रह खबर संग्रहण (डीएसएनजी), ई-गवर्नेंस, शेयर बाजार और वीसैट सेवाओं के लिए एक क्रियाशील संचार उपग्रह साबित होगा।

देश की संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने में जीसैट-30 की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि इसकी मदद से मोबाइल नेटवर्क और डीटीएच सेवाओं का भी विस्तार होगा। यह संचार उपग्रह पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को समझने और भविष्यवाणी करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जीसैट-30 की मदद से जहां इंटरनेट की गति बढ़ेगी, वहीं देश में जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां उसका विस्तार किया जा सकेगा, और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कॉल ड्रॉप जैसी समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। दुनियाभर में इस समय 5 जी इंटरनेट पर तेज गति से काम चल रहा है। भारत में भी इंटरनेट की नई तकनीक आ रही है। अरबों रुपए खर्च करते हुए ऑप्टीकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। ऐसे में देश को पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर संचार उपग्रह की आवश्यकता थी। जीसैट-30 भारत की इन्हीं सब जरूरतों को पूरा करेगा।

केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 5जी नेटवर्क के साथ पीक नेटवर्क डाटा स्पीड बीस गीगाबाइट प्रति सेकेंड तक हो जाएगी। जीसैट-30 उपग्रह की जरूरत के बारे में इसरो का कहना है कि जिस तरह से देश और दुनिया में संचार व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उस तरह हमें भी बड़े सुधारों की जरूरत है। इसरो द्वारा डिजाइन किए और बनाए गए इस दूरसंचार उपग्रह से देश में नई इंटरनेट तकनीक की उम्मीदों को बल मिला है। इस उपग्रह के जरिए देश की संचार प्रणाली, टेलीविजन प्रसारण, समाचार प्रबंधन, भू-आकाशीय सुविधाओं, आपदाओं की पूर्व सूचना और खोजबीन, मौसम संबंधी जानकारी व भविष्यवाणी और बचाव अभियानों में भी बहुत मदद मिलेगी। यह उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविजन, दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

इसरो के अनुसार जीसैट-30 के संचार पेलोड को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और अंतरिक्ष यान में अधिकतम ट्रांसपोंडर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। जीसैट-30, 12 सी और और 12 केयू बैंड ट्रांसपोंडरों से युक्त है, जो छह हजार वॉट ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसमें दो सौर पैनल और बैटरी लगाई गई हैं। 12 केयू ट्रांसपोंडर से यह उपग्रह भारतीय भूमि और द्वीपों को, जबकि 12 सी ट्रांसपोंडर से खाड़ी देशों सहित कई एशियाई देशों तथा आस्ट्रेलिया में उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविजन, डीटीएच, दूरसंचार व इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा। केयू बैंड संकेत से पृथ्वी पर चल रही गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। दरअसल, इसरो ने इस उपग्रह को इस तरह से तैयार किया है जो भू-स्थिर कक्षा के सी और केयू बैंड से संचार सेवाओं में मदद करेगा।

पिछले साल इसरो ने सात उपग्रह छोड़े थे। इस समय इसरो सूर्य पर अध्ययन के लिए आदित्य एल-1 उपग्रह सहित पच्चीस उपग्रहों पर काम कर रहा है, जिनमें दस उपग्रह इसी साल छोड़े जाने की योजना है। इसरो के इन मिशनों में चंद्रयान-3 और गगनयान मिशन भी शामिल हैं। इस साल दिसंबर तक मानवरहित गगनयान मिशन की तैयारी भी चल रही है। आदित्य एल-1 मिशन पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को समझने और भविष्यवाणी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सूर्य से निकलने वाले क्रोमोस्फीयर के अध्ययन के साथ-साथ सौर कोरोना का भी अध्ययन करेगा, जिसमें एक लाख डिग्री से भी अधिक तापमान होता है। इसे पृथ्वी से करीब पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पर लग्रनिज बिंदु (एल 1) के आसपास कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इस उपग्रह को इसी साल के मध्य तक छोड़े जाने की संभावना है। इसरो इस मिशन पर काफी तेजी से काम कर रहा है। जीसैट-30 के सफल मिशन के बाद इसरो इस साल आदित्य-एल1 सहित जिन अन्य उपग्रहों को छोड़ने की तैयारी कर रहा है, उनमें एसएसएलवी (स्मॉल उपग्रह लांच व्हीकल) भी शामिल हैं, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे उपग्रहों, जीएसएलवी, जीसैट-20 उपग्रह, डेटा रिले उपग्रह प्रणाली और एक्सपोसेट को प्रवेश कराएगा।

# सपनों की राह

संगीता कुमारी

**दुनिया मेरे आगे**

आजादी से पहले सरकारी सेवाओं का प्रबंध अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी सुविधा के लिए किया था। वे अपने साथ सेवक नहीं लाये थे। उन्हें शासन करना था, जिसके लिए उन्हें एक व्यवस्था बनानी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था करके मैकाले ने दूरदृष्टि का परिचय दिया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय अपनी सेवाएं अंग्रेजों को दिया करते थे। सरकारी नौकर बनना गुलामी को बढ़ावा देना माना जाता था। अधिकतर लोग अपने-अपने पारंपरिक काम-धंधे ही किया करते थे। गांधीजी के आह्वान पर मुंशी प्रेमचंद जैसे अनेक देशभक्तों ने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और आजादी के आंदोलन में पूरी तरह अंग्रेजों के खिलाफ उतर गए थे।

देश आजाद हुआ। गांधीजी ने बच्चों में संपूर्ण विकास के लिए बचपन से स्वावलंबी शिक्षा का पक्ष रखा था। उनका कहना था कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बचपन से ही बच्चों का कौशल विकास हो, ताकि वे बड़े होकर स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें। देश का भविष्य बच्चे हैं और वे अपना विकास करते हुए देशहित में आगे बढ़ते जाएं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं। मगर ऐसा हो नहीं सका! हमारे यहां स्कूलों की संख्या में जनसंख्या के हिसाब से बढ़त होती गई। मगर रोजगार के हिसाब से शिक्षा रटंत पद्धति पर ही टिकी रही। बच्चों का स्कूल में जो संपूर्ण विकास होना चाहिए था, वहां हमारी शिक्षा असफल रही।

1950 और 1960 के दशक में हमारे देश की सरकार जन कल्याण के तहत कई सरकारी योजनाएं चलाने लगीं। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी नौकरियों के लिए लोगों को जागरूक करने लगीं। पहले जो सरकारी नौकरी हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए करते थे, वह आजादी के बाद अपने देश और खुद सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए करने लगे। तब हमारे गांव के अधिकतर पूर्वजों की ऐसी मानसिकता थी कि कौन सरकारी नौकरी करेगा... कौन सरकार का नौकर बनेगा! अपना कारोबार, खेती-बाड़ी संभालनी चाहिए। अपना गांव और परिवार छोड़ कर क्यों परदेश जाया जाए! मगर धीरे-धीरे यह प्रचलन दूर होने लगा। लोग जैसे-जैसे शिक्षित होते गए, अपनी डिग्रियां समेटे शहरों की ओर बढ़ते गए।

1960 और 1970 के दशक में नौकरी करने वालों की संख्या बहुत कम थी। नौकरियों में रिक्त पद की संख्या अधिक होती थी। सरकारी नौकरी में महीने की पगार कम होने के बावजूद लोग नौकरी करने के लिए तत्पर होने लगे, क्योंकि इसमें सुरक्षा का अहसास युवाओं को आकृष्ट करने लगा। इस सेवा का इतना अधिक आकर्षण रहा कि धीरे-धीरे गांव से पढ़े-लिखे युवाओं का पलायन शहर की ओर तेजी से बढ़ता गया। नतीजतन, अस्सी-नब्बे के दशक में आते-आते यह हुआ कि सरकारी सेवाएं कम होने लगीं और सेवा देने वाले अधिक होने लगे। अपना गांव-घर छोड़ कर नौकरी की चाहत रखने वालों की संख्या शहरों में दिनोंदिन बढ़ती चली गई।

शिक्षा का प्रसार इस तरह हुआ कि हर तरफ शिक्षित बेरोजगारों की बाढ़-सी आ गई है। दहेज की कुप्रथा अगर स्त्री जाति को इतना पीड़ित नहीं करती तो शिक्षित महिला शायद गृहिणी बने रहने में भी संतोष करती। नौकरी की भीड़ में महिलाओं की बढ़ती तादाद ने पुरुषों को हिला कर रख दिया है। देश की बढ़ती जनसंख्या से नौकरी में प्रतियोगिता बेतहाशा बढ़ने लगी। सरकारी नौकरी एक अनार, लाख बीमार जैसी होने लगी। शिक्षा का विकास हो गया, मगर कौशल के विकास का सवाल जाने कहां गुम हो गया। वर्षों से चलती व्यवस्था के अनुरूप समाज ढलता गया। अनेक गांवों-कस्बों में शिक्षा नकल का पर्याय बन गईं। डिग्रियां नोटों के बदले मिलने लग गईं! जब डिग्रियां इस तरह मिलने लगेंगी, तो सरकारी नौकरी क्यों न बिके! हालांकि इस कुछ घोटालों का पर्दाफाश भी होता रहा। एकाएक न तो कोई व्यवस्था बनती है, न ही बदल पाती है। फिर शिक्षा और रोजगार तो हमारी मानसिक व्यवस्था है, जिसका विकास देश की व्यवस्था के अनुरूप बनता-बिगड़ता रहता है।

पिछले दो दशकों में देश की भयंकर बढ़ती आबादी के साथ बेरोजगारों की भीड़ गांवों से लेकर शहरों तक बढ़ती ही जा रही है। परिणाम यह हो रहा है कि सरकारी सेवाओं के इच्छुक युवाओं को दही की माफिक अधिक से अधिक बिलोया जा रहा है। महंगी मेहनती पढ़ाई करने के बाद भी टेट, नेट, गेट जैसी प्रतियोगिता में पास होने के लिए कोचिंग में हजारों रुपए खर्च कर साल-दर-साल पढ़ना पड़ता है। सुरक्षित शांत और सुकून का जीवन जीने की चाह में युवा पच्चीस-तीस वर्ष तक किताबों में जिंदगी तलाशते रहते हैं। भ्रष्टाचार से खोखली होती सरकारी व्यवस्थाएं अब हांफने लगी हैं। सरकारी नौकरियां धीरे-धीरे सपने भी चुराने लगी हैं। सवाल है कि इस समूचे ढांचे को बचाने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए और वह क्या कर रही है! यह रास्ता आगे बढ़ता रहा तो देश के युवा किन सपनों में गुम होंगे और किन्हें जमीन पर उतार लाने की कोशिश करेंगे!

# सूचना के साथ

भारत में सूचना का अधिकार लाना बहुत जरूरी था क्योंकि यहां लोगों के पास सूचनाएं ही नहीं होती थीं और यदि कुछ के पास होती भी थीं तो वे गलत। आज वैश्वीकरण के युग में जिस देश के पास जितनी ज्यादा सूचनाएं हैं वह उतना ही शक्तिशाली है चाहे किसी देश की रक्षा से संबंधित सूचना हो या वहां के नागरिकों की व्यक्तिगत सूचनाएं हों। कुछ देशों ने तो 'टिक टाक' नामक ऐप को प्रतिबंधित कर रखा है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके देश की जानकारियां चीन भेज रहा है।

चीन ने खुद अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह फेसबुक के जरिए चीनियों की निजी जानकारी चुरा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारी सूचनाओं का व्यापार भी होता है? उदाहरण के लिए, आप किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेते समय जो व्यक्तिगत जानकारियां देते हैं उन्हें वे अन्य कोचिंग संस्थानों को बेच देते हैं। इसी तरह, आप जब किसी शापिंग माल जाते हैं तो वहां अक्सर 'आफर' के नाम पर मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसी संवेदनशील जानकारियां ले ली जाती हैं और उन्हें अन्य शापिंग माल वालों को बेच दिया जाता है। स्थानीय स्तर के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह एक बहुत बड़ा बाजार है और टेलीकॉम कंपनियां इससे करोड़ों-अरबों कमाती हैं। फेसबुक पर भी लोगों की जानकारियां बेचने का आरोप लग चुका है।

इन सबके अलावा देश में कुछ ऐसे लोग/संस्थाएं/पार्टियां/समूह हैं जो समाज में सोशल नेटवर्किंग यूट्यूब, फेसबुक, वाट्सएप और ट्विटर के द्वारा इतिहास को गलत बता कर लोगों को गुमराह करते हैं। इन सब मामलों में यूट्यूब सबसे आगे है जैसे- गांधीजी को भगतसिंह की फांसी का जिम्मेदार बताना, जवाहरलाल नेहरू पर संविधान में अनुच्छेद 370 को लाने या डॉ आंबेडकर पर संविधान में सामान्य और अनुसूचित जातियों के मध्य भेदभाव के प्रावधान करने का आरोप लगाना आदि ऐसे तथ्य मिल जाएंगे जो सिर्फ लोगों के मस्तिष्क में गलत सूचनाएं भर रहे हैं। इन सबके अलावा मीडिया भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है जो देश व समाज में होने वाली घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करता और लोगों को भ्रमित करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नए नोटों पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई बताना था। कुछ चैनलों ने तो बाकायदा इस पर विशेष कार्यक्रम भी चलाए थे।

● *संदीप कुमार, ईसीसी, प्रयागराज*

## दागी से दूर

सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को टिकट देने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सभी राजनीतिक दलों की वेबसाइट पर कारण बताने को कहा है। यह फैसला सराहनीय है क्योंकि कई बार फटकार के बाद भी पार्टियां दागी नेताओं को टिकट दे रही हैं। ऐसा लगता है कि चाल-चरित्र की बातें केवल चुनावी भाषणों तक सिमट कर रह गई हैं। जिन नेताओं पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज होते हैं उनसे महिला सुरक्षा और भय मुक्त वातावरण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं! सदनों में दागी नेताओं की संख्या बढ़ना चिंताजनक है। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि किसी आपराधिक छवि के उम्मीदवार को टिकट न दें। जनता को भी जागरूक बन कर ऐसे लोगों को चुनावों में वोट नहीं देना चाहिए।

● *महेश कुमार, सिद्धमुख, राजस्थान*

## राज्य का कर्तव्य

हाल ही में आए 'मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य' के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यों के खंडपीठ ने दो महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं। 1- आरक्षण लागू करना या न करना राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है, 2- आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए अदालत सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेद 15(4), (5) और 16(4), (4अ) संविधान के 'मूल अधिकार' भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसे लागू करना राज्य का कर्तव्य बनता है।

सर्वोच्च अदालत ने 'एनएम थॉमस बनाम केरल राज्य' के मामले में यह मत जाहिर किया था कि अनुच्छेद 16-1 (राज्य के अधीन नियुक्तियों में अवसर की समानता) को 16(4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए । वहीं 'नालसा बनाम भारत संघ' के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा मानते हुए आरक्षण देने की बात कही थी।

यदि आरक्षण लागू करना या न करना राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है, तो फिर पूर्व में न्यायालय ने उन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए फैसला कैसे सुना दिया था जोकि सरकारों द्वारा किए गए विभिन वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान के विरुद्ध दायर की गई थीं। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय, पूर्व के निर्णयों के साथ ही संविधान की मूलभावना का भी विरोधाभासी है।

● *आदित्य राव, कानपुर, उत्तर प्रदेश*

## विरोध की जगह

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना या विरोध करना वाजिब है, लेकिन अपने द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन या विरोध से किसी भी आम या खास जन को परेशान होती है तो वह प्रदर्शन या धरना ठीक नहीं है। जनता को प्रदर्शन या विरोध करने से पहले यह तय करना होगा कि उनसे किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। यही जायज तरीका है। देखने में आता है कि जब सत्ताधारियों के समर्थक इस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं तो सरकार नरम रुख अपनाती है। इसके विपरीत विरोधियों पर अपना कड़ा रुख अपनाती है।

यह प्रजातंत्र में न्याय के सिद्धांत को प्रभावित करने वाला होता है। इस प्रकार के दोहरे व्यवहार से मनमानी का बढ़ना लाजमी है। चाहे अपने हों या पराए, आम हो या खास, अगर वह विरोध करने का गलत तरीका अपना रहा है तो उसके साथ भी वही कड़ाई होना चाहिए जो न्यायोचित है। शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों को ऐसी जगह बैठ कर विरोध करना चाहिए जहां किसी को कोई परेशानी न हो। यही अदालत की मूल भावना है, जिसे समझना होगा।

● *हेमा हरि उपाध्याय अक्षत, उज्जैन*

**चौपाल**

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

## हरिद्वार कुंभ मेले में होंगे 10 स्नान पर्व

हरिद्वार में लगने वाला 2021 का कुंभ मेला 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक 4 महीने तक चलेगा। इसमें 4 शाही स्नान पर्वों और शेष 6 स्नान पर्वों सहित कुल 10 स्नान पर्व होंगे। कुंभ मेले का मुख्य स्नान पर्व 14 अप्रैल को मेष सक्रांति के दिन होगा। इस स्नान पर्व को अमृत गंगा स्नान पर्व भी कहा जाता है। इसका पौराणिक महत्व है। इस दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। हर की पैड़ी हरिद्वार की प्रबंध कारिणी संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित प्रदीप झा और महामंत्री पंडित तन्मय वशिष्ठ द्वारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पदाधिकारियों तथा कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर स्नान पर्वों की सूची तैयार की गई।

उत्तराखंड

# कुंभ मेले क्षेत्र का दायरा फैलेगा, बढ़ेंगे तीर्थयात्री

**सुनील दत्त पांडेय**
देहरादून।

हरिद्वार में 2021 में लगने वाले कुंभ मेले में इस बार 15 करोड़ तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है जबकि 2010 के कुंभ में 9 करोड़ तीर्थयात्री 4 महीने की अवधि तक चले मेले में आए थे। वहीं, इस बार पिछले कुंभ मेले की तुलना में मेला क्षेत्र का अधिक विस्तार किया जा रहा है।

इस बार कुंभ मेले में और अधिक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पिछले कुंभ मेले के मेला क्षेत्र 630 हेक्टेयर की तुलना में 2021 में 1454 हेक्टेयर का प्रयोग किया जाएगा। पिछले कुंभ में 210 हेक्टेयर की तुलना में कुंभ 2021 में लगभग 550 हेक्टेयर में 150 से 200 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।

सभी संन्यासियों की सुविधाओं के लिए गौरी शंकर क्षेत्र स्थान घाट का निर्माण किया जा रहा है। इस बार कुंभ मेले के मेला क्षेत्र 1454 हेक्टेयर में मेला होगा। इसमें 583 हेक्टेयर में पार्किंग, 874 हेक्टेयर में एरिया केंपिंग के लिए योजना बनेगी। पिछले कुंभ की तुलना में 9 सेक्टर अधिक बनाए जाएंगे।

कुंभ मेला क्षेत्र को 41 सेक्टरों में बांटा जाएगा। इस बार जो नए सेक्टर बनाए गए हैं, उनमें शिवालिक नगर, जगजीतपुर, गौरीशंकर द्वितीय, कांगडी पार्क, श्यामपुर, ऋषिकेश, तपोवन में पार्किंग सेक्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा देवपुरा एहतमाल, सप्तसरोवर को केंपिंग के लिए चुना गया।

कुंभ मेले में दिव्यांगों के लिये इको फ्रेंडली लो फ्लोर बस और दिव्यांग घाट बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए पिंक सेवा ई-रिक्शा, ऑटो चलेंगे। इसको स्वयं महिलाएं संचालित करेंगी।

इस बार राज्य सरकार कुंभ मेले को लेकर अधिक गंभीर दिखाई दे रही है। कुंभ मेला अधिकारी और कुंभ मेला महा निरीक्षक की नियुक्ति पिछले अन्य कुंभ के मुकाबले काफी पहले कर दी गई। मुख्यमंत्री स्तर पर अब तक छह बैठकें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है।

मुख्य सचिव ,पुलिस आयुक्त, कुंभ मेला अधिकारी तथा मेला पुलिस महानिरीक्षक के स्तर पर भी 12 बैठकें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि और अन्य साधुओं के साथ खुद एक बार कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि का कहना है कि वे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कराए जा रहे कुंभ कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस बार राज्य सरकार ने समय रहते अन्य कुंभ मेलों के मुकाबले कुंभ मेले से जुड़े अधिकारियों नियुक्ति समय पर कर ली। इससे कुंभ कार्यों में गति आई है।

*मुख्यमंत्री* त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेला कार्यों में किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। इस साल 30 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों को निश्चित ही पूरा करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले का मैक्रो और माइक्रो लेबल पर प्लान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए।

*कुंभ* मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया है और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है। साधु-संतों को इस बार शिविर लगाने के लिए अधिक से अधिक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौरी शंकर दीप से आगे गंगा तट पर कुंभ मेले का विस्तार दक्षिण दिशा की ओर किया जा रहा है। जहां साधु-संत अपनी छावनी बनाएंगे।

*कुंभ* मेला पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने कहा कि ट्रैफिक को निर्बाध रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक मेला योजना के तहत हर 10-15 किलोमीटर पर जेसीबी इत्यादि वाहन का सेटअप रखा जाएगा। गंगा घाटों पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिये सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी। ऋषिकेश,मोतीचूर,बैरागी कैम्प ,धीरवाली, दक्ष द्वीप, ऋषिकुल में अस्थायी बस अड्डे बनाने का प्रस्ताव रखा गया। पिछले कुंभ में 210 हेक्टेयर की तुलना में कुंभ 2021 में लगभग 550 हेक्टेयर में 150 से 200 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।

*सभी* संन्यासियों की सुविधाओं के लिए गौरी शंकर क्षेत्र स्थान घाट का निर्माण किया जा रहा है। इस बार कुंभ मेले के मेला क्षेत्र 1454 हेक्टेयर में मेला होगा। इसमें 583 हेक्टेयर में पार्किंग, 874 हेक्टेयर में एरिया केंपिंग के लिए योजना बनेगी। पिछले कुंभ की तुलना में 9 सेक्टर अधिक बनाए जाएंगे।

### हरिद्वार कुंभ एक वर्ष पहले लगेगा

ज्योतिष गणना के हिसाब से इस बार हरिद्वार कुंभ मेला 12 वर्ष की बजाय एक वर्ष पूर्व यानी 11 वर्ष में होगा। ज्योतिष विद् डॉक्टर पंडित प्रतीक मिश्र पुरी का कहना है कि ज्योतिष गणना के हिसाब से गुरु बृहस्पति ग्रह को एक राशि को पार करने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। बारहवें वर्ष में गुरु बृहस्पति ग्रह पुनः उस राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में वे 12 वर्ष में आए थे। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब तीर्थ नगरी हरिद्वार में कुंभ भरता है। ज्योतिष शास्त्र के सूक्ष्म गणित के अनुसार गुरु बृहस्पति ग्रह को 12 ग्रहों की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 11 माह 27 दिन का समय लगता है। इसके अनुसार 58 दिन का अंतर पड़ जाता है। सातवें कुंभ के अंतराल में आठवां कुंभ एक वर्ष पहले पड़ता है। इस तरह हरिद्वार में 2021 के कुंभ से पहले 1938 में एक साल पहले यानी 11वें वर्ष में कुंभ पड़ा था। ज्योतिष शास्त्र में की गई गणना के अनुसार पिछले एक हजार साल में केवल हरिद्वार में ही कुल 85 कुंभ पड़े हैं। एक हजार वर्ष में हरिद्वार में पड़ने वाले 85 कुंभ मेलों में से अब तक 10 कुंभ 11 साल में पड़े हैं और 2021 में हरिद्वार में 11 वर्ष में पड़ने वाला कुंभ मेला 11वां है।

# कोरोना के कारण पर्यटन व्यापार को तगड़ी चपत

**गजेंद्र सिंह**
नई दिल्ली।

चीन के वुहान से कई देशों तक फैले कोरोना वायरस की चपेट में पर्यटन व्यापार काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। घूमने के महीनों में दिसंबर से फरवरी माह के बीच में अभी तक 40 फीसद से ज्यादा का नुकसान होने का अंदाजा है। यह असर छह से आठ माह तक रहने के आसार हैं।

बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से जितना नुकसान अभी तक पर्यटन व्यापार को हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। निपाह, इबोला और सार्स जैसे वायरसों के प्रकोप को भी कोरोना ने पीछे धकेल दिया है। सबसे ज्यादा दुनिया के पूर्वी हिस्सों के देशों में यात्रा की रद्द की गई हैं। और यह सिलसिला अब भी चल रहा है। दिल्ली में फ्लिपट्रिप हॉलीडे के अक्षय अनेजा बताते हैं कि सिंगापुर जाने के लिए कई ट्रिप रद्द की गई हैं। इसके अलावा चीन की मार्च तक की कई समूहों की बुकिंग रद्द हो गई है। बाली जाने वालों का भी यही हाल है। अक्षय बताते हैं कि आठ से दस माह तक ऐसे ही रहने का अनुमान है। जबकि चीन में बुकिंग का यह सबसे मुफीद समय है। इस समय चीन के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान में भी लूनर न्यू ईयर का जश्न मनाने की तैयारी थी जो कि काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यात्राएं भी यहीं की रद्द हुई हैं।

देश

कनॉट प्लेस में स्वान टूर के निदेशक गौरव चावला बताते हैं कि इस बार काफी नुकसान अभी तक हुआ है और आगे भी होने की आशंका है। लोग अंतरराष्ट्रीय टूर खासतौर पर लोग जाने से कतरा रहे हैं। विदेश जाने की योजनाएं सबसे ज्यादा रद्द की गई हैं। चावला कहते हैं कि किसी भी तरह की हलचल दुनिया में मचती है तो सबसे पहले पर्यटन का व्यापार प्रभावित होता है। लेकिन वह जल्द से जल्द पटरी पर लौट भी आता है। इंडिया एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के अध्यक्ष प्रणय सरकार कहते हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप एशिया में दिखा है इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा है। वे बताते हैं कि केरल में कोरोना वायरस के मरीज मिलने के बाद सरकार की ओर से एक सूचना जारी की गई थी जिसके बाद तो वहां जाने वाले बाहरी और आंतरिक पर्यटकों में हलचल मच गई। उसे एसोसिएशन की ओर से गंभीरता से लिया गया और केरल सरकार से बात की गई।

प्रणय बताते हैं कि इस समय रोज कम से कम तीन से चार यात्राएं रद्द हो रहीं हैं जो अधिकतर बाहर जाने की है। इनमें सबसे अधिक बुजुर्ग यात्री शामिल हैं। सरकार की ओर से चीन से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई गई है और वीजा रद्द किए गए हैं जिससे खतरा कम हो गया है। प्रणय बताते हैं कि बाहर जाने वाली यात्रा पर तो कोरोना वायरस से 50 फीसद फर्क पड़ा है। यह मार्च में खत्म होने के आसार हैं। वहीं, इस मामले पर आउटबोर्ड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्रवण का कहना है कि भारत आने वाली यात्राओं पर तो कम से कम 15 से 20 फीसद का असर पड़ा है और यह कुछ सालों में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पूर्वी देशों की यात्रा रद्द होने का सिलसिला अभी जारी है और अभी तक यह 40 फीसद रद्द हो चुका है। पश्चिम के देशों में अभी गनीमत है।

श्रवण बताते हैं कि जब बाहर जाने की यात्रा रद्द होने लगी तो घरेलू उड़ाने महंगी हो गई हैं। इसका असर दिख रहा है। पिछले दिनों में गोवा का हवाई टिकट 12 से 20 हजार रुपए पर पहुंच गया। अभी भी यह 15 से 17 हजार के बीच है। अभी बुकिंग का समय है और पर्यटन कंपनियां इंतजार रही हैं कि हालात सुधरे। बाली, चीन, थाइलैंड जाने वाले लोगों डर रहे हैं।

# मछली उत्पादन बढ़ाने को खास एंबुलेंस का सहारा

**शंकर जालान**
कोलकाता।

पश्चिम बंगाल में मुख्य भोजन मछली-भात (चावल) है। धान के उत्पादन में बंगाल की स्थिति अन्य राज्यों से कहीं बेहतर है। अब मछली उत्पादन में भी राज्य सरकार पहले पायदान पर जाने के लिए कोशिश कर रही है। राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सूबे की सरकार एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत मछलियों के लिए एक खास तरह की एंबुलेंस चलाई जाएगी। इस एंबुलेंस में चिकित्सकों की देखरेख में मछलियों का समुचित इलाज किया जा सकेगा। फिलहाल प्रयोग के तौर पर दक्षिण चौबीस परगना जिले से सुंदरवन में एक ऐसी एंबुलेंस चलाई जा रही है, जिसमें मछलियों के इलाज की पूरी व्यवस्था है।

कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने राज्य सरकार की उक्त अनूठी पहल की तारीफ करते हुए 'जनसत्ता' से कहा कि इस तरह की विशेष एंबुलेंस से मछली पालन करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं, जानकारों की राय है कि मछली पालन के दौरान मछुआरों को समय-समय पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके कारणों का खुलासा करते हुए इन लोगों ने बताया कि कई बार जलाशय का पानी दूषित होने से मछलियों की मौत हो जाती है या फिर कई अलग-अलग प्रकार के रोगों के कारण मछलियों की शारीरिक दशा खराब हो जाती है। खास एंबुलेंस के जरिए न केवल बीमार मछलियों को निरोग किया जाएगा, बल्कि उन्हें मरने से भी बचाया जा सकेगा।

बंगाल

मछलियों की एंबुलेंस के आने से मछुआरों में भी खुशी की लहर है। सुंदरवन के मछली पालक विष्णु माझी का कहना है कि मछुआरे काफी खुश हैं। उन लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनकी मछलियों के इलाज के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी।

शस्य श्यामला कृषि विज्ञान केंद्र के अधीन चलने वाली इस खास एंबुलेंस के चिकित्सक स्वागत घोष ने बताया कि एंबुलेंस के भीतर एक वाटर टैंक है, जिसमें मछलियों को रखा जाता है। इसके अलावा एंबुलेंस के अंदर की मछलियों की सामान्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं अत्याधिक अस्वस्थ मछली को जीवत अवस्था में प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था इस खास एंबुलेंस में है।

एंबुलेंस की खासियत का जिक्र करते हुए घोष ने कहा कि इसके अंदर पानी की जांच के लिए अलग-अलग कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया भी मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिश एंबुलेंस सुंदरवन के मछुआरों के लिए वरदान तो साबित होगी ही साथ ही मछली उत्पादन का ग्राफ भी बढ़ेगा।

वहीं, यूनियन रूरल सेल्फ एंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक उदय कुमार लाहिड़ी ने बताया कि उन्होंने इस तरह की एंबुलेंस पहली बार देखी है जो काफी अलग है और इससे मछुआरों को काफी फायदा होगा। खास तरह की यह एंबुलेंस मछलियों के इलाज में निःसंदेह कारगर साबित होगी।

एंबुलेंस

एंबुलेंस में चिकित्सा सुविधा

# कैंसर पीड़ित बच्चों को मिले पढ़ाई-जीविका का सहारा

**प्रतिभा शुक्ल**
नई दिल्ली।

बच्चों में होने वाले कैंसर का अब पूरी तरह से इलाज संभव है। बशर्ते इसका समय पर इलाज शुरू हो और नियमित रूप से मरीज डाक्टरों के संपर्क में रहे। इसमें इलाज के खर्च के अलावा मरीज के परिजनों की अस्पताल तक पहुंच व आवाजाही में होने वाले खर्चे सहित बच्चे के पोषण व हाइजिन पर होने वाला भारी भरकम खर्च है आज बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही नियमित निगरानी व कैंसर के बचे मरीजों के आगे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी नीतिगत फैसले की दरकार है। एम्स के बाल रोग विभाग की ओर से सरकार से यह पैरवी करने की तैयारी भी है कि इन बच्चों को पढ़ाई व जीविका में विकलांग बच्चों की तरह वरीयता देने का प्रावधान किया जाए।

एम्स के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ एके देवरारी ने बताया कि कैंसर के कुल मरीजों में से पांच फीसद मरीज बच्चे होते हैं। उन्होने बताया कि बच्चों में होने वाले कैंसर में से 50 फीसद कैंसर अस्थिमज्जा से जुड़ा यानी खून या लिंफनोड में होने वाला कैंसर होता है। वहीं 50 फीसद कैंसर ट्यूमर के रूप में होता है। उन्होने बताया कि जहां बड़ों में होने वाले कैंसर में बचाव के उपाय करने से कमी लाई जा सकती है वहीं बच्चों के कैंसर को होने से रोकना अभी तक नामुमकिन है। बच्चे के विकास के साथ ही इसके लक्षण उभरने लगते हैं। उन्होने बताया कि आज 30 साल पहले तक खून में होने वाले कैंसर से बच्चे की मौत निश्चित थी, वहीं आज 30 फीसद बच्चे पूरी तरह से बचाए जा सकते हैं। 10 साल में यहऔर बेहतर नतीजे देगा।

डॉ देवरारी ने कहा कि बच्चों में होने वाले कैंसर के सफल इलाज जहां सुकून देता है वहीं इलाज के साइड इफेक्ट के तौर पर पैंक्रियाज की खराबी से मधुमेह या हार्मोन संबंधी गड़बड़ी ,बच्चों के जननांगो के विकास पर असर या स्टेराइड का बच्चों की हड्डी के विकास पर असर आने का खतरा रहता है। इसके अलावा एन्थ्रासाइकलिंस नामक दवाओं से हृदय संबंधी दिक्कते आ सकती हैं। रेडियोथेरेपी का भी गुर्दे सहित तमाम अंगों पर असर बना रह सकता है। डॉ देवरारी ने कहा कि आयुष्मान भारत व राष्ट्रीय आरोग्य निधि से इलाज के लिए तो मदद मिल भी जाती है लेकिन बाकी खर्चे परिजनों को उठाने पड़ते है जो काफी महंगा पड़ता है। वे विभाग की ओर से सरकार के पास प्रस्ताव भेजने वाले हैं कि ऐसे बच्चों के इलाज के दौरान मुफ्त रहने, पोषण, बड़े होने पर पढ़ाई व नौकरी में दिव्यांगों की तरह वरीयता देने का नीतिगत प्रावधान करें ताकि बीमारी से बचे बच्चे जीविका के संघर्ष में हार न जाएं।

देश

बाल कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ रचना सेठ ने कहा कि इन मरीजों में होने वाले कैंसर का पहले 30 फीसद मामलों में पूरी तरह इलाज हो पाता था। लेकिन अब इसकी सफलता दर में इजाफा हुआ है। नई तकनीक व इलाज में और बेहतरी आने के बाद उम्मीद है कि हम ऐसे 60 फीसद मरीजों को बचा सकेंगे।

बाल कैंसर रोग दिवस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में कैंसर का सफल इलाज करा चुके बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इन बच्चों में शामिल रितु (10)ने बताया कि उनका एक तरह के लिम्फोमा का 2017 में इलाज पूरा हुआ। अब वह पूरी तरह ठीक हैं लेकिन इलाज के कारण अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई हैं। कैंसर से जीत चुकी चारू (12) ने बताया कि वह पुलिस सेवा में जाना चाहती है। जबकि कैंसर को मात दे चुकी अंजलि शिक्षक बनने का सपना पाले हैं। वहीं 12 साल के अमन सफल इलाज के बाद समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाए हैं।

कैन किड्स की सुमन आनंद ने बताया कि नियमित तौर पर बड़े शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचने व रुकने पर भारी भरकम खर्च आता है। इलाज पर आने वाला खर्च तो सरकार की ओर से मिल जाता है लेकिन रुकने वे खानपान का आने जाने का कोई इंतजाम नहीं होने से मरीज बीच में निगरानी छोड़ देते है।

# शिक्षकों के एक लाख पद खाली

**राजीव जैन**
जयपुर।

राजस्थान के शिक्षा महकमे में शिक्षकों के पद खाली रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्कूली शिक्षा की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं पर अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों का निर्धारित कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है।

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के एक लाख पद खाली हैं। सरकार ने शिक्षकों की जो भर्ती निकाली है उनमें सिर्फ 34 हजार अध्यापकों की भर्तियां होंगी। इसके कारण अगले शिक्षा सत्र में फिर से स्कूलों में अध्यापकों का टोटा रहेगा।

राज्य के शिक्षा विभाग में तीन साल से लगातार भर्तियां निकाल कर शिक्षक और कमर्चारियों के पद भरे जा रहे हैं। इसके बावजूद हर वर्ष शिक्षकों की कमी का सामना सरकारी स्कूलों को करना पड़ रहा है।

राजस्थान

शिक्षकों की कई भर्तियां तो कानूनी दावपेंच में फंसी हुई हैं। इस वर्ष सरकार ने 34 हजार पदों पर अध्यापकों की भर्ती की घोषणा कर दी है। इनमें से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के 31 हजार और स्कूली व्याख्याताओं के तीन हजार पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग में खाली पदों के मुकाबले भती के पद बेहद कम है। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होगा। उनकी पढाई फिर अगले वर्ष पूरी नहीं हो पाएगी और हर स्कूल में शिक्षकों की कमी रहेगी।

मौजूदा समय में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में 5 लाख 10 हजार 285 पद हैं। इनमें से 4 लाख 14 हजार 177 पद ही भरे हुए हैं। इसके हिसाब से 96 हजार 108 पद रिक्त चल रहे है। इन खाली पदों में से 68 हजार 370 माध्यमिक शिक्षा और 27 हजार 738 पद प्रारंभिक शिक्षा में रिक्त है। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश में हर वर्ष नये विद्यालय खोलने के साथ ही मिडिल और सेकंडरी स्तर के स्कूल लगातार क्रमोन्नत होते हैं। इसके कारण भी शिक्षकों के पदों पर हमेशा कमी बनी रहती है। प्रदेश में तीन वर्षों में शिक्षकों की भर्तियां निरंतर की जा रही है।

**वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी के 15 हजार शिक्षकों की तो वर्ष 2018 में 54 हजार पदों पर भर्ती की गई थीं। इसी तरह से वर्ष 2015 में 13 हजार 98 व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती की गई थी। वर्ष 2018 में पांच हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी जो अभी चल रही है।**

वर्ष 2016 में तृतीय श्रेणी के 15 हजार शिक्षकों की तो वर्ष 2018 में 54 हजार पदों पर भर्ती की गई थीं। इसी तरह से वर्ष 2015 में 13 हजार 98 व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती की गई थी। वर्ष 2018 में पांच हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी जो अभी चल रही है। वरिष्ठ अध्यापक के लिए वर्ष 2016 में 6 हजार और वर्ष 2018 में 9500 पदों पर भर्ती की गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि दो साल में 68 हजार 544 भर्तियां की गई थीं पर उनमें से आठ हजार 428 अभ्यर्थियों ने काम पर ही नहीं आए।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि सरकार को हर वर्ष रिक्तियों के हिसाब से भर्तियां निकालनी चाहिए। इससे शिक्षकों के पद खाली रहने की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही सरकार को रीट की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। इससे तृतीय श्रेणी शिक्षक भती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकेगी। रीट के आयोजन के बिना तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भती ही शुरू नहीं हो सकती है। इसके अलावा अन्य पदों की भती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करवाई जानी चाहिए।

दूसरी तरफ शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार देने के प्रति गंभीर है। इसलिए तृतीय श्रेणी के 31 हजार और व्याख्याताओं के तीन हजार पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी गई है। सरकार पिछली भर्तियों में आई परेशानियों को दूर करने में लगी हुई है। इसके साथ ही रीट का आयोजन 2 अगस्त को होगा। इसके पैटर्न को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद शिक्षकों की कमी को काफी हद तक दूर कर लिया जाएगा।

www.readwhere.com

# कान्हा से सकुशल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे 13 बारहसिंगे

भोपाल, 18 फरवरी (भाषा)।

कान्हा टाइगर रिजर्व से रवाना हुआ 13 बारहसिंगों का झुण्ड सकुशल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंच चुका है। मध्यप्रदेश वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'कान्हा से 13 बारहसिंगे रविवार रात सकुशल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंच गए।' उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी विशेषज्ञों और चिकित्सकों की देख-रेख में विशेष रूप से निर्मित वाहन में पहुंचे इस झुण्ड को पहले से तैयार बाड़े में रखा गया है। बाड़े में पहले से 23 बारहसिंगा थे। नए बारहसिंगों के पहुंचने से बाड़े में इनकी संख्या अब 36 हो गई है।

विलुप्तप्राय श्रेणी में शामिल राज्य पशु बारहसिंगा मात्र कान्हा टाइगर रिजर्व में ही बचे हैं। प्रदेश के अन्य भागों में भी इनकी संख्या बढ़ाने के लिए पिछले कुछ साल में इन्हें भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक शिफ्ट किया गया है। दोनों जगह इनकी संख्या बढ़ने लगी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पूर्व में 33 बारहसिंगा शिफ्ट किए जा चुके हैं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 56 हो चुकी है। संख्या बढ़ने के बाद 20 से 25 बारहसिंगों को वन में छोड़ दिया जाता है।

# राजद्रोह मामले में गिरफ्तार शरजील पर लोगों को उकसाने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम को मंगलवार को तीन मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। जिसमें शरजील इमाम पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इमाम को तीन मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इमाम को पिछले महीने राजद्रोह के मामले गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर की अदालत में दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया, जिसमें इमाम पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपपत्र के साथ सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और 100 से अधिक गवाहों के बयान बतौर प्रमाण संलग्न किए गए हैं। अदालत ने सोमवार को इमाम को एक दिन की दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेजा था क्योंकि हिंसा मामले में एक अन्य आरोपी फुरकान ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसे इमाम के भाषणों ने उकसाया था। जिसके बाद मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने यह आदेश दिया था।

पुलिस ने इससे पूर्व अदालत को बताया था कि फुरकान को एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसे कथित तौर पर पेट्रोल से भरा एक कंटेनर ले जाते हुए देखा गया है। मामले में 16 दिसंबर को चार लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फुरकान को बाद में गिरफ्तार किया गया था।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इमाम के खिलाफ 26 जनवरी को राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। बीते साल 15 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के साथ हुए संघर्ष में प्रदर्शनकारियों ने चार सार्वजनिक बसों और दो पुलिस वाहनों को जला दिया था। इस घटना में छात्रों पुलिसऔर दमकल के जवानोंसमेत लगभग 60 लोग घायल हो गए थे। पुलिसकर्मी यह कहते हुए जामिया परिसर में प्रवेश कर गए थे कि दंगाई वहां छिपे हैं।

# लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे हुनर हाट, अल्पसंख्यक मंत्रालय को सराहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से इंडिया गेट पर आयोजित हुनर हाट का मंगलवार को दौरा किया। देश के कोने-कोने से आए कारीगरों, शिल्पकारों और दस्तकारों के उत्पादों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय के इस प्रयास से बहुत सारे लोगों को बाजार उपलब्ध हुआ है। उनके साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे।

बिरला ने संवाददाताओं से कहा, 'यह हुनर हाट उन छोटे-छोटे कारीगरों को बाजार मुहैया कराता है जो गांवों से आते हैं और अपने हाथों से बेहतरीन उत्पाद तैयार करते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हुनर के विशेषज्ञों को बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी और यह काम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया है।' उन्होंने कहा कि यह पहल बहुत सराहनीय है। मैं मंत्रालय और विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस प्रयास के लिए बधाई देता हूं।

कौशल को काम थीम पर आधारित यह हुनर हाट 13 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक आयोजित किया गया है जहां देश भर के हुनर के उस्ताद दस्तकार, शिल्पकार, खानसामे भाग ले रहे हैं। इनमे 50 प्रतिशत से अधिक महिला दस्तकार शामिल हैं।

नकवी ने कहा कि पिछले लगभग तीन वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख दस्तकारों, शिल्पकारों, खानसामों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमे बड़ी संख्या में देश भर की महिला दस्तकार भी शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुडुचेरी, इंदौर आदि स्थानों पर हुनर हाट आयोजित किए जा चुके हैं। अगले हुनर हाट का आयोजन रांची में 29 फरवरी से 8 मार्च, 2020 तक और फिर चंडीगढ़ में 13 मार्च से 22 मार्च, 2020 तक किया जाएगा।

# विकास दर को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र की राजग सरकार पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि इस सरकार ने देश के आम लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। आर्थिक विकास दर मामले में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजंसी मूडीज द्वारा भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाए जाने को लेकर भी कांग्रेस ने राजग सरकार को घेरा।

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि आज सच सबके सामने है। भाजपा की पसंदीदा रेटिंग एजंसी मूडीज के मुताबिक 2020 के लिए भारत का विकास अनुमान 5.4 फीसद रहने की उम्मीद है। भाजपा सरकार आंकड़े छिपाकर लोगों के सामने युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न करना चाहती है? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महिलाओं, युवाओं, छात्रों, किसानों, व्यापारियों और आम आदमी के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है।

## फार्म नं. आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
**फरीदाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड**
(CIN: U85195DL1997PTC086377)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : दुकान नं. 204, एस/एफ, गुप्ता आर्केड, मयूर विहार, फेस-I, समाचार अपार्टमेंट के पास, दिल्ली –110091 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु 05 फरवरी 2020 को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विरोध के आधार दी...हों, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय दुकान नं. 204, एस/एफ, गुप्ता आर्केड, मयूर विहार, फेस-I, समाचार अपार्टमेंट के पास, दिल्ली -110091 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते फरीदाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
भुवनेश चंद्र गुप्ता
(निदेशक)
डीआईएन: 00175746
दिनांक: 19 फरवरी 2020
स्थान: दिल्ली

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित"

पंचशील पार्क शाखा, पंचशील क्लब कंम्पस, नई दिल्ली-110017
फोन: 011-26498368; फैक्स: 011-26494669;
ई-मेल: cmdela0296@centralbank.co.in

**कब्जा सूचना**
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, सिक्युरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अनुच्छेद 13 (12), सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 का प्रवर्तन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 02.12.2019 को डिमांड सूचना जारी की थी, जिसके माध्यम से कर्जदार **श्री सुरेश कुमार, सुषमा राठौर एवं अतुल राठौर** को सूचना में दी गई **रु. 2717800.00 (रुपये सत्ताइस लाख सत्रह हजार आठ सौ केवल)** की राशि को उपार्जित ब्याज के साथ इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर चुकाने के लिए कहा गया था।

कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सिक्युरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की अनुच्छेद 13 के उपखंड 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **13 फरवरी, 2020** को ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को समान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु. 2717800.00 (रुपये सत्ताइस लाख सत्रह हजार आठ सौ केवल)** की राशि तथा दिनांक 02.12.2019 के बाद के उपार्जित ब्याज के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उपखंड (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

सम्पत्ति सं. 329/भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल, वार्ड सं.-04, महरौली, नई दिल्ली-110030 को मिलाकर सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड।

सीमाबद्ध:-

| | |
|---|---|
| उत्तर दिशा में: | मकान सं. 329/IV (नया) |
| दक्षिण दिशा में: | खाली प्लॉट |
| पूर्व दिशा में: | गली |
| पश्चिम दिशा में: | मकान सं. 329/IV (नया) |

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.02.2020
प्राधिकृत अधिकारी

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित"

पंचशील पार्क शाखा, पंचशील क्लब कंम्पस, नई दिल्ली-110017
फोन: 011-26498368; फैक्स: 011-26494669;
ई-मेल: cmdela0296@centralbank.co.in

**कब्जा सूचना**
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, सिक्युरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अनुच्छेद 13 (12), सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 का प्रवर्तन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 01.11.2019 को डिमांड सूचना जारी की थी, जिसके माध्यम से कर्जदार **श्री जेमन जार्ज एवं श्रीमती मंजुमल जेमन** को सूचना में दी गई **रु. 1646662 (रुपये सोलह लाख छियालिस हजार छः सौ बासठ केवल)** की राशि को उपार्जित ब्याज के साथ इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर चुकाने के लिए कहा गया था।

कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सिक्युरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की अनुच्छेद 13 के उपखंड 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **13 फरवरी, 2020** को ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को समान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु. 1646662 (रुपये सोलह लाख छियालिस हजार छः सौ बासठ केवल)** की राशि तथा दिनांक 01.11.2019 के बाद के उपार्जित ब्याज के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उपखंड (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

फ्लैट सं. 14, द्वितीय तल, न्यूलाइन अपार्टमेंट, वार्ड सं.-01, महरौली, नई दिल्ली-110030 के सभी भाग एवं खंड।

सीमाबद्ध:-

| | |
|---|---|
| उत्तर दिशा में: | अन्य सम्पत्ति |
| दक्षिण दिशा में: | अन्य सम्पत्ति |
| पूर्व दिशा में: | अन्य सम्पत्ति |
| पश्चिम दिशा में: | सड़क |

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.02.2020
प्राधिकृत अधिकारी

## KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

द करूर वैश्य बैंक लि.
शेक्सपीयर सरानी शाखा
भूतल, एस.बी. टॉवर्स, 37, शेक्सपीयर सरानी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700017

**कब्जा सूचना**
(अचल सम्पत्ति हेतु)
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8(1)] के तहत निर्गत**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों 1. मैसर्स चम्पा इम्पेक्स प्रा.लि. (कर्जदार), (सीआईएन -U15135WB2007PTC116848), 1ए मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, कोलकाता-700007, पश्चिम बंगाल, 2. श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल, 3. श्री उमाशंकर अग्रवाल (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल, 4. श्रीमती अलका देवी अग्रवाल, (पत्नी श्री उमाशंकर अग्रवाल) (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल, 5. श्रीमती नेहा अग्रवाल (पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल) (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल, 6. मैसर्स महाबीर प्रसाद उमाशंकर (एचयूएफ) (जमानती) 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल तथा साथ ही 1ए, मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, कोलकाता-700007, पश्चिम बंगाल से कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 9,87,81,756.81 (रुपये नौ करोड़ सत्तासी लाख इक्यासी हजार सात सौ छप्पन एवं इक्यासी पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 21.08.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/जमानतियों के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानतियों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 15 फरवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा इस सम्पत्ति से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 9,87,81,756.81 (रुपये नौ करोड़ सत्तासी लाख इक्यासी हजार सात सौ छप्पन एवं इक्यासी पैसे मात्र) तथा इस पर ब्याज, लागत एवं व्ययों के लिए द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के अभियोग का प्रभार होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय-सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल के नाम पर दिल्ली नगर निगम की सीमाओं में ग्राम यूसुफ सराय जट, मेहरौली रोड, नई दिल्ली में प्लॉट सं. 28, ब्लॉक सं. 'पी' ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 पर स्थित 311 वर्ग गज माप की आवासीय भूमि तथा भवन का सम्पूर्ण भाग जिसकी सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर : सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. पी-29 पर मकान
दक्षिण : सर्विस लेन, पश्चिम : प्लॉट सं. पी-27 पर मकान

उपर्युक्त सम्पत्ति मैसर्स पन्नालाल महावीर प्रसाद को स्वीकृत साख सुविधाओं के लिए भी प्रभारित हैं और सरफाएशी अधिनियम प्रारम्भ किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.02.2020
अधिकृत प्राधिकारी
द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

## कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली 4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

**बिक्री उद्घोषणा**

आर.सी. नं. 122/1919 तिथि: 10.01.2020

**बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा**
**यूबीआई बनाम वीणा सिंघल एवं अन्य**

**सीडी 1. वीणा सिंघल, एच.नं. ई-20/48, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085**
**साथ ही: प्लॉट नं. बी-1676, एफ.एफ., खसरा नं. 497/168/2, ग्राम सधोरा कलॉन, शास्त्री नगर, नई दिल्ली-52**
**सीडी 2. रणित सिंघल, एच.नं. ई-20/48, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085**
**साथ ही: प्लॉट नं. बी-1676, एफ.एफ., खसरा नं. 497/168/2, ग्राम सधोरा कलॉन, शास्त्री नगर, नई दिल्ली-52**

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओ.ए. नं. 99/2017/डीआरटी-III, दिल्ली तिथि 4.2.2017 में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रु. 13,86,187.36 (रुपये तेरह लाख छियासी हजार एक सौ सतासी तथा पैसे छत्तीस मात्र) तथा रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज तथा लागतों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

तथा जैसा कि ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 4.2.2017 से अनुषांगिक खर्चे लागत तथा 12% साधारण ब्याज के साथ रु. 13,86,187.36 (रुपये तेरह लाख छियासी हजार एक सौ सतासी तथा पैसे छत्तीस मात्र) की राशि पृथक तथा संयुक्त रूप से सीडीज पर बकाया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" के माध्यम से मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, प्रथम तल, हरियाणा-122015, हेल्प लाइन न. +91-124-4302020/21/22/23/24, मो.: 09813887931, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com के माध्यम से की जायेगी। किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता सम्पर्क करें: डीआरटी- III, दिल्ली।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी, का विवरण इस प्रकार है:

| क्रम सं. | सम्पत्तियों का विवरण | आरक्षित मूल्य/ ईएमडी |
|---|---|---|
| 1. | सम्पत्ति अर्थात- एच.नं. 1676, 1 ला तल (बिना छत के अधिकार के) शास्त्री नगर, दिल्ली | रु. 1500000/-<br>ईएमडी: रु. 1,50,000/- |

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 16.3.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रिकवरी अधिकारी , डीआरटी-III दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. असफल बोलीदाता को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी का रिफंड प्राप्त करने के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व या को डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/ परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चो को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा उस मूल्य जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

| लॉट नं. | सह-ऋणधारकों जहां सम्पत्ति चूककर्ता का है, तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ | संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व | ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है | दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सम्पत्ति अर्थात- एच.नं. 1676, 1 ला तल (बिना छत के अधिकार के) शास्त्री नगर, दिल्ली | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |

**मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 10 जनवरी, 2020 को दी गई।**

हस्ता./-
(विकास जेटली)
रिकवरी अधिकारी-II,
डीआरटी-III, दिल्ली

## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

जंगपुरा शाखा: 115, मस्जिद रोड, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-24375115, ईमेल: iob2792@iob.in

**अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना**

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री।**

जैसा कि यहां नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार बैंक के बकाए ब्याज की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है"** तथा **"जो भी वहां है आधार"** पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाए के भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेब पोर्टल http://auctions.magicbricks.com पर उपलब्ध ई नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

| | |
|---|---|
| ऋणधारक का नाम एवं पता | : मैं शर्मा देसी दवा खाना, प्रॉप. श्री रवि शर्मा, कार्या.: शॉप नं. 22, पृथ्वीराज मार्केट, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003, निवास: ए-35, ऊपरी भूतल (एलएचएस पोर्शन), अमृतपुरी, गढ़ी गाँव, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली |
| मॉर्टगैजर/गारंटरों का नाम एवं पता | : श्रीमती सारिका शर्मा, पत्नी श्री रवि शर्मा निवास: ए-35, ऊपरी भूतल (एलएचएस पोर्शन), अमृतपुरी, गढ़ी गाँव, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली (गारन्टर एवं मार्टगैजर) |
| एनपीए की तिथि | : 31.10.2019 |
| मांग सूचना तिथि | : 6.11.2019 |
| मांग सूचना में मांगी गई राशि | : रु. 2185141.88 (रु. इक्कीस लाख पचासी हजार एक सौ इकतालिस एवं पैसे अठासी मात्र) |
| कब्जा सूचना की तिथि | : 7.2.2020 |
| कब्जा सूचना में मांग की गई राशि | : रु. 2265680.04 (रुपये बाईस लाख पैंसठ हजार छः सौ अस्सी एवं पैसे चार मात्र) तथा आगे का ब्याज एवं लागत |

* स्थानीय स्वशासन की विशिष्ट बकाया (संपत्ति कर, वाटर सीवरेज, बिजली बिल आदि)
: क्रेता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

श्री रवि शर्मा तथा श्रीमती सारिका शर्मा के नाम में ए-35, ऊपरी भू तल (एलएचएस पोर्शन), अमृतपुरी-ए, गढ़ी गाँव, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
(सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है)

| | |
|---|---|
| आरक्षित मूल्य | : रु. 21.78 लाख |
| नीलामी की तिथि एवं समय | : 19.3.2020 को 11.00 बजे पूर्वा.से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के असीमित विस्तार के साथ।) |
| ईएमडी | : रु. 217800.00 |
| बोली वृद्धि | : रु. 10,000/- |
| स्वतः विस्तार समय | : 5 मिनट |
| ज्ञात अधिभार यदि कोई हो | : कोई नहीं |
| निरीक्षण तिथि एवं समय | : बैंक की पूर्व अनुमति के साथ |

ईएमडी के साथ बोली के लिये आन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 18.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक

* **सांविधिक बकाये तथा अन्य देयताओं का वहन नीलामी के क्रेता को करना होगा।**
* **बैंक के बकाए को अन्य सांविधिक बकाए पर वरीयता दी जाएगी।**
* इस सूचना को ऋणधारक/ गारन्टरों/ मार्टगेजरों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली-2002 के नियम-8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों की सूचना मानी जाए।

**नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया देखें: https://www.iob.in/Auctions.aspx, https://auctions.magicbricks.com**

सम्पत्ति के निरीक्षण/ ई-नीलामी से सबंधित विस्तृत विवरणों के लिये इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जंगपुरा शाखा, 115, मस्जिद रोड, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014 से कार्यावधि के दौरान सम्पर्क करें अथवा फोन नं. 011-24375115 अथवा सुश्री कृतिका गुप्ता (प्रबंधक): 9717067761, बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मेजिकब्रिक्स रिअलिटी सर्विसेस लि., नीलामी हेल्पलाइन सं. 9212346000, मोहित शर्मा, मो. 983777407, नीलामी हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: auction@magicbricks.com तथा mohit.sharma5@magicbricks.com से सम्पर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक
तिथि: 17.02.2020, स्थान: दिल्ली

## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

जंगपुरा शाखा: 115, मस्जिद रोड, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-24375115, ईमेल: iob2792@iob.in

**अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना**

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री।**

जैसा कि यहां नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार बैंक के बकाए ब्याज की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है"** तथा **"जो भी वहां है आधार"** पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाए के भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेब पोर्टल http://auctions.magicbricks.com पर उपलब्ध ई नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

| | |
|---|---|
| ऋणधारक का नाम एवं पता | : मै सम्मिट टेक्सटाईल्स, प्लॉट नं. 19, सरूरपुर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा |
| मॉर्टगैजर/गारंटरों का नाम एवं पता | : मै. मनीशा यादव पीएएन: AFJPY5567Q पता: डी-139/3ए, संगम विहार, नई दिल्ली-110062 (गारन्टर तथा मार्टगैजर) |
| एनपीए की तिथि | : 31.5.2019 |
| मांग सूचना तिथि | : 19.6.2019 |
| मांग सूचना में मांगी गई राशि | : रु. 801441.30 (रुपये आठ लाख एक हजार चार सौ इकतालिस एवं पैसे तीस मात्र) 18.6.2019 को तथा आगे का ब्याज तथा लागत |
| कब्जा सूचना की तिथि | : 31.10.2019 |
| कब्जा सूचना | : रु. 837392.63 (रुपये आठ लाख सैंतीस हजार तीन सौ बानवे एवं पैसे तिड़ेसठ मात्र) 31.10.2019 को तथा आगे का ब्याज एवं लागत) |

* स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट बकाया (संपत्ति कर, वाटर सीवरेज, बिजली बिल आदि)
: बोलीदाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

श्रीमती मनीशा यादव के नाम में 1338-डी, बेस्मेन्ट, गली नं. 08 एवं 09, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019, माप 35 वर्ग यार्ड्स में सम्पत्ति
(यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है।)

| | |
|---|---|
| आरक्षित मूल्य | : रु. 17.40 लाख |
| नीलामी की तिथि एवं समय | : 19.3.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के स्वतः विस्तार के साथ) |
| ईएमडी | : रु. 174000.00 |
| बोली गुणक | : रु. 10,000/- |
| स्वतः विस्तार समय | : 5 मिनट |
| ज्ञात अधिभार यदि कोई हो | : कोई नहीं |
| निरीक्षण तिथि एवं समय | : बैंक की पूर्व अनुमति के साथ |

ईएमडी के साथ बोली के लिये आन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 18.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक।

* **उपरोक्त सम्पत्ति मै. आकाश फिनीशिंग, प्रॉप. धवन सिंह यादव को बैंक द्वारा दी गई साख सुविधा की प्रतिभूति के लिये भी उपलब्ध है। मै. आकाश फिनीशिंग को प्रदान की गई साख सुविधा का वर्तमान बकाया आगे के ब्याज तथा लागत के साथ 27.10.2019 को रु. 2128578.20 है। इस खाता को 31.7.2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया।**
* **सांविधिक बकाये तथा अन्य देयताओं का वहन नीलामी के क्रेता को करना होगा।**
* **बैंक के बकाए को अन्य सांविधिक बकाए पर वरीयता दी जाएगी।**
* इस सूचना को ऋणधारक/ गारन्टरों/ मार्टगेजरों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली-2002 के नियम-8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों की सूचना मानी जाए।

**नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया देखें: https://www.iob.in/Auctions.aspx, https://auctions.magicbricks.com**

सम्पत्ति के निरीक्षण/ ई-नीलामी से सबंधित विस्तृत विवरणों के लिये इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जंगपुरा शाखा, 115, मस्जिद रोड, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014 से कार्यावधि के दौरान सम्पर्क करें अथवा फोन नं. 011-24375115 अथवा सुश्री कृतिका गुप्ता (प्रबंधक): 9717067761, बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मैजिकब्रिक्स रिअलिटी सर्विसेस लि., नीलामी हेल्पलाइन सं. 9212346000, मोहित शर्मा, मो. 983777407, नीलामी हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: auction@magicbricks.com तथा mohit.sharma5@magicbricks.com से सम्पर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक
तिथि: 17.02.2020, स्थान: दिल्ली

www.readwhere.com

# वुहान से आए 320 यात्रियों को मानेसर केंद्र से मिली छुट्टी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

चीन में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण वाले राज्य वुहान से स्वदेश लाए गए करीब 320 भारतीय नागरिकों में संक्रमण का खतरा खत्म होने की पुष्टि के बाद इन्हें मानेसर और छावला स्थित पृथक केंद्र से मंगलवार को छुट्टी दे दी गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में गुरुग्राम के पास स्थित पृथक केंद्र से मंगलवार को 220 लोगों को छुट्टी दी गई। वहीं, आइटीबीपी के छावला स्थित पृथक केंद्र से 100 लोगों को छुट्टी दी गई। वुहान से लाए गए 647 भारतीय और मालदीव के सात नागरिकों को दिल्ली के छावला और हरियाणा के मानेसर स्थित आइटीबीपी और सेना के पृथक केंद्रों में कोरोना वायरस संबंधी चिकित्सा निगरानी के लिए रखा गया है। इनमें छावला केंद्र में मौजूद 406 नागरिकों में से 200 को सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में छुट्टी दी गई थी। मंगलवार को 100 और यात्रियों को छुट्टी दी गई।

# चिदंबरम, कार्ति को दस्तावेज सौंपने के निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

अदालत ने मंगलवार को आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले के कुछ दस्तावेज आरोपियों को सौंपने के निर्देश दिए। अदालत ने सीबीआइ को आदेश दिया कि आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से वो कागजात मामले के आरोपी पीचिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराए, जिसकी मांग वो कर रहे हैं।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ को यह निर्देश दिया। फिलहाल पिता–पुत्र दोनों जमानत पर हैं। अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर धनशोधन के मुकदमे की भी सुनवाई कर रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके पुत्र अदालत में उपस्थित थे। आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।

# तेदेपा ने की चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा घटाने की कड़ी आलोचना

विजयवाड़ा, 18 फरवरी (भाषा)।

तेलुगु देशम पार्टी ने अपने अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा घटाने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णय की मंगलवार को कड़ी आलोचना करते हुए सुरक्षा का पूर्ववर्ती स्तर बहाल करने की मांग की। पार्टी ने कहा कि नायडू के पास एनएसजी के साथ जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा है जबकि उनके पुत्र नारा लोकेश की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर एक्स कर दी गई। तेदेपा के प्रदेश अध्यक्ष काला वेंकट राव ने एक बयान में कहा, 'सुरक्षाकर्मियों की संख्या में भारी कटौती कर दी गई है। पहले 146 सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन अब 67 हैं।' उन्होंने कहा कि सुरक्षा समीक्षा समिति (एसआरसी) के राजनीति से प्रेरित निर्णय की पार्टी कड़ी आलोचना करती है और सुरक्षा का पुराना स्तर बहाल करने की मांग करती है।

---

**KVB Karur Vysya Bank** Smart way to bank

द करूर वैश्य बैंक लि.
शेक्सपीयर सरानी शाखा
भूतल, एस.बी. टॉवर्स, 37, शेक्सपीयर सरानी,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700017

**कब्जा सूचना**
**(अचल सम्पत्ति हेतु)**
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8(1)] के तहत निर्गत**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों 1. मैसर्स पन्नालाल महाबीर प्रसाद (कर्जदार), प्रोपराइटर : श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, 1ए, मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, कोलकाता–700007, पश्चिम बंगाल, 2. श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता–700019, पश्चिम बंगाल, 3. श्री उमाशंकर अग्रवाल (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता–700019, पश्चिम बंगाल, 4. श्रीमती अलका देवी अग्रवाल, (पत्नी श्री उमाशंकर अग्रवाल) (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता–700019, पश्चिम बंगाल, 5. श्रीमती नेहा अग्रवाल (पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल) (जमानती), 10 मेफेयर रोड, बैलीगुंजे, कोलकाता–700019, पश्चिम बंगाल, 6. मैसर्स महाबीर प्रसाद उमाशंकर (एचयूएफ) (जमानती) तथा साथ ही 1ए, मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, कोलकाता–700007, पश्चिम बंगाल से कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 24,80,06,391.55 (रुपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख छः हजार तीन सौ इक्यानबे एवं पचपन पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 21.08.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/जमानतियों के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानतियों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 15 फरवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा इस सम्पत्ति से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 24,80,06,391.55 (रुपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख छः हजार तीन सौ इक्यानबे एवं पचपन पैसे मात्र) तथा इस पर ब्याज, लागत एवं व्ययों के लिए द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के अभियोग का प्रभार होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय–सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल के नाम पर दिल्ली नगर निगम की सीमाओं में ग्राम यूसुफ सराय जट, मेहरौली रोड, नई दिल्ली में प्लॉट सं. 28, ब्लॉक सं. 'पी' ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016 पर स्थित 311 वर्ग गज माप की आवासीय भूमि तथा भवन का सम्पूर्ण भाग जिसकी सीमा निम्नलिखित है :
उत्तर : सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. पी–29 पर मकान
दक्षिण : सर्विस लेन, पश्चिम : प्लॉट सं. पी–27 पर मकान
उपर्युक्त सभी सम्पत्तियाँ मैसर्स चम्पा इम्पेक्स को स्वीकृत साख सुविधाओं के लिए भी प्रभारित हैं और सरफाएशी अधिनियम प्रारम्भ किया गया है।

**स्थान: नई दिल्ली** — **अधिकृत प्राधिकारी**
**दिनांक: 15.02.2020** — **द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड**

---

# ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
Cluster Office- RR&L : Resolution, Recovery & Law बी–107, के–13, कविनगर, गाजियाबाद – 201002, फोन : 0120-4155167, 0120-4155567, ई–मेल: rrl_7624@obc.co.in

## नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्तियों का विवरण**

| क्र. सं. | कर्जदार का नाम | सम्पत्तियों का विवरण | मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख | बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शाखा : राज नगर, गाजियाबाद<br>गौरव सिंघल पुत्र श्री सतीश कुमार सिंघल और सतीश कुमार सिंघल पुत्र स्व. श्री राधे लाल | 1. साम्यिक बंधक रिहायशी फ्लैट नं. I–1001, 10वां तल, टॉवर Irica अजनारा इंटीग्रिटी राज नगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति गौरव सिंघल पुत्र सतीश कुमार सिंघल और सतीश कुमार सिंघल पुत्र श्री राधे लाल के नाम पर है। जिसका सुपर क्षेत्रफल 164.90 वर्ग मी. और निर्मित क्षेत्रफल 131.92 वर्ग मी., पंजीकृत टाईटल डीड दिनांक 02.06.2014, बही नं. 1 जिल्द नं. 8445, पेज नं. 203 से 276, क्र.सं. 6816 सब रजिस्ट्रार II, गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी - पूरब में – 45मी. चौड़ा रोड, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – 45मी. चौड़ा रोड | 02-12-2019<br>15-02-2020 | ₹ 35,08,288.65 और दिनांक 31.01.2020 तक भविष्य का ब्याज इत्यादि |
| 2 | शाखा : राज नगर, गाजियाबाद<br>सुनील कुमार सिंघल पुत्र कुशल प्रकाश और गीता सिंघल पत्नी सुनील कुमार सिंघल | 1. साम्यिक बंधक फ्लैट नं. 503, ब्लॉक पर्ल बी, 5वां तल, गुलमोहर टॉवर, राजापुर और महरौली, गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुनील कुमार सिंघल पुत्र कुशल प्रकाश और गीता सिंघल पत्नी सुनील कुमार सिंघल के नाम पर है। जिसका सुपर क्षेत्रफल 138.42 वर्ग मी. और निर्मित क्षेत्रफल 115.35 वर्ग मी., पंजीकृत टाईटल डीड दिनांकित 16.12.2011, बही नं. 1 जिल्द नं. 2698, पेज नं. 184 से 205, क्र.सं. 5231, सब रजिस्ट्रार V गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी - पूरब में – मैप के अनुसार, पश्चिम में – मैप के अनुसार, उत्तर में – मैप के अनुसार, दक्षिण में – मैप के अनुसार | 02-12-2019<br>15-02-2020 | ₹ 16,89,920.20 और दिनांक 31.01.2020 तक भविष्य का ब्याज इत्यादि |

दिनांक 15-02-2020, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

---

# कार्यालय वसूली अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण- II, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

आर.सी. सं. 278/2018 — दिनांक 10.02.2020

**पंजाब नेशनल बैंक बनाम मोह. शाकिर**

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 10.02.2020 के अनुसार 20.03.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी:
यह नीलामी बिक्री वेबसाईट : https://drt.auctiontiger.com पर "ऑन लाईन ई–नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समय : 20.03.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप.
(4.00 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)

**सम्पत्ति का विवरण**

(i) सम्पत्ति सं. ए–28, प्रथम तल, ब्लॉक–ए, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली–110032 (माप 901 वर्ग फीट)
(ii) आरक्षित मूल्य : रु. 45,00,000/– (रुपये पैंतालीस लाख मात्र) पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में।
(iii) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 4,50,000/– (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में।

**नियम एवं शर्तें**

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन ई–नीलामी" द्वारा की जायेगी।
2. ज.ध.रा. या तो "वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली खाता आर.सी. सं. 278/2018" के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर के माध्यम से या निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा की जानी है : पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी शाखा, मयूर विहार फेज–II, नई दिल्ली, खाता सं. 4408002100515419, आईएफएससी कोड : PUNB00440800. कथित डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर अथवा ज.ध.रा. के रूप में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण, साथ में पहचान (वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व-प्रमाणित प्रति जिसमें भावी सम्पर्क के लिए पता हो, तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति अधिकतम 18.03.2020 को 4.00 बजे अपराह्न तक वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के पास पहुँच जानी चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त ज.ध.रा. अथवा ज.ध.रा. के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. जिस लिफाफे में प्रेषक के विवरण जैसे पता, ई–मेल आईडी तथा मोबाइल नं. आदि के विवरण सहित ज.ध.रा. अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. के भुगतान का प्रमाण हो उस पर "RC No.278/2018" अंकित होना चाहिए।
4. सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है वहीं है" तथा "जो कुछ वही है" के आधार पर किया जायेगा।
5. संविदाकारों को अपने प्रस्ताव जमा करने तथा ई–नीलामी विक्रय की कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों को पोर्टल https://drt.auctiontiger.net ध्यानपूर्वक देख लेने का परामर्श दिया जाता है तथा/अथवा श्री शिवानन्द भंजा, सहायक प्रबन्धक, मोबाइल 7044070801 पर सम्पर्क करें।
6. सम्भावित संविदाकारों को पोर्टल के साथ स्वयं को पंजीकृत करने तथा पूर्व में ही लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है जो मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए–201/2018, वाल स्ट्रीट–II, सामने ओरिएण्ट क्लब निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006 से उपर्युक्त ई–नीलामी में संविदा हेतु अनिवार्य है। दूरभाष नं. +91079–40016800. फैक्स : 917940016876, ई–मेल आईडी : support@auctiontiger.com. सम्पर्क व्यक्ति : श्री राम कुमार, सम्पर्क नं. 8000023297. ई–मेल : delhi@auctiontiger.net
7. इच्छुक संविदाकार मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए–201/2018, वाल स्ट्रीट–II, सामने ओरिएण्ट क्लब निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006. दूरभाष नं. +91079–40016800. फैक्स : 917940016876, ई–मेल आईडी : support@auctiontiger.com. सम्पर्क व्यक्ति : श्री राम कुमार, सम्पर्क नं. 8000023297. ई–मेल : delhi@auctiontiger.net ई–नीलामी का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल उन्हीं संविदाकारों को जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड और डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. के सुनिश्चित भुगतान होंगे वही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे।
9. इच्छुक क्रेता 13.03.2020 से 14.03.2020 को 11.00 बजे से 16.00 बजे के बीच सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. इच्छुक संविदाकार जिन्होंने 18.03.2020 तक आरक्षित मूल्य या इससे अधिक तक अपनी संविदाएँ जमा कर दी हैं वे 20.03.2020 को 03.00 बजे अप. से 04.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई–नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनटों के लिए बढ़ जायेगा।
11. संविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में बढ़ायेंगे।
12. असफल संविदाकार अपनी ज.ध.रा. सीधे वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली/सीएच, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक से ई–नीलामी विक्रय कार्यवाही समाप्त होने के तुरन्त बाद ले सकते हैं।
13. सफल/उच्चतम संविदाकार को वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 278/2018 के पक्ष में संविदा/विक्रय राशि के 25% का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर ई–नीलामी की समाप्ति के 24 घण्टों के भीतर तैयार कराना होगा और ज.ध.रा. के समायोजन के बाद तथा इसे कार्यालय वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के पास ई–नीलामी बन्द होने के 3 दिनों के भीतर भेजना/जमा करना होगा जिसमें असफल रहने पर ज.ध.रा. जब्त कर ली जायेगी।
14. सफल/उच्चतम संविदाकार को वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 278/2018 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर के माध्यम से विक्रय कार्यवाहियों की शेष 75% राशि वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के समक्ष सम्पत्ति की ई–नीलामी की तिथि से 15वें दिन से पूर्व, निश्चित रूप से उस तिथि पर, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश का दिन है तो 15वें दिन के पश्चात पहले कार्यालयी दिवस पर 2% की दर से रु. 1,000 तक पाउण्डेज शुल्क तथा ऐसी सकल राशि से अधिक होने पर 1% की दर से रु. 1,000 सहित रजिस्ट्रार, डीआरटी–II, दिल्ली के पक्ष में जमा करनी होगी। (यदि शेष 75% राशि डाक द्वारा जमा की जाती है तो यह उपर्युक्त के अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँचनी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में असफल रहने पर विक्रय की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जायेगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझता है तो विक्रय के व्ययों को घटाने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त की जायेगी और चूककर्ता क्रेता सम्पत्ति अथवा इसके अनुगामी विक्रय से प्राप्त राशि के किसी भी दावे से वंचित रहेगा।
15. सीएचएफआई/सीएच बैंक को सीडी पर विक्रय की घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कोरिया तथा सम्पत्ति के स्पष्ट भाग पर चिपकाकर या आसपास ड्रम बजाकर करने के लिए निर्देशित किया जाता है और इसकी एक प्रति अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी।
16. बिक्री उद्घोषणा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में ऐसे समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी जिसके वितरण का क्षेत्र व्यापक हो।
17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को समाचार–पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करने तथा सुनवाई की अगली तिथि से पूर्व इसका मूल प्रमाण दाखिल करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
18. यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए सभी या कोई संविदाएँ स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

**सम्पत्ति की अनुसूची**

| विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण | सम्पत्ति पर किसी ऋणभार का विवरण | सम्पत्ति या इसके किसी भाग पर आकलित राजस्व | कोई दावे, जो सम्पत्ति पर किये गये हों, तथा कोई इसकी प्रकृति और मूल्य सम्बन्धी कोई ज्ञात विवरण |
|---|---|---|---|
| सम्पत्ति सं. ए–28, प्रथम तल, ब्लॉक–ए, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली–110032 (माप 901 वर्ग फीट) | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात |

मामले को ई–नीलामी के उद्देश्य हेतु सेवा के प्रमाण (ट्रैक रेजल्ट तथा स्पीड पोस्ट एवं कोरिया सहित) तथा दस्ती, वेबसाइट सहित व्यापक प्रचार वाले समाचार–पत्र में प्रकाशन के मूल प्रमाण के साथ ई–नीलामी बिक्री सूचना की सेवा के शपथ–पत्र को दाखिल करने हेतु 10.02.2020 को सूचीबद्ध किया जाये।

(अविनाश चन्द्रा)
अतिरिक्त प्रभार, वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली

---

**प्रपत्र क**
**सार्वजनिक घोषणा**
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

**डालमिया हैल्थकेयर लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ**
**संबंधित विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | डालमिया हैल्थकेयर लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 04.01.2000 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम,1956 के तहत |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या | U24233DL2000PLC144630 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता | पंजीकृत कार्यालय: एमबी –9, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, 21 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली –110001 |
| 6. | कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भन तिथि | 13.02.2020 (आदेश दिनांक 18 फरवरी 2020 को प्राप्त हुआ) |
| 7. | ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि | 10.08.2020 (दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन) |
| 8. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर | मनीष जैन<br>पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01315/2018-19/12008 |
| 9. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है | बीई –242 बी, गली नंबर 4, हरि नगर, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली –110064<br>ईमेल : jainmanishca13@gmail.com |
| 10. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल | सीए मनीष जैन, बी –40, पहली मंजिल, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस– I, नई दिल्ली –110064<br>ईमेल : cirp.dalmia@gmail.com |
| 11. | दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि | 03.03.2020 |
| 12. | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई | लागू नहीं |
| 13. | किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) | लागू नहीं |
| 14. | (क) संबंधित प्रपत्र और<br>(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध हैं : | वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads<br>भौतिक पता : बी –40, पहली मंजिल, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस– I, नई दिल्ली –110064 |

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ–III ने दिनांक **13 फरवरी 2020** को **डालमिया हैल्थकेयर लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

**डालमिया हैल्थकेयर लिमिटेड** के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **03 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

**दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।**

हस्ता/–
सीए मनीष जैन
दिनांक : 18 फरवरी 2020 — डालमिया हैल्थकेयर लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
स्थान : नई दिल्ली — पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01315/2018-19/12008

---

# केनरा बैंक Canara Bank

(A Govt. of India undertaking)

रिकवरी शाखा सर्किल कार्यालय, 7 वाँ तल, अंसल टावर्स, 38, नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019 फोन: 011–26292604; 26419921

**13.03.2020 को ई नीलामी बिक्री**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ई–नीलामी (ऑन लाइन नीलामी) द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना**

एतद्द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत कब्जे में ली गई यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों की अधोलिखित नियमों एवं शर्तों पर ई–नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। ई–नीलामी की व्यवस्था वेबसाईट www.bankeauctions.com के माध्यम से सेवा प्रदाता मै. सी 1 इंडिया प्रा. लि. द्वारा की जाएगी।

| क्रम सं. | शाखा का नाम/ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम एवं पता | सम्पत्तियो का संक्षिप्त विवरण | निर्दिष्ट तिथि को कुल देयताऐं | आरक्षित मूल्य / निरीक्षण की तिथि | ईएमडी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तथा खाता का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केनरा बैंक, सरिता विहार, नई दिल्ली–110076<br>ऋणधारकः मै. फलक इन्टरनेशनल सी–603, एकोटिका ईस्टर्न कोर्ट क्रॉसिंस रिपब्लिक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010<br>1. श्रीमती शबाना खान (प्रॉप्राईटर)<br>2. श्री शहजाद खान (गारन्टर) | फ्लैट नं. सी–603, छठा तल, प्लॉट नं. 6, एक्जोटिका कोर्ट, क्रॉसिंग रिपब्लिक, सेक–1, गाजियाबाद, उ.प्र. क्षेत्रफल 1635 वर्ग फीट जो श्री शहजाद खान के नाम में है। | 31.01.2020 को कुल देयता रु. 1,05,50,714.99 (रुपये एक करोड़ पांच लाख, पचास हजार सात सौ चौदह मात्र) तथा 01.02.2020 से आगे ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं स्थानीय स्वशासन की बकाया देयता (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली बिल आदि)= बैंक को ज्ञात नहीं | रु. 45.32 लाख (रुपये पैंतालिस लाख बत्तीस हजार मात्र)<br>6.3.2020 तथा 7.03.2020 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक | रु. 4,53,200/– (रुपये चार लाख तिरेपन हजार दो सौ मात्र) 12.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक<br>खाता नं.: 2591295000001 आईएफएससीः CNRB0002591 शाखाः सरिता विहार शाखा, नई दिल्ली |
| 2. | केनरा बैंक, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001<br>**ऋणधारक**<br>मै. साहिम अली, निवासीः 13 एफएफ 12/7, पॉकेट–7, सेक्टर–82, नोएडा | श्री साहिम अली के नाम में फ्लैट नं. टी–105, भू तल, प्लॉट नं. 5, गृहलक्ष्मी सहकारी आवास समिति, सेक्टर पीआई–2, ग्रेटर नोएडा, एरिया 1330 वर्ग फीट | 31.01.2020 को कुल देयताएंः रु. 30,04,548.51 (रुपये तीस लाख चार हजार पांच सौ अड़तालिस एवं पैसे इक्यावन मात्र) तथा 01.02.2020 से आगे ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं स्थानीय स्वशासन की बकाया देयता (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली बिल आदि)= बैंक को ज्ञात नहीं | रु. 36.00 लाख (रुपये छत्तीस लाख मात्र)<br>6.3.2020 तथा 7.03.2020 को 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक | रु. 3,60,000/– (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र) 12.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक<br>खाता नं.: 1994295000001 आईएफएससी कोडः CNRB0001994 शाखाः बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली |

**ई–नीलामी की तिथिः 13.03.2020**
**दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथिः 12.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक**

**ई–नीलामी का समय:** क्रम सं. 1 एवं 2 में सम्पत्ति के लियेः 12.30 पूर्वा. से 01.30 अप. (बिक्री की पूर्णता तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

**यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा निम्न शर्तों के अधीन होगी।**

1. सम्पत्ति की बिक्री अधिभार, यदि कोई हो, सहित "जैसा है जहां है आधार" पर की जाएगी। बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नहीं है।
2. नीलामी/ बिक्री वेबसाईट www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" होगी। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाईट देखें।
3. सम्पत्ति का निरीक्षण क्रम सं. 6 में वर्णित शाखा के संबंधित शाखा प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।
4. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा तथा भाग लेने वाले बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं।
5. आरक्षित मूल्य के 10% की ईएमडी का भुगतान ऊपर कॉलम नं. 6 में दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा केनरा बैंक को खाता में क्रेडिट के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा किया जा सकता है।
6. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र तथा ई–मेल पता होना चाहिए। डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र से संबंधित विवरणों के लिए कृपया सेवा प्रदाता सी 1 इंडिया प्रा.लि., (श्री विनोद चौहान, मो. 09813887931), टेली. 124– 4302000, (एक्स्टे. 200)प्लॉट # 301, Iला तल, उद्योग विहार, फेज– II, गुड़गांव, हरियाणा– 122001, Support@bankeauctions.com, delhi C1 India.com, वेबसाईटः https://www.bankeauctions.com से संपर्क करें। ईएमडी राशि के भुगतान की तिथि को तत्काल बोलीदाता (यदि वैध डिजीटल हस्ताक्षर नहीं हो) डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उक्त सेवा प्रदाता से संपर्क करें।
7. ईएमडी के भुगतान के बाद इच्छुक बोलीदाता को केनरा बैंक की उपरोक्त संबंधित शाखाओं में हाथों–हाथ या ईमेल द्वारा 12.03.2020 के 5.00 बजे अप. से पूर्व अधोलिखित दस्तावेजों/ विवरणों को जमा करना होगाः
(1) ईएमडी राशि के डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर, यदि आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा भुगतान किया गया हो, यूटीआर नं. के साथ उसकी पावती रसीद।
(2) पैन कार्ड, आईडी प्रूफ तथा आवास के प्रमाण की फोटो कॉपी। लेकिन, सफल बोलीदाता को शेष 25% बोली राशि के भुगतान के समय में बैंक के पास इसके मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा,
(3) बोलीदाता का नाम, संपर्क सं., पता, ईमेल आईडी,
(4) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड के लिए बैंक खाता का विवरण।
8. इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा निःशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि./ (श्री विनोद चौहान, मो. 09813887931), टेली. 124–4302000, (एक्स्टें. 200), प्लॉट # 301, Iला तल, उद्योग विहार, फेज–II, गुड़गांव, हरियाणा– 122001, Support@bankeauctions.com, delhi@C1india.com, वेबसाईटः www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
9. असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिक्री के निपटारे के 2 दिनों के भीतर उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
10. नीलामी उक्त आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता रु. 10,0000/– के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। जो बोली दाता 'ऑनलाइन' नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करते हैं उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। बिक्री की पुष्टि सफल बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी जो प्रतिभूति, क्रेडिटर की पुष्टि के अधीन होगी।
11. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में उनकी घोषणा के तत्काल बाद 25% बिक्री मूल्य (पूर्व–प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान प्रतिभूत क्रेडीटर के पास 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि बिना कारण बताए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।
12. लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण चार्जेज आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता को ही करना होगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कारण बताए बिना ई–नीलामी को निरस्त/ स्थगित करने अथवा उसकी शर्तों को परिवर्तित करने का अधिकार है।
14. यदि कोई ऐसे बोलीदाता हों जिनके पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो किन्तु वे ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे संबंधित सर्किल कार्यालय या (क्रम सं. 1 की सम्पत्ति के लिये) केनरा बैंक, सरिता विहार शाखा नई दिल्ली–110076 तथा (क्रम सं. 2 की सम्पत्ति के लिये) केनरा बैंक, बाराखम्बा रोड शाखा, नई दिल्ली से सम्पर्क करें जो सुविधा केन्द्र के रूप में सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
15. बोलीदाता को टाइटल, विस्तार, क्षेत्रफल बकाए आदि के सिलसिले में ड्यू डिलिजेन्स एवं भौतिक निरीक्षण करना होगा। बाद में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. 50.00 लाख से अधिक की बिक्री राशि के लिये बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस का भुगतान किया जायेगा जिसका भुगतान सफल क्रेता को अलग से करना होगा।
17. अधिक विवरणों के लिए अधोलिखित संबंधित शाखाओं, केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करेंः क्रम सं. 1 की सम्पत्ति के लियेः सुशील कुमार (वरिष्ठ प्रबंधक), केनरा बैंक, सरिता विहार शाखा, नई दिल्ली–110076 (फोन नं.:011–26959553, 26975225, 9560082591) ई–मेल आईडीः cb2591@canarabank.com, क्रम सं. 2 की सम्पत्ति के लियेः श्रीमती श्वेता पाण्डेय (प्रबंधक), केनरा बैंक, बाराखम्बा रोड शाखा, नई दिल्ली–110001 (फोन नं. 011–23719952, 23314603, 9650031994) ईमेल आईडीः cb1994@canarabank.com अथवा सेवा प्रदाता मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि. (श्री विनोद चौहान, मो. 09813887931), टेली. 124–4302000 (एक्स्टें. 200), प्लॉट # 301, Iला तल, उद्योग विहार, फेज–II, गुड़गांव, हरियाणा–122001, Support@bankeauctions.com, delhi@c1India.com, वेबसाईटः https://www.bankeauctions.com से संपर्क करें।

**विशेष निर्देश/ चेतावनी :**

अंतिम मिनट तथा सैकण्ड में अपने स्वयं के हित में बोलीदाता बोली करने से बचें। न तो केनरा बैंक न ही सेवा प्रदाता किसी चूक/ विफलता (इंटरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर आदि के लिए विक्रेता की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वांछित बैक अप विद्युत आपूर्ति जैसी सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्प का प्रावधान कर लें ताकि वे इस प्रकार की परिस्थिति से निपट सकें तथा नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

**तिथिः 17.02.2020, स्थानः नई दिल्ली** — **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

---

# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

जंगपुरा शाखा: 115, मस्जिद रोड, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली- 110001
फोन: 011-24375115, ईमेल: iob2792@iob.in

**अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना**
**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री।**

जैसा कि यहां नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार बैंक के बकाए ब्याज की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है आधार"** तथा **"जो भी वहां है आधार"** पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाए के भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेब पोर्टल https://auctions.magicbricks.com पर उपलब्ध ई नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

| | |
|---|---|
| ऋणधारक का नाम एवं पता | 1. मै. स्काई कलर फैशन, प्रॉप. श्री रमेश यादव<br>कार्या.: प्लॉट नं. 9, सरुरपुर मोर, सोहना रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद<br>2. मै. एएम टेक्स्टाइल्स, प्रॉप. श्रीमती मनीशा यादव<br>कार्या.: प्लॉट नं. 9, सरुरपुर मोर, सोहना रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद |
| मॉर्टगैजर/ गारंटरों का नाम एवं पता | 1. श्री रमेश यादव, PAN- AAPPY4004M<br>पताः डी–139/3ए, संगम विहार, नई दिल्ली–110062 (गारन्टर तथा मार्टगैजर)<br>1. श्रीमती मनीशा यादव, PAN- AFJPY5567Q<br>पताः डी–139/3ए, संगम विहार, नई दिल्ली–110062 (गारन्टर तथा मार्टगैजर) |
| एनपीए की तिथि | मै. स्काई कलर फैशनः 31.5.2019, मै. एएम टेक्स्टाईल्सः 31.8.2018 |
| मांग सूचना तिथि | 19.06.2019 |
| मांग सूचना में मांगी गई राशि | मै. स्काई कलर फैशनः 18.6.2019 को रु. 3318311.48 (रुपये तैंतीस लाख अठारह हजार तीन सौ ग्यारह तथा पैसे अड़तालिस मात्र) के साथ आगे का ब्याज तथा लागत<br>मै. ए एम टेक्स्टाईल्सः रु. 2038153.31 (रुपये बीस लाख अड़तीस हजार एक सौ तिरेपन मात्र) 18.6.2019 को तथा आगे का ब्याज एवं लागत |
| कब्जा सूचना की तिथि | 31.10.2019 |
| कब्जा सूचना में मांगी की गई राशि | मै. स्काई कलर फैशनः रु. 3444629.07 (रुपये चौंतीस लाख चौआलिस हजार छः सौ उन्तीस एवं पैसे सात मात्र) 31.10.2019 को तथा उसके साथ आगे ब्याज एवं लागत<br>मै. ए एम टेक्स्टाईल्सः रु. 2139889.08 (रुपये इक्कीस लाख उन्तालिस हजार आठ सौ नवासी तथा पैसे आठ मात्र) 31.10.2019 को तथा उसके साथ आगे ब्याज एवं लागत |
| * स्थानीय स्वशासन की बकाया देयता (संपत्ति कर, जल, सीवरेज, बिजली बिल आदि) | क्रेता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। |

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

| श्रीमती मनीशा यादव के नाम में 510–बी, गली नं. 5 ए, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110019, माप 44.67 वर्ग यार्ड्स में सम्पत्ति। (यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है।) | | श्री रमेश यादव के नाम में 1340–बी 2, प्रथम तल, गली नं. 8, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110019, माप 35 वर्ग यार्ड्स में सम्पत्ति। (यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है।) | |
|---|---|---|---|
| आरक्षित मूल्य | रु. 18.00 लाख | आरक्षित मूल्य | रु. 12.60 लाख |
| नीलामी की तिथि एवं समय | 19.3.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के स्वतः विस्तार के साथ | नीलामी की तिथि एवं समय | 19.3.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के स्वतः विस्तार के साथ |
| ईएमडी | रु. 180000.00 | ईएमडी | रु. 126000.00 |
| बोली गुणक | रु. 10,000/– | बोली गुणक | रु. 10,000/– |
| स्वतः विस्तार समय | 5 मिनट | स्वतः विस्तार समय | 5 मिनट |
| ज्ञात अधिभार यदि कोई हो | कोई नहीं | ज्ञात अधिभार यदि कोई हो | कोई नहीं |
| निरीक्षण तिथि एवं समय | बैंक की पूर्व अनुमति के साथ | निरीक्षण की तिथि एवं समय | बैंक की पूर्व अनुमति के साथ |
| ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 18.03.2020 के 5.00 बजे अप. तक | ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 18.03.2020 को 5.00 बजे अप. तक |

ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑन लाइन आवेदन।
* सांविधिक बकाये तथा अन्य देयताओं का वहन नीलामी के क्रेता को करना होगा।
* बैंक के बकाये को अन्य सांविधिक बकाये पर वरीयता दी जाएगी।
* इस सूचना को ऋणधारक/ गारन्टरों/ मार्टगेजरों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम–8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों की सूचना मानी जाए।

**नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया देखें: https://www.iob.in/ Auctions.aspx, https://auctions.magicbricks.com**

सम्पत्ति के निरीक्षण/ ई–नीलामी से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिये इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जंगपुरा शाखा, 115, मस्जिद रोड, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली– 110014 से कार्यावधि के दौरान सम्पर्क करें अथवा फोन नं. 011–24375115 अथवा सुश्री कृतिका गुप्ता (प्रबंधक), 9717067761, बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मैजिकब्रिक्स रिअलिटी सर्विसेस लि., नीलामी हेल्पलाइन सं. 9212346000, मोहित शर्मा, मो. 983777407, नीलामी हेल्पलाइन ई–मेल आईडी auction@magicbricks.com तथा Mohit.sharma5@magicbricks.com के सम्पर्क करें।

**तिथि: 17.2.2020** — **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थान: दिल्ली** — **इंडियन ओवरसीज बैंक**

www.readwhere.com

# केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

अंचल कार्यालयः विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

## ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत 'ई–नीलामी' द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना

EMD प्राप्त होने की अंतिम तिथि 19–03–2020 सांय 5 बजे तक नीलामी की तिथि व समय : 20–03–2020 पूर्वाह्न 11–30 से अपराह्न 12–30 बजे तक

ऋणी व जमानतकर्ता को विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा बंधक / प्रभारित अचल सम्पत्ति का केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रलक्षित (Constructive) / भौतिक कब्जा लिया गया है। बंधक सम्पत्ति की बिक्री (जो है,जहाँ है,जैसी है एवं जैसी भी स्थिति में है) के आधार पर दिनांक 20–03–2020 को की जायेगी।

| लॉट सं. (1) | ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता का नाम एवं पता (2) | सम्पत्ति का विवरण (3) | कुल देनदारियां / धरोहर राशि का खाता विवरण (4) | आरक्षित मूल्य (रु.) (5) / धरोहर राशि जमा (EMD) | व्यक्ति से सम्पर्क के लिए मोबाईल नं० |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) मैसर्स ए.बी. हैंडलूम और लोक वस्त्र उद्योग ग्राम रवाना, शिकारपुर, स्योहारा, जिला बिजनौर<br>(2) श्री अशरफ पुत्र श्री मौहम्मद यासीन (प्रो. मैसर्स ए. बी. हैंडलूम और लोक वस्त्र उद्योग) ग्राम रवाना, शिकारपुर, स्योहारा, जिला बिजनौर | खुला आवासीय प्लॉट स्थित रवाना शिकारपुर बुध बाजार के पास, परगना–स्योहारा, तहसील–धामपुर जिला बिजनौर, क्षेत्रफल 135.85 वर्गमीटर, श्री अशरफ पुत्र श्री मौहम्मद यासीन के नाम, सीमायें:–पूर्व: योगेन्द्र का मकान, पश्चिम: योगेन्द्र का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: निरपेन्द्र शर्मा का मकान | रु 1076118.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.11.2015 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 398000.00<br>रु 39800.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (2) | (1) मैसर्स ए.बी. हैंडलूम और लोक वस्त्र उद्योग ग्राम रवाना, शिकारपुर, स्योहारा, जिला बिजनौर<br>(2) श्री अशरफ पुत्र श्री मौहम्मद यासीन (प्रो. मैसर्स ए. बी. हैंडलूम और लोक वस्त्र उद्योग) ग्राम रवाना, शिकारपुर, स्योहारा, जिला बिजनौर | सिंगल स्टोरी आवासीय टिन शेड भवन स्थित रवाना शिकारपुर, परगना–स्योहारा, तहसील–धामपुर जिला बिजनौर क्षेत्रफल 75.68 वर्गमीटर, श्री अशरफ पुत्र श्री मौहम्मद यासीन के नाम, सीमायें:–पूर्व: अय्यूब और याकूब का मकान, पश्चिम: अजीजुर रहमान का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: मौ0 उमर का मकान | रु 1076118.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.11.2015 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 338000.00<br>रु 33800.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (3) | 1. मैसर्स अख्तरी बेगम ब्रिक क्लीन, मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, जिला बिजनौर<br>2. श्री मौहम्मद आलम पुत्र श्री अब्दुल वाहिद अंसारी (पार्टनर और गारंटर) मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, जिला बिजनौर<br>3. श्री मुशर्रफ आलम पुत्र श्री अब्दुल वाहिद अंसारी (पार्टनर और गारंटर) मौहल्ला इस्लाम नगर, स्योहारा, जिला बिजनौर<br>4. श्री मौहम्मद जुबैर असलम पुत्र श्री मौहम्मद असलम अंसारी (पार्टनर और गारंटर) मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, जिला बिजनौर<br>5. श्री शुहैब असलम अंसारी पुत्र श्री मौहम्मद असलम अंसारी (पार्टनर और गारंटर) मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, जिला बिजनौर<br>6. श्री शहनाज पुत्र श्री अब्दुल वाहिद अंसारी (पार्टनर और गारंटर) मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, जिला बिजनौर | आवासीय डबल स्टोरी भवन संपत्ति स्थित मौहल्ला इस्लाम नगर थाना रोड, स्योहारा, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, क्षेत्रफल 232.20 वर्गमी. श्री अब्दुल वाहिद पुत्र स्व. शब्बीर अहमद अंसारी के नाम, सीमायें:–पूर्व: नगर पालिका रोड, पश्चिम: थाना रोड, उत्तर: इसरार अहमद का मकान, दक्षिण: तारीसान मुल्ला रुस्तम का मकान | रु 1824189.86 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.11.2017 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 3276000.00<br>रु 327600.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (4) | 1. मैसर्स अल अंसारी ग्रुप, मौहल्ला इस्लाम नगर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास स्योहारा, जिला बिजनौर<br>2. मौहम्मद इरफान पुत्र श्री मुश्ताक अहमद (पार्टनर) मौहल्ला इस्लाम नगर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास, स्योहारा, जिला बिजनौर<br>3. श्री शहजाद अहमद पुत्र श्री मौहम्मद इरफान (पार्टनर) मौहल्ला इस्लाम नगर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास, स्योहारा, जिला बिजनौर<br>4 श्रीमती नसीमा परवीन पत्नी मौहम्मद इरफान (गारंटर और बंधककर्ता) मौहल्ला इस्लाम नगर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास, स्योहारा, जिला बिजनौर | तीन मंजिला आवासीय मकान स्थित मौहल्ला इस्लाम नगर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास, स्योहारा, तहसील धामपुर जिला बिजनौर, क्षेत्रफल 172.25 वर्गमी. श्रीमती नसीमा परवीन पत्नी मौहम्मद इरफान के नाम, सीमायें:– पूर्व: भारत सिंह और पप्पू का मकान, पश्चिम: चुन्ना और जाफर खान का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: सड़क | रु 1083110.72 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.01.2019 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 3850000.00<br>रु 385000.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (5) | 1. मैसर्स एवन फोम हाउस, मौ. काजीजादगान, रेलवे क्रॉसिंग के पास चांदपुर जिला बिजनौर<br>2 श्री गुलशिताब पुत्र राशिद अली (पार्टनर / गारंटर) मकान नंबर 41, ग्राम गिदर औंधा, पो. हीमपुर दीपा, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री शमशाद अहमद पुत्र कायमुद्दीन (पार्टनर / गारंटर / बंधककर्ता) मकान नंबर 9, अकबरपुर तिगरी चांदपुर, जिला बिजनौर<br>4. श्रीमती गुलमनवर पत्नी मौ. रशीद (गारंटर / बंधककर्ता) अहमद नगर मौहल्ला सराय रफी लेन बंसल पेट्रोल पंप से उमराव सिंह पेट्रोल पंप चांदपुर, जिला, बिजनौर<br>5. श्री मौहम्मद राशीद पुत्र भाजुद्दीन (गारंटर) अहमद नगर मौहल्ला सराय रफी लेन बंसल पेट्रोल पंप से उमराव सिंह पेट्रोल पंप चांदपुर, जिला बिजनौर | आवासीय संपत्ति प्लॉट स्थित अहमद नगर मौहल्ला सराय रफी लेन बंसल पेट्रोल पंप से उमराव सिंह पेट्रोल पंप, चांदपुर, जिला बिजनौर। श्री शमशाद अहमद पुत्र कयामुद्दीन के नाम, क्षेत्रफल 100.40 वर्गमीटर, सीमायें:–पूर्व: हसीना की संपत्ति, पश्चिम: गुलमनवर की संपत्ति, उत्तर: विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण: सड़क | रु 1752129.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.10.2016 से<br>A/c No 2157296000001<br>IFSC Code: CNRB0002157 | रु 602000.00<br>रु 60200.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, चांदपुर शाखा (फोन नं. 01342-2220674 मो. 9456591007) |
| (6) | 1. मैसर्स एवन फोम हाउस, मौ. काजीजादगान, रेलवे क्रॉसिंग के पास चांदपुर जिला बिजनौर<br>2. श्री गुलशिताब पुत्र राशिद अली (पार्टनर / गारंटर) मकान नंबर 41, ग्राम गिदर औंधा, पो. हीमपुर दीपा, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री शमशाद अहमद पुत्र कायमुद्दीन (पार्टनर / गारंटर / बंधककर्ता) मकान नंबर 9, अकबरपुर तिगरी चांदपुर, जिला बिजनौर<br>4. श्रीमती गुलमनवर पत्नी मौ. रशीद (गारंटर / बंधककर्ता) अहमद नगर मौहल्ला सराय रफी लेन बंसल पेट्रोल पंप से उमराव सिंह पेट्रोल पंप चांदपुर, जिला, बिजनौर<br>5. श्री मौहम्मद राशीद पुत्र भाजुद्दीन (गारंटर) अहमद नगर मौहल्ला सराय रफी लेन बंसल पेट्रोल पंप से उमराव सिंह पेट्रोल पंप चांदपुर, जिला बिजनौर | आवासीय संपत्ति स्थित अहमद नगर मौहल्ला सराय रफी लेन बंसल पेट्रोल पंप से उमराव सिंह पेट्रोल पंप, चांदपुर, जिला बिजनौर। श्रीमती गुलमनवर और मौ. रशीद के नाम, क्षेत्रफल 100.30 वर्गमीटर, सीमायें:– पूर्व: एक ही मालिक की संपत्ति, पश्चिम: सबीना की संपत्ति, उत्तर: एक ही मालिक की संपत्ति, दक्षिण: सड़क | रु 1752129.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.10.2016 से<br>A/c No 2157296000001<br>IFSC Code: CNRB0002157 | रु 602000.00<br>रु 60200.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, चांदपुर शाखा (फोन नं. 01342-2220674 मो. 9456591007) |
| (7) | 1. मैसर्स गोल्डन ट्रेडर्स (प्रोप. फराज अहमद) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>2. श्री फराज अहमद (प्रोप. गोल्डन ट्रेडर्स) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर<br>3. श्री जफरुद्दीन आजमी पुत्र श्री अहतेशामुद्दीन मौहल्ला मौलवियान, सहसपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर | आवासीय मकान स्थित मौहल्ला मौलवियान कस्बा सहसपुर जिला बिजनौर। श्री जफरुद्दीन आजमी के नाम क्षेत्रफल 122.89 वर्गमी., सीमायें:– पूर्व: बाबू जहीर का मकान, पश्चिम: फहीम अहमद का मकान, उत्तर: अहतेशामुद्दीन के कानूनी वारिस का मकान, दक्षिण: रास्ता और मसूद चौधरी का मकान | रु 2158887.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.03.2018 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 1937000.00<br>रु 193700.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (8) | 1 मैसर्स हाशमी इंट उद्योग मौहल्ला काजी सराय, रेहमानी मस्जिद के पास चांदपुर जिला बिजनौर<br>2 श्री रईस हसन पुत्र बाबू हसन (पार्टनर) मौहल्ला काजी सराय, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री वकारुद्दीन पुत्र हिशामुद्दीन (पार्टनर) मौहल्ला कटारमल, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>4.श्री नूर मौहम्मद पुत्र मौहम्मद इस्माइल (पार्टनर) मौहल्ला पाटियापाड़ा, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>5. श्री नसीम अहमद पुत्र बशीर अहमद (पार्टनर) मौहल्ला काजी सराय चांदपुर, जिला बिजनौर | आवासीय संपत्ति स्थित मौहम्मदी मस्जिद के पास, (सतीश पेट्रोल पंप से नगर पालिका सीमा) चांदपुर, जिला बिजनौर, श्री नूर मौहम्मद के नाम क्षेत्रफल 150.00 वर्गमीटर। सीमायें:– पूर्व: कालू सिंह की संपत्ति, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: मुकियान का प्लॉट, दक्षिण: मुन्ने का प्लॉट | रु 2620351.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.03.2016 से<br>A/c No 2157296000001<br>IFSC Code: CNRB0002157 | रु 1031000.00<br>रु 103100.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, चांदपुर शाखा (फोन नं. 01342-2220674 मो. 9456591007) |
| (9) | 1 मैसर्स हाशमी इंट उद्योग मौहल्ला काजी सराय, रेहमानी मस्जिद के पास चांदपुर जिला बिजनौर<br>2 श्री रईस हसन पुत्र बाबू हसन (पार्टनर) मौहल्ला काजी सराय, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री वकारुद्दीन पुत्र हिशामुद्दीन (पार्टनर) मौहल्ला कटारमल, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>4 श्री नूर मौहम्मद पुत्र मौहम्मद इस्माइल (पार्टनर) मौहल्ला पाटियापाड़ा, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>5. श्री नसीम अहमद पुत्र बशीर अहमद (पार्टनर) मौहल्ला काजी सराय चांदपुर, जिला बिजनौर | आवासीय संपत्ति स्थित मौहम्मदी मस्जिद काजी सराय रहमानी मस्जिद के पास, चांदपुर, जिला बिजनौर, श्री नसीम अहमद के नाम, क्षेत्रफल 85.21 वर्गमीटर। सीमायें:– पूर्व: नसीम, नफीस और रफीक का मकान, पश्चिम: नसीम अहमद का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: जाहिद और नसीम का मकान | रु 2620351.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.03.2016 से<br>A/c No 2157296000001<br>IFSC Code: CNRB0002157 | रु 1459000.00<br>रु 145900.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, चांदपुर शाखा (फोन नं. 01342-2220674 मो. 9456591007) |
| (10) | 1. श्री इकरार अहमद पुत्र मौ. अख्तर मौहल्ला–पंजाबीयान नगीना जिला– बिजनौर | मकान भवन संपत्ति स्थित मौहल्ला पंजाबीयान, नगीना, जिला– बिजनौर, क्षेत्रफल 111.06 वर्गमी., श्री इकरार अहमद पुत्र मौ. अख्तर के नाम, सीमायें:– पूर्व: निहाल कबाड़ी का मकान, पश्चिम: हाफिज अब्दुल सलाम का मकान, उत्तर: वारिसान साबिर हुसैन का मकान, दक्षिण: लेन 10' चौड़ा | रु 901396.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 13.02.2020 से<br>A/c No 2195296000001<br>IFSC Code: CNRB0002195 | रु 1970000.00<br>रु 197000.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, नगीना शाखा (फोन नं. 01343-250116 मो. 9456591027) |
| (11) | 1. श्री इशरत अली पुत्र श्री हाजी अमीरुद्दीन (ऋणकर्ता) ग्राम और पोस्ट किवार सहसपुर जिला बिजनौर<br>2. श्रीमती शाहजहाँ पत्नी श्री हाजी अमीरुद्दीन (गारंटर और बंधककर्ता) गांव और पोस्ट किवार सहसपुर जिला बिजनौर | आवासीय मकान संपत्ति स्थित गाव किवार प्राइमरी स्कूल –1 के पास, परगना स्योहारा, तहसील धामपुर जिला बिजनौर श्रीमती शाहजहा पत्नी श्री हाजी अमीरुद्दीन के नाम पर क्षेत्रफल 184.00 वर्गमीटर, सीमायें:–पूर्व: मुख्तयार और कय्यूम की संपत्ति, पश्चिम: खड़ंजा, उत्तर: मोहम्मद इलियास का मकान, दक्षिण: राजेश त्यागी का मकान | रु 735126.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.01.2019 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 1112000.00<br>रु 111200.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (12) | 1. मैसर्स जावेद एंड कंपनी मौहल्ला पीर का बाजार स्योहारा, जिला बिजनौर<br>2. श्री मौ. जावेद पुत्र श्री मौहम्मद सुलेमान (प्रोपराइटर) मौहल्ला पीर का बाजार स्योहारा जिला बिजनौर<br>3. श्रीमती. नईमा खातून पत्नी श्री मौहम्मद सुलेमान (गारंटर) मौहल्ला मुस्लिम चौधरियान स्योहारा, जिला बिजनौर | आवासीय डबल स्टोरी भवन संपत्ति स्थित मौहल्ला मौहल्ला मुस्लिम चौधरियान, स्योहारा तहसील– धामपुर जिला–बिजनौर, श्रीमती नईमा खातून पत्नी श्री मौहम्मद सुलेमान के नाम, क्षेत्रफल 245.00 वर्गमीटर, सीमायें:–पूर्व: हाफिज शकील अहमद का मकान, पश्चिम: मौहम्मद बब्बन का मकान वर्तमान में अरशद का, उत्तर: सड़क, दक्षिण: कल्वा और शाहिद का मकान | रु 3385328.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.11.2017 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 4429000.00<br>रु 442900.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (13) | (1) श्री ऐजाज अली अंसारी पुत्र श्री शौकत अली अंसारी (अध्यक्ष / बंधककर्ता) गांव और पोस्ट रवाना शिकारपुर स्योहारा, जिला बिजनौर<br>(2) मैसर्स करघा उद्योग सहकारी समिति गांव और पोस्ट रवाना शिकारपुर, स्योहारा, जिला बिजनौर<br>(3) श्री शमीम अहमद पुत्र श्री इस्लामुद्दीन (गारंटर) ग्राम और पोस्ट रवाना शिकारपुर स्योहारा, जिला बिजनौर | सिंगल स्टोरी आवासीय भवन स्थित रवाना शिकारपुर, परगना–स्योहारा, तहसील–धामपुर जिला–बिजनौर, क्षेत्रफल 249.69 वर्गमीटर श्री ऐजाज अली अंसारी पुत्र शौकत अली अंसारी के नाम, सीमायें:–पूर्व: शूरवीर सिंह का प्लॉट, पश्चिम: शूरवीर सिंह का मकान, उत्तर: सड़क, दक्षिण: शंकर सिंह का मकान | रु 1389193.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.12.2016 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 1185000.00<br>रु 118500.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (14) | 1. मैसर्स मौहम्मद काशिफ (प्रो. मौहम्मद काशिफ) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>2. मौहम्मद काशिफ पुत्र श्री नईमुद्दीन (बंधककर्ता / गारंटर) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री नईमुद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन (बंधककर्ता / गारंटर) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर | आवासीय मकान संपत्ति स्थित मौहल्ला दक्षिणी हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, क्षेत्रफल 69.72 वर्गमी. मौहम्मद काशिफ पुत्र श्री नईमुद्दीन के नाम, सीमायें:– पूर्व: मौ. मोहसीन का मकान, पश्चिम: नईमुद्दीन का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: शकील अहमद का मकान | रु 3741944.16 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.12.2018 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 1295000.00<br>रु 129500.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (15) | 1. मैसर्स मौहम्मद काशिफ (प्रो. मौहम्मद काशिफ) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>2. मौहम्मद काशिफ पुत्र श्री नईमुद्दीन (बंधककर्ता / गारंटर) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री नईमुद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन (बंधककर्ता / गारंटर) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर | आवासीय मकान संपत्ति स्थित मौहल्ला दक्षिणी हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर, क्षेत्रफल 69.78 वर्गमी. (मौहम्मद काशिफ), श्री नईमुद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन के नाम, सीमायें:– पूर्व: हवेली, पश्चिम: रफीकुद्दीन, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: शकील अहमद का मकान | रु 3741944.16 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.12.2018 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 898000.00<br>रु 89800.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (16) | 1. मैसर्स मौहम्मद काशिफ (प्रो. मौहम्मद काशिफ) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>2. मौहम्मद काशिफ पुत्र श्री नईमुद्दीन (बंधककर्ता / गारंटर) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री नईमुद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन (बंधककर्ता / गारंटर) मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर | खुला प्लॉट संपत्ति स्थित ग्राम यसंतपुर खालसा, स्योहारा, धामपुर जिला बिजनौर, क्षेत्रफल 2680 वर्ग मी. मौहम्मद काशिफ पुत्र श्री नईमुद्दीन के नाम, सीमायें:– पूर्व: वकील अहमद का प्लॉट, पश्चिम: अजीजुर्रहमान का प्लॉट, उत्तर: शगुफ्ता का बाग, दक्षिण: लिंक रोड | रु 3741944.16 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.12.2018 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 1340000.00<br>रु 134000.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (17) | 1. मैसर्स मुन्ना हैंडीक्राफ्ट प्रो. श्री इकरार अहमद पुत्र श्री मौहम्मद अख्तर मौहल्ला काजी सराय–2 नगीना जिला बिजनौर<br>2.श्री इकरार अहमद पुत्र मौ. अख्तर मौहल्ला–पंजाबीयान नगीना, जिला– बिजनौर | आवासीय मकान भवन संपत्ति स्थित मौहल्ला पंजाबीयान, नगीना, जिला–बिजनौर, क्षेत्रफल 111.06 वर्ग मी. श्री इकरार अहमद पुत्र मौ. अख्तर के नाम, सीमायें:–पूर्व: निहाल कबाड़ी का मकान, पश्चिम: हाफिज अब्दुल सलाम का मकान, उत्तर: वारिसान साबिर का हुसैन मकान, दक्षिण: लेन 10' चौड़ी | रु 1627963.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे<br>A/c No 2195296000001<br>IFSC Code: CNRB0002195 | रु 1970000.00<br>रु 197000.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, नगीना शाखा (फोन नं. 01343-250116 मो. 9456591027) |
| (18) | 1. मैसर्स एन.के. ट्रेडर्स (प्रो. श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार अग्रवाल), पुराने वेद मंदिर के पास, मौहल्ला चिम्मान चांदपुर, जिला बिजनौर<br>2. श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार अग्रवाल (प्रोपराइटर) पुराने वेद मंदिर के पास, मौहल्ला चिम्मान चांदपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्रीमती सुधा रानी पत्नी श्री नरेश कुमार अग्रवाल (गारंटर) पुराने वेद मंदिर के पास, मौहल्ला चिम्मान चांदपुर, जिला बिजनौर | आवासीय संपत्ति (मकान) स्थित मौहल्ला चिम्मान, मंदिर के पास, चांदपुर श्रीमती सुधा रानी पत्नी श्री नरेश कुमार अग्रवाल के नाम क्षेत्रफल 94.58 वर्गमीटर, सीमाएँ:– पूर्व: लक्ष्मी देवी का मकान, पश्चिम: बागेश्वर दयाल का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: कन्हैया लाल के उत्तराधिकारियों का मकान | रु 3289949.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.01.2015 से<br>A/c No 2157296000001<br>IFSC Code: CNRB0002157 | रु 1632000.00<br>रु 163200.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, चांदपुर शाखा (फोन नं. 01342-2220674 मो. 9456591007) |
| (19) | 1. मैसर्स रेशमा हैंडलूम (प्रो. नूर मौहम्मद) गांव और पोस्ट मेवा नवादा सहसपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>2. श्री नूर मौहम्मद (प्रो. मैसर्स रेशमा हैंडलूम) ग्राम और पोस्ट मेवा नवादा सहसपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर<br>3. श्रीमती जरीना खातून पत्नी श्री नूर मौहम्मद ग्राम और पोस्ट मेवा नवादा सहसपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर | आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवा नवादा सहसपुर, जिला बिजनौर, श्रीमती जरीना पत्नी श्री नूर मौहम्मद के नाम, क्षेत्रफल 130.72 वर्गमीटर, सीमायें:–पूर्व: गलियारा उसके बाद जहूर अहमद का प्लॉट, पश्चिम: मदरसा तजवीदुल कुरान, उत्तर: रास्ता आम, दक्षिण: गलियारा उसके बाद विक्रेता का मकान | रु 1154063.01 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.03.2018 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 721000.00<br>रु 72100.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (20) | 1. श्री रियासत (ऋणकर्ता) पुत्र श्री दीन मौहम्मद गाँव मेवा नवादा सहसपुर जिला बिजनौर<br>2. श्री इशरत अली (ऋणकर्ता) पुत्र श्री दीन मौहम्मद गाँव मेवा नवादा सहसपुर जिला बिजनौर<br>3.श्री तजस्सुम हुसैन पुत्र श्री नजमुल हुसैन मौ. मौलवियान सहसपुर जिला बिजनौर | आवासीय मकान श्री इशरत अली पुत्र श्री दीन मौहम्मद के नाम स्थित गाँव मेवा नवादा सहसपुर जिला बिजनौर, क्षेत्रफल 137.09 वर्गमी., सीमायें:– पूर्व: खालिक और जाकिर का मकान, पश्चिम: अब्दुल हाफिज का मकान, उत्तर: रास्ता और इस्लामुद्दीन का मकान, दक्षिण: यूसुफ और यूनुस का मकान | रु 1114299.64 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 17.05.2019 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 1737000.00<br>रु 173700.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (21) | 1. श्री संजीव कुमार (ऋणकर्ता और बंधककर्ता) पुत्र वीर सिंह गाँव और पोस्ट – महमूदपुर सहसपुर, तहसील– धामपुर जिला – बिजनौर यूपी<br>2. श्री अनुज कुमार (गारंटर) पुत्र श्री रामपाल गाँव और पोस्ट –महमूदपुर सहसपुर, तहसील – धामपुर | आवासीय भवन स्थित गाँव और पोस्ट– महमूदपुर, परगना – स्योहारा, सहसपुर, तहसील –धामपुर, जिला–बिजनौर यूपी, श्री संजीव कुमार के नाम, क्षेत्रफल 40.16 वर्ग मीटर, सीमाएँ:– पूर्व: विक्रेता की भूमि, पश्चिम: योगेन्द्र का मकान, उत्तर: कविता पत्नी राजवीर की खुली भूमि, दक्षिण: रास्ता 12 फीट चौड़ा | रु 355844.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.04.2019 से<br>A/c No 2930296000001<br>IFSC Code: CNRB0002930 | रु 140000.00<br>रु 14000.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा (फोनः 01342-278078 मो० संख्या 9058455945) |
| (22) | 1. मैसर्स सत्य कृपा नर्सिंग होम (प्रोपराइटर के माध्यम से) श्री रवींद्र सिंह तोमर मौहल्ला काजीजादगान बस स्टैंड के पास चांदपुर, जिला बिजनौर<br>2. श्री रवींद्र सिंह तोमर (प्रोपराइटर / बंधककर्ता) मौहल्ला काजीजादगान बस स्टैंड के पास चांदपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्री ओमेंद्र सिंह तोमर पुत्र सत्यपाल सिंह (गारंटर / बंधककर्ता) मकान नं. 56, लतीफपुर चौधरी तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर<br>4. श्री सोनू तोमर पुत्र विजेंद्र सिंह (गारंटर / बंधककर्ता) मकान नंबर 125, लतीफपुर चौधरी तहसील तहसील, चांदपुर, जिला बिजनौर<br>5. श्री सत्यपाल सिंह पुत्र गंभीर (गारंटर) मकान नं 56 लतीफपुर, लतीफपुर चौधरी तहसील तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर यू पी | व्यावसायिक भवन स्थित मौहल्ला काजीजादगान बस स्टैंड के पास, चांदपुर जिला बिजनौर, श्री रवींद्र सिंह तोमर, श्री ओमेंद्र सिंह तोमर और श्री सोनू तोमर के नाम, क्षेत्रफल 73.06 वर्गमीटर, सीमायें–पूर्व: निशार की संपत्ति, पश्चिम: आलोक कुमार की दुकान, उत्तर: निजामुद्दीन की संपत्ति, दक्षिण: सड़क | रु 2421729.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.09.2015 से<br>A/c No 2157296000001<br>IFSC Code: CNRB0002157 | रु 2650000.00<br>रु 265000.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, चांदपुर शाखा (फोन नं. 01342-2220674 मो. 9456591007) |
| (23) | 1. श्रीमती रंजीत कौर पत्नी श्री सरदार ज्ञान सिंह (मैसर्स सिल्वर सिटी सिनेमा के पार्टनर– बंधककर्ता) मौहल्ला अफगान, कम्युनिटी स्कूल के पास, धामपुर, बिजनौर<br>2. श्री कुलवंत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह (मैसर्स सिल्वर सिटी सिनेमा के पार्टनर–बंधककर्ता) मौहल्ला अफगानान, सामुदायिक स्कूल के पास, धामपुर बिजनौर | खुला आवासीय प्लॉट स्थित मौहल्ला अफगानान, कम्युनिटी स्कूल के पास, धामपुर बिजनौर, श्रीमती रणजीत कौर पत्नी श्री सरदार ज्ञान सिंह के नाम, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज (209 वर्गमीटर) सीमायें:– पूर्व: नगर पालिका का तालाब, पश्चिम: सरदार ज्ञान सिंह की संपत्ति, उत्तर: नगर पालिका का नाला, दक्षिण: सरदार ज्ञान सिंह की संपत्ति | रु 1814714.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 13.02.2020 से<br>A/c No 2195296000001<br>IFSC Code: CNRB0002195 | रु 1035000.00<br>रु 10300.00 | प्रबंधक केनरा बैंक, नगीना शाखा (फोन नं. 01343-250116 मो. 9456591027) |
| (24) | 1. मैसर्स एस.जेड.ए. टैक्सटाईल्स गाँव और पोस्ट बुढ़नपुर, परगना स्योहारा, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>2. श्री वहाजुद्दीन पुत्र श्री शमशुद्दीन (पार्टनर और बंधककर्ता) ग्राम और पोस्ट बुढ़नपुर, परगना स्योहारा तहसील धामपुर, जिला बिजनौर<br>3. श्रीमती कलसुम जहान पत्नी श्री वहाजुद्दीन (पार्टनर) ग्राम और पोस्ट बुढ़नपुर, स्योहारा तहसील धामपुर जिला बिजनौर | सिंगल स्टोरी फैक्ट्री भवन स्थित खाता नं. 33, नूरपुर, स्योहारा रोड बुढ़नपुर, परगना–स्योहारा जिला–बिजनौर, क्षेत्रफल 1490.00 वर्गमीटर, श्री वहाजुद्दीन पुत्र श्री शमशुद्दीन के नाम, सीमायें:– पूर्व: नूरपुर रोड, पश्चिम: देवेंद्र की भूमि, उत्तर: मौहम्मद अफजल की संपत्ति, दक्षिण: मौहम्मद इकबाल की संपत्ति | रु 3903066.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 23..12.2013 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 4678000.00<br>रु 467800.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (25) | 1. मैसर्स वेलकम गैस एजेंसी (फर्म) ग्राम और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला बिजनौर यूपी–246746<br>2. श्री नौशाद पुत्र श्री मौहम्मद यामीन (प्रोप.) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला–बिजनौर यूपी –246746<br>3. श्री अय्यूब पुत्र श्री यामीन (बंधककर्ता और गारंटर) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला– बिजनौर यूपी –246747<br>4. श्री जलालुद्दीन पुत्र श्री मौहम्मद यामीन (गारंटर) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला–बिजनौर यूपी –246746<br>5. श्री इसरार पुत्र श्री मौहम्मद यामीन (गारंटर) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला–बिजनौर यूपी –246746 | बंधक संपत्ति श्री अय्यूब पुत्र मौहम्मद यामीन के नाम, ग्राम और पोस्ट बागवाला तहसील धामपुर जिला बिजनौर यूपी, क्षेत्रफल 216.09 वर्गमीटर, सीमायें:–पूर्व: जलालुद्दीन का मकान, पश्चिम: निजामुद्दीन का मकान, उत्तर: खड़ंजा, दक्षिण: मान सिंह का प्लॉट | रु 161270.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.11.2015 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 1169000.00<br>रु 116900.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |
| (26) | 1. मैसर्स वेलकम गैस एजेंसी (फर्म) ग्राम और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला बिजनौर यूपी–246746<br>2. श्री नौशाद पुत्र श्री मौहम्मद यामीन (प्रोप.) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला–बिजनौर यूपी –246746<br>3. श्री अय्यूब पुत्र श्री यामीन (गारंटर) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला– बिजनौर यूपी – 246747<br>4. श्री जलालुद्दीन पुत्र श्री मौहम्मद यामीन (बंधककर्ता और गारंटर) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला–बिजनौर यूपी –246746<br>5. श्री इसरार पुत्र श्री मौहम्मद यामीन (गारंटर) गाँव और पोस्ट बागवाला, स्योहारा तहसील धामपुर जिला–बिजनौर यूपी –246746 | बंधक संपत्ति श्री जलालुद्दीन पुत्र श्री मौहम्मद यामीन के नाम, ग्राम और पोस्ट बागवाला, धर्मशाला के पास परगना स्योहारा तहसील धामपुर जिला बिजनौर यूपी, क्षेत्रफल 250.08 वर्गमीटर, सीमायें:–पूर्व: शहाबुद्दीन का मकान, पश्चिम: मौ. अय्यूब का मकान उत्तर: रास्ता, दक्षिण: मान सिंह का मकान | रु 1612701.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.11.2015 से<br>A/c No 2204296000001<br>IFSC Code: CNRB0002204 | रु 1246000.00<br>रु 124600.00 | सम्पर्क प्रबंधक केनरा बैंक, स्योहारा शाखा (फोन नं. 01344-252272 मो. 9456591032) |

बिक्री के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी केनरा बैंक की वैबसाईट (www.canara bank.com) पर उपलब्ध है अथवा उपर्युक्त शाखा के द्वारा शाखा प्रबंधक से किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय मे सम्पर्क करें।

दिनांक :– 18.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

## फार्म जी
### अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत)

| | संबंधित विवरण | |
|---|---|---|
| 1. | कॉर्पोरेट ऋणधार का नाम | शाहजहांपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि | 12/03/2014 |
| 3. | वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है | आरओसी–कानपुर |
| 4. | कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या | U15400UP2014PTC063316 |
| 5 | कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | किसान कोल्ड स्टोरेज एंड एलाइड इंडस्ट्रीज रौसर कोठी रोड गांव मिश्रीपुर शाहजहाँपुर यूपी 242001 इन |
| 6. | कॉर्पोरेट ऋणधारक के संबंध में दिवाला आरम्भ होने तिथि | 27thSeptember 2019 (Order received on 27/09/19) |
| 7. | अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि | 19/02/2020 |
| 8. | संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है: | विवरण ईमेल– cirp.shahjahanpuredibles@gmail.com पर ईमेल कर प्राप्त की जा सकती है |
| 9 | धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है | दिवाला एवं दिवालिया संहिता 2016 की धारा 29 ए तथा अन्य प्रावधानों के अनुसार आईबीबीआई की वेबसाइट http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php पर उपलब्ध |
| 10. | अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि | 04/03/2020 |
| 11 | संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि | 06/03/2020 |
| 12. | अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि | 11/03/2020 |
| 13. | संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि | 12/03/2020 |
| 14. | संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिए सूचना मेमोरेण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि | 11/03/2020 |
| 15. | प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरेण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका | ईमेल द्वारा आईबीसी 2016 की धारा 29 (2) के अनुसार गोपनीयता का वचन प्राप्त करने के बाद केडीटर्स की समिति द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंड करने वाले संक्षिप्त सूचीबद्धसंभावित प्रस्ताव आवेदक (कों) के साथ तथा जो दिवाला तथा दिवालिया संहिता 2016 की धारा 29 ए के अनुसार रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा सूचना मैट्रिक्स रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा मेमोरेण्डम, प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध तथा मूल्यांकन मैट्रिक्स शेयर की जायेगी |
| 16 | प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि | 17/03/2020 |
| 17 | प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका | श्री मनीष अग्रवाल (रिजोल्यूशन प्रोफेशनल) 205, दूसरी मंजिल, रोहित हाउस, टोलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01 फोन 011–41509352 cirp.shahjahanpuredibles@gmail.com के पते पर मुहरबंद ईमेल, लिफाफे में स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा अथवा हाथों–हाथ |
| 18. | स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने करने की अनुमानित तिथि | 25/03/2020 |
| 19. | प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या | श्री मनीष अग्रवाल IBBI/IPA-002/IP-N00223/2016-2017/10904 |
| 20. | बोर्ड में यथा पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल | श्री मनीष अग्रवाल 707, साकेत सोहराब स्पोर्ट्स के सामने मेरठ–250001, उ0 प्र0 फोन: –0121 4054461 ईमेल आईडी: manishfcs@gmail.com |
| 21 | प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिए प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल | श्री मनीष अग्रवाल 205, दूसरी मंजिल, रोहित हाउस टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01 फोन: 011–41509352 cirp.shahjahanpuredibles@gmail.com |
| 22. | विस्तृत विवरण उपलब्ध है | श्री मनीष अग्रवाल (रिजोल्यूशन प्रोफेशनल) ईमेल आईडी: cirp.shahjahanpuredibles@gmail.com |
| 23. | फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि | 19/02/2020 |

हस्ता. / –
मनीष अग्रवाल
रिजोल्यूशन प्रोफेशन
शाहजहांपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण संख्या IBBI / IPA&002 / IP&N00223 / 2016&2017 / 10904
ई–मेल आईडी – manishfcs@gmail.com

तिथि: 19 / 02 / 2020
स्थान: मेरठ

## JUNCTION FABRICS AND APPARELS LIMITED

(CIN NO: L18101TZ2011PLC017586)
Registered Office, No.15, Murthy's Plaza, Kanagounder Street, Khaderpet, Tirupur – 641601, Tamil Nadu, India
Email ID: companysecretary@junctionfabrics.in,
website: www.junctionfabrics.in, Tel No: 0421 4333896/0421 2231896

### NOTICE ADVERTISEMENT – COMPLETION OF DISPATCH OF POSTAL BALLOT NOTICE

The members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of postal ballot notice dated 18th February, 2020 ("Postal Ballot Notice") today pursuant to Section 108, Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 and 22 of Companies(Management and Administration)Rules 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement)Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") along with the draft resolution, explanatory statement and postal ballot form, self-addressed and postage pre-paid business reply envelope to members of the Company as on 14th February 2020, ("Cut-off date"). The said documents were sent by electronic mode to those members, whose e-mail address are registered with the Company/National Securities Depositories Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (collectively, "Depositories"), unless any Member has requested for a physical copy of the same. For members who have not registered their e-mail address, physical copies are being sent by registered post, for seeking approval of Members of the Company by postal ballot(which includes voting by electronic means) by way of Special resolution for with respect to the following businesses as mentioned in Postal Ballot notice.

**I. To approve migration of equity shares of the company from SME Platform of BSE limited to Main Board of BSE Limited**

The Board of Directors has appointed Mr. G. Vasudevan, Practising Company Secretary (FCS No: 6699, PCS No: 6522) as Scrutinizer for conducting the postal ballot process and e-voting process in fair and transparent manner.

The members of the company are requested to communicate their assent or dissent by returning duly filled in and signed postal ballot form to the Scrutinizer on or before 5:00p.m IST on 18th March, 2020.

The Members of the Company are also hereby informed and requested to note that:

a) The Business as set out in aforesaid notice is to be transacted by the Members through postal ballot/e-voting. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 214 as amended from time to time and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, the Company is providing facility for voting by electronic means through e-voting platform of Central Depository Services Limited. The necessary instructions for e-voting have been sent out in the Postal Ballot Notice

b) The Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice on 18th February,2020 through registered post and E-mail

c) The voting including e-voting has commenced on 18th February, 2020 at 9:00 a.m, IST and will end on 18th March, 2020 at 5:00 p.m. IST. During the voting period members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the Cut-off date i.e, 14th February, 2020 may cast their vote either in physical postal ballot or e-voting. Incase members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot forms will be treated as invalid.

d) Voting through physical ballot or e-voting will not be allowed beyond 5:00p.m IST on 18th March, 2020. Any postal ballot form received from members thereafter will not be valid and treated as if reply from members has not been received and e-voting module shall be disabled by BigShare Services Private Limited for voting thereafter

e) Members who have received Postal Ballot Notice by e-mail and who wish to vote through physical ballot form can download postal ballot form from www.junctionfabrics.in or seek duplicate postal ballot form from BigShare Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent(RTA), 1st Floor, Bharat tin works building, Opp. Vasant oasis, Makwana road, Near Keys hotel, Marol, Andheri – East, Mumbai – 400059, Maharashtra

f) Postal ballot notice and duplicate postal ballot forms are available on the website of the company www.junctionfabrics.in

g) Any member who has not received the postal ballot form may apply to the Company of RTA and obtain a duplicate copy thereof

h) The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on closing hours of 14th February, 2020 (Cut-off date). Members whose names are recorded in the Register of Members of the company or in the register of Beneficial Owners maintained by the Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by postal ballot or e-voting. Any person who is not a member as on Cut-off date should treat this notice for information purpose only.

i) In case of any queries/grievances connected with voting by physical ballot, the Members may contact Mrs. Lakshmi Priya, Company Secretary of the Company by writing at No.15, Murthy's Plaza, Karia gounder street, Khaderpet, Tirupur – 641 601 or through telephone at 0421-4333896. Further in case of any queries/grievances on e-voting, members may refer to the Frequently asked questions(FAQ) and E-Voting user manual available in CDSL Website

j) The result of the Postal Ballot and e-voting will be announced on or before Friday 20th March, 2020 by 5:00 p.m. at the registered office of the company situated at No.15, Murthy's Plaza, Kariagounder Street, Khaderpet, Tirupur -641 601. The resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on 18th March, 2020 i.e. last date specified for receipt of the duly completed postal ballot form or e- voting. Subsequently, the result will be communicated to BSE Limited where the equity shares of the Company are listed. The result of the postal ballot will also be displayed at Company's website www.junctionfabrics.in.

**By order of Board of Directors**
**For Junction Fabrics and Apparels Limited**
**-Sd-**
**Prem Aggarwal,**
**Managing Director**
**DIN No: 02050297**

**Date: 18/02/2020**
**Place: Tirupur**

www.readwhere.com

## पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

बीओ– आसफ अली रोड, नई दिल्ली, ई–मेलः Bo0127@pnb.co.in

### कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिये, देखे नियम 8 (1)

जैसा कि, वित्तीय परिसपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, शाखा आसफ अली रोड, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.11.2029 जारी कर ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों श्री संजय शर्मा (ऋणधारक), अनन्या शर्मा(मार्टगैजर के सांविधिक उत्तराधिकारी), भव्यम शर्मा (मार्टगैजर के सांविधिक उत्तराधिकारी), सन्नू लूथरा (गारन्टर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.11.2019 को रु. 14,03,353.00 (रुपये चौदह लाख तीन हजार तीन सौ तिरेपन मात्र) के साथ 1.11.2019 से आगे के ब्याज तथा सम्पूर्ण भुगतान तक सांविधिक प्रभार एवं अन्य खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.11.2019 को रु. 14,03,353.00 (रुपये चौदह लाख तीन हजार तीन सौ तिरेपन मात्र) के साथ 1.11.2019 से आगे के ब्याज तथा सम्पूर्ण भुगतान तक सांविधिक प्रभार एवं अन्य खर्चे के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति अकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्तियों का विवरण**

स्व. मुक्ता शर्मा, पत्नी श्री संजय शर्मा, के नाम में प्लॉट नं. सी–90, ब्लॉक– सी, छत के अधिकार के साथ तीसरा तल, क्षेत्रफल माप 56 वर्ग यार्ड्स, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, आवासीय योजना, इलाका शाहदरा, नई दिल्ली– 110032 में स्थित सम्पत्ति का ई.एम।

तिथिः 15.2.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — पंजाब नेशनल बैंक, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

---

## इंडियन ओवरसीज बैंक

पानीपत शाखा (1297) एससीएफ 38, सेक्टर 11–12, हुडा जिला पानीपत
फोनः 0180–2660852, ई–मेलः iob1297@iob.in

### कब्जा सूचना (सांकेतिक) ( परिशिष्ट IV-(नियम 8(1)]

**जैसा कि,** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 09.08.2019 जारी कर ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर मै. पीयूश ट्रेडिंग क. (प्रा. श्री दीप चंद गावा, पुत्र भगवान दास गावा) प्लॉट नं. 48 सी, हुडा सेक्टर–25 पार्ट–II, पानीपत,हरियाणा–132103 (यहाँ के बाद ''ऋणधारक'' के रूप में वर्णित) श्री लोकेश गावा, पुत्र श्री दीप चंद गावा (गारन्टर), श्रीमती राम देवी पत्नी श्री दीप चंद गावा (गारन्टर), श्रीमती रेणु गावा, पत्नी श्री लोकेश गावा (गारन्टर) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वर्णित राशि 31.07.2019 **को रु. 39,16,851.55 (रुपये उन्तालिस लाख सोलह हजार आठ सौ इक्यावन पैसे पचपन मात्र)** तथा अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के व्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1.ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 13 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, घटाकर मांग सूचना में वर्णित उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज, लागत के साथ 31.07.2019 को **रु. 39,16,851.55(रुपए उन्तालिस लाख सोलह हजार आठ सौ इक्यावन तथा पैसे पचपन मात्र)** के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे ब्याज, चार्जेज आदि के साथ 31.01.2020 को रु. 41,38,363.55/– (रुपये इकतालिस लाख अड़तीस हजार दो सौ तिड़ेसठ एवं पैसे पचपन मात्र) है।

2. ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

श्री दीप चंद गावा, पुत्र भगवान दास गावा के स्वामित्व में सम्पत्ति सं. 915, वार्ड नं. 7, पचरंगा बाजार के निकट, एम सी लिमिट पानीपत के भीतर, माप 118.70 वर्ग यार्ड्स पर स्थित व्यावसायिक सह आवासीय भवन।

तिथिः 13.02.2020, स्थानः पानीपत — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

---

## पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : सेक्टर–15, फरीदाबाद (डी–111100), हरियाणा दूरभाष : 0129–4287500–515, फैक्स : 0129–4287502

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1) देखें]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय : सेक्टर–15, फरीदाबाद (डी–111100) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते सूचना में प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान कथित सूचना(ओं) की प्राप्ति की सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के पास प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथि को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार(रों)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशियों तथा इससे सम्बद्ध के लिए पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय : सेक्टर–15, फरीदाबाद (डी–111100) के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम | अचल सम्पत्ति का विवरण | माँग सूचना की तिथि तक बकाया राशि | माँग सूचना की तिथि 22.11.2019 सांकेतिक कब्जा सूचना की तिथि 13.02.2020 |
|---|---|---|---|
| **कर्जदार :** मैसर्स अनमोल स्टील्स प्रोप. श्री सतपाल राघव निवासी प्लॉट सं. 6 एवं 7, मेन मुजेसर रोड, सेक्टर–24, फरीदाबाद। जमानती : श्री अजय सिंह राघव पुत्र श्री सवन्त सिंह राघव निवासी म.नं. 96, सेक्टर–55, बल्लभगढ़, फरीदाबाद | विक्रय विलेख सं. 2740 दिनांक 20.08.1992 के माध्यम से खसरा नं. 49/27(0– 12), 50/19/2/2(0–1), 50/20/1(0–15) मौजा मुजेसर, सेक्टर–24, बल्लभगढ़ में निर्मित श्री अजय सिंह राघव के नाम से, खसरा नं. 49/27(0–12), 50/19/2/2(0–1), 50/20/1 (0–15) तथा दुकान नं. 5, 6 एवं 7 में प्लॉट सं. 4 एवं प्लॉट सं. 3 के पूर्वी ½ भाग, मेन रोड मुजेसर सेक्टर 24 फरीदाबाद का भाग निर्मित करने वाले 60 वर्ग गज पर आईपी का इक्विटेबल बन्धक। | 07.11.2019 तक रु. 1,54,34,644.09 (रुपये एक करोड़ चौवन लाख चौंतीस हजार छः सौ चौवालीस एवं नौ पैसे मात्र) एवं इस पर 01.11.2019 से भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार | |

दिनांक : 19.02.2020 स्थान : फरीदाबाद — अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

---

## फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन : 1167190MH2007PTC168303

पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, दानी कार्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (पू.), मुम्बई–400098

**कब्जा सूचना**

जबकि, मैसर्स फीनिक्स आर्क प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19–5 योजना योजना I के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार, सह–कर्जदारों को एक माँग सूचना जारी कर सम्बद्ध कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों से माँग सूचना प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना में वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा था। कथित कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों के बकाया राशि के भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा विशेषकर कर्जदारों, सह–कर्जदारों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अधिकारों का उपयोग करते हुए संलग्न तिथियों पर यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अपने पास ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों एवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेन–देन मैसर्स फीनिक्स आर्क प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19–5 योजना योजना के के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) की सम्बद्ध तिथियों से इसमें निर्दिष्ट राशि तथा उस पर भावी ब्याज, लागतों एवं प्रभारों के अधीन होगा।

कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों, गिरवीकृत सम्पत्ति, ट्रस्ट का नाम, बकाया राशि, धारा 13(2) के अधीन भेजी गयी माँग सूचना तथा उसके तहत दावाकृत राशि के विवरण नीचे दिये गये हैं :

| कर्जदारों, सह–कर्जदारों का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि | प्रतिभूतियों का विवरण | 1. कब्जा करने की तिथि 2. माँग सूचना की तिथि 3. बकाया राशि रु. में |
|---|---|---|
| **श्री नीरज चौधरी पुत्र श्री राकेश मोहन चौधरी एवं श्रीमती मोनिका चौधरी पत्नी श्री नीरज चौधरी दोनों निवासी** : म.नं. 781, सेक्टर–17ए, गुरुग्राम, हरियाणा–12201, **ऋण खाता संख्या** 4010HL08773041 **ऋण की स्वीकृत राशि** : रु. 1,70,50,000/– (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख पचास हजार मात्र) | निम्नलिखित का सम्पूर्ण भाग : सम्पत्ति सं. 1 : इकाई सं. सी–58, भूतल, माप सुपर एरिया 2512 वर्ग फीट (233.370 वर्ग मीटर), मोनेट अवन्त फ्लोर्स, सेक्टर–70ए, एस्टायर गार्डन्स, गुरुग्राम, हरियाणा–122004 पर प्लॉट माप 209.370 वर्ग मी (250 वर्ग गज) पर निर्मित सम्पत्ति सं. 2 : इकाई सं. सी–58, प्रथम तल, माप सुपर एरिया 1390 वर्ग फीट (129.134 वर्ग मीटर), मोनेट अवन्त फ्लोर्स, सेक्टर–70ए, एस्टायर गार्डन्स, गुरुग्राम, हरियामा–122004 पर प्लॉट माप 209.030 वर्ग मी (250 वर्ग गज) पर निर्मित गिरवी रखने वाले का नाम : श्री नीरज कुमार चौधरी पुत्र श्री राकेश मोहन चौधरी एवं श्रीमती मोनिया चौधरी पत्नी श्री नीरज चौधरी | 1) 13.02.2020 2) 12.06.2019 3) 06.02.2020 तक रु. 1,49,12,652/– (रुपये एक करोड़ उनचास लाख बारह हजार छः सौ बावन मात्र) जो पूर्ण भुगतान तक लागतों एवं प्रभारों सहित 07.02.2020 से प्रयोज्य भावी ब्याज के साथ बकाया एवं देय है। |

स्थान : गुरुग्राम — अधिकृत प्राधिकारी
दिनांक : 13.02.2020 — कृते फीनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19–5 योजना योजना के के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

किसी अन्य पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री कुलदीप गुप्ता (+91 8588870051 लैण्डलाइन नं. 0120–6173748 एवं अंकिता शर्मा (+91 9999868258)

---

## कार्यालय नगर पंचायत खुटार, जनपद – शाहजहाँपुर।

पत्रांक– 338/ न.पं.खु./ 2019–20 — दिनांक– फरवरी 2020

### अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर पंचायत खुटार में 14वाँ वित्त आयोग, से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 18.02.2020 से दिनांक 28.02.2020 को अपरान्ह 4.00 बजे तक ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी समस्त कार्यवाही वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर की जायेगी। आमंत्रित निविदायें/ ऑफर/ दिनांक 29.02.2020 को अपरान्ह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। टेण्डर/ ऑफर को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

| क्र. सं. | कार्य/ आपूर्ति का नाम | आगणन धनराशि | जमानत की धनराशि | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **14वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गतः** | | | | |
| 1 | आपूर्ति 3000 ली. एस.एस. टैंकर 02 नग। | 699000.00 | 13980.00 | एक माह | 700.00 |

**शर्तेः–**

1. निविदा मूल्य की धनराशि नगद जमा रशीद/ बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई–निविदा के साथ संलग्न किया जाना एवं निविदा खोले जाने के पूर्व मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. निविदादाताओं को रु 100.00 मूल्य का स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र/ शपथ पत्र पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा। जिसका आलेख कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति लगाना अनिवार्य है।
4. कार्य/ आपूर्ति के आगणन में प्रस्तुत मदों में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन (उ0प्र0 लो0नि0वि0 की दरों के आधार पर) किया जा सकता है।
9. शासनादेश के निर्देशानुसार जी0एस0टी0 का भुगतान देय होगा।

हस्ता./– (विजेता गुप्ता) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खुटार, शाहजहाँपुर — हस्ता./– (अनुपम शुक्ला) अध्यक्ष नगर पंचायत खुटार, शाहजहाँपुर

---

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

**आस्ति वसूली शाखा**

28/28, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, ईमेलः arbdelhi@unionbankofindia.com

### ई–नीलामी बिक्री सूचना शुद्धिपत्र

**दिनांक 16-02-2020 को इस समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में छपे विज्ञापन ई–नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में कर्जदारों, गारंटर्स और आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता** मैसर्स तक्षशिला रिटेल प्रा. लि. **(क्र.सं. 6) कर्जदार की सम्पत्ति** की ई–नीलामी **दिनांक 24-03-2020 को होनी है, जिसका विवरण** प्लॉट नं. एच–64 (भूतल और प्रथम तल), साउथ एक्सटेंशन – I, नई दिल्ली–110049 प्रत्येक तल का क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट पढ़ा जाए। असुविधा के लिए खेद है।

प्राधिकृत अधिकारी, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

---

प्रपत्र सं. 151
[ देखें नियम 315 ]
कम्पनी अधिनियम, 195
सदस्यों (अथवा) का स्वैच्छिक समापन

**धारा 516 के अनुपालन में परिसमापक की नियुक्ति की सूचना**

1. कम्पनी का नामः लैटिन इंडिया इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2. व्यवसाय की प्रकृतिः इंजीनियरिंग सामानों, मशीन टूल्स, हैंड्स टूल्स, स्मॉल टूल्स, मेटल्स, धातुओं, आयरन पाइप पिटिंग, नट एवं बोल्टस, साईकल्स तथा उपस्करों, ऑटोमोबिल पार्ट्स आदि के क्रेता, विक्रेता, आयातक, निर्यातक, वितरक एजेन्ट, ब्रॉकर्स, फैक्टर्स, स्टॉकिस्ट, कमीशन एजेन्ट्स तथा डीलरों का व्यवसाय करना। एक्सपोर्ट के रूप में कार्य करना तथा उससे जुड़ा व्यवसाय करना।
3. पंजीकृत कार्यालय का पताः 8/33, 3रा तल, सत श्रवण स्कूल मार्ग, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
4. परिसमापक का नाम तथा पताः एच. के.बत्रा, पुत्र श्री पूरण चन्द बत्रा, मै एच.के.बत्रा एंड एसोसिएट्स के पार्टनर, कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स जिसका कार्यालय एफएफ–46, पर्ल्स ऑमेक्स टावर 1, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम–110034 में है।
5. नियुक्ति की तिथिः 23 अगस्त, 2014
6. जिसका द्वारा नियुक्ति की गईः 23 अगस्त, 2014 को आयोजित उसकी असाधारण आम सभा में कम्पनी के सदस्यों।

कम्पनी के परिसमापकों द्वारा
हस्ता/– एच. के. बत्रा
पार्टनरः मै.एच. के बत्रा एंड एसोसिएट्स
एफएफ–46, पर्ल्स ऑमेक्स टावर 1, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली–110034

स्थानः दिल्ली
तिथिः 18.02.2020

---

## pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, क.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 01 1 –23357171 , 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता : यूजी1, एसडी बीटा टॉवर, प्लॉट सं. 10, सेक्टर–3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)–201011, दूरभाष : 120–2699117, ई–मेल : Ghaziabad@pnbhousing.com

### शुद्धिपत्र

यह कर्जदार श्री सुशील कुमार गुप्ता एवं सुश्री सुनीता गुप्ता, प्लॉट सं. बी–136, द्वितीय तल, सूर्य नगर, गाजियाबाद–201 010, उ.प्र. साथ ही : मैसर्स आरएमजी ट्यूब्स प्रा.लि. (सुशील कुमार गुप्ता के माध्यम से)–164/11, प्रकाश इण्डस्ट्रियल एस्टेट, साहिबाबाद (उ.प्र.) के परिप्रेक्ष्य में 20 मई, 2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस–दिल्ली अंग्रेजी में तथा जनसत्ता–दिल्ली हिन्दी में प्रकाशित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत सूचना के विज्ञापन के सन्दर्भ में है।

उपर्युक्त मामले में बंधक सम्पत्ति का पता ''प्लॉट सं. बी–136, सेक्टर–7, टीएचए सूर्य नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201010'' के स्थान पर ''प्लॉट सं. बी–136, सेक्टर–7, द्वितीय तल, टीएचए सूर्य नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)'' पढ़ा जाए। प्रतिकूल त्रुटि के लिए गहरा खेद है।

अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

## बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे–05

### बैंक के सभी ग्राहकों के लिए सूचना

केवाईसी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के अंतर्गत जारी अनुदेशों के अनुसार, जिन ग्राहकों ने **दिनांक 31 मार्च, 2018** को या उससे पहले खाता खोला है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी शाखा में फोटो पहचान साक्ष्य और पते का साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने केवाईसी दस्तावेजों को अद्यतित करें।

कृपया अपना फोटो पहचान साक्ष्य और पते का साक्ष्य (जैसे आधार कार्ड / पासपोर्ट / पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड/ नाम और पते का विवरण युक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र) **दिनांक 18 मार्च 2020** को या उससे पहले प्रस्तुत करें।

**एनआरआई ग्राहकों के लिए** – एफएटीसीए / सीआरएस प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जाए यदि उनके खाता खोलने के समय घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई हो। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर केवाईसी औपचारिकताएं पूरी होने तक खाते को नामे किया जाना बंद कर दिया जाएगा। हम इस मामले में ग्राहक के सहयोग का अनुरोध करते हैं।

**महाप्रबंधक, निरीक्षण व लेखा परीक्षा, प्रधान कार्यालय, पुणे**

---

**FORM NO.URC 2**
**Advertisement givi ng notice about registration under Part Iof Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the companies Act,2013 and rule 4(1) of the companies (Author ised to Register) Rules, 2014)**

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana that M/S Vast Fresh Delights, a partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013,as M/s Vast Fresh Delights Private Limited, [under incorporation] a company limited by shares. The principal objects of the company are to run and manage Healthy food products and services, management and business consultancy and to run the business of Healthy food Processing and services, health services directly or through any distribution channel. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at Plot no 5435, Shop no 02,1st Floor,Pragati Vihar,DLF Phase IV, Chakarpur, Gurgaon Haryana - 122001. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5,IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one days from the dateof publicationof this notice, with a copy to the Company at its registered office at Plot no 5435, Shop no 02,1st Floor, Pragati Vihar, DLF Phase IV, Chakarpur, Gurgaon Haryana 122001

For Vast Fresh Delights
Date: 23rd January, 2020 — Neelu Batra & Sapna
Place: Gurgaon — (Partners)

---

### प्रपत्र सं. आईएनसी–26

**[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]**
**केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

तथा

गैजेटवूड ई सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 33–33 ए, रामा रोड, ग्रैण्ड ड्रीम्स के निकट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 में है, के मामले में – आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 11.2.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

33–33 ए, रामा रोड, ग्रैण्ड ड्रीम्स के निकट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली– 110015

**निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से गैजेटवूड ई सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के लिये**

हस्ता./–
स्थानः दिल्ली — (अंकित सराफ)
तिथिः 19.2.2020 — निदेशक
**DIN: 06491448**

---

### प्रपत्र सं. आईएनसी–26

**[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]**
**केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

तथा

आरई 3 टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एच.नं. 33/33 ए, भू तल, शिवाजी मार्ग, ब्लॉक–10, रामा रोड, नजफगढ़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली– 110015 में है, के मामले में – आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 11.2.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

आरई 3 टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एच.नं. 33/33 ए, भू तल, शिवाजी मार्ग, ब्लॉक–10, रामा रोड, नजफगढ़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली– 110015

**निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से आरई 3 टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के लिये**

हस्ता./–
स्थानः दिल्ली — (अनमोल गुप्ता)
तिथिः 19.2.2020 — निदेशक
**DIN: 06491507**

---

## P+LYMED

We Care As We Cure

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 232–बी, तीसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020

CIN: L40300DL1995PLC066923
Tel: 011-33550700, Fax: 011-26321894
Email: investorcare@polymedicure.com
Website: www.polymedicure.com

**अंतरिम लाभांश के लिये अभिलिखित तिथि की सूचना**

उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में मंगलवार, 18 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिये रु. 2.00/– (रुपये दो मात्र) प्रति इक्विटी शेयर अर्थात् कम्पनी की रु. 5/– प्रति पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर 40% (चालिस प्रतिशत) की दर से अंतरिम लाभांश की घोषणा की है तथा उक्त सभा में घोषित अंतरिम लाभांश प्राप्त करने के लिये शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिये शनिवार, 29 फरवरी, 2020 को अभिलिखित तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के लिये

हस्ता/–
स्थानः नई दिल्ली — अविनाश चन्द्रा
तिथिः 18.02.2020 — कम्पनी सचिव

---

## बैंक ऑफ इंडिया BOI

**पीतमपुरा शाखा, प्लॉट नं. 52, रोड नं. 44, हर्ष विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034**

### परिशिष्ट- IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ इंडिया,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार **श्री अमित सिंह** को मांग सूचना दिनांकित 29.11.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **15,14,495.19** (रुपये पंद्रह लाख चौदह हजार चार सौ पिचान्वे और पैसे उन्नीस मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **12.02.2020** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते रु. **15,14,495.19** (रुपये पंद्रह लाख चौदह हजार चार सौ पिचान्वे और पैसे उन्नीस मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

**सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि डीडीए ईएचएस फ्लैट नं. 101, प्रथम तल, टाईप ए, पॉकेट 9, सैक्टर–25, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – प्रवेश तल से 5 फीट चौड़ी सीढ़ी जो अन्य की संपत्ति है, दक्षिण में – 15फीट चौडी रोड़ पार्क, पूरब में – सम्पत्ति नं. 100 का खुला स्पेस, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 102**

दिनांक : 12.02.2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

---

## सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

मकान नं, पियाला चौक, डाकखाना असाओती, बल्लभगढ़ तहसील, फरीदाबाद जिला, पियाला, हरियाणा–121102
ई–मेल : br.9260@syndicatebank.co.in

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [अधिनियम के तहत परिशिष्ट–IV, नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडिकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों) से निम्नलिखित तिथियों पर सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 17 फरवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से कर्जदार(रों) और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडिकेट बैंक, पियाला चौक, डाकखाना असाओती, बल्लभगढ़ तहसील, फरीदाबाद जिला, पियाला, हरियाणा–121102 के अभियोग का विषय होगा। प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता | अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण | माँग सूचना के अनुसार राशि | माँग सूचना की तिथि |
|---|---|---|---|
| **कर्जदार :** **श्रीमती अजीत सिंह** **आश्वस्ति :** गोपाल सिंह | अजीत सिंह के स्वामित्व में ग्राम पियाला, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में खेवट सं. 405 मिन/381, खतौनी सं. 502/491, रेक्ट सं. 31, किला सं. 21(8–0) में निर्मित गैर कृषि भूमि माप 05 मरला के एसआरएम का सम्पूर्ण भाग। | 31.01.2020 तक रु. 01,11,795.00 (रुपये एक लाख ग्यारह हजार सात सौ पिचानबे मात्र) तथा उस पर भावी लागत, ब्याज एवं व्यय। | 05.08.2019 **कब्जा की तिथि** 17.02.2020 |

तिथि : 19.02.2020 स्थान : फरीदाबाद — अधिकृत प्राधिकारी, सिण्डीकेट बैंक

---

## UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

### समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुन: निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (2) के अधीन मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणियों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के ब्याज एवं मूल राशि की अदायगी करने में चूक की है तथा कथित सुविधाएं **गैर निष्पादन आस्तियों** में परिवर्तित हो गई हैं। प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुन: निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (2) के अधीन सूचना पंजीकृत डाक द्वारा उनके ज्ञात पतों पर ऋणियों/गारंटरों को जारी की गई थी। तथापि सूचना अवितरित वापस प्राप्त हुई हैं तथा प्राधिकृत अधिकारी को इस कारण पर विश्वास हो गया है कि ऋणी/गारंटर सूचना की सेवा से बच रहे हैं। इसलिए उन्हें इस हेतु सार्वजनिक सूचना द्वारा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

| ऋणी/गारंटर का नाम | प्रतिभूति परिसंपत्तियों का विवरण | मांग सूचना की तिथि | एनपीए की तिथि | मांग सूचना के अनुसार राशि |
|---|---|---|---|---|
| **शाखाः कंकरखेड़ा** **1. रूमा पत्नी प्रताप सिंह** मकान नं. 433, केए, गांव मिर्जापुर एग्न.-02, पीएस-बहसूमा सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247451, मोबाइल: 8755211715, **पर भी :** 101/1ए खटीक पुरा, अनूपनगर फजलपुर, मेरठ सिटी-247451, मोबाइल: 8755211715. 2. प्रताप पुत्र रामपाल, मकान नं. 433केए, गांव मिर्जापुर एग्न.-02, पीएस-बहसूमा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247451, मोबाइल: 9760835464 **गृह सुधार ऋण (खाता सं. 226079500000003)** | भवन, स्ट्रक्चर्स तथा उस पर सभी सुधारों के साथ खटीक पुरा, अनूपनगर फजलपुर, मेरठ सिटी पर स्थित 75 वर्ग गज अथवा 62.71 वर्ग मीटर के विस्तार वाले रिहायशी मकान नं.101/1ए के सभी पीस एवं पार्सल। चौहद्दी : पूर्व: 45'/मकान राजीव भार्गव, पश्चिम: 45'/मकान सोनू, उत्तर: 15 फीट/मकान दीपक, दक्षिण: 15 फीट/8 फीट चौड़ी सड़क। उक्त संपत्ति श्रीमती रूमा पत्नी प्रताप सिंह अर्थात आपमें से नं.1 से संबंधित है। मोर्टगेज दिनांक 22.06.2016 के सृजन हेतु शीर्षक विलेखों का ज्ञापन। | 27.12.2019 | 10.09.2019 | 25.12.2019 को **रु. 2,55,634/-**, 26.12.2019 से अनुबंधात्मक दर पर ब्याज एवं अन्य प्रभार |

उक्त ऋणियों/गारंटरों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि की अदायगी हेतु परामर्श दिया जाता है, जिसमें असफल होने पर प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुन: निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के पश्चात आगामी कदम उठाए जाएंगे। **इसके अतिरिक्त ऋणियों/गारंटरों को एतद्द्वारा हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी रूप में उक्त वर्णित उक्त किसी सिक्योर्ड परिसंपत्ति के साथ लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है।** यह विषय अधिनियम तथा प्रचलित काल में किसी अन्य विधि के अधीन हमारे से उपलब्ध किसी अन्य अधिकार से पूर्वाग्रह के बिना है।

दिनांक: 18.02.2020 — प्राधिकृत अधिकारी

---

## UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

### कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8 (1)]

चूंकि, उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ी गई धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में वर्णित राशि की अदायगी हेतु ऋणी/मोर्टगेजर को आमंत्रित करते हुए निम्न निर्दिष्ट तिथि पर ऋणी/मोर्टगेजर को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी/मोर्टगेजर, सह-ऋणी/मोर्टगेजर तथा सह-ऋणी राशि की अदायगी करने में असफल रहे हैं इसलिए ऋणी/मोर्टगेजर, सह-ऋणी/मोर्टगेजर तथा सह-ऋणी तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ी गई कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों पर यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/मोर्टगेजर, सह-ऋणी/मोर्टगेजर तथा सह-ऋणियों का ध्यान सिक्योर्ड परिसंपत्तियों की एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों से आमंत्रित किया जाता है।

ऋणी/मोर्टगेजर, सह-ऋणी/मोर्टगेजर तथा सह-ऋणी को विशेष तौर पर तथा आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने के बारे में सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई लेन-देन प्रत्येक खाते के अंतर्गत यहां निम्न वर्णित राशि के अलावा ब्याज व अन्य प्रभार/खर्च के लिए **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

| ऋणी/मोर्टगेजर का नाम | अचल संपत्ति का विवरण | मांग सूचना की तिथि | कब्जा सूचना की तिथि | मांग सूचना के अनुसार राशि |
|---|---|---|---|---|
| घनश्याम सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी वार्ड सं.3, गली नं.1, कृष्णा नगर, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र. -201204, **पर भी**: मकान नं.1/7, गली नं.1, फफराना बस्ती, कृष्णा नगर-2, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201204, **पर भी**- घनश्याम सिंह, स्टोर इंचार्ज, मोदीनगर रोल्स प्राईवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 30, मोदीनगर-201204 एवं **सह-ऋणी/मोर्टगेजर : प्रमोद देवी पत्नी घनश्याम सिंह** निवासी वार्ड नं. 3, गली नं.1, कृष्णा नगर, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201204, पर भी- मकान नं. 1/7, गली नं.1, फफराना बस्ती, कृष्णा नगर-2, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201204, **ऋण खाता सं. 224979700000015 में।** | खसरा सं. 58 एमई, मोहल्ला कृष्णा नगर, गांव सिकरी खुर्द, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. माप 74.5 वर्ग गज पर रिहायशी मकान के सभी पीस एवं पार्सल। चौहद्दी : **पूर्व**: 14 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम**: अन्य स्वामी का प्लाट, **उत्तर**: अजय कुमार की संपत्ति, **दक्षिण**: अन्य की संपत्ति। | 11.11.2019 | 17.02.2020 | रु. 3,36,486/- 16.02.2020 को वर्तमान बकाया रु. 3,29,872/- एवं उस पर ब्याज |

दिनांक : 18.02.2020 — स्थान: मोदीनगर — प्राधिकृत अधिकारी

---

## pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोनः 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

**शाखा का पताः** डी–2, सेक्टर–3, नोएडा,उ.प्र. 201301, फोन नं. 0120–6511224–26, ई–मेलः noida@pnbhousing.com, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

**शाखा का पताः** एस–8,उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110016, टेली.: 011–26512911, ई-मेलः greenpark@pnbhousing.com वेबसाईटः www.pnbhousing.com

**शाखा का पताः** ए–10, 1ला तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, भिवाड़ी, राजस्थान, टेलीफोन नं.–1493–298157, ई-मेलः bhiwadi@pnbhousing.com वेबसाईटः www.pnbhousing.com

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

**ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।**

| क्रम सं. | ऋण खाता सं. | ऋणधारक/सह–ऋणधारक/ गारन्टर का नाम | मांग सूचना तिथि | बकाया राशि | कब्जा लेने की तिथि | गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बीएचआई/0317/360779 बी.ओ.: भिवाड़ी | श्री विवेक कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय | 14.11.2019 | 14.11.2019 को रु. 08,88,998.06 | 15.02.2020 (सांकेतिक) | एफ–71, प्रथम, एफ–71, शुभाश्रय, खसरा नं. 1602, 162/2171, 1607, 1608, 1631, 2356/1596, 2355/1595, 1599 ग्राम ईशरोदा तिजारा, जिला–अलवर, राजस्थान–344708 |
| 2. | एचओयू/एनओआईबी/0818/571631 बी.ओ.: नोएडा 63 | श्री सचिन धत्तेरवाल तथा श्रीमती मायाकोर | 14.11.2019 | 14.11.2019 को रु. 25,77,569.30 | 15.02.2020 (सांकेतिक) | फ्लैट नं. 1001, 10 वां तल, टावर–बी 7, एवलॉन रंगोली, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी, एनएच–8, सेक्टर–65, भिवाड़ी , राजस्थान। |
| 3. | एचओयू/जीआरपी/0818/565327 बी.ओ.: ग्रीन पार्क | श्री गौरव कुमार एवं श्रीमती खुशबू | 11.10.2019 | 11.10.2019 को रु. 4407068.30 | 15.02.2020 (सांकेतिक) | 802.0, 8.0, टावर ए 2, एवलॉन गार्डन, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी राजस्थान |

स्थानः भिवाड़ी, नोएडा, ग्रीनपार्क, तिथिः 18.02.2020 — प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

www.readwhere.com

# कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई-नीलामी द्वारा)

### वित्तीय सम्पत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निमाण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा गया

इस प्रकार आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित बंधक को बंधक/चार्ज किया गया है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है कार्पोरेशन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के अधिकारी, नीचे बताए गए दिनांक पर "जैसा है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा, जैसा कि कार्पोरेशन बैंक से यहां उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं)। रिजर्व प्राइस (न्यूनतम मूल्य) और कम से कम जमा किये जाने वाले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का भी यहां उल्लेख किया गया है।

| क. सं0 1<br>आगरा आवास विकास शाखा (1728)<br>A/c No 510101003284304<br>IFSC -CORP0001728 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी - 1 (ए) मैसर्स सुरेश बाबू शू फैक्ट्री प्रो. सुरेश बाबू, पता: 45/2 ई/31, राम नगर, जगदीशपुरा, आगरा -282002. गारन्टर 2 (बी) राम रति देवी पत्नी सुरेश बाबू, पता: 45/2 ई/31, नगला अजीता, राम नगर, जगदीशपुरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा -282002 | बकाया धनराशि<br>रुपये-9,87,585/- (रुपये नौ लाख सत्तासी हजार पांच सौ पिचासी केवल) प्लस अन्य खर्च और आगामी ब्याज। |
|---|---|---|

सम्पत्ति का विवरण :- आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल 45/2 ई/31 नगला अजीता राम नगर, जगदीशपुरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा श्रीमती राम रति देवी के नाम पर। संपत्ति का क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर। संपत्ति का सीमायें:- उत्तर: धन्नी की संपत्ति, दक्षिण: दाता राम की संपत्ति, पूर्व: 3.05 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम: 2.43 मीटर चौड़ी सड़क।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 16,20,000.00 (रुपये सौलह लाख बीस हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,62,000.00** (रुपये एक लाख बासठ हजार केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/suresh_babu_shoe_factory_1.pdf

| क. सं0 2<br>रामनगर शाखा (1457)<br>A/c No 520101258174064<br>IFSC Code-CORP0001457 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी: 1 (ए) इण्डियन ब्रिक्स सप्लायर्स प्रो. शाकिर हुसैन पुत्र करीमुल्ला, पता: ग्राम टांडा मल्लू, पोस्ट चिलकिया, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715<br>गारंटर्स: 2 (ए) गणेश प्रसाद सिंह पुत्र मोनू महादेव सिंह, पता: पार्वती कुंज, पीरूमदारा, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715 | बकाया धनराशि<br>रुपये- 5,36,681.78/- रुपये पांच लाख छत्तीस हजार छः सौ इक्यासी और अठत्तर पैसे केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर) |
|---|---|---|

सम्पत्ति का विवरण :- संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित गाँव टांडा मल्लू, तहसील रामनगर, नैनीताल में श्री शाकिर हुसैन पुत्र करीमुल्ला के नाम पर संपत्ति का क्षेत्रफल 116.03 वर्ग मीटर खसरा नंबर (प्लॉट नंबर) 94/1 मिन संपत्ति की सीमायें:- पूर्व- 10 फुट चौड़ी कच्चा रास्ता, पश्चिम- गोल, उत्तर- इरफान की भूमि, दक्षिण- विक्रेता की भूमि, बिक्री विलेख पंजीकृत एस. आर. रामनगर बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 366, पेज नंबर 383-388, क्रम संख्या 3533 दिनांक 14.09.2012
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्वमूल्य:11,70,000.00/-**(रुपये ग्यारह लाख सत्तर हजार केवल)**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,17,000.00/-(केवल एक लाख सत्रह हजार रुपए) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/indian_bricks_suppliers_0.pdf

| क्र.स. 3<br>मेरठ शाखा<br>A/c No.: 520101244217137<br>IFSC : CORP0000505 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम ऋणी :<br>मै अंशु टैक्सटाईल्स प्रो0 श्री रोहताश कुमार, पता शॉप नं0-186/2 सुभाष बाजार, निकट कोतवाली मेरठ-250001<br>गारंटर : श्री साहू सिंह पुत्र श्री नानक चन्द पता. 240/12 जयदेवी नगर गढ़ रोड मेरठ-250001 | बकाया धनराशि<br>रुपये 9,80,241/- (रुपये नौ लाख अस्सी हजार दो सौ इकतालीस मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे |
|---|---|---|

**प्रोपर्टी नं0 1 :** संपत्ति के सभी भाग एक मकान न0 240 मापने वाले 197 वर्ग गज को वर्तमान में जय देवी नगर, विशाल मेगा मार्ट के पास, गढ़ रोड, मेरठ के रूप में जाना जाता है, जो लाल सिंह नगर में है जो पूर्व से नीचे के रूप में घिरा हुआ है 49.3 फुट उसके बाद सड़क पश्चिम : 49.3 फुट उसके बाद उत्तर 36 के मालिक की भूमि ; प्लॉट मनसा साउथ 36 उसके बाद 12 वाइड रोड ओनर श्री शौ सिंह एस/ओ नानक चंद
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: रुपये 33,93,000/- (रुपये तैंतीस लाख तिरानवें हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: रुपये 3,39,300** (रुपये तीन लाख उनतालीस हजार तीन सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/anshu_textiles_0.pdf

| क. सं0 4<br>आगरा आवास विकास शाखा (1728)<br>A/c No 510101003284304<br>IFSC -CORP0001728 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी - 1 (ए) मैसर्स अट्रेक्टीव क्रटर्स, पता: 305, भगवान लोक कॉम्पलेक्स, कारगिल पेट्रोल पंप के पास, सिकंदरा, बोदला, आगरा -282007, पार्टनर्स: 1 (बी) विजय भटनागर पुत्र आर बी एल भटनागर, पता: 16/230, आवास विकास, बोदला, सिकंदरा, आगरा -28007, 1 (सी) पूनम भटनागर पत्नी विजय भटनागर, पता: 16/230, आवास विकास, बोदला, सिकंदरा, आगरा -28007, 1 (डी) अर्पित चित्रांश पुत्र विजय भटनागर, पता: 305, भगवान लोक परिसर, कारगिल पेट्रोल पंप के पास, सिकंदरा, बोदला, आगरा -282007,पता: 38, मनीषा विहार, शास्त्रीपुरम, आगरा -282007 | बकाया धनराशि<br>रुपये-10,51,631.50 (रुपये दस लाख इक्यावन हजार छः सौ इकतीस और पचास पैसे केवल) प्लस अन्य खर्च और आगामी ब्याज। |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :-** संपत्ति के सभी भाग और पार्सल दुकान नं. 305, भगवान लोक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पश्चिम पुरी रोड, सिकंदरा, पुष्पांजलि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने आगरा। संपत्ति का क्षेत्रफल 12.13 वर्ग मीटर। संपत्ति स्वामिनी श्रीमती पूनम भटनागर पत्नी विजय भटनागर। संपत्ति की सीमायें -उत्तर दुकान नं. 304, दक्षिण: दुकान नं. 206, पूर्व: आम रास्ता, पश्चिम: अन्य की संपत्ति। बिक्री विलेख का विवरण -संपत्ति बही संख्या 1, जिल्द नं. 5832, पृष्ठ सं. 211/236, क्रम नं. 5983, दिनांक 08.09.2008 में पंजीकृत है।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 13,73,000.00 (रुपये तेरह लाख तिहत्तर हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,37,300.00** (रुपये एक लाख सैंतिस हजार तीन सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें-** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/attractive_creaters_3.pdf

| क्र.सं.5<br>बुलन्दशहर शाखा (0792)<br>A/c No.: 520101208954968<br>IFSC : CORP0000792 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : (अ) अवन्तिका एन्टरप्राईजेज, प्रोपराइटर : श्री पुरुषोत्तम पता : हनुमान मन्दिर के सामने, चौक बाजार, बुलन्दशहर। (उ0प्र0)-203001 गारन्टर:(ब)श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री सहन्सरपाल, पता: 489/2, मौहल्ला साठा, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर। | बकाया धनराशि<br>रुपये 20,83,941/- (रुपये बीस लाख तिरासी हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे |
|---|---|---|

**प्रोपर्टी नं0 1 :** आवासीय भवन, म0नं0 592 का सम्पूर्ण भाग, **सम्पत्ति का क्षेत्रफल :** 167.22 वर्गमीटर। **सम्पत्ति की सीमायें :** पूर्व-5 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम- श्री सतीश का मकान, उत्तर- श्री ज्ञानचन्द का मकान, दक्षिण-श्रीमती पुन्नीदेवी का मकान। **प्रोपर्टी नं0 2 :** आवासीय भवन का सम्पूर्ण भाग, **सम्पत्ति का क्षेत्रफल :** 20 वर्ग गज। **सम्पत्ति की सीमायें :** पूर्व- पांच मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम-मकान का शेष भाग व अन्य सम्पत्ति, उत्तर-गैलरी, दक्षिण-श्री अशोक का मकान। दोनों सम्पत्ति गड़रियों वाली गली, साठा रोड, परगना, तहसील व जिला बुलन्दशहर में स्थित, मालिक : श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री सहन्सरपाल।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 20,45,000.00 (रुपये बीस लाख पैंतालिस हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,04,500.00** (रुपये दो लाख चार हजार पांच सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/avantika_enterprises_8.pdf

| क्र.सं. 6<br>बरेली शाखा (0581)<br>A/c No.: 520101206086497<br>IFSC : CORP0000581 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : (1) मै0 फैयाज खान फ्रूट कम्पनी प्रोपराईटर श्री फरियाद खान पता : 39, गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। (2) श्री फरियाद खान पता : 39, गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली।<br>गारन्टर : (1) श्री असलम खान पता : गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। (2) श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान पता : गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। | बकाया धनराशि<br>रुपये 11,72,361/- (रुपये ग्यारह लाख बहत्तर हजार तीन सौ इकसठ मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे |
|---|---|---|

**प्रोपर्टी नं0 1 :** खसरा नं0 248, गोविन्दपुर, बरेली का सम्पूर्ण भाग **सम्पत्ति का क्षेत्रफल :** 86 वर्ग मीटर। नामे श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान। **प्रोपर्टी नं0 2 :** सम्पत्ति के सभी भाग व पार्सल स्थित वार्ड नं0 22 खसरा नं0 248 गोविंदपुर बरेली, क्षेत्रफल 86 वर्ग मीटर श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान के नाम
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **प्रोपर्टी नं0 1रिजर्व मूल्य: 8,21,000.00 (रुपये आठ लाख इक्कीस हजार केवल) प्रोपर्टी नं0 2 रिजर्व मूल्य 4,29,000 (चार लाख उनत्तीस हजार केवल) प्रोपर्टी नं0 1 जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 82,100.00 (रुपये ब्यासी हजार एक सौ केवल) प्रोपर्टी नं0 2-जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि 42,900 (रुपये ब्यालिस हजार नौ सौ केवल)**
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/fayyaz_khan_fruit_co_2.pdf

| क्र.स.-7<br>मेरठ शाखा (0505)<br>A/C No. 520101244217137<br>IFSC Code CORP0000505 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>उधारकर्ता: मै0 गोस्वामी भारत गैस प्रो0 श्रीमती ममता गोस्वामी पत्नी रविन्द्र कुमार गिरि मकान नं0 123, गली नं0 1 नेहरूनगर मेरठ-250001<br>गारंटर : श्री शिवराम गिरि पुत्र श्री कालू गिरि पता, मकान नं0 123 गली नं0 1 नेहरूनगर मेरठ-250001 | बकाया धनराशि रूपये<br>राशि रू 24,95,400.61/-(रुपए चौबीस लाख पिचानवें हजार चार सौ इकसठ रुपये मात्र) प्लस ब्याज और अन्य खर्च |
|---|---|---|

**संपति का विवरण:-सम्पत्ति सं. 1.** संपत्ति के सभी भाग और पार्सल की माप 0.1485 हेक्टेयर (1485 वर्गमीटर) का हिस्सा खसरा न 203/2 के ग्राम लोधीपुर शोवन मेन मेरठ गढमुक्तेश्वर रोड परगना व तहसील गढमुक्तेश्वर जिला हापुड जो कि श्री शिवराम गिरि पुत्र श्री कालू गिरि के नाम है। में स्थित है सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार है:-पूर्व में श्री अनिल गिरि की भूमि पश्चिम में चक रोड उत्तर में श्री कवर पाल गिरि की भूमि दक्षिण में गढ़ मेरठ रोड
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 56,66,000.00 (रुपये छप्पन लाख छियासठ हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 5,66,600.00** (रुपये पाच लाख छियासठ हजार छः सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/goswami_bharat_gas_3.pdf

| क्र.सं. 8<br>बरेली शाखा (0581)<br>A/c No.: 520101206086497<br>IFSC : CORP0000581 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : (1) मैसर्स हिमाचल कश्मीर एपल कम्पनी प्रोपराइटर मै0 इश्तयाक खान। पता : शेड नं0 13, न्यु फ्रूट मंडी, डेलापीर, बरेली- 243001 (2) प्रोपराइटर मै0 इश्तयाक खान पुत्र मै0 मुश्तयाक खान। पता : मकान न0 150, गोविन्दापुर, बरेली -243502<br>गारंटर : (1) बुंदु खान पुत्र मै0 मुन्ना खान। पता : 155, गोविन्दापुर, बरेली -243502 (2) गारंटर : ईदास खान पुत्र मै0 यार खान पता: बरकातनगर सी.बी.गंज बरेली-243502 | बकाया धनराशि<br>रूपये 20,35,554/- (रूपये बीस लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौवन मात्र)+ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :-** सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो कि खसरा न0 12, गांव गोविन्दापुर, बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सम्बन्धित **सम्पत्ति का क्षेत्रफल** 420.00 वर्गमीटर है। सम्बन्धित **सम्पत्ति की सीमायें** इस प्रकार है:- पूरब दिशा में बगिया हमीद खान, पश्चिम दिशा में रेलवे लाईन, उत्तर दिशा में चक रोड दक्षिण दिशा में चक रोड।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 32,13,000.00 (रुपये बत्तीस लाख तैरह हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 3,21,300.00** (रुपये तीन लाख इक्कीस हजार तीन सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/himachal_kashmir_apple_company_6.pdf

| क्र.सं.9<br>बरेली शाखा (0581)<br>A/c No.: 520101206086497<br>IFSC : CORP0000581 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : (1) मैसर्स जफर जरी आर्ट, प्रोपराइटर जफर आलम पता : 82, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)-243001 (2) जफर आलम पता : 82, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)-243001<br>गारंटर : चमन शाह पुत्र छोटे शाह पता : 82-ए, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)-243001 | बकाया धनराशि<br>रूपये 5,12,650.00 (रूपये पांच लाख बारह हजार छः सौ पचास मात्र)+ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :** सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति जो खसरा नं0 88, 89 एवं 90, गांव परतापुर चौधरी, निकट दो मिनार मस्जिद, बरेली में स्थित है।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 9,65,000.00 (रुपये नौ लाख पेंसठ हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 96,500.00** (रुपये छियानवे हजार पांच सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jafar_zari_art_4.pdf

| क. सं0 10<br>रामनगर शाखा (1457)<br>A/c No 520101258174064<br>IFSC Code-CORP0001457 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी: 1 (ए) मलिक ब्रिक सप्लायर प्रो. मोहम्मद अकरम पता: पीरूमदारा, रामनगर, जिला - नैनीताल, उत्तराखंड-244715<br>गारंटर्स:- 2 (ए) तायरा खातून पत्नी मोहम्मद अकरम पता: दुल्हेपुरी, पीरूमदारा, रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड-244715<br>2 (ए) राजेश पाल पुत्र रमेश पाल पता: 896, दुल्हेपुरी पीरूमदारा, रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-244715 | बकाया धनराशि<br>रुपये- 2,44,072.38/- (रुपये दो लाख चवालिस हजार बहत्तर और अड़तीस पैसे केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर) |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :-** ईएमजी संपत्ति स्थित खाता संख्या 104, खसरा नंबर (प्लॉट नंबर) 6 मिन. एरिया ई एंड डब्ल्यू-25, एन-36 और एस-26, यानी 775 वर्ग फीट (72.02 वर्ग मीटर), ग्राम उदयपुर चौराहा तहसील रामनगर, जिला नैनीताल श्रीमती तायरा खातून पत्नी अकरम के नाम पर। संपत्ति का सीमायें - पूर्व: गोल के बाद आम रास्ता, पश्चिम: 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, उत्तर: विमला देवी की भूमि, दक्षिण: 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता
बिक्री विलेख पंजीकृत बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 439, पृष्ठ संख्या 71-76, क्रम संख्या 3087 दिनांक 06.01.2014 राजस्व रिकॉर्ड रामनगर, नैनीताल पर पंजीकृत है।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 15,20,000.00/-** (रुपये पंद्रह लाख बीस हजार केवल) **जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,52,000.00/-** (रुपये एक लाख बावन हजार केवल) **बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/malik_brick_supplier_0.pdf

| क. सं0 11<br>शामली शाखा (0848)<br>A/c No 510101000383718<br>IFSC Code-CORP0000848 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी: 1 (ए) श्री वकील पुत्र लियाकत, पता: मकान नंबर 159, ग्राम पावटी कलां, पोस्ट कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश-247776<br>1 (बी) श्रीमती रिहाना पत्नी श्री वकील, पता: मकान नंबर 159, ग्राम पावटी कलां, पोस्ट कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश-247776 | बकाया धनराशि<br>रुपये-7,06,704/- (रुपये सात लाख छः हजार सात सौ चार केवल डिमांड नोटिस की तारीख के अनुसार) |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :-** आवासीय प्लॉट के सभी भाग और पार्सल क्षेत्रफल 50.18 वर्ग मीटर श्री वकील पुत्र श्री लियाकत के नाम पर संपत्ति स्थित ग्राम खेड़ी करमु, तहसील-शामली और जिला शामली। संपत्ति का सीमायें- पूर्व: वाहिद का मकान, पश्चिम: राजू का मकान, उत्तर: हाजी का मकान, दक्षिण- रोड। [बिक्री विलेख विवरण: बही संख्या 1, जिल्द नंबर 4285, पृष्ठ संख्या 72/82, क्रमांक 5018 दिनांकित 19.05.2015 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय, शामली] **ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: रु 7,57,000.00** (रुपये सात लाख सत्तावन हजार केवल) **जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 75,700/-** (रुपये पिचत्तर हजार सात सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vakil_2.pdf

| क्र.सं.12<br>रुद्रपुर (1064)<br>Ac/No. 521011216985400<br>IFSC Code CORP0001064 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : जगमोहन पुत्र जयमल, पता ए-2/37, प्लैटिनम टॉवर, जेस्टा डवलपर्स कालोनी, फुलसुंगा रोड, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड 263153<br>गारन्टर : राजेश पुत्र बिन्दा, पता निकट जैसिस पब्लिक स्कूल, गंगापुर रोड, निकट आटा चक्की, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड 263153 | बकाया धनराशि<br>रुपये 7,30,638.00/- (रुपये सात लाख तीस हजार छः सौ अड़तीस रुपये मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चें |
|---|---|---|

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग मकान/फ्लेट सं0-ए-1/122, प्रथम तल क्षेत्रफल 450 वर्गफुट खसरा सं0-224, 225, 245, 246 जो कि जेस्टा नामक परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फूलसुंगा, तहसील किच्छा उधमसिंह नगर।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 6,48,000.00 (रुपये छः लाख अड़तालिस हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 64,800.00** (रुपये चौसठ हजार आठ सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jagmohan_.pdf

| क्र.सं.-13<br>शाहजहानपुर (1150)<br>A/C No. 510101006279806<br>IFSC CODE: CORP0001150 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>उधारकर्ता : मै0 माधव एंटरप्राइजेज, जी सजीवियर के पास, हथौरा बुर्जुग, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश -242001<br>साझेदार : 1. श्री माधव खन्ना पुत्र अशोक कुमार खन्ना, 2. श्रीमती सीमा खन्ना डब्ल्यू पत्नी अशोक कुमार खन्ना पता : जी सजीवियर के पास, हथौरा बुर्जुग, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश -242001<br>गारंटर : श्रीमती सीमा खन्ना डब्ल्यू पत्नी अशोक खन्ना पता : जी सजीवियर के पास, हथौरा बुर्जुग, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश -242001 | बकाया धनराशि रूपये<br>राशि रू 6,00,000/-(रुपए छः लाख मात्र) ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे |
|---|---|---|

**संपत्ति का विवरण :-** संपत्ति सं. 1 गैर कृषि भूमि का एक हिस्सा है गाटा संख्या 773, क्षेत्र उपाय 135.44 वर्ग मीटर ग्राम हथौरा बुजर्ग, जिला- शाहजहांपुर मे सीमा खन्ना के नाम पर स्थित है। उक्त संपत्ति इस प्रकार है पूर्व हाउस ऑफ सुरेश चंद्र दास, पश्चिम रस्ता, उत्तर सुमन लता की संपा, दक्षिण सुनील मोरिस की संपा।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 26,32,000.00 (रुपये छब्बीस लाख बत्तीस हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,63,200.00** (रुपये दो लाख तिरेसठ हजार दो सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/madhav_enterprises_4.pdf

| क्र.सं.14<br>विकासनगर (1929)<br>Ac/No. 510251000444459<br>IFSC Code CORP0001929 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : मै0 मलिक एण्ड सन्स टायर्स, प्रो0 परवेज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198<br>गारन्टर:1श्री जुनैद पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198<br>2 श्री शौकीन पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198<br>3 जावेद पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198<br>4 श्रीमति शकीला पत्नी स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0-5, मैन रोड, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून-248198 | बकाया धनराशि<br>रुपये 07,48,865.00/- (रुपये सात लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पैंसठ रुपये मात्र) +ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चें |
|---|---|---|

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त रिहाईशी जमीन का प्लाट खाता नं0-326 खसरा नं0 (पुराना 1715) नया खसरा नं0-2095 क्षेत्रफल 280 वर्गमीटर भीमा वाला, परगना पछुआ दून, विकासनगर, देहरादून में स्थित है। परवेज, जुनैद, शौकीन, जावेद पुत्रगण स्व0 श्री महफूज और श्रीमती शकीला पत्नी स्व0 श्री महफूज के नाम पर है।।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 21,22,000.00 (रुपये इक्कीस लाख बाइस हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,12,200.00** (रुपये दो लाख बारह हजार दो सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/malik_and_son_tyres_3.pdf

| क. सं0 15<br>रामनगर शाखा (1457)<br>A/c No 520101258174064<br>IFSC Code-CORP0001457 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी: 1 (ए) खान प्लाई और माइका एंटरप्राईजेज प्रो. सलमा बेगम पत्नी शाकिर हुसैन, पता: ग्राम टांडा मल्लू, पोस्ट चिलकिया, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715<br>2 (ए) शाकीर हुसैन पुत्र करीमुल्लाह, पता: ग्राम टांडा मल्लू, पोस्ट चिलकिया, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715 | बकाया धनराशि<br>रुपये- 2,44,072.38/- (रुपये दो लाख चवालिस हजार बहत्तर और अड़तीस पैसे केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर) |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :-** संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित ग्राम चिलकिया, तहसील रामनगर, नैनीताल श्री शकीर हुसैन पुत्र करीमुल्ला के नाम पर। संपत्ति का क्षेत्रफल 30.20 वर्ग मीटर खसरा नंबर 852/2, खाता संख्या 213 संपत्ति की सीमायें - पूर्व - दुकान आबिद हुसैन की, पश्चिम- मोहम्मद फुरकान की दुकान, उत्तर- 10 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिण- लिंक मार्ग। बिक्री विलेख पंजीकृत एस. आर. रामनगर में बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 132, पेज नंबर 25-32, क्रम संख्या 1075 दिनांक 26.05.2009
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
**रिजर्व मूल्य: 8,50,000.00/-**(रुपये आठ लाख पचास हजार केवल) **जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 85,000.00/- (रुपये पिचासी हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें-** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/khan_ply_and_mica_enterprises_2.pdf

| क्र.स.-16<br>सहारनपुर (0665)<br>Ac/ No. 520101208489653<br>IFSC CORP0000665 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>उधारकर्ता: मैसर्स नेहा प्रोविजन स्टोर प्रोपराइटर श्री सुखबीर सिंह सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, सहारनपुर पता : गांव एवं पोस्ट सरसावा वायुसेना स्टेशन के सामने, सहारनपुर, उ0प्र0- 247001<br>गारंटर: श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री फुल सिंह पता गांव एवं पोस्ट सरसावा वायुसेना स्टेशन के सामने, सहारनपुर, उ0प्र0- 247001 | बकाया धनराशि रूपये<br>राशि रू 24,70,745.00/-(रुपए चौबीस लाख सत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) समस्त ब्याज एवं अन्य खर्च |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण** सम्पत्ति सं 1 सम्पत्ति का समस्त भाग खसरा संख्या 297 के में स्थित एक मकान संख्या 17 दारा सोराना खुर्द ग्राम सोराना तहसील नाकुर जिला सहारनपुर श्री सुखबीर सिंह और श्री तेजपाल सिंह के नाम पर दर्ज है। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 406.50 वर्गगज है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार है:- पूर्व दिशा में श्रीमति फुलवती(मांगेराम) की सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में श्री कंवर पाल की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में श्री मांगे राम की सम्पत्ति, दक्षिण दिशा में अम्बाला रोड।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय:04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 51,30,000.00 (रुपये इक्कावन लाख तीस हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 5,13,000.00** (रुपये पांच लाख तेरह हजार केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/neha_provision_store_5.pdf

| क्र.सं.17<br>बरेली शाखा (0581)<br>A/c No.: 520101206086497<br>IFSC : CORP0000581 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : मैसर्स रईस खान अरशद खान, प्रोपराईटर इदरीश खान, पता: 66, गोविन्दापुर, निकट इस्लामिया मदरसा बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली<br>श्री इदरीश खान पता: 66, गोविन्दापुर, निकट इस्लामिया बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज बरेली | बकाया धनराशि<br>रूपये 3,80,413/- (रूपये तीन लाख अस्सी हजार चार सौ तेरह रूपये मात्र)+ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :** सम्पत्ति सं01 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो गांव गोविन्दापुर, बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। **सम्बन्धित सम्पत्ति का क्षेत्रफल** 197.48 वर्गमीटर है।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 23,72,000.00 (रुपये तेईस लाख बहात्तर हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,37,200.00** (रुपये दो लाख सेंतीस हजार दो सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rais_khan_arshad_khan_3.pdf

| क्र.स.18<br>आगरा संजय पैलेस शाखा (0686)<br>A/c No.: 510101006278544<br>IFSC : CORP0000686 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : रंजीत सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद पता: 06, बताशा मार्किट, पुरी दरवाजा, आगरा- 282002<br>पता: द्वारा श्री उमेश चंद्र कश्यप, म.नं. 37, ग्राउंड फ्लोर, ऋषिपुरम कालोनी, सिकन्दरा, आगरा- 282007<br>पता: गांव चस सुजन, पो0 बेरी चहर, तहसील खेरागढ़, आगरा- 283102<br>गारंटर : मैसर्स श्रीमती राखी चौहान पुत्री रविन्द्र सिंह, पता: नंगला सिकन्दर, नंगला डल टूंडला, फिरोजाबाद- 283204<br>पता: द्वारा श्री गोपाल द्वारा नाहर सिंह यादव, फ्लैट नं. एफ-3, फर्स्ट फ्लोर, बलदेव आशियाना फ्लैट, गुरुतेग बहादुर एन्क्लेव, गुरु के ताल, सिकन्दरा, आगरा- 282007<br>पता: खसरा नं. 388 शिव कुंज, मौजा बाबरपुर, आगरा- 280007 | बकाया धनराशि<br>रूपये 6,01,803/- (रूपये छह लाख एक हजार आठ सौ तीन मात्र) ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :** सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो कि खसरा नं0 388, शिव कुंज, मौजा बाबरपुर तहसील और जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। **सम्बन्धित सम्पत्ति का क्षेत्रफल** 55.73 वर्गमीटर है। **सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें** इस प्रकार है: शिव चरन की प्लॉट उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में रमेश का प्लॉट, पश्चिम में अन्य प्लॉट, पूरब में 25 फुट चौड़ा रास्ता है।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 8,27,000.00 (रुपये आठ लाख सत्ताईस हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 82,700.00** (रुपये ब्यास्सी हजार सात सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ranjit_singh_5.pdf

| क्र.सं.-19<br>पचपेरा (3452)<br>Ac/ No. 520101259129089<br>IFSC CORP0003452 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : मैसर्स रीतू आभूषण केन्द्र प्रोपराइटर श्री संजय कुमार पता : मकान नं0 98, पचपेरा, मेरठ-250406 | बकाया धनराशि<br>रूपये 6,39,715/- (रूपये छ लाख उनतालिस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)- ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चें |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण** : सम्पत्ति का समस्त भाग का क्षेत्रफल 70 वर्गगज गांव पचपेरा ,कॉर्पोरेशन बैंक के समीप पचपेरा गांव में स्थित है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार है:- पूरब दिशा में श्री राजेश का मकान, पश्चिम दिशा में श्री राकेश का मकान , उत्तर दिशा में श्री बुद्दु का मकान , दक्षिण दिशा में सडक। सम्पत्ति का मालिक श्री संजय पुत्र श्री धरा सरन निवासी गांव पचपेरा, मेरठ
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 10,58,000.00 (रुपये दस लाख अठ्ठावन हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 1,05,800.00** (रुपये एक लाख पाँच हजार आठ सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ritu_abhushan_kendra_4.pdf

| क्र.सं.20<br>बाजपुर शाखा (1632)<br>A/c No.: 510101006593090<br>IFSC : CORP0001632 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी : मैसर्स एस.एस. एसोसियेट, प्रोपराइटर अजहर अहमद पता : नगर पालिका रोड, मेन बाजार, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड -262401<br>गारंटर : रियाज मौ0 खान पुत्र मौ0 शेरखान पता: वार्ड नं0 06, ईदगाह के समीप, मजार के पास, गांव मुन्डिया पिस्तौर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड -262401 | बकाया धनराशि<br>रूपये 13,99,657.18 (रूपये तेरह लाख निन्यानवे हजार छः सौ सत्तावन एवं पैसे अट्ठारह मात्र) - ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :** सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग खसरा नं0 100/8 मिनिमम क्षेत्रफल1500वर्गफुट (और 139.405 वर्गमीटर) जो गांव भूना, इस्लाम नगर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर में स्थित है। सम्बन्धित **सम्पत्ति की सीमायें** इस प्रकार है:- पूरब दिशा में महेश की जमीन, पश्चिम दिशा में राजेन्द्र का मकान, उत्तर दिशा में हरपाल सिंह का मकान, दक्षिण दिशा रास्ता।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 8,52,000.00 (रुपये आठ लाख बावन हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 85,200.00** (रुपये पिचासी हजार दो सौ केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/s_s_associates_4.pdf

| क.स. 21<br>शाहजहानपुर शाखा<br>A/C No. 510101006279808<br>IFSC Code : CORP0001150 | मैसर्स शर्मा फर्टीलाईजर प्रोपराईटर सूरज प्रकाश शर्मा, पता : मौहल्ला सैनिक कालोनी, निकट पंच पीर, निगोही रोड शाहजहानपुर उ0प्र0-242001<br>2.(अ) कमलेश रानी पत्नी स्व श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड अशोक विहार, शाहजहानपुर- 2420001<br>2.(ब) सुनीता शर्मा पुत्री स्व श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर- 2420001<br>2.(स) संजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर- 2420001<br>2.(द) वेद प्रकाश रावल पुत्र श्री देशराज रावल, मकान न0-126, रामनगर कालोनी, शाहजहानपुर-242001 | बकाया धनराशि<br>[illegible] |
|---|---|---|

**संपति का विवरण :-** सम्पत्ति का समस्त भाग रिहाइशी प्लॉट ग्राम जलालनगर बाहर चुंगी, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर, जिसका क्षेत्रफल पूरब व पश्चिम में 60 फुट व उत्तर दक्षिण में दोनो तरफ 30 फुट कुल क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर है। सम्पत्ति की सीमाएं - पूरब में कच्चा रास्ता, पश्चिम में कच्ची जमीन, उत्तर में बेचने वाले की जमीन, दक्षिण में बेचने वाले की जमीन। सम्पत्ति की स्वामिनी श्रीमती कमलेश रानी सूरज प्रकाश शर्मा संजय शर्मा तथा सुनीता शर्मा है।
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक **रिजर्व मूल्य: 27,69,000.00 (रुपये सत्ताईस लाख उनत्तर हजार केवल)**
**जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,76,900.00** (रुपये दो लाख छियत्तर हजार नो सो केवल)
**बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharma_fertilizers_4.pdf

| क. सं0 22<br>काशीपुर शाखा (1284)<br>A/c No 520101202371391<br>IFSC Code-CORP0001284 | ऋणी एवं जमानतदारों के नाम<br>ऋणी: 1 (ए) मैसर्स उत्तराखंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रो. बबिता चौहान, पता: ग्राम रामनगर, तहसील जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-244712<br>गारंटर: 2 (ए) दिग्विजय सिंह पुत्र बाबू सिंह, पता: मौहल्ला भूप सिंह, वार्ड नंबर 8, जसपुर, उधम सिंह नगर<br>2 (बी) श्रीमती बबीता पत्नी श्री दिग्विजय सिंह, पता: मौहल्ला भूप सिंह, वार्ड नंबर 8, जसपुर, उधम सिंह नगर<br>2 (सी) अखिलेश चंद्र गुप्ता पुत्र श्री धर्मवीर गुप्ता, पता: मौहल्ला जुलाहन, वार्ड नंबर 4 राजपूत सभा भवन के पास, जसपुर, उधम सिंह नगर | बकाया धनराशि<br>रुपये- 1,49,31,342/- (रुपये एक करोड़ उनचास लाख इकतीस हजार तीन सौ बयालिस केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर) |
|---|---|---|

**सम्पत्ति का विवरण :-**1. संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित मौजा रामनगर तहसील जसपुर जिला उधमसिंह नगर खाता संख्या 00162, खसरा संख्या 442 मिन, क्षेत्रफल 4595 वर्ग मीटर श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें-पूर्व- डोनर और श्रीमती तस्लीमा की शेष भूमि, पश्चिम-राजीव कुमार रघुवंशी की भूमि, उत्तर- श्रीमती पूनम अग्रवाल की भूमि, दक्षिण- सड़क (गिफ्ट विलेख दिनांक 20.01.2014 को पंजीकृत बही नंबर 01, जिल्द नंबर 184, पृष्ठ संख्या 363/386, क्रम संख्या 349 दिनांक 20.01.2014 को सब रजिस्ट्रार जसपुर पंजीकृत है)
**2. संपत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान स्थित मौहल्ला भूप सिंह, जसपुर जिला उधम सिंह नगर, क्षेत्रफल 50.33 वर्ग मीटर श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: बलवीर सिंह की भूमि, पश्चिम-रास्ता 12 फीट चौड़ी, उत्तर- ओमप्रकाश शर्मा का मकान दक्षिण: सुरेंद्र और नरेश का मकान।**(बिक्री विलेख दिनांक 18.09.2002 पंजीकृत बही नंबर 01, जिल्द नंबर 1187, पृष्ठ संख्या 119/122, क्रम संख्या 3149 सब रजिस्ट्रार काशीपुर में पंजीकृत है।)
3. संपत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान स्थित **मौहल्ला** भूप सिंह, तहसील जसपुर, ऊधमसिंह नगर क्षेत्रफल 55.76 वर्ग मीटर, श्रीमती बबीता पत्नी श्री दिग्विजय सिंह के नाम पर। संपत्ति का सीमायें-पूर्व बलवीर सिंह की संपत्ति, पश्चिम: रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तर: गंगाराम की भूमि, दक्षिण: दिग्विजय सिंह का मकान (बिक्री विलेख दिनांक 11.11.2004 पंजीकृत बही नंबर 01, जिल्द नंबर 1307, पृष्ठ संख्या 177/180, क्रम संख्या 5335 दिनांक 11.11.2004 को सब रजिस्ट्रार काशीपुर में पंजीकृत है)
**ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 04.03.2020**, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **संपत्ति संख्या 1:** संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु 1,80,00,000/- (रुपये एक करोड़ और अस्सी लाख केवल) **संपत्ति संख्या 2:** संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु 16,50,000/- (रुपये सोलह लाख पचास हजार रुपए केवल) **संपत्ति संख्या 3:** संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु 14,15,000/- (रुपये चौदह लाख पंद्रह हजार केवल) **जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: संपत्ति संख्या 1:** रु 1,8,00,000/- (रुपये अठारह लाख केवल), **संपत्ति संख्या 2:** रु 1,65,000/- (रुपये एक लाख पैंसठ हजार केवल), **संपत्ति संख्या 3:** रु 1,41,500/- (एक लाख इकतालिस हजार पाँच सौ केवल) **बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें** https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/uttrakhand_chemicals_industries_1.pdf

**दिनांक : 18.02.2020** **स्थान: बाजपुर, आगरा, राम नगर, विकास नगर, मेरठ, शाहजहांपुर, रूद्रपुर, बुलन्दशहर, बरेली, पचपेड़ा, बाजपुर, काशीपुर, सहारनपुर,** **प्राधिकृत अधिकारी, कोर्पोरेशन बैंक**

www.readwhere.com

# बजट प्रबंधन कानून दोबारा लिखने की जरूरत : आहलूवालिया

भोपाल,18 फरवरी (भाषा)।

योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एमएस आहलूवालिया ने राज्यों की बढ़ती वित्त जरूरतों और वित्तीय सीमाओं के मद्देनजर मंगलवार को वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून को नये संदर्भों में दोबारा लिखने की जरूरत बताई है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं में बजट की कमी को दूर करने के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी का कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। वह यहां मिंटो हाल में 'परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्त व्यवस्था' विषय पर राज्य के वित्त विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा- ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र की ओर देखना पड़ता है। निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार का खतरा उठाने से बचता है जबकि सरकार हानि-लाभ से परे जन-कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। दोनों क्षेत्रों की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए दोनों क्षेत्रों के परस्पर सहयोग से काम करने के लिए एक उचित कानून की जरूरत नजर आती है। इस स्थिति से निपटने में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून पूरी तरह से मददगार साबित नहीं हो पा रहा है। आहलूवालिया ने कहा कि परियोजनाएं बनाना, उनके लिए बजट प्रावधान करना और समय रहते उन्हें उपलब्ध संसाधनों में पूरा करना पूरे विश्व में एक मान्य प्रक्रिया है। यह भी तथ्य है कि सरकारों के वित्तीय संसाधन सीमित हैं लेकिन परियोजनाएं महत्त्वाकांक्षी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों के पास सिर्फ आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं के अलावा भी सामाजिक जिम्मेदारियों के कई काम और प्राथमिकताएँ होती हैं। दोनों काम एक साथ पूरा होने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं।

# राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर खरी उतरेगी सरकार : शक्तिकांत

नई दिल्ली,18 फरवरी (भाषा)।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 फीसद पर लाने में कामयाब होगी और इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। दास ने बातचीत में कहा कि सरकार घाटे को लेकर राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति द्वारा तय सीमा के भीतर है।

मोदी सरकार लगातार तीसरे साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 फीसद रहने का अनुमान है जबकि पूर्व में इसके 3.3 फीसद रहने की संभावना जताई गई थी। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5 फीसद रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय के अंतर को बताता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो साधन है, वह उससे अधिक खर्च कर रही है।

दास ने कहा, ... सरकार एफआरबीएम समिति की सिफारिशों के दायरे में है... इसीलिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से केवल 0.5 फीसद ही अधिक हुआ। सरकार इस पर कायम है और अगले साल राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा लघु बचत से आएगा। एन के सिंह की अध्यक्षता वाली एफआरबीएम समिति ने 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 2.8 फीसद और 2022-23 तक 2.5 फीसद पर लाने की सिफारिश की है। समिति ने छूट उपबंध का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा और कृषि के गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण उत्पादन तथा आय पर असर पड़ने की स्थिति में इस प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है। इसके तहत राजकोषीय घाटा लक्ष्य से 0.5 फीसद तक अधिक रह सकता है। दास ने कहा कि अगले साल का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया जाएगा और इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है।

सवाल के जवाब में आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि 2020-21 के बजट में कुछ बांड को बिना किसी सीमा के प्रवासी भारतीयों के निवेश के लिये खोला जाएगा। उन्होंने कहा- इसके अलावा कंपनी बांड की सीमा नौ फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद की गई ...इसलिए विदेशों से धन भारत आने जा रहा है। भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों (ईसीबी) के जरिए विदेशी स्रोत से काफी धन जुटा रही हैं। कर्ज प्रबंधक के रूप में आरबीआइ सुनिश्चित करेगा कि जो उधारी कार्यक्रम है, उसमें कोई बाधा पैदा नहीं हो।

# सूचकांक 161 अंक टूटा

मुंबई,18 फरवरी (भाषा)।

शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार चौथे कारोबारी सत्र में जारी रहा और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक मंगलवार को 161.31 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया मुद्दे का असर दूरसंचार और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों पर पड़ा है।

तीस शेयरों वाले सूचकांक में गिरावट का दौर रहा और एक समय यह 444 अंक तक नीचे चला गया था। पर बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और अंत में 161.31 अंक यानी 0.39 फीसद की गिरावट के साथ 40,894.38 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज के निफ्टी में कारोबार के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई लेकिन अंतिम समय के कारोबार में इसमें कुछ सुधार हुआ और अंत में यह 53.30 अंक यानी 0.44 फीसद की गिरावट के साथ 11,992.50 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में भारती एअरटेल को सर्वाधिक तीन फीसद का नुकसान हुआ। उसके बाद क्रमसे इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, हीरो मोटो कार्प और टाटा स्टील का स्थान रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया से बकाये की वसूली के लिए दूरसंचार विभाग को किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। वोडाफोन आइडिया का शेयर कारोबार के दौरान 16 फीसद टूटा। अंत में बीएसई में यह 10.29 फीसद की गिरावट के साथ 3.05 रुपए पर बंद हुआ। एजीआर बकाया मुद्दे और कंपनी के अन्य मसले को लेकर रेटिंग घटाए जाने से शेयर में बिकवाली हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब एक फीसद नीचे आया। कंपनी के अपना मीडिया और वितरण कारोबार को नेटवर्क 18 के तहत लाने की घोषणा से उसका शेयर नीचे आया।

समूह की तीन इकाइयाँ- हैथवे केबल एंड डाटाकॉम, डेन नेटवर्क और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में विलय किया जाएगा। इससे तीनों कंपनियों शेयरों में क्रमसे 20 फीसद, 9.98 फीसद और 14.7 फीसद की तेजी आई। दूसरी तरफ एसबीआइ, इंफोसिस, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और टीसीएस सर्वाधिक लाभ में रहे।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- कोरोना वायरस के कारण बाजार धारणा लगातार प्रभावित है। प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी ने इसके कारण बिक्री पर असर पड़ने की चेतावनी दी है। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से घरेलू बाजार पर असर पड़ने की संभावना है....। साथ ही दूरसंचार कंपनियों को सांविधिक बकाया के रूप में सरकार को बड़ी राशि देनी है। इससे बैंक शेयरों में उतार-चढ़ाव आने की आशंका है जिससे बाजार पर असर पड़ेगा।

## जलाशय क्षेत्र में 2.80 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता

नई दिल्ली,18 फरवरी (भाषा)।

देश में 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाकर 2,80,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। एनर्जी ट्रांसमिशन कमीशन (ईटीसी) के तहत द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट 'फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक (एफएसपीवी): ए थर्ड पिलर टू सोलर पीवी सेक्टर' शीर्षक से जारी की गई।

टेरी की इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जलाशय 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इसमें 'फ्लोटिंग' सौर संयंत्रों के जरिए 2,80,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। ईटीसी इंडिया शोध मंच है। यह ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन की इकाई है। हाल में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गयी। इसमें देश में मझोले एवं बड़े आकार के जलाशयों के 30 फीसद जल क्षेत्र के आधार पर 'फ्लोटिंग' सौर क्षमता का आकलन किया गया है। इसमें राज्यवार 'फ्लोटिंग' सौर क्षमता का ब्योरा दिया गया है।


**केडीडीएल लिमिटेड** ethos
(सीआईएन : L33302HP1981PLC008123)
पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या-3, सेक्टर-III, परवाणू जिला सोलन (हि.प्र.) 173220
फोन +91 172 2548223 / 24, फैक्स : +91 172 2548302
वेबसाईट: www.kddl.com ईमेल आईडी : investor.complaints@kddl.com

**शेयरधारकों को सूचना**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 6 के अनुसरण में, कंपनी के जिन इक्विटी शेयरों पर लाभांश सात साल या उससे अधिक के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है या भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे शेयरों को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाता में स्थानांतरित किया जाना है।

इन नियमों के अनुसार कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को, जिनके शेयर शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाता में स्थानांतरित होने हैं, उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत तौर पर इसकी सूचना प्रेषित कर उन्हें सलाह दी है कि वे अपने लाभांश के दावों को शीघ्र निपटाए।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों का विवरण अपनी वेबसाइट www.kddl.com पर अपलोड किया है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरण किए जाने हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित होने वाले उत्तरदायी शेयर के विवरण की पुष्टि करें। अगर कंपनी को 20 मार्च 2020 तक नवीनतम, संबंधित शेयरधारकों से कोई वैध दावे नहीं मिले, तो कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ेगी। शेयर धारक कृपया ध्यान दें कि बिना दावे का लाभांश और शेयर जिन्हें आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के बाद जिनमें ऐसे शेयरों पर अर्जित कोई भी लाभ शामिल है, यदि कोई हो, यदि कोई इन्हें पुनः प्राप्त करना चाहे तो आईईपीएफ प्राधिकरण के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर के उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट अकाउंट में स्थानांतरित होने हैं, ध्यान दें कि कंपनी शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा प्राप्त मूल के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी कर देगी। नियमों के अनुसार आईईपीएफ डीमैट अकाउंट में और इस तरह के मुद्दे पर, मूल शेयर प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द कर दिए जाएंगे और गैर-परक्राम्य समझा जाएगा। संबंधित शेयरधारकों के डीमैट खाते में रखे गए शेयरों को आईईपीएफ डीमैट अकाउंट में स्थानांतरित किया जाएगा।

शेयरधारक को आगे सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को माना जाना चाहिए और नियमों के अनुसार उन्हें शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से डीमैट शेयरों के हस्तांतरण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित बिना दावा किए गए लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

अधिक जानकारी हेतु संबंधित शेयरधारक कम्पनी के पंजीयक एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, वित्तीय जिले नानकरामगुडा, सीरिलिंगम्पली मंडल, हैदराबाद - 500032 को लिख सकते हैं।

स्थान : चण्डीगढ़
दिनांक : 18 फरवरी 2020

कृते केडीडीएल लिमिटेड
हस्ता.
ब्रह्म प्रकाश कुमार (कम्पनी सचिव)



फार्म सं० INC-25A
सार्वजनिक कम्पनी को निजी कम्पनी मे परिवर्तन कराने का विज्ञापन

समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरटे मामले मंत्रालय उत्तरी क्षेत्रज

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 एव कम्पनी (निगमन) कानून, 2014 के नियम 41 के एवज में

एवं

मै० जिन्दल फिनकैप लिमिटेड, पजंीकृत कार्यालय 770, कॉलोनी कालकाजी, नई दिल्ली–110019, भारत के एवज मे।

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि कम्पनी, एक अतिविशेष सामान्य बैठक जो कि दिन बृहस्पतिवार, दिनांक 6 फरवरी, 2020, समय 11:00 बजे प्रातः मे पारित विशेष प्रस्ताव के क्रम मे, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 जो उपरोक्त नियमो के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत सार्वज. निक कम्पनी को निजी कम्पनी मे परिवर्तित करने के लिए केन्द्र सरकार को आवदेन करने को इच्छुक है एव कम्पनी का प्रदर्शित करने के लिए एसे परिवर्तन को प्रभाव मे लाती है।

कोई भी व्यक्ति जिसके हित इस प्रस्तावित परिवर्तन / कम्पनी के हैसियत से प्रभावित होता है, तो वह सूचना प्रकासित होने के चौदह दिनो के भीतर अपनी आपत्ति एक शपथपत्र मे अपने हित की प्रकृति एव विरोध की पृष्ठभूमि को व्याखित करते हुये सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विगं, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत का पजीकृत डाक से भेजें, एवं इसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी के पजीकृत कार्यालय निम्न पते 770, कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली–110019, भारत, पर भी भेजें।

कृते जिंदल फिन कैप लिमिटेड

हस्ताक्षरित
रवि नागर निदेषक
डीन : 08516295

दिनांक : 17/02/2020
स्थान : नई दिल्ली



फॉर्म नंबर आईएनसी- 26
(कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
समक्ष केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र
बी-2 विंग दूसरा तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पूर्व में पर्यावरण भवन) सीजीओ कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
**आर के वी स्टील फ़ैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड**
सीआईएन U74899DL2008PTC144312
जिसका पंजीकृत कार्यालयः बी-659, गली सं.-8, राजवीर कॉलोनी, घरोली, दिल्ली-110096 भारत
के मामले में ... आवेदक

एतद् द्वारा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानान्तरित करने के लिए 15, जनवरी, 2020 को आयोजित कम्पनी की असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुपालन के कम्पनी की संस्था बहिर्नियमावली में परिवर्तन के सुनिश्चितकरण हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा के तहत कम्पनी केन्द्र सरकार से आवेदन करने के प्रस्ताव करती है।

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है। वह अपने हितों की प्राकृतिक को बताते हुये हलफनामे के द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को इस सूचना के प्रकाशन के तिथि 14 दिन के अन्दर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग दूसरा तल पर्यावरण भवन सीजीओ कम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 को प्रस्तुत या सुपुर्द या पंजीकृत डाक से भेजें। साथ ही इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी:
बी-659, गली सं. 8, राजवीर कॉलोनी, घरोली, दिल्ली-110096 भारत

कृते आर के वी स्टील फ़ैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
कपिल गर्ग
(निदेशक)
DIN: 00496112
नि.: एच-100, से. 12, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश भारत

दिनांक: 19.02.2020
स्थान: दिल्ली



ACRE
एसेट्स केयर एण्ड रीकंस्ट्रक्शन एन्टरप्राइज लिमिटेड,
द्वितीय तल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

**बिक्रीय सूचना**
**[सरफाएशी अधिनियम, 2002, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत]**

**स्विस चैलेंज विधि के तहत प्रतिभूत आस्ति की नीलामी हेतु संविदा के आमन्त्रण हेतु बिक्री सूचना**

जैसा कि, एसेट्स केयर एण्ड रीकंस्ट्रक्शन एन्टरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई) के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे वर्णित एसीआरई के बकायों + ब्याज एवं प्रभारों की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार निम्नलिखित खाते में **''जहाँ है जैसे है आधार'', ''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार''** पर निम्नलिखित सम्पत्ति की बिक्री के अधिकार सहित भौतिक कब्जा कर लिया था और जैसा कि बकायों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम, 2002) के नियम 8 एवं 9 के तहत कथित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है।

जैसा कि, उपर्युक्त के अनुसार सरफाएशी अधिनियम, 2002 एवं उसके तहत नियमों के साथ पठित विनियामक दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में **''जहाँ है जैसे है आधार'', ''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार''** पर **''स्विस चैलेंज विधि''** के तहत बिक्री हेतु एसीआरई के अधिकृत प्राधिकारी समस्त पात्र क्रेताओं से संविदाएँ आमन्त्रित करते हैं।

**स्विस चैलेंज विधि** के तहत बिक्री उच्चतम संविदा के मिलान करने का अधिकार रखने वाले प्रस्तावक के साथ वर्तमान प्रस्ताव (प्रस्तावक) पर आधारित है। यह नीलामी बाजारी मूल्य की खोज के लिए प्रकाशित की जा रही है अतः सम्पत्ति का क्रय करने का इच्छुक कोई अन्य क्रेता उच्चतर राशि का प्रस्ताव कर सकताहै जिसके लिए प्रस्ताव से मिलान होने की आवश्यकता है और यदि प्रस्तावक सम्पत्ति के मूल्य से मिलान में असफल होता है तो सम्पत्ति उस संविदाकार को बेची जा सकती है जिसके पास उच्चतर राशि का संविदा प्रस्ताव हो, अतः अस्वीकरण का प्रथम अधिकार प्रस्तावक का है।

हम बिक्री हेतु निम्नलिखित सम्पत्ति को नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों पर रखते हैं :

| खाते/कर्जदार तथा जमानतियों का नाम | प्रतिभूत आस्तियों का विवरण तथा कब्जा करने की तिथि | माँग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि | उपलब्ध प्रस्ताव (रु. में) | जमा धरोहर राशि (ईएमडी)(रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| **मैसर्स महालक्ष्मी कोल ट्रेडर्स** जमानती : श्री अजय अग्रवाल, श्री राजीव अग्रवाल, श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल, श्री विनोद कुमार गुप्ता, श्रीमती निर्मल गुप्ता, श्रीमती सीमा अग्रवाल, मैसर्स महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेज | श्री विनोद कुमार गुप्ता, श्रीमती निर्मल गुप्ता, श्री अजय अग्रवाल एवं श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल के स्वामित्व में आवासीय मकान नं. 213, सेक्टर-21, पंचकुला, हरियाणा, माप 300 वर्ग मीटर तथा कब्जा करने की तिथि : 10.09.2018 | 30.09.2015 तक 18.11.2015 रु. 577.13 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार | 2,40,00,000/– | 60,00,000/– |

| | |
|---|---|
| **संविदाओं की अन्तिम तिथि :** | 05.03.2020 को 2.00 बजे अपराह्न, जैसा कि नीचे नियमों एवं शर्तों में उल्लिखित है। |
| **संविदा खुलने की तिथि एवं समय** | 05.03.2020 को 2.30 बजे अप. |
| **दौरा करने की तिथि एवं समय :** | इच्छुक क्रेता/खरीददार अपना ड्यू डिलिजेन्स संचालित कर सकते हैं और 20.02.2020 से 04.03.2020 तक सामान्य कार्यालयी अवधि के दौरान किसी भी समय सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है, सम्पत्ति देखने के लिए कृपया श्री शुभांकर शर्मा (8826398181) से सम्पर्क करें। |

**नियम एवं शर्तें : 1)** सम्पत्ति **''जहाँ है जैसे है आधार'', ''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार''** पर **''स्विस चैलेंज विधि''** के तहत बेची जा रही है। अतः बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इन्डेम्निटी के है। 2) बिक्री सूचना में निर्दिष्ट सम्पत्ति के विवरण जैसे विस्तार तथा माप अधिकृत प्राधिकारी/एसीआरई की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कहे गये हैं और अधिकृत प्राधिकारी/एसीआरई किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तविक विस्तार तथा माप भिन्न हो सकते हैं। 3) अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान तथा सूचा के अनुसार सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। किन्तु इच्छुक संविदाकार को अपनी संविदा जमा करने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी पर रखी सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/शुल्कों के सम्बन्ध में अपनी निजी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। यह बिक्री सूचना अधिकृत प्राधिकारी/एसीआरई की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधान को निर्मित नहीं करती है और न निर्मित करती प्रतीत होगी। यह सम्पत्ति अधिकृत प्राधिकारी/एसीआरई के ज्ञात या अज्ञात समस्त वर्तमान तथा भावी ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/एसीआरई किसी भी थर्ड पार्टी दावे/अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे। बिक्री हेतु रखी सम्पत्ति के सम्बन्धि में संविदा जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकृति का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 4) इस बिक्री सूचना का भाग निर्मित करने वाले संविदा जमा दस्तावेज **''एसेट्स केयर एण्ड रीकंस्ट्रक्शन एन्टरप्राइज लिमिटेड''** के पक्ष में **नई दिल्ली में देय** रु. 500/– नकद/डीडी/पेऑर्डर द्वारा **अधिकृत प्राधिकारी, दूसरी मंजिल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली**–110001 से या **एनईएफटी/आरटीजीएस/धन अन्तरण द्वारा एसेट्स केयर एण्ड रीकंस्ट्रक्शन एन्टरप्राइज लिमिटेड के खाते में, नई दिल्ली में देय खाता सं.** 901102000004794, **आईडीबीआई बैंक, सीसी 22, होटल कॉन्कलेव एक्जीक्यूटिव, कालकाजी (सामने पारस सिनेमा) नई दिल्ली**–110019 **(आईएफएससी कोड सं. IBKL0000901)** में भुगतान करके 19.02.2020 **से** 05.03.2020 **को 5.15 बजे अप.** तक प्राप्त कर सकते हैं। संविदा जमा दस्तावेज एसीआरई की वेबसाइट **www.acreindia.co** से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। किन्तु डाउनलोड किये गये दस्तावेज के लिए संविदा जमा करते समय संविदा जमा दस्तावेज के शुल्क के रूप में रु. 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। 5) संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के विषय में निरीक्षण करना तथा स्वयं को सन्तुष्ट करना इच्छुक संविदाकारों का उत्तरदायित्व होगा। इच्छुक संविदाकार उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार साटि पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। 6) नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकारों को प्रस्ताव मूल्य के 25% (रु. 60,00,000/–) की प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी जो दिल्ली में देय **''एसीआरई–26–ट्रस्ट''** के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर के माध्यम से अथवा **एसीआरई–26–ट्रस्ट, खाता सं.** 0901102000032708, **आईडीबीआई बैंक लि., सीसी 22, होटल कॉन्कलेव एक्जीक्यूटिव, कालकाजी (सामने पारस सिनेमा) नई दिल्ली**–110019 **(आईएफएससी कोड सं. IBKL0000901)** के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/धन अन्तरण द्वारा 05.03.2020 **को 2.00 बजे अप.** तक जमा की जायेगी। 7) इच्छुक संविदाकार को ईएमडी के प्रति **''अधिकृत प्राधिकारी, एसेट्स केयर एण्ड रीकंस्ट्रक्शन एन्टरप्राइज लिमिटेड'', दूसरी मंजिल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली**–110001 को सम्बोधित मुहरबन्द लिफाफे में संलग्न (केवाईसी दस्तावेज, डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान की यूटीआर सं.) सहित पूर्ण रूप से भरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप संविदा जमा दस्तावेज में उपलब्ध जो उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त/डाउनलोड किये जाने हैं) जमा करने होंगे। मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर **''मैसर्स महालक्ष्मी कोल ट्रेडर्स की नीलामी में भाग लेने हेतु संविदा''** लिखना होगा। मुहरबन्द लिफाफे में संविदा **एसीआरई, दूसरी मंजिल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली**–110001 के रिसेप्शन पर रखे निविदा बॉक्स में 05.03.2020 **को 2.00 बजे अप.** तक डाले जा सकते हैं। मुहरबन्द संविदाएँ एसीआरई के पास उसी पते पर कोरियर या स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। पुनः संविदा की एक स्कैन्ड प्रति अधिकृत प्राधिकारी के पास **shubhankar.sharma@acreindia.co** पर भी ई–मेल करनी होगी किन्तु यह हर हालत में 05.03.2020 **को 5.00 बजे अप.** तक पहुँच जानी चाहिए। 8) केवाईसी दस्तावेज में शामिल हैं : **(i)** पहचान का प्रमाण वोडर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड आदि **(ii)** सम्पर्क का वर्तमान पता **(iii)** संविदाकार का पैन कार्ड **(iv)** वैध ई–मेल आईडी **(v)** संविदाकार का सम्पर्क नम्बर (मोबाइल/लैण्डलाइन) आदि। 9) हमें प्रस्ताव मूल्य पर पहले ही संविदाएँ प्राप्त हो गयी हैं, किन्तु कोई ऐसा संविदाकार जो अपनी संविदा जमा करता है उसे प्रस्ताव मूल्य से कम पर संविदा नहीं देनी चाहिए और जमा की गयी संविदा न्यूनतम रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख) या इसके गुणक में होनी चाहिए। 10) अधिकृत प्राधिकारी क्वालिफाइड संविदाकारों के मध्य इंटर–से बोली की अनुमति दे सकते हैं और यह क्वालिफाइड संविदाकार द्वारा कोट की गयी उच्चतम संविदा से प्रारम्भ होगी। 11) एक बार की गयी संविदा निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। 12) ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि की समाप्ति पर एसीआरई की आस्ति बिक्री समिति (एएससी) तथा अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं का परीक्षण करेंगे और क्वालिफाइड संविदाकारों के विवरण की पुष्टि करेंगे और यदि जरूरी हुआ तो इंटर–से बोली की तिथि तथा समय के विषय में सूचित करेंगे। 13) सफल संविदाकारों की ईएमडी पार्ट बिक्री राशि के प्रति रख ली जायेगी और उसे बिक्रय मूल्य के प्रति समायोजित कर दी जायेगी तथा असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। 14) सफल संविदाकार को पहले जमा ईएमडी को समायोजित करने के पश्चात विक्रय मूल्य की राशि 50% अधिकृत प्राधिकारी की स्वीकृति के 24 घण्टों के भीतर जमा करनी होगी जिसमें असफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी। विक्रय मूल्य का शेष 50% उच्चतम बोली की पुष्टि की स्वीकृति का पत्र (स्वीकृति पत्र) निर्गत करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यदि 15वाँ दिन शनिवार, रविवार या अवकाश होता है तो शेष 50% अगले कार्यदिवस पर जमा किया जा सकता है। सफल संविदाकार विक्रय राशि का भुगतान नई दिल्ली में देय **''एसीआरई–26–ट्रस्ट''** के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर के माध्यम से अथवा **एसीआरई–26–ट्रस्ट, खाता सं.** 0901102000032708, **आईडीबीआई बैंक लि., सीसी 22, होटल कॉन्कलेव एक्जीक्यूटिव, कालकाजी (सामने पारस सिनेमा) नई दिल्ली**–110019 **(आईएफएससी कोड सं. IBKL0000901)** के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/धन अन्तरण द्वारा करना होगा। उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा का भुगतान करने में असफल रहने पर संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी। 15) नीलामी कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद एएससी और अधिकृत प्राधिकारी उच्चतम संविदाकार को नीलामी का सफल संविदाकार घोषित करेंगे जो कि उपलब्ध प्रस्तावक तथा सरफाएशी अधिनियम, 2002 एवं उसके तहत निर्मित नियमों के तहत निर्गत बिक्री प्रमाण पत्र के इन्कार का विषय होगा। 16) सफल संविदाकारों द्वारा उपर्युक्त राशियों के निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से प्रदत्त राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः नीलामी पर रखा जायेगा तथा चूककर्ता संविदाकार का सम्पत्ति/राशि के परिप्रेक्ष्य में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। 17) सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक से संविदा राशि का शेष जमा करने के लिए लिखित में विस्तारित अवधि स्वीकृत कर सकते हैं। 18) नगर निगम/पंचायत के कर, बिजली के बकाये (यदि कोई हो) अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य प्रकार के कर का भुगता सफल संविदाकार द्वारा किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि लेन–देन से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के कर का वहन नीलामी क्रेता को करना होगा। 19) कन्वीएंस स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार, अभिनिर्धारण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभार हेतु प्रयोज्य वैधानिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता द्वारा किया जायेगा। 20) अधिकृत प्राधिकारी को किसी या सभी संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई पूर्व सूचना दिये तथा/अथवा उसके सम्बन्ध में बिना कोई कारण बताये बिक्री को आस्थगित/स्थगित/निरस्त करने/बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। 21) यदि अंग्रेजी तथा वर्नाक्यूलर भाषा में बिक्री सूचना के प्रकाशन में कोई अन्तर होता है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार–पत्र को वर्नाक्यूलर समाचार–पत्र पर वरीयता दी जायेगी और इसे ही अन्तिम माना जायेगा, इस प्रकार सभी अस्पष्टताएँ समाप्त मानी जायेंगी। 22) अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा निरपेक्ष है। 23) किसी स्पष्टीकरण/सूचना/निरीक्षण के लिए इच्छुक संविदाकार श्री शुभांकर शर्मा (8826398181) से सम्पर्क कर सकते हैं। 24) जो संविदाकार संविदा जमा करते हैं उन्हें माना जायेगा कि उन्हें बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उससे बँधे रहेंगे। 25) प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री सरफाएशी अधिनियम तथा नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा ऊपर उल्लिखित शर्तों का विषय है।

**यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सरफाएशी अधिनियम के तहत विधिक 15 दिवसीय बिक्री सूचना भी है** कर्जदार/जमानतियों को एतद्वारा नीलामी से पूर्व ऊपर उल्लिखित राशि अदा करने के लिए सूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई, उसे ब्याज तथा लागत सहित अन्य विधिक माध्यमों द्वारा वसूल किया जायेगा।

स्थान : पंचकुला
तिथि : 19.02.2020

ह./–
अधिकृत प्राधिकारी, एसेट्स केयर एण्ड रीकंस्ट्रक्शन एन्टरप्राइज लिमिटेड



**इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank**
क्षेत्रीय कार्यालय, 595 मलिक चौक, इंद्रा नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड

**कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8(1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद–13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस प्राप्ति की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टर द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणी/ऋणियों/गारन्टर को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन **इण्डियन ओवरसीज बैंक, सम्बन्धित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

| क्र.सं. | शाखा/ऋणी/बंधककर्ता के नाम | बंधक सम्पत्ति का विवरण | मांग सूचना की तिथि | कब्जा सूचना की तिथि | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **शाखाः नैनीताल (2804)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री बहादुर सिंह बिष्ट पुत्र स्व0 श्री दीवान सिंह, निवासीः डाइवे साइट, सेर-खा-डंडा तल्लीताल, नैनीताल, जिला- नैनीताल, पिन- 263002। **गारन्टरः** श्री अजय लाल, सी/ओ- स्वीट होम गेस्ट हाउस भवन हॉल कंपाउंड, तल्लीताल, नैनीताल, पिन- 263002। | बंधक आवासीय सम्पत्ति माप क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट, डाइवे साइट, शेर-खा-डंडा, तल्लीताल, नैनीताल सम्पत्ति स्वामी श्री बहादुर सिंह बिष्ट पुत्र स्व श्री दीवान सिंह। सीमायें:- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः नाला, उत्तरः श्री एन0एस0 चितवास का प्लॉट, दक्षिणः अन्य व्यक्ति का प्लॉट। | 21.11.2019 | 13.02.2020 | रु0 6,70,803/- दिनांक 29.01.2019 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 2. | **शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणीः** मुनेश शर्मा पुत्र करण सिंह, पताः राधा कृष्ण कॉलोनी, जशपुर खुर्द, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, मो0: 9568538361 **ऋणी/बंधककर्ताः** रानी शर्मा पत्नी मुनेश शर्मा, राधा कृष्ण कॉलोनी, जशपुर, खुर्द, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, मो0: 9927460920। **गारन्टरः** मसाहुब हुसैन पुत्र अब्दुल सलाम, ग्राम- कुंडा, तहसील- जशपुर, उधम सिंह नगर -244713। | बंधक भूमि खसरा नं0 201 ए मिन, स्थित ग्राम-नीझरा, तहसील-काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, माप क्षेत्रफल पूर्व 20 फीट, पश्चिमः 20 फीट, उत्तर 50 फीट, दक्षिण 50 फीट, कुल माप क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट एवं 92.93 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती रानी शर्मा पत्नी श्री मुनेश कुमार। **सीमायें:**- पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अन्य व्यक्ति की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि। | 25.10.2019 | 17.02.2020 | रु0 12,37,727/- दिनांक 10.02.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 3. | **शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ताः** गगन सिंह चौहान पुत्र पूरन सिंह चौहान, 125, शंकरपुरी, कठनाल, गोसाई, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। मो0: 9917902071। **गारन्टरः** रमा शंकर यादव पुत्र बुचनी यादव, निवासी राजाजी पुरम कॉलोनी, हेमपुर इस्माइल काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, मो0: 8864970758। | बंधक आवासीय सम्पत्ति, क्षेत्रफल 652.50 वर्ग फीट, स्थित खसरा नं0 274/2 मिन, खड़कपुर, देवीपुरा, काशीपुर, उधम सिंह नगर, सब-रजिस्ट्रार आफिस काशीपुर, सम्पत्ति स्वामी गगन सिंह चौहान। **सीमायें:**- पूर्वः अन्य व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, उत्तरः 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः विक्रेता की भूमि। | 22.11.2019 | 17.02.2020 | रु0 10,26,721/- दिनांक 11.02.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 4. | **शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणीः** पियूष मित्तल पुत्र पुरुषोत्तम मित्तल, निवासीः कुआंखेड़ा, निकट मोटेश्वर मंदिर, तहसील- काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, मो0: 8923005665 **बंधककर्ता/ऋणीः** श्रीमती नीलिमा पत्नी पियूष मित्तल, ग्राम- कुआंखेड़ा, निकट मोटेश्वर मंदिर, तहसील- काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। **गारन्टरः** राजा खान पुत्र केशर यार खान, निवासी 522 के, आवास विकास, वार्ड-3, सुभाष नगर, प्रताप नगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। | **मूल सुरक्षाः** बंधक भूमि खसरा नं0 43/4 मिन, माप क्षेत्रफल पूर्व 52 फीट, पश्चिम 52 फीट, उत्तर 20 फीट, दक्षिण 20 फीट, कुल क्षेत्रफल 1040 वर्ग फीट एवं 96.65 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम-कुआंखेड़ा, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती नीलिमा पत्नी पियूष मित्तल। **सीमायें:**- दिवेदी की भूमि, पश्चिमः अन्य व्यक्ति की भूमि, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य व्यक्ति की भूमि। | 30.11.2019 | 17.02.2020 | रु0 8,53,445/- दिनांक 11.02.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 5. | **शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ताः** ललिता देवी पत्नी ओमकार सिंह, मकान नं0 626, खंडकपुर, देवीपुरा, निकट सत्यम पैलेस, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, मो0: 9927786591। **गारन्टरः** राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दौलत राम, ग्राम- मंडुआ खेरा, मंझरा, जशपुर, उत्तराखण्ड -244713, मो0: 9917208829। | बंधक भूमि खसरा नं0 128 मिन, माप क्षेत्रफल पूर्व 40 फीट, पश्चिम 40 फीट, उत्तरः 55 फीट एवं दक्षिण 55 फीट। कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट एवं 204.46 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती ललिता पत्नी ओमकार सिंह, स्थित ग्राम- शिवलपुर दल्लु, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर। **सीमायें:**- पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अन्य व्यक्ति का प्लॉट, उत्तरः श्रीमती लक्ष्मी का प्लॉट, दक्षिणः इन्द्रपाल सिंह का प्लॉट। | 24.10.2019 | 17.02.2020 | रु0 5,37,245/- दिनांक 31.01.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 6. | **शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ताः** विनोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल, पताः खरकपुर, देवीपुरा, काशीपुर, उधम सिंह नगर- उत्तराखण्ड- 244713 **गारन्टरः** मौहम्मद उमर पुत्र रफीक अहमद, मकान नं0 218, मौहल्ला अली खान, काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। | बंधक भूमि एवं भवन (आवासीय सम्पत्ति) खसरा नं0 276 मिन का भाग स्थित ग्राम- खरकपुर देवीपुरा, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, माप क्षेत्रफल पूर्व 10 फीट, पश्चिम 10 फीट, उत्तर 55 फीट एवं दक्षिण 55 फीट, कुल क्षेत्रफल 550 वर्ग फीट एवं 51.11 वर्ग मीटर। सीमायें:- पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः जगबीर सिंह की भूमि, उत्तर रणजीत सिंह की सम्पत्ति, दक्षिणः बब्बन गुप्ता की भूमि। | 08.11.2019 | 17.02.2020 | रु0 3,99,538/- दिनांक 31.01.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 7. | **शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणीः** श्री पृथ्वी सिंह (मृतक) पुत्र श्री मोहर सिंह, ग्राम- पासीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, तहसील- काशीपुर, उत्तराखण्ड- 244713। **गारन्टरः** श्री बिहारी लाल पुत्र नेत्रराम यादव, पताः मकान नं0 429, गौतम नगर, क्रियाल आश्रम, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। | बंधक आवासीय सम्पत्ति ग्राम- पासीपुरा, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, खाता नं0 00038, खसरा नं0 197 मिन क्षेत्रफल 562.5 वर्ग फीट अर्थात् 52.27 वर्ग मीटर, विक्रेय विलेख दिनांक 04.07.2011, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर, बुक नं0 1, इलेक्ट, जिल्द नं0 2577, पेज नं0 147-158, क0 सं0 7184 दिनांक 04.07.2011 पर पंजीकृत है। कुल क्षेत्रफल 562.5 वर्ग फीट अर्थात् 52.27 वर्ग मीटर। सम्पत्ति स्वामी स्व0 श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, पासीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, तहसील- काशीपुर, उत्तराखण्ड- 244713। **सीमायें:**- पूर्वः राम मेहरोत्रा का प्लॉट, पश्चिमः 18 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विक्रेता की भूमि। | 31.07.2019 | 17.02.2020 | रु0 5,74,153/- दिनांक 31.01.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 8. | **शाखाः काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ताः** मैसर्स फखरुद्दीन क्लॉथ हाउस प्रोपराइटर फखरुद्दीन पुत्र श्री बाबू, निवासीः मकान नं0 788, कवनल गाजी कुमाऊं कॉलोनी, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, उत्तराखण्ड, मो0: 9927846616। **ऋणीः 1.** शाहीन पत्नी फखरुद्दीन, निवासीः मकान नं0 788, कवनल गाजी कुमाऊं कॉलोनी, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। **2.** प्रोपराइटर फखरुद्दीन पुत्र बाबू, निवासीः मकान नं0 788, कवनल गाजी कुमाऊं कॉलोनी, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। **गारन्टरः 1.** शमशुद्दीन पुत्र बाबू, निवासीः मकान नं0 314, कटोरताल, वार्ड नं0 20, विजय नगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, मो0: 9837527543। **2.** मौहम्मद युनुस पुत्र मौहम्मद सद्दीक, निवासीः मकान 0 314, ग्राम- कवनल गाजी, कुमाऊं कॉलोनी, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, मो0 9012610136। **3.** केवल किशन छाबरा पुत्र लाल चन्द्र छाबरा, निवासीः मकान नं0 133, वार्ड नं0 14, मौहल्ला सिंघण होली चौक, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713। | बंधक भूमि एवं भवन (आवासीय सम्पत्ति) आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 291/2, ग्राम- कवनल गाजी, काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, सम्पत्ति स्वामी फखरुद्दीन पुत्र श्री बाबू, मकान नं0 788, कवनल गाजी, कुमाऊं कॉलोनी, काशीपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। **सीमायें:**- पूर्वः 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः जोगेन्द्र सिंह की सम्पत्ति, उत्तरः एजाज ठेकेदार की सम्पत्ति, दक्षिणः यासीन की सम्पत्ति। | 08.11.2019 | 17.02.2020 | रु0 25,38,904/- दिनांक 31.01.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 9. | **शाखाः किच्छा (3605)** **ऋणीः** सकलैनी चूड़ी सेन्टर, प्रोपराइटरः श्री मौहम्मद सिम्मी पुत्र जमीर, निवासीः सिद्धू गली, किच्छा, जिला- उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)- 263148। **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री मौहम्मद सिम्मी पुत्र जमीर अहमद, निवासीः सिद्धू गली, किच्छा, जिला- उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) 263148 **गारन्टरः** श्री काशीम अहमद निवासीः वार्ड नं0 8, किच्छा, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। | बंधक आवासीय प्लॉट पूल विक्रेय विलेख क्र0 सं0 3024, खसरा नं0 305 माप क्षेत्रफल 157.62 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी मौहम्मद सिम्मी पुत्र जमीर अहमद, निवासीः वार्ड नं0 7, किच्छा, जिला- उधम सिंह नगर। **सीमायें:**- पूर्वः पंडित जी का मकान, पश्चिमः अनीश अहमद का मकान, उत्तरः 14 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता। | 05.12.2019 | 17.02.2020 | रु0 11,01,645/- दिनांक 31.01.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 10. | **शाखाः किच्छा (3605)** **ऋणी/बंधककर्ताः** मैसर्स फिरासत बर्तन स्टोर, प्रोपराइटर श्री फिरासत हुसैन, मैन मार्किट, बोरिंग वाली गली, किच्छा, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 263148। **गारन्टरः** श्री सदाकत हुसैन, निवासीः मकान नं0 347, छोटी मस्जिद-6 (तालाब), किच्छा, जिलाः उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 2631483। | बंधक आवासीय प्लॉट स्थित वार्ड नं0 7, किच्छा, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, खसरा नं0 431 मिन, माप क्षेत्रफल 1020 वर्ग फीट, सम्पत्ति स्वामी श्री फिरासत हुसैन एवं श्री सदाकत हुसैन। **सीमायें:**- पूर्वः सरकारी स्कूल, पश्चिमः नसीम का प्लॉट, उत्तरः मौहम्मद हनिफ का खेत, दक्षिणः 3.63 मीटर चौड़ा रास्ता। | 24.09.2019 | 17.02.2020 | रु0 10,76,491/- दिनांक 31.01.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |
| 11. | **शाखाः आदर्श टिहरी नगर (3372)** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्रीमती आरिफा पत्नी स्व0 मौहम्मद रहमत अली (मृतक प्रोपराइटर) ए/सी मैसर्स रजा ट्रेडर्स, ग्राम- पिस्सुपुरा, पोस्ट- धनपुरा, तहसील एवं जिला- हरिद्वार। **कानूनी वारिसः** श्री अफजल पुत्र मौहम्मद रहमत अली, ग्राम- पिस्सुपुरा, पोस्ट- धनपुरा, तहसील एवं जिला- हरिद्वार- 249404। **गारन्टरः** श्री जब्बार पुत्र गुलाम रसूल, ग्राम एवं पोस्ट -धनपुरा, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249404। | **सम्पत्ति नं0 1.** बंधक आवासीय भवन खसरा नं0 133 एम, स्थित ग्राम- पदार्थ उर्फ धनपुरा, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249404, माप क्षेत्रफल 1798.00 वर्ग फीट, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती आरिफा पत्नी स्व0 रहमत अली। **सीमायें:**- पूर्वः श्रीमती आरिफा का प्लॉट, पश्चिमः इद्दू की भूमि, उत्तरः राजपाल की भूमि, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता एवं घसीटा का खेत। **सम्पत्ति नं0 2.** बंधक आवासीय भूमि खसरा नं0 133 एम स्थित ग्राम- पदार्थ उर्फ धनपुरा (पिस्सुपुरा), परगना- ज्वालापुर, तहसील एवं जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249404, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती आरिफा पत्नी स्व0 रहमत अली। सीमायें:- पूर्वः शौकत की सम्पत्ति, पश्चिमः श्रीमती आरिफा की सम्पत्ति, उत्तरः राजपाल की सम्पत्ति, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता एवं घसीटा का खेत। | 23.10.2019 | 17.02.2020 | रु0 11,05,547/- दिनांक 31.01.2020 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे |

दिनांकः 18.02.2020 स्थान–देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक


www.readwhere.com

# कराची में रहस्यमय जहरीली गैस ने ली 14 लोगों की जान

कराची, 18 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के कराची शहर में रहस्यमय जहरीली गैस के रिसाव से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य बीमार पड़ गए। कराची के कीमारी इलाके में रविवार की रात लोग सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होने पर समीप के अस्पतालों में पहुंचने लगे, तब प्रशासन को इस घटना को लेकर अलर्ट किया गया।

डॉन अखबार के मुताबिक इस जहरीली गैस के रिसाव के स्रोत के बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। अधिकारियों के अनुसार अब तक 14 लोगों की जान चली गई है। जियाउद्दीन अस्पताल के प्रवक्ता आमिर शहजाद ने बताया कि पिछले दो दिनों में अस्पताल के कीमारी कैंपस में नौ मौतें हुई हैं। पुलिस के अनुसार दो अन्य मौतें कुटियाना अस्पताल में हुईं। दर्जनों अन्य व्यक्ति शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं।कराची के पुलिस प्रमुख गुलाम नबी मेमन ने कहा कि अब तक हमें इस घटना के संभावित कारण का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच कराची के आयुक्त इफ्तिकार शालवानी ने कहा कि एक जहाज इस जहरीली गैस का शायद कारण हो सकता है जिससे सोयाबीन या उसी जैसा कुछ और सामान उतारा जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब जहाज से सामान उतारना रोक दिया गया, बदबू भी गायब हो गई। हालाकि, समुद्री मामलों के मंत्री अली जैदी ने इस खबर को बकवास बताया कि ऐसा सोयाबीन के जहाज की वजह से हुआ, क्योंकि उसके चालक दल के सदस्य और जहाज सुरक्षित हैं।

# जापानी जहाज पर संक्रमित भारतीयों की हालत सुधरी

तोक्यो, 18 फरवरी (भाषा)।

जापान में समुद्र तट के पास अलग खड़े किए गए क्रूज जहाज पर सवार और कोरोना वायरस से संक्रमित छह भारतीयों की स्थिति में सुधार हो रहा है।

भारतीय दूतावास ने मंगलवार को यहां बताया कि जहाज पर इस घातक वायरस के 88 नए मामले सामने आए हैं जिससे इससे संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 542 हो गई है। जापान के तट पर इस महीने की शुरुआत में पहुंचे इस क्रूज जहाज पर सवार 3,711 लोगों में से कुल 138 भारतीय हैं। इनमें चालक दल के 132 सदस्य और छह यात्री शामिल हैं। जापान सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए अंतिम जांच पूरी हो गई है।

सरकार ने बताया कि 88 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं जिससे जहाज पर इससे संक्रमित लोगों की संख्या 542 हो गई है। क्रूज से पिछले महीने हांगकांग में उतरे एक यात्री के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि होने के कारण जहाज को अलग-थलग रखा गया है। दूतावास ने बयान में कहा, 'चालक दल के सभी छह भारतीय सदस्यों पर इलाज का असर हो रहा है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है।' दूतावास ने कहा कि वह जहाज पर सभी भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जापानी सरकार और जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ समन्वय कर रहा है।

## 500 यात्री आज निकाले जाएंगे

तोक्यो/लंदन, 18 फरवरी (एएफपी)।

जापान के तट पर खड़े क्रूज जहाज से लगभग 500 यात्री बुधवार को रवाना होंगे। उधर ब्रिटेन ने भी घोषणा कर दी है कि वह जहाज से अपने नागरिकों को निकालेगा।ब्रिटेन ने मंगलवार को कहा कि वह डायमंड प्रिसेंज जहाज से अपने नागरिकों को विमान से लेकर आएगा।

# वुहान के अस्पताल के निदेशक की मौत

बेजिंग, 18 फरवरी (एएफपी)।

चीन में अस्पताल के निदेशक की मंगलवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने यह जानकारी दी।

वुहान स्थित वुचांग अस्पताल के निदेशक लिउ झिमिंग की जान बचाने के सारे प्रयास विफल हो गए और उनकी मौत हो गई। लिउ से पहले कोरोना वायरस के कारण अस्पताल के निदेशक स्तर के व्यक्ति के मरने की खबर नहीं आई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से अब तक छह चिकित्सा कर्मियों की मौत हो चुकी है और 1,716 कर्मी इससे संक्रमित हैं। लिउ की मौत की खबर सबसे पहले चीनी मीडिया और ब्लागरों ने मंगलवार आधी रात के बाद दी थी लेकिन फिर खबर को हटा दिया गया था।

## भारतीय की मौत

दुबई में आवासीय अपार्टमेंट से गिरकर भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई। केरल निवासी सबील रहमान की मौत हो गई। (भाषा)

# पाक : परमाणु क्षमता वाली मिसाइल 'राड-2' का परीक्षण

इस्लामाबाद, 18 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान ने मंगलवार को 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की क्षमता वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल 'राड-2' का सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया। इसे भूमि और समुद्र में हमलों को नाकाम करने की सेना की क्षमता बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है।

सेना की मीडिया इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 'राड-2' शस्त्र प्रणाली अत्याधुनिक निर्देश और नौवहन प्रणाली से युक्त है ताकि अत्यंत सटीक तरीके से निशाना साध सके। विज्ञप्ति में कहा गया कि 600 किलोमीटर की क्षमता वाली क्रूज मिसाइल हवा से भूमि और समुद्र पर हमले को नाकाम करने की पाक सेना की रणनीतिक क्षमता बढ़ाएगी। पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल परीक्षण को देखा।

स्ट्रेटेजिक प्लांस डिवीजन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंज ने इस सफल प्रक्षेपण को पाकिस्तान की हमलों को रोकने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम करार दिया।

# जयशंकर की ईयू नेताओं से आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 फरवरी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ (ईयू) के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे विविध मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने यूरोपीय संघ की आयुक्त जुट्टा उरपिलाईनेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, ईयू के कारोबार मामलों के आयुक्त फिल होगान और यूरोपीय ग्रीन डील के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमंस समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात की।

जयशंकर जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने गए थे, वह सोमवार को ब्रुसेल्स पहुंचे। उनके इस दौरे का उद्देश्य अगले महीने होने वाले भारत-ईयू सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की योजना के मद्देनजर तैयारियों को देखना है। विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारी पर यूरोपीय संघ की आयुक्त जुट्टा उरपिलाईनेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के अपने अनुभवों के बारे में बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट किया, 'इन मुद्दों पर समन्वय भारत और ईयू दोनों के लिए लाभदायक रहेगा।'

ईयू की विदेशी मामलों से संबंधित परिषद में मंत्री ने सकारात्मक और उपयोगी परस्पर वार्तालाप भी किया। उन्होंने कहा, 'इसमें भाग ले रहे विदेश मंत्रियों, राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों और सबसे प्रमुख एचआर (उच्च प्रतिनिधि) जोसेफ बोरेलएफ का शुक्रिया। इस अहम साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ काम करने का इंतजार है।' जयशंकर ने ईयू के कारोबार मामलों के आयुक्त फिल होगान से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल की ईयू और ईयू-भारत संबंधों की परिकल्पना को लेकर उनकी प्रशंसा की और भरोसा जाताया कि उनके नेतृत्व में ठोस परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने यूरोपीय ग्रीन डील के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमंस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संवहनीयता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण व नवाचार संबंधी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, 'वार्तालाप के मुख्य मुद्दे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक थे। भारत में और ईयू के साथ हमारे संबंधों में उनकी गहन रुचि देखी।'

# 'करतारपुर गलियारे का खुलना पाक की शांति की इच्छा का प्रमाण'

लाहौर, 18 फरवरी (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने मंगलवार को कहा कि करतारपुर गलियारे का खुलना शांति और आपसी सौहार्द की पाकिस्तान की इच्छा का व्यावहारिक प्रमाण है। उन्होंने यह बात मंगलवार को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब का दौरा करने के बाद कही। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने जीवन के अंतिम दिन यहीं व्यतीत किए थे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति व इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अधिकारियों ने करतारपुर साहिब में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का स्वागत किया। यह स्थान लाहौर से 125 किलोमीटर दूर है।

# नेतन्याहू के खिलाफ 17 मार्च से शुरू होगी भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई

यरुशलम, 18 फरवरी (एएफपी)।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर 17 मार्च से सुनवाई शुरू होगी। नेतन्याहू पर कई मामलों में रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और विश्वासघात के आरोप हैं। आरोप हैं कि उन्होंने अरबपति दोस्तों से महंगे तोहफे लिए और बदले में नियामकीय रियायत दी।

एक संक्षिप्त बयान में अदालत ने कहा कि शुरुआती सुनवाई में नेतन्याहू के हाजिर होने की संभावना है। इजराइल में एक साल से भी कम समय में तीसरी बार दो मार्च को संसदीय चुनाव होना है। नेतन्याहू के प्रचार अभियान में भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश की गयी है जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व सैन्य प्रमुख बेनी गेंट्ज इसे जोर-शोर से उठा रहे हैं।


**SBI**
आईटी-पार्टनर रिलेशनशिप्स विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

**शुद्धिपत्र**

कृपया ईओआई सं. SBI/GITC/Partner Relationships/2019/2020/39 दिनांक 29/01/2020 का संदर्भ लें. शुद्धिपत्र दिनांक 18.02.2020 बैंक की वेबसाइट, https://bank.sbi या https://sbi.co.in पर 'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज' के अंतर्गत उपलब्ध है.
स्थानः नवी मुंबई | दिनांक: 19.02.2020
हस्ताक्षर - उप महाप्रबंधक (आईटी-पीआर)

**सार्वजनिक सूचना**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अपने आदेश सं. एनसीएलटी/सीएचडी/रेग/सीसी/1110 तिथि 11 फरवरी, 2020 के माध्यम से एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ ने गोल्डन केम-टेक लिमिटेड (अंतरक कम्पनी) तथा स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के समामेलन की योजना को स्वीकार किया है जो कम्पनी रजिस्ट्रार के पास आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की तिथि से प्रभावी होगा।

**स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये**
तिथिः 17.2.2020 हस्ता./-
स्थानः चंडीगढ़ (कम्पनी सचिव)

**ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**ओए नं. NDN/9091/2017**
**एक्सिस बैंक लिमिटेड ....आवेदक**
**बनाम**
**बीजू जनार्दन नैयर एवं अन्य .....प्रतिवादीगण**

सेवा में,
1. **बीजू जनार्दन नैयर**, पुत्र श्री जनार्दन नैयर, मकान सं. 1183, सेक्टर 7, एक्स्टें, गुड़गाँव हरियाणा-122001
**साथ हीः** मकान सं. 880, सेक्टर 31, फरीदाबाद, हरियाणा 121003, **साथ हीः** हॉनीवेल इन्टरनेशनल प्रा.लि., सेक्टर 36, पेस सिटी II, गुड़गाँव, हरियाणा-122001
2. **इन्दू बी नैयर**, मकान सं. 1183, सेक्टर 7, एक्स्टें, गुड़गाँव हरियाणा-122001
**साथ हीः** मेपुथूसेरिल हाउस, उझारू ईस्ट, कोट्टायम, साथ हीः मेपुथीसेरिल हाउस, उझारू ईस्ट, कोट्टायम
3. **एरा ग्रुप**, द्वारा उसके निदेशकों, बी-24, सेक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, **साथ हीः** 153, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110020

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने **रु. 11,65,111/- (रुपये ग्यारह लाख पैंसठ हजार एक सौ ग्यारह मात्र)** की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि **29.4.2020 को 10.30 पूर्वा.** में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, **30 जनवरी 2020** को दी गई।

**अधिकरण के आदेश से**
**रजिस्ट्रार**

**प्रपत्र सं. आईएनसी-26**
**[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]**
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
**सैविअर एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 4/2916, गली नं. 1-ए, तीसरा तल, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, नई दिल्ली पूर्वी दिल्ली डीएल, 110032 आईएन में है, के मामले में
........ **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 5.2.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः
**4/2916, गली नं. 1-ए, तीसरा तल, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, नई दिल्ली पूर्वी दिल्ली डीएल, 110032**

**कृत्ते एवं के लिये**
**सैविअर एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड**
**हस्ता./-**
**स्थानः नई दिल्ली** **रेखा खंडेलवाल**
**तिथिः 19.2.2020** **निदेशक**

**Karur Vysya Bank** Smart way to bank
**मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, सामने मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005**
**फोनः 011-28758374/ 2875375/ 76/ 77,**
**ई-मेलः delhido@kvbmail.com, bhaskaranps@kvbmail.com**

**अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर द करूर वैस्य बैंक लि. के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करूर वैस्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 1) मै. सेवॉय कंसेप्ट्स, श्रीमती संजीवा गुगलानी, श्रीमती श्रुति गुगलानी तथा श्री सुशांत गुगलानी का एक भागीदारी फर्म जिसके व्यवसाय का स्थान 576 आर, मॉडल टाउन, पानीपत-132103 में है, 2) श्रीमती संजीवा गुगलानी, पत्नी श्री सतीश गुगलानी, 3) श्रीमती श्रुति गुगलानी ऊर्फ श्रुति भाटिया, पत्नी श्री साहिल गुगलानी; 4) श्री सुशांत गुगलानी, पुत्र श्री सतीश गुगलानी; 5) श्री साहिल गुगलानी, पुत्र श्री सतीश कुमार गुगलानी; 6) श्री सतीश कुमार गुगलानी, पुत्र श्री भगवान दास (नं. 2 से 6ः निवासीः मकान सं. 576 (आर), मॉडल टाउन, पानीपत-132103; 7) श्री अशोक भाटिया, पुत्र श्री के.एल. भाटिया; 8) श्रीमती रमा भाटिया, पत्नी श्री अशोक भाटिया (दोनों 7 एवं 8 निवासीः एच. नं. 399 आर, मॉडल टाउन, पानीपत-132103); 9) श्री रमेश कुमार बजाज, पुत्र श्री देव राज बजाज, निवासीः एच. नं. 624, राम शरणम आश्रम, मॉडल टाउन पानीपत से करूर वैस्य बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 3,01,13,008.22 (रुपये तीन करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ तथा पैसे बाईस मात्र) की वसूली के लिये 13.3.2020 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। मद सं. 1 के लिये आरक्षित मूल्य रु. 15700000.00 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख मात्र) तथा क्रम सं. 2 के लिये रु. 34,00,000/- (रुपये चौंतीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान क्रम सं. 1 के लिये रु. 15,70,000/- (रुपये पन्द्रह लाख सत्तर हजार मात्र) तथा क्रम सं. 2 के लिये रु. 3,40,000/- (रुपये तीन लाख चालिस हजार मात्र) है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

**मद सं. 1**: पट्टी राजपूतन, आबादी शास्त्री कॉलोनी, पानीपत में स्थित खेवत नं. 3393 में शामिल इंडस्ट्रियल भूमि तथा भवन, माप लगभग 1000 वर्ग यार्ड्स तथा चौहद्दीः
उत्तरः रोड, दक्षिणः कुमार रेडियो, पूर्वः गुरुनानक हैंडलूम की सम्पत्ति, पश्चिमः श्मशान भूमि।
**मद सं. 2**: टीडीआई सिटी, पानीपत, हरियाणा में स्थित आवासीय प्लॉट नं. 83, ब्लॉक-सी, माप लगभग 260.22 वर्ग यार्ड्स तथा चौहद्दीः
पूर्वः प्लॉट नं. 84 पश्चिमः प्लॉट नं. 82
उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य भूमि।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक/ प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.kvb.co.in/ Property Under Auction में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मै. श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लि. का वेब पोर्टल https://eauctions.samil.in देखें।

**सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना**

एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

**तिथिः 17.2.2020** **मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थानः पानीपत** **द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड**

**दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (डब्ल्यूबी)-I**
**कमरा सं. 31, बी-बिल्डिंग वरुणालय, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005**
**एनआईटी सं. 29/डब्ल्यूबी-1/(2019-20)**
**प्रैस निविदा**

| क्रम सं. | कार्य का विवरण | आरक्षित मूल्य | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | दिल्ली (फेज-IV) में विभिन्न स्थानों पर 150 केएलडी (5 नग) तथा 300 केएलडी (02 नग) के फाइटोरिड शोधन तकनीक का उपयोग करते हुए 07 नग जलाशयों का जीर्णोद्धार (पुनर्आमंत्रित) | भाग-क (सिविल कार्य)- प्रतिशत दर राशि 105543250/- भाग-ख (ईएंडएम कार्य)-वस्तु दर | 2020_DJB_188205_1 17.2.2020 | 18.3.2020 के 3.00 बजे अप. तक। |

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/830 **कार्यपालक अभियंता (डब्ल्यूबी) I**

**दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम) डब्ल्यूएंडएस (पश्चिम)**
**सी-2ए, ब्लॉक जनकपुरी बूस्टर पम्पिंग स्टेशन कॉम्प्लैक्स, श्री गीता मंदिर के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058**
**'प्रैस ई-एन.आई.टी.' ई-एनआईटी नं. 27/ईएंडएम (पश्चिम)/2019-20**

| क्रम सं. | कार्य का विवरण | कार्य का लगभग मूल्य दरों की अनुसूची पर आधारित/लम्प सम (रु. लाख) | धरोहर राशि (प्रतिदेय) (रु.) | निविदा शुल्क (प्रतिदेय) (रु.) | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि | ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजाबी बाग बीपीएस में 1000 एमएम डाया डेलिवरी लाइन के लिये उपयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का एसआईटीसी। मैकः क्रोहने (फोर्ब्स) मार्शल/एबीबी/सिमेन्स/एन्ड्रेश + हाउजर/दि.ज.बो. स्वीकृत मैक | वस्तु दर | 4492544/- | 500/- | 14.2.20 2020_DJB_188023_1 | 22.2.2020 |

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.com पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/824 **कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम) डब्ल्यूएंडएस (पश्चिम)**

**कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली**
**4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001**
**बिक्री उद्घोषणा**

**आर.सी. नं. 400/2019** **तिथिः 08.01.2019**

**बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा**

**यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम प्रेम कुमारी**

सेवा में,
**सीडी नं. 1: प्रेम कुमारी**, मकान नं. 667 ए, तृतीय मंजिल, ब्लॉक-सी, सुदर्शन पार्क, दिल्ली
**साथ हीः** म.नं. 752-ई, द्वितीय मंजिल, लोहिया गली, मिनी मार्केट, पूर्वी बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली
**सीडी नं. 2: मुकेश त्रिपाठी**, मकान नं. 667 ए, तृतीय मंजिल, ब्लॉक-सी, सुदर्शन पार्क, दिल्ली
**साथ हीः** म.नं. 752-ई, द्वितीय मंजिल, लोहिया गली, मिनी मार्केट, पूर्वी बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली
**सीडी नं. 3: लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र शम्भूदयाल शर्मा**, बी-10/741, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली

यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ओए के दर्ज होने की तिथि अर्थात 21.09.2017 से 10.25% ब्याज तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय लागतों सहित पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा जारी 2017 के ओ.ए. नं. 781 में तैयार रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार **रु. 23,93,806.09/- (रुपये तेईस लाख तिरानबे हजार आठ सौ छः एवं 9 पैसे मात्र)** आप पर बकाया हो गया है।

2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूचित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 26.03.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी तथा संविदा द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली **"ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली"** के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स **ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्योर)**, ए201/208, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) दूरभाष : +91 079 61200594/598/568/587/538 के माध्यम से वेबसाइट **https://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से की जायेगी।

4. किसी पूछताछ के लिए **श्री नितीश झा, मोबाइल नं. 7982880393, ई-मेल : delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।**

5. अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करेंः **श्री अशोक कुमार, सीएच बैंक के मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं.** 8569816777 से सम्पर्क करें। यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार हैः

| क्रम सं. | सम्पत्तियों का विवरण | आरक्षित मूल्य/ईएमडी |
|---|---|---|
| 1 | सम्पत्ति संख्या 752-ई, दूसरा तल, छत रहित, लोहिया गली, मिनी मार्केट, पूर्वी बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली। | रु. 19,10,000/- (रुपये उन्नीस लाख दस हजार मात्र) ज.ध.रा. रु. 1,91,000/- (रुपये एक लाख इक्यानबे हजार मात्र) |

सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- **(रु. पचास हजार मात्र)** है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।

3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।

4. ईएमडी का भुगतान 24.03.2020 तक **रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III दिल्ली** के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, **वसूली अधिकारी क, डीआरटी-III,** दिल्ली के पास जमा की जायेगी।

6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 **बजे अप. तक ऊपर पैरा में वर्णित विवरणों के अनुसार** उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद **अपनी अंतिम बोली राशि के 25%** का भुगतान करना होगा।

7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा **यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार** होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में **अंतिम बोली राशि के शेष 75% का** भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को **रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/-** की उक्त राशि के अधिक पर 1% **की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली** के पक्ष में **डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क** का भी भुगतान करना होगा।

8. संभावित बोलीदाता 20.03.2020 को 11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।

10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।

11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

12. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्ति पर राजस्व/अधिभारों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन, संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में बिजली/पानी/मकान कर के बिलों के बकाये अथवा किसी अन्य अधिभारों के विषय में अपना स्वयं का ड्यू डिलिजेन्स कर लें।

13. सीएच बैंक को इसमें दिये गये विवरणों की पुष्टि करने तथा सत्यता की जाँच करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर **8 जनवरी, 2020** को दी गई।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

**कार्पोरेशन बैंक**
**आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ-250001**
**कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति के लिए) [Rule - 8(1)]

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कार्पोरेशन बैंक** अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतद्द्वारा ऋणियों/गारन्टरों को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार **कार्पोरेशन बैंक** को देय राशि व सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

| शाखा का नाम | ऋणी और जमानती के नाम | कब्जा नोटिस की तारीख | मांग नोटिस की तारीख | मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| सिकंदराबाद | ऋणकर्ताः -1 मैसर्स वी के ऑटोमोबाइल प्रो. श्री यशपाल सिंह पताः जीटी रोड कोल्ड स्टोरेज के सामने, सिकंदराबाद, बुलंदशहर - 203205 2. श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री सूरजपाल सिंह चौहान बी -32 यमुना पुरम बुलंदशहर - 203001 | 13.02.2020 | 19.10.2019 | रूपये 57,00,681.00 (रुपये सत्तावन लाख छः सौ इक्यासी केवल) + ब्याज व अन्य खर्चे |
| बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-ईएमजी एक आवासीय प्लाट खेत नंबर 1242, सिकंदराबाद देहात क्षेत्रफल 168.58 वर्ग मीटर, स्थित सिकंदराबाद देहात, परगना और तहसील - सिकंदराबाद, जिला - बुलंदशहर, संपत्ति श्री यशपाल सिंह के नाम, सीमायें:-पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः बालमुकुंद का प्लॉट, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट और उसके बाद नाला, दक्षिणः सिकंदराबाद बुलंदशहर रोड | | | | |
| शामली | ऋणकर्ताः - 1. मैसर्स सलोनी बैंगल्स स्टोर प्रो. श्री अजीत कुमार पताः गांधी चौक, शिव मूर्ति के पास, शामली -247776 (यूपी) 2. श्री अजीत कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी- 106 शुगर मिल कालोनी नई बस्ती पंसारियान शामली-247776 गारंटरः 3. श्रीमती कमलेश देवी पत्नी राजपाल सिंह पताः 106 शुगर मिल कॉलोनी नई बस्ती पंसारियान शामली- 247776 4 प्रमिता देवी पत्नी अजीत कुमार पताः 106 शुगर मिल कॉलोनी नई बस्ती पंसारियान शामली-247776 | 13.02.2020 | 19.10.2019 | रूपये 4,68,551.00 (रुपये चार लाख अड़सठ हजार पांच सौ इक्यावन केवल) + ब्याज व अन्य खर्चे |
| बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-ईएमजी संपूर्ण उत्तरी फेसिंग मकान, क्षेत्रफल 76.61 वर्ग मीटर, खसरा नं 213 स्थित मौ. नईबस्ती (आवासीय) शामली परगना और तहसील शामली जिला शामली, संपत्ति श्रीमती कमलेश पत्नी श्री राजपाल और श्रीमती प्रमिता रानी पत्नी श्री अजीत कुमार के नाम। संपत्ति की संयुक्त सीमायें: पूर्वः सुभाष सिंह का प्लॉट नंबर 6, पश्चिमः रविंदर आदि की भूमि, उत्तरः 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः सुभाष सिंह का प्लॉट नंबर 1 | | | | |
| शामली | ऋणकर्ताः -1 (ए) मैसर्स अहमद डेयरी प्रो. श्री मुश्ताक अहमद पताः मोह. काजीवाड़ा शामली -247776 (यूपी) (बी) श्री मुश्ताक अहमद पुत्र भीका निवासी -मोह. काजीवाड़ा, शामली-247776 मो-9027859587 गारंटरः- 2 (ए) श्री असावक कुरैसी पुत्र गफ्फार कुरैसी पताः ग्राम टपराना, शामली - 247776 | 15.02.2020 | 06.07.2019 | रूपये 4,00,371.00 (रुपये चार लाख तीन सौ इकहत्तर केवल) + ब्याज व अन्य खर्चे |
| बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-ईएमजी पूर्व फेसिंग मकान क्षेत्रफल 76.88 वर्ग मीटर, स्थित मोह. काजीवाड़ा शामली परगना और तहसील शामली जिला शामली, संपत्ति श्री मुश्ताक अहमद पुत्र श्री भीका के नाम, सीमायें:-पूर्वः गली का रास्ता, पश्चिमः रासो का मकान, उत्तरः सलमीन का मकान, दक्षिणः शमीम और अन्य का मकान। | | | | |
| मेरठ मैन | ऋणकर्ताः- मैसर्स आर्यन वैराइटी स्टोर प्रो. श्री अतुल कुमार गुप्ता ए-653, सैनिक विहार, कंकरखेड़ा, मेरठ-250001 गारंटरः- श्रीमती सोनिया पत्नी अतुल कुमार गुप्ता [illegible] | 15.02.2020 | 19.10.2019 | रूपये 5,59,960.20 (रुपये पांच लाख उनसठ हजार नौ सौ साठ और बीस पैसे केवल) + ब्याज व अन्य खर्चे |
| बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-[illegible] | | | | |
| मेरठ मैन | ऋणकर्ताः- 1 (ए) मैसर्स महावीर एंटरप्राइजेज, प्रो. अंकित जैन, [illegible] 1 (बी) श्री अंकित जैन पुत्र राकेश जैन [illegible] गारंटरः- 2 श्रीमती चंचल जैन पत्नी श्री अंकित जैन [illegible] | 15.02.2020 | 16.11.2019 | रूपये 15,35,612.68 (रुपये पंद्रह लाख पैंतीस हजार छः सौ बारह रुपए और अड़सठ पैसे केवल) + ब्याज व अन्य खर्चे |
| बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-[illegible] | | | | |
| मेरठ मैन | ऋणकर्ताः- मैसर्स संजय मित्तल किराना स्टोर प्रो. श्री संजय 133/3, नदपुरी कंकरखेड़ा मेरठ-250001 गारंटरः- श्री संजय मित्तल पुत्र श्री राज कुमार मित्तल [illegible] | 15.02.2020 | 19.10.2019 | रूपये 6,68,865.00 (रुपये छः लाख अड़सठ हजार आठ सौ पैंसठ केवल) + ब्याज व अन्य खर्चे |
| बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-[illegible] | | | | |
| मेरठ मैन | ऋणकर्ताः- 1 (ए) मैसर्स एस के डेयरी प्रो. श्री संजय कुमार [illegible] | 15.02.2020 | 16.11.2019 | रूपये 17,65,311.00 (रुपये सत्रह लाख पैंसठ हजार तीन सौ ग्यारह रुपये केवल) + ब्याज व अन्य खर्चे |
| बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण-[illegible] | | | | |

दिनांक - 18.02.2020 स्थान- सिकंदराबाद, शामली, मेरठ प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेशन बैंक


www.readwhere.com

## नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

0164-2270231, 2760262 0164-2760270

[illegible]

www.nationalfertilizers.com www.eprocure.gov.in www.tenderwizard.com/NFL


**कामा होल्डिंग्स लिमिटेड**
सीआईएन : L92199DL2000PLC104779
**पंजीकृत कार्यालय** : द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, इकाई सं. 236 एवं 237, दूसरी मंजिल, मयूर प्लेस, नोएडा, लिंक रोड, मयूर विहार फेज–I एक्सटेंशन, दिल्ली–110091
**कॉर्पोरेट कार्यालय** : ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम–122003,
दूरभाष : (+91–124) 4354400 ड्ट फैक्स : (+91–124) 4354500
ई–मेल : info@kamaholdings.com
वेबसाइट : www.kamaholdings.com

**सूचना**

कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत निर्मित नियमों की धारा 91 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मंगलवार, 25 फरवरी, 2020 को आयोजित होने वाली अपनी बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा इक्विटी तथा असूचीबद्ध अधिमान शेयरों, यदि कोई हो, पर अन्तरिम लाभांश 2019–20 प्राप्त करने के लिए पात्र सदस्यों के नाम सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को ''रिकॉर्ड तिथि'' के रूप में निर्धारित किया गया है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.kamaholdings.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट– www.bseindia.com, स्टॉक एक्सचेंज पर भी उपलब्ध है जहाँ कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते कामा होल्डिंग्स लिमिटेड
ह./–
एकता माहेश्वरी
(पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ एवं कम्पनी सचिव)

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 18 फरवरी, 2020

---

## पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank
भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय: प्लाट सं–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

**ई–निविदा सूचना**

पंजाब नैशनल बैंक सिविल लाइंस दिल्ली में बैंक के कॉम्प्लेक्स में वर्षा जल संचयन तंत्र को प्रदान करने के लिए ई–निविदा आमंत्रित करता है।
कार्य की अनुमानित लागत ₹29.95 लाख है। ईएमडी : ₹30,000/–। निविदा लागत ₹1180/– (जीएसटी सहित)। पुनः एन्क्रिप्शन और बोली जमा करने के लिए अंतिम तिथि **11.03.2020 को 1400 बजे** तक है।
विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **https://etender.pnbnet.in** पर जाएं। उपर्युक्त कार्य के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट **https://etender.pnbnet.in** पर जारी किया जाएगा जो कि नियमित रूप से देखी जा सकती है।

मुख्य प्रबंधक

---

## RACL Geartech Limited
CIN : L34300DL1983PLC016136
Regd. Office: 15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019
Phones: +91-11-66155129, +91-120-4588500 | Fax No.: +91-120-4588513
E-Mail: info@raclgeartech.com | Website: www.raclgeartech.com

**NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATES**

NOTICE is hereby given that following share certificate(s) issued by the Company are stated to be lost/ misplaced and the registered holder thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificates:

| Folio No. | Name of The Shareholder | Share Certificate (s) No. | Distinctive No. From | Distinctive No. To | No. of Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 0006585 | Balbhadra Thakur | 11547-11549 | 3753708 | 3754007 | 300 |

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/ have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificates should lodge such claim at its Registered Office at the address given above within 15 days of the publication of this Notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates.

For RACL Geartech Limited
Sd/-
Gursharan Singh
Chairman & Managing Director

Place: Noida
Date: 18th February, 2020

---

## दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड
दिल्ली हाट, पीतम पुरा
रोड नं 41, टीवी टॉवर के समीप, पीतम पुरा, दिल्ली
फोन नं. 27317663, ई–मेल: dillihaatpp_dttdc@yahoo.in

Delhi Tourism

**निविदा सूचना**

दिल्ली सरकार की ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम एवं ई–ऑक्शन वेबसाइट द्वारा निम्नलिखित हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं

1. दिल्ली हाट, पीतम पुरा में लाइसेन्स फीस आधार पर बैंक्वटिंग, सामाजिक समारोह, रेस्त्रां, पार्टियों हेतु दो हॉल उपलब्ध. निविदा सं: DHPP/e-Auction/Halls/02/2020-21/3years
2. दिल्ली हाट, पीतम पुरा के नॉन–टिकटिंग क्षेत्र में फूड कयॉस्क, बुक शॉप, फ्लावर शॉप चलाने हेतु 3 दुकान उपलब्ध. निविदा सं: 2020_DTTDC_188139_1
3. दिल्ली हाट, पीतम पुरा में लाइसेन्स फीस आधार पर जिम, योग सेन्टर, हॉबी कोर्स, म्यूजिक स्कूल, स्किल डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेन्स रुम/को –वर्किंग स्पेस, इम्पोरियम, शोरुम, बुटिक, गिफ्ट शॉप, ज्वैलरी शोरुम आदि चलाने हेतु कॉन्फ्रेन्स हॉल नं. 2 एवं 3 उपलब्ध. निविदा सं 2020_DTTDC_188150_1

निविदा हेतु वर्णित नियम एवं शर्तों के साथ निविदा दस्तावेज की विस्तृत जानकारी दिल्ली सरकार की वेबसाइट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** एवं **www.tenderwizard.com/DTTDC** से डाउनलोड की जा सकती है।
ई–निविदा/ ई–आवश्न जमा करने की अंतिम तिथि 13.03.2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक तथा जिसे 13.03.2020 को अपराह्न 3.30 बजे 18–ए, डीडीए शॉपिंग सह आफिस कॉम्पलेक्स, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 में खोला जाएगा।
**शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा तो केवल दिल्ली सरकार/ टेण्डर विजार्ड वेबसाईट पर ही जारी किया जाएगा।**

प्रबंधक (दिल्ली हाट पीतम पुरा)

---

## सिंडिकेट बैंक
SyndicateBank
38, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, दिल्ली
ईमेलः br.9039@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 9039/आरईसी/सेल/आईबीएसईबी/2020 दिनांक : 17.02.2020

**परिशिष्ट–IV–ए**
**[देखें नियम 8(6) का प्रावधान]**
**अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधार(कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की मै. रेबसेब डिजायन्स, प्रॉप्राईटर – श्री दिनेश नागपाल, सी–62, सुदर्शन पार्क, मोती नगर के निकट, नई दिल्ली–110015 तथा साथ हीं : ए3/242, जैन मंदिर के सामने, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110063 तथा श्रीमती दर्शन नागपाल (गारन्टर) निवासीः ए3/242, जैन मंदिर के सामने, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110063 से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये 31.02.2020 को रु. 46,57,742.95 (रुपये छियालिस लाख सत्तावन हजार सात सौ बयालिस तथा पैसे पंचानवे मात्र) की वसूली के लिये 26.03.2020 को ''जैसा है जहाँ है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी है वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य रु. 1,00,00,000/– तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 10,00,000/– होगी।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

सम्पत्ति सं. ए–3/242, पश्चिम विहार, नई दिल्ली, माप 150 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित भू तल का आवासीय फ्लैट (बिना छत के अधिकार के) तथा चौहद्दीः
उत्तरः 15' चौड़ा सर्विस लेन,
दक्षिणः 30 फीट चौड़ा रोड
पूर्वः सम्पत्ति सं. 241,
पश्चिमः सम्पत्ति सं. 243
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया–आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.syndicatebank.in में दी गई लिंक देखें।

तिथि :17.02.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — (सिंडिकेट बैंक)

---

SyndicateBank
**शाखा ईस्ट पटेल नगर**
**7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–110008**
**टेली.: 011–25860570, फैक्सः 011–25752545**

**प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 202 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना**

एतद्द्वारा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 (2002 के 54) की धारा 13 (2) के अंतर्गत इस मांग सूचना द्वारा नीचे वर्णित ऋणधारक तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें/ उनकी गारन्टी पर स्वीकृत साख सुविधाओं के लिये बकाया राशि का भुगतान करें।
यदि आप अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत इस सूचना के अनुसार आगे के ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों आदि के साथ बैंक को नीचे वर्णित राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वर्णित किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।
साथ ही आपको यह सूचना भी दी जाती है कि धारा की उप–धारा 13 के अनुसार बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूति परिसम्पत्ति का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप में अंतरण नहीं करेंगे। बकाया राशि के साथ खाता तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

| क्रम सं. | ऋणधारकों तथा गारन्टरों का नाम | गिरवी सम्पत्ति का विवरण | बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सुरेश कुमार (ऋणधारक): पुत्र मुख्तियार सिंह, क्वा.नं. सी–13, एलएनजेपी हॉस्पीटल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली–110002<br>साथ हीं: बी–14, हॉस्पीटल क्वार्टर्स, एलएनजेपी हॉस्पीटल, जी.बी. पंत हॉस्पीटल के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली–110002<br>साथ हीं: जे–337, सुन्दर नगरी, शाहदरा, दिल्ली– 110032<br>साथ हीं: फ्लैट नं. 101 (एमआईजी), भू तल, (एरिया– 55.73 वर्ग मी.), प्लॉट नं. 980, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–1, परगणा–लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद।<br>गारन्टरः श्रीमती शशिबाला, बी–14, हॉस्पीटल क्वार्टर्स, एलएनजेपी हॉस्पीटल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली<br>गारन्टरः श्रीमती मंजूबाला, सीजीएचएस डिस्पेंसरी, ए–3, टाइप–III, क्वार्टर्स, हरि नगर, नई दिल्ली | फ्लैट नं. 101 (एमआईजी), भू तल, (एरिया– 55.73 वर्ग मी.), प्लॉट नं. 980, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–1, परगणा– लोनी, तह. तथा जिला गाजियाबाद। | 20.01.2020 को रु. 2266251.98 तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि |

तिथिः 20.01.2020 — (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली — सिंडिकेट बैंक

---

## दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय कार्यपालक अभियंता (एम)–III/एनजीजेड
कारगिल अपार्टमेंट के सामने, सैक्टर–12, द्वारका, नई दिल्ली–110078

**निविदाओं हेतु प्रेस सूचना**

**एनआईटी नं. ईई एम–III/एनजीजेड/टीसी/19–20/23 दिनांक: 17.02.2020**

आयुक्त/एसडीएमसी की ओर से ईई (एम)–III/एनजीजेड द्वारा एमसीडी के उपयुक्त वर्ग के पंजीकृत ठेकेदारो से ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं समय–सारणी के अनुसार प्राप्त की जाएंगी और डिविजन ईई (एम)–III/एनजीजेड के कार्यालय में 09.03.2020 को 10:30 बजे खोली जाएंगी। दरों की वैधता एनआईटी के खुलने की तिथि से 5 माह है और समझौते के मामले में समझौते की तिथि से है। इन निविदाओं के संबंध में संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, समय विस्तार आदि के सभी विवरण केवल एसडीएमसी वेबसाइट पर अपलोड किये जाएंगे और समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किये जाएंगे। यह फर्म/निविदादाता की जिम्मेदारी होगी कि वह वेबसाइट के माध्यम से निविदाओं के संबंध में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें। एसडीएमसी वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नही होने पर जिम्मेदार नहीं होगा।

निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि: 09.03.2020 को 10.00 बजे तक। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 09.03.2020 को 10.01 बजे। वित्तीय निविदा खुलना: 09.03.2020 को 10.30 बजे।

निविदा लाइन नं 1 के सभी विवरण एसडीएमसी वेबसाइट **https://www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER** पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालक अभियंता
**RO No. 160/DPI/S/2019-20** — डिविजन (एम)–III/एनजीजेड

---

## उत्तरी दिल्ली नगर निगम
**अधिशासी अभियंता (परियोजना) का कार्यालय**
**करोल बाग क्षेत्र, अंडर जखीरा फ्लाईओवर, नई दिल्ली–35**

**एनआईटी सं. 10/ईई(परि.)/टीसी/केबीजेड/19–20 दिनांक: 14.02.2020**

ऑनलाइन टेंडरिंग समय सारणी के लिए कृपया **www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** देखें। उत्तरी दि.न.नि. द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु दि.न.नि. (सामान्य विंग) के साथ पंजीकृत अनुमोदित एवं पात्र ठेकेदारों से निम्न समय सूची के अनुसार मुहरबंद प्रतिशत/मद दर निविदायें आमंत्रित किये जाते हैं तथा जो समय सारणी के अनुरूप स्वीकार किये जायेंगे और जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **http://mcdetenders.com** पर 28.02.2020 को 3.15 बजे खोला जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| निविदा दस्तावेज क्रय की प्रारम्भ तिथि | : | 15.02.2020 को दोपहर 3.00 बजे |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | : | 28.02.2020 दोपहर 3.00 बजे |
| वित्तीय बोली का खुलना | : | 28.02.2020 दोपहर 3.15 बजे |

**क्र.सं. 1, कार्य का नामः** राम जस लेन, वार्ड नं. 92 एन, करोल बाग क्षेत्र के एम.सी. प्राथमिक विद्यालय (बालिका) में 10 नं. कक्षाओं तथा एक हॉल का निर्माण। पार्ट 'ए' (सिविल कार्य), पार्ट 'बी' मद दर (आरक्षित मूल्य), पार्ट 'सी' मद दर (इलेक्ट्रिक कार्य), **अनुमानित राशिः** रु. 26320007/–, **निविदा राशिः** 20931679/– पार्ट 'ए' प्रतिशत दर (सिविल कार्य), पार्ट 'बी' मद दर (आरक्षित मूल्य) रु. 2,40,000/–, पार्ट 'सी' मद दर (इलेक्ट्रिक कार्य), **धरोहर राशिः** 526600/–, **लेखा शीर्षः** XL-VII-Edu., **निविदा मूल्यः** 1500/–, **समापन अवधिः** 15 महीने, **दर की वैधताः** 5 महीने।

इस एनआईटी के जारी होने की तिथि तक दि.न.नि./उत्तरी दि.न.नि. द्वारा समय–समय पर जारी सभी सर्कुलर लागू होंगे। निविदा का विस्तृत विवरण **www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** पर देखा जा सकता है।

टिप्पणीः ठेकेदार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नाम पर उत्तरी दि.न.नि. की साइटों के लिए मारूती सुजुकी सियेज ऑटोमेटिक (पैट्रोल) निर्मित 01 (एक) नया निरीक्षण वाहन (नवीनतम मॉडल) उपलब्ध कराना होगा।

आरओ सं. 225/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 — अधि. अभि. (परियोजना)/केबीजेड

---

# IDBI BANK
**(CIN: L65190MH2004GOI148838)**

# मेगा ई–नीलामी सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, प्रथम तल, वीडियोकोन टॉवर, ई–1, झंडेवालान एक्स., नई दिल्ली– 110055
फोनः 011-66083056, 011-66083065, 011-66084896

**वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री दिनांक 12.03.2020 (संपत्ति क्रम सं. 1 से 8) एवं दिनांक 21.03.2020 (संपत्ति क्रम सं. 9 से 15) को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होनी है, के लिए मेगा ई–नीलामी बिक्री सूचना**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण व विशेषतः ऋणी (यों) व गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां/प्रतिभूतित परिसंपत्तियां प्रतिभूतित ऋणदाता (आईडीबीआई बैंक लि.) को गिरवी प्रभारित हैं। चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) अंतर्गत प्रत्येक ऋणी के लिए नीचे दिए गए विवरण अनुसार ऋणीयों, गारंटरों/गिरवीकर्ताओं (यहां के बाद ऋणीयों के रूप में संदर्भित) से राशि की वसूली के लिए मांग सूचना जारी की थी। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में वर्णित शक्तियों के अनुपालन में, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित प्रतिभूतित संपत्तियों का भौतिक/सांकेतिक कब्जा ले लिया है। चूंकि प्रतिभूतित संपत्तियों की बिक्री उस पर बैंक द्वारा व्यय लागतों व शुल्कों, भावी ब्याज सहित वसूली, यदि कोई है को छोड़कर मांग सूचना अनुसार ऋणीयों से आईडीबीआई बैंक लि. को देय प्रतिभूतित ऋणों की वसूली के लिए सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा की जाएगी। आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

**प्रतिभूति संपत्तियों की बिक्री की अनुसूची**

| क्र.सं | उधारकर्ता का नाम | मांग सूचना की तिथि और निम्न वर्णित बकाया देय राशि | प्रतिभूति संपत्तियों का विवरण | कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक) | कब्जे की तिथि | आरक्षित मूल्य | जमा धरोहर राशि (ईएमडी) | ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि | खाते का विवरण जिसमें ईएमडी को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना है और आईएफइसई कोड | संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय | वृद्धिशील बोली | प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अजीतव नायक | 11.01.2019 और रु. 70,71,015/- | फ्लैट नं. 1901, 19 वां तल, टॉवर–ए, आम्रपाली प्लेटिनम, सेक्टर–119, प्लॉट नं. जीएच–01, नोएडा | सांकेतिक | 07.08.2019 | रु. 91,96,000/- | रु. 9,19,600/- | 11.03.2020 | खाता संख्या- 41337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000413 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 10,000/- | श्री रोहित मेहरा, 011–66084896 और श्री अजय मल्ला 011–66083001 |
| 2. | श्री सुनील सिंह (ऋणी) और श्रीमति शिल्पी सिंह (सह–ऋणी) | 08.08.2017 और रु. 18,21,110/- | मकान नं. आई–104, एच आई बर्ड, स्कॉटिश गार्डन, अहिंसा गार्डन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201012 | सांकेतिक | 17.08.2019 | रु. 53,77,760/- | रु. 5,37,776/- | 11.03.2020 | खाता संख्या-41337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000413 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 10,000/- | श्री रोहित मेहरा, 011–66084896 और श्री अजय मल्ला 011–66083001 |
| 3. | श्री सुरेन्द्र सिंह (ऋणी) और श्रीमति नीतू सिंह (सह–ऋणी) | 17.11.2017 और रु. 48,70,133/- | फ्लैट नं. जी–1, ब्लॉक टी/XI, भूतल, आम्रपाली ग्रैंड, जेटा–आई, जीएच–009, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201306 | सांकेतिक | 16.02.2019 | रु. 67,50,400/- | रु. 6,75,040/- | 11.03.2020 | खाता संख्या- 41337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000413 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 10,000/- | श्री रोहित मेहरा, 011–66084896 और श्री अजय मल्ला 011–66083001 |
| 4. | श्री विनोद कुमार (ऋणी) और श्रीमति सीमा (सह–ऋणी) | 28.01.2019 और रु. 20,74,197.84/- | मकान नं. 758, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, वार्ड नं. 16, नजफगढ रोड, शिव चौक, बाल्मिकि मोहल्ला, बहादुरगढ, जिला झज्जर, हरियाणा | सांकेतिक | 04.09.2019 | रु. 21,52,710/- | रु. 2,15,271/- | 11.03.2020 | खाता संख्या -41337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000413 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 10,000/- | श्री पुष्कर 011–66083065, श्री अनुभव श्रीवास्तव 011–66083006, और श्री अजय मल्ला 011–66083001 |
| 5. | श्री हेमन्त शरन (ऋणी) और श्रीमति प्रियंका श्रीवास्तव (सह–ऋणी) | 29.08.2017 और रु. 15,84,390/- | फ्लैट नं. बी–213, द्वितीय तल, पीयूष हाईट्स, सेक्टर–89, फरीदाबाद | सांकेतिक | 30.11.2017 | रु. 32,53,500/- | रु. 3,25,350/- | 11.03.2020 | खाता संख्या-41337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000413 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 10,000/- | श्री पुष्कर 011–66083065, श्री अनुभव श्रीवास्तव 011–66083006, और श्री अजय मल्ला 011–66083001 |
| 6. | श्री ज्योति कुमार (ऋणी) और श्रीमति अनुपमा कुमार (सह–ऋणी) | 16.03.2018 और रु. 46,59,368/- | फ्लैट नं. 2103, 20वां तल, ब्लॉक नं. 15, यूनीटेक होरीजन, प्लॉट नं. 6, सैक्टर–पीआई2, एलिस्टोनिया एस्टेट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301 | भौतिक | 16.02.2019 | रु. 35,59,500/- | रु. 3,55,950/- | 11.03.2020 | खाता संख्या-41337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000413 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 10,000/- | श्री पुष्कर 011–66083065, श्री अनुभव श्रीवास्तव 011–66083006, और श्री अजय मल्ला 011–66083001 |
| 7. | श्री आदित्य खण्डेलवाल (ऋणी) और श्री सुरेश गुप्ता, श्रीमति आशा गुप्ता और श्रीमति बिमला देवी (सह–ऋणी) | 14.05.2019 और रु. 2,54,41,138/- | प्लॉट नं. 1 व 2, मापक्षेत्र 750 वर्गगज, परिवहन नगर, पॉल्ट्री फार्म के पीछे, स्टेशन रोड, खातीपुरा, जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि के सभी भाग व अंश | सांकेतिक | 23.07.2019 | रु. 2,13,99,863/- | रु. 21,39,990/- | 11.03.2020 | खाता संख्या-80737000010054 Name: IDBI Bank Ltd IFSC CODE-IBKL0000807 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 1,00,000/- | श्री प्रवीण चौबे 9748640365 और श्री जनार्धन सिंह राव 9574944478 |
| 8. | मैसर्स बिन्दल और बिन्दल प्राइवेट लिमिटेड | 31.12.2015 और रु. 13,45,13,927/- | व्यवसायिक संपत्ति अग्रवाल मार्केट भूतल एवं द्वितीय तल (36 दुकानें) मोहल्ला दक्षिण, सिविल लाइन्स, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, जोकि श्रीमति उमा देवी के नाम है (श्री पंकज अग्रवाल की माता) | सांकेतिक | 28.01.2019 | रु. 2,75,00,000/- | रु. 27,50,000/- | 11.03.2020 | खाता संख्या - 108337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0001083 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 50,000/- | श्रीमती सुमनप्रीत कौर– 9814206910 और श्री कृष्ण मुरारी 9971008184 |
| 9. | श्री महावीर प्रसाद सैनी (ऋणी) और श्रीमति बोदी देवी (सह–ऋणी) | 10.06.2019 और रु. 48,10,030.58/- | प्लाट नं. 3 मापक्षेत्र 392.22 वर्गगज, सर्वोदय कॉलोनी योजना, गॉव हरमाडा, तहसील आमेर, जयपुर, राजस्थान में स्थित भूमि के सभी भाग व अंश | भौतिक | 07.11.2019 | रु. 66,16,800/- | रु. 6,61,680/- | 20.03.2020 | खाता संख्या- 80737000010054 Name: IDBI Bank Ltd IFSC CODE-IBKL0000807 | संभावित खरीददार दौरे के लिए शाखा से सम्पर्क करें | रु. 50,000/- | श्री दीपक जैन, 9755157614 और श्री नरेन्द्र जलुथरीया 9833313625 |
| 10. | मैसर्स एवन ग्रुप/प्रो. श्री महावीर प्रसाद सैनी/ श्री हरि राम सैनी | 13.08.2019 और रु. 52,57,545.88/- | खसरा नं. 695 और 697 मापक्षेत्र 3875 वर्गमीटर गॉव पोंख, ग्राम पंचायत पोंख, तहसील उदयपुरवटी, जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित भूमि के सभी भाग व अंश | सांकेतिक | 31.05.2019 | रु. 45,00,000/- | रु. 4,50,000/- | 20.03.2020 | खाता संख्या -80737000010054 Name: IDBI Bank Ltd IFSC CODE-IBKL0000807 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 50,000/- | श्री दीपक जैन, 9755157614 और श्री नरेन्द्र जलुथरीया 9833313625 |
| 11. | श्री रामकरन सैनी | 08.05.2018 और रु. 13,21,181/- | वार्ड नं. 17 कायस्थ मोहल्ला, नगर भरतपुर में स्थित संपत्ति के सभी भाग व अंश, (मापक्षेत्र 253.11 वर्गगज) जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है–पूर्वः राधे का घर, पश्चिमः 34 शिवहरि का घर, दक्षिणः सड़क, उत्तरः 67 गंगा चरण मिश्रा का प्लॉट | भौतिक | 03.08.2019 | रु. 11,18,770/- | रु. 1,12,000/- | 20.03.2020 | खाता संख्या-35537000010054 Name: IDBI Bank Ltd IFSC CODE-IBKL0000355 | संभावित खरीददार दौरे के लिए शाखा से सम्पर्क करें | रु. 10,000/- | श्री मुकेश कुमार कुमवत 9887333300 और श्री जे पी पारिश 01412372956 |
| 12. | श्री सुरेश पातीदार | 09.03.2018 और रु. 18,81,308.93/- | मकान नं. 36 पी नं. 36 दीप नगर, खसरा नं. 224 ग्राम, खोकरिया जोधपुर, 306401 | सांकेतिक | 18.02.2014 | रु. 11,00,000/- | रु. 1,10,000/- | 20.03.2020 | खाता संख्या- 82337000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000823 | 12.03.2020 दोपहर 14:00 से सांय 16:00 तक | रु. 10,000/- | श्री नवीन कुमार 9953067523 और श्री हरीश जैन 02915153515 |
| 13. | मैसर्स श्री जय बाबा इंट.उद्योग | 14.06.2017 और रु. 6,34,000/- | औद्योगिक परिवर्तनीय भूमि, खसरा नं. 1679/1(साइट क्षेत्र 5000 वर्गमीटर) शक्कर खवाड़ा, पटवार सर्किल, शक्कर खवाड़ा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित। मालिक का नामः श्री गिरधारी पुत्र श्री जगन्नाथ | सांकेतिक | 18.08.2018 | रु. 18,75,000/- | रु. 1,90,000/- | 20.03.2020 | खाता संख्या- 29837000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000298 | संभावित खरीददार अपने आप दौरा कर सकते हैं। | रु. 25,000/- | श्री कुमार मनीष 9918401954 और श्री इमरान खान 8360234378 |
| 14. | मैसर्स खूबी कंस्ट्रक्शन क. | 30.08.2012 और रु. 82,05,000/- | प्लॉट नं. जी–9, रिको औद्योगिक क्षेत्र, जहाजपुर (साइट क्षेत्र 1500 वर्गमीटर) भीलवाड़ा पर स्थित फैक्ट्री भूमि और भवन। मालिक का नामः मैसर्स लोहिया पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड | भौतिक | 28.05.2013 | रु. 15,75,000/- | रु. 1,60,000/- | 20.03.2020 | खाता संख्या- 29837000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000298 | संभावित खरीददार दौरे के लिए शाखा से सम्पर्क करें | रु. 25,000/- | श्री कुमार मनीष 9918401954 और श्री इमरान खान 8360234378 |
| 15. | मैसर्स रोलीकिंग इवेन्ट | 28.11.2017 और रु. 17,09,017/- | आवासीय फ्लैट– फ्लैट सं. आई 25 जी, खुला लॉन के साथ पार्श्वनाथ एस्टेट, प्लॉट नं. बीआरएस 08, सैक्टर ओमेगा (जिसे पहले पॉकेट पी 2 के नाम से जाना जाता था) ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, निर्मित एरिया 871 वर्गफुट +15.50 वर्गमीटर लॉन क्षेत्र। | सांकेतिक | 23.08.2019 | रु. 32,00,000/- | रु. 3,20,000/- | 20.03.2020 | खाता संख्या- 26837000010052 Name: IDBI Bank Ltd. IFSC CODE-IBKL0000268 | 05.03.2020 और 16.03.2020 दोपहर 12:00 से दोपहर 14:00 तक | रु. 5,000/- | श्री दीपक कुमार 9304042646 और श्री सिद्धार्थ सक्सेना 01166083000 |

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम और शर्तेंः बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है। (1) प्रतिभूति परिसंपत्तियों की बिक्री हिते एवं कृते प्रतिभूति ऋणदाता अर्थात आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जैसी है जहां है, जैसी है जो कुछ है के आधार पर वहां जो कुछ है और बिना रिसोर्स के आधार पर की जानी है। (2) बिक्री इस विज्ञापन में और "बोली दस्तावेज" मे दिए गए नियमों एवं शर्तों के पूर्णतया अधीन होगी। बोली दस्तावेज हमारे किसी भी कार्यालय से सभी कार्यदिवस को प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई की वेबसाइट www.idbi.com तथा https://idbi.auctiontiger.net पर से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। (3) बिक्री ई–नीलामी प्लेटफार्म की वेबसाईट https://www.bankeauctions.com पर ई–नीलामी सेवा प्रदाता सी 1 इंडिया प्रा. लि. सम्पर्क सूत्र श्री विनोद चौहान (ईमेल: delhi@c1india.com एवं support@bankeauctions.com) अथवा मोबाईल: +91–9813887931, फोन: +91–124–4302020 के मार्फत होगी। (4) प्राधिकृत अधिकारी को सभी या किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए चाहे कुछ भी हो नीलामी को किसी भी समय आगे बढाने या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। (5) सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के तुरंत बाद बिक्री मूल्य की 25% राशि जमा धरोहर राशि को समायोजित करके जमा करनी होगी, बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिन अथवा ए.ओ. की सहमति से आगे बढाई गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी। शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहने पर, धरोहर राशि सहित पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी। (6) 25 प्रतिशत बोली राशि तुरंत जमा करने में या निर्धारित अवधि मे बोली का 75 प्रतिशत जमा कराने में असफल होने पर पहले से जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभूतित संपत्तियों को दुबारा बेचा जायेगा। (7) सभी वैधानिक देय/ऋण/पंजीकरण शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी कर आदि सहित सभी देय खरीददार द्वारा वहन किये जायेंगे। अधिक जानकारी और पूर्ण नियम और शर्तों के लिए, कृपया www.idbi.com पर जाएं और / या प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लिखित नोडल अधिकारियों / प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के अंतर्गत 15/30 दिनों की वैधानिक सूचना

उधारकर्ता/गारंटरों को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि अद्यतन ब्याज एवं सहायक खर्चों सहित, का भुगतान ई–नीलामी से पूर्व करें, असफल रहने पर उक्त सम्पत्ति को नीलामी द्वारा बेच दिया जायेगा और शेष देय राशि, यदि कोई है तो, ब्याज और लागत सहित वसूल किया जायेगी।

दिनांकः 18.02.2020 — प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

www.readwhere.com

# 'मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद के तौर पर पेश करने की थी योजना'

मुंबई, 18 फरवरी (भाषा)।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने दावा किया है कि लश्कर-ए-तैयबा ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को 'हिंदू आतंकवाद' के रूप में पेश करने व पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब को बंगलुरु के समीर चौधरी के रूप में मारे जाने की योजना बनाई थी।

मारिया ने सोमवार को जारी अपने संस्मरण 'लेट मी से इट नाउ' में 26/11 के मुंबई हमले में उनके द्वारा की गई जांच का जिक्र किया। उस हमले की योजना लश्कर ने बनाई थी और उसमें पाकिस्तान का हाथ भी होने का पता चला था।

पुस्तक के अंशों के अनुसार, आईएसआई और लश्कर जेल में ही कसाब को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वह हमले की कड़ी उन समूहों से जोड़ने वाले प्रमुख सबूत था और दाऊद इब्राहिम के गिरोह को उसे खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया था। मुंबई आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद के रूप में पेश करने की लश्कर की योजना का ब्योरा देते हुए मारिया ने लिखा, अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता, तो कसाब चौधरी के रूप में मर जाता और मीडिया हमले के लिए हिंदू आतंकवादियों को दोषी ठहराती। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी संगठन ने आतंकवादियों को भारतीय पते के साथ फर्जी पहचान पत्र भी दिए थे। आतंकी हमले के बाद जारी की गई कसाब की एक तस्वीर के बारे में मारिया ने कहा कि यह केंद्रीय एजंसियों का काम था। सुरक्षा को देखते हुए मुंबई पुलिस ने पूरी कोशिश की कि मीडिया के सामने किसी विवरण का खुलासा नहीं हो। तस्वीर में कसाब की दाहिनी कलाई पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था, जिसे पवित्र हिंदू धागा माना जाता है। इस बात ने कई लोगों को यह भरोसा करने के लिए प्रेरित किया कि षड्यंत्रकारियों ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद के रूप में पेश करने का प्रयास किया था।

मारिया ने अपनी किताब में लिखा कि अखबारों में बड़ी-बड़ी सुर्खियां बनतीं, जिनमें दावा किया जाता कि किस प्रकार हिंदू आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया। पत्रकार उसके परिवार और पड़ोसियों से बातचीत करने के लिए बंगलुरु पहुंच जाते। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हो सका। वह पाकिस्तान में फरीदकोट का अजमल आमिर कसाब था। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल शहीद तुकाराम ओम्बले द्वारा कसाब को जिंदा पकड़ लेने से वह योजना नाकाम हो गई। पुस्तक के अनुसार कसाब लूटपाट के लिए लश्कर में शामिल हुआ था और उसका जिहाद से कोई लेनदेन नहीं था। हालांकि, ऐसी शिक्षा दी गई थी, ताकि उसको विश्वास हो कि भारत में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। मारिया ने पुस्तक में उल्लेख किया कि जब कसाब को मेट्रो सिनेमा के पास एक मस्जिद की यात्रा कराई गई तो वह चौंक गया। पूर्व पुलिस अधिकारी के अनुसार, मुंबई पर हमला करने के लिए कसाब को मिशन पर भेजे जाने से पहले एक हफ्ते की छुट्टी और 1.25 लाख रुपए दिए गए थे।

---

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)**

**शाखा कार्यालय: सविता विहार, योजना विहार, दिल्ली**

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी से दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

**अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण**

| क्र. सं. | कर्जदार/गारंटर का नाम | प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण | 13(2) सूचना की तिथि एवं राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | **कर्जदार:** श्री मनीष पुत्र श्री डोरी लाल एवं श्रीमती तमन्ना पत्नी श्री मनीष मकान नं.241, गली नं.14, बलबीर नगर एक्सटेंशन, जिला-पूर्वी दिल्ली, पिन-110032 **गारंटर:** श्री पटवारी लाल पुत्र श्री बाबू लाल ए 2/2, मैन गली, ए-ब्लॉक, वेस्ट ज्योति नगर, जिला-पूर्वी दिल्ली, पिन-110032 | सम्पत्ति सं. सी-43, (पहला तल, बिना छत अधिकार के) गली नं.4, उत्तरी छज्जूपुर, शाहदरा, दिल्ली-110094, साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। **श्री मनीष पुत्र डोरी लाल के नाम में फ्लैट।** सम्पत्ति का क्षेत्रफल: 44 वर्ग गज। जो घिरा है: उत्तर: अन्य की सम्पत्ति दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति पूर्व: सड़क पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति | **30.12.2019 को एनपीए 30.12.2019 को बकाया रु.18,99,286.60** (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज दर्शाता है) |

**आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14.01.2020

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सविता विहार, योजना विहार, दिल्ली

---

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)**

**शाखा कार्यालय: एलआरपीजी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, उ0प्र0-201005**

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी से दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

**अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण**

| क्र. सं. | कर्जदार/गारंटर का नाम | प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण | 13(2) सूचना की तिथि एवं राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | **कर्जदार:** श्री मान सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह **सह-कर्जदार:** श्रीमती राजेश्वर देवी पत्नी श्री मान सिंह **पता:** एलआईजी फ्लैट, नं.एस-02, दूसरा तल, सामने की तरफ, प्लॉट नं. बी-1/1बी, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाज़ियाबाद, उ0प्र0-201102 में निर्मित। | श्री मान सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह एवं श्रीमती राजेश्वरी देवी के नाम पर उप रजिस्ट्रार (चतुर्थ) गाजियाबाद, यूपी में दस्तावेज/क्रम सं. 2127, बही नं.1, जिल्द नं. 29106, पेज नं. 241 से 2292 दिनांक 03.02.2015 में पंजीकृत साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। **सम्पत्ति पता:** एलजीएफ फ्लैट नं. एस-02, दूसरा तल, अग्रभाग, प्लॉट नं. बी-1/18, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, यूपी-201102 पर निर्मित, कुल एरिया-425 वर्ग फीट सम्पत्ति **स्वामित्व श्री मान सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह जो घिरी है: पूर्व:** प्लॉट नं. बी-1/9 **पश्चिम:** प्लॉट नं. बी-1/17 **उत्तर:** अन्य भूमि **दक्षिण:** 12 मीटर चौड़ी रोड | **29.12.2019 को एनपीए रु.11,12,580/- 12.02.2020 से उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार के साथ पूरा भुगतान करने तक** (इसके बाद के रूप में भेजा "सुरक्षित ऋण") |

**आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

**कृपया नोट करें कि पूर्व में जारी हमारी सभी मांग सूचनाएं वापिस ली जाती हैं**

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 12.02.2020

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलआरपीजी, साहिबाबाद, गाजियाबाद

---

## फॉर्म-जी

**अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण**

**[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]**

| संबंधित विवरण | |
|---|---|
| 1. कॉरपोरेट देनदार का नाम | मैसर्स यूटीएम इंजीनियरिंग प्रा. लि. |
| 2. कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 12-06-2014 |
| 3. उस ऑथेरिटी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | कंपनियों के रजिस्ट्रार – दिल्ली |
| 4. कॉरपोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या | CIN: U14107DL2014PTC270321 |
| 5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता | प्लॉट नं. 26/27/28, गली नं. 2, ब्लॉक-बी, उग्रसेन पार्क, नांगलोई रोड, नजफगढ़, दिल्ली-110043 |
| 6. कॉरपोरेट देनदार के सम्बंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि | 17.10.2019 (दिनांक 29.10.2019 को प्राप्त आदेश की प्रति) |
| 7. अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि | 19.02.2020 |
| 8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता निम्नलिखित पर उपलब्ध है: | रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) को रिजॉल्यूशन प्लान के साथ सम्पर्क करने के लिए रिजॉल्यूशन आवेदकों (अकेले, संयुक्त रूप से या कंसोर्टियम) हेतु न्यूनतम पात्रता मानदंड (सहित लेकिन लिमिटेड नहीं) हैः – • व्यक्तियों/बॉडी कॉरपोरेट्स/फर्म/संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम/विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और अन्य व्यक्तियों के लिए न्यूनतम नेट मूल्य रु. 5 करोड़, दस्तावेज प्रमाण द्वारा समर्थित • निधियों/पीई निवेशकों/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थानों के लिए न्यूनतम परिसंपत्ति प्रबंधन के तहत (व्यक्तिगत या समूह स्तर पर) 100 करोड़ रुपये नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार पूर्ण पात्रता मानदंड utm.cirp@gmail.com पर मेल भेजकर प्राप्त कर सकते हैं |
| 9. धारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानक निम्नलिखित पर उपलब्ध हैं: | 29ए और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अन्य प्रावधानों के अनुसार आईबीबीआई की वेबसाइट http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php. पर उपलब्ध है। ईमेल utm.cirp@gmail.com पर भेजकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। |
| 10. अभिरुचि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि | 05.03.2020 |
| 11. संभावी समाधान आवेदकों के अनंतिम सूची निर्गमन की तिथि | 06.03.2020 |
| 12. अनंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि | 11.03.2020 |
| 13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गमन की तिथि | 12.03.2020 |
| 14. संभावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, इवेल्युएशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्गमन की तिथि | 06.03.2020 |
| 15. समाधान योजना, इवेल्युएशन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अधिक जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने का तरीका | सभी संभावित संकल्प आवेदक ("पीआरए") अनंतिम सूची में और उन के जिन्होंने अनंतिम सूची में अपने गैर-समावेश के खिलाफ चुनाव लड़ा है उन्हें समाधान योजना (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरोध किया जाएगा। अधिक जानकारी utm.cirp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है। |
| 16. समाधान को जमा करने की अंतिम तिथि | 06.04.2020 |
| 17. समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजनाओं को जमा करने का तरीका | **ई-मेल द्वारा** utm.cirp@gmail.com **पर या पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट या सीलबंद लिफाफे में व्यक्ति द्वारा** |
| 18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी के पास समाधान योजना को जमा करने की अनुमानित तिथि | 13.04.2020 |
| 19. समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या | **नाम: श्री राजेश जांगड़ा** **पंजीकरण नं.:** IBBI/IPA-003/IP- N00181/2018-2019/12298 |
| 20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है | **नाम: श्री राजेश जांगड़ा** **पता: ईडी -15 सी, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034** ईमेल: jangraadvocate@gmail.com |
| 21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल | **पता : ईडी -15 सी, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034** **ईमेल :** utm.cirp@gmail.com |
| 22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास उपलब्ध है: | **संकल्प पेशेवर श्री राजेश जांगड़ा के साथ ईडी-15 सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034** |
| 23. फॉर्म-जी के प्रकाशन की तिथि | 19.02.2020 |

नोट:
1. प्राप्त सभी ईओआई की समीक्षा आरपी के साथ-साथ सीओसी द्वारा की जाएगी और इसके बाद प्रक्रिया से संबंधित जानकारी/दस्तावेज शॉर्टलिस्ट की गई पार्टियों को प्रदान किए जाएंगे। आरपी/सीओसी के पास किसी भी समय ईओआई के मानदंड को बदलने का विवेक होगा।
2. आरपी/सीओसी बिना किसी कारण बताए और बिना किसी देयता के प्रक्रिया/आवेदन को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**राजेश जांगड़ा**
संकल्प पेशेवर IBBI/IPA-003/IP-N00181/2018-2019/12298
ईडी-15 सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
कृते मैसर्स यूटीएम इंजीनियरिंग प्रा. लि.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 19.02.2020

---

## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
**पंजीकृत कार्यालय :** केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.
**अधिकृत प्राधिकारी : श्री अमृतपाल सिंह गिल । सम्पर्क नम्बर :** +91-9999776185

IDFC FIRST Bank

**परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]**
**अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना**

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, का अम्बे ऑटो, राकेश कुमार सरना, अनुराधा बब्बर, भारत भूषण बब्बर (कर्जदार तथा सहकर्जदार) से बैंक के 4 मई, 2019 तक बकाये रु. 7,22,71,085/- की राशि की वसूली के लिए 27.02.2020 को अथवा इसके पश्चात "जो है यहीं है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य रु. 3,00,15,000/- होगा।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

सम्पत्ति सं. ए-14, खसरा नं. 570/1, देवली रोड, खानपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-110062 का सम्पूर्ण भाग। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirst-bank.com देखें।

**नोट:** कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कृपया ध्यान दें कि 27.02.2020 को या इसके पश्चात सम्पत्ति की बिक्री हेतु निजी सन्धि एतद्वारा वर्तमान सूचना के द्वारा वापस ली जाती है और इस निजी सन्धि सूचना के नियम एवं शर्तें वैध रहेंगी।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

दिनांक: 19.02.2020

---

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**शाखा कार्यालय: सेक्टर-15, एससीएफ 37-38, मैन मार्केट, फरीदाबाद**

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-15, **फरीदाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **30/11/2019** जारी की थी जिसके द्वारा **कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर: श्री कुल भूषण सचदेव पुत्र श्री जी.के. सचदेव, श्रीमती शशि सचदेव पत्नी श्री कुल भूषण सचदेव, श्री रजत सचदेव पुत्र श्री कुल भूषण सचदेव, श्री राहुल सचदेव पुत्र श्री कुल भूषण सचदेव, श्री रोहित सचदेव पुत्र श्री कुल भूषण सचदेव, सभी निवासी बी-23, पहला तल, अशोका आरकेड, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.1,18,60,484/- (एक करोड़ अठारह लाख साठ हजार चार सौ चौरासी रूपये मात्र)** अर्जित ब्याज के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार/सह-कर्जदार एवं गारंटरों** को इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण **कर्जदार/सह-कर्जदार एवं गारंटरों** तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी** ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 14 फरवरी, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार एवं गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.1,18,60,484/- (एक करोड़ अठारह लाख साठ हजार चार सौ चौरासी रूपये मात्र) और उस पर 30.11.2019 से ब्याज एवं अन्य खर्चों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-15, फरीदाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

**आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

**श्री शशि सचदेव पत्नी श्री कुलभूषण सचदेव एवं श्री राहुल सचदेव पुत्र श्री कुलभूषण सचदेव** के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति सं. बी-23, ब्लॉक-बी, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 में बेसमेंट के साथ चार मंजिला भवन में चार फ्लैट का उत्तर-पश्चिम भाग-530 वर्ग यार्ड पर आवासीय भवन का भाग) सम्पत्ति/फ्रीहोल्ड आवासीय यूनिट/फ्लैट नं. डी1 एवं डी2 प्रत्येक परिमाप 700 वर्ग फीट कुल परिमाप 1400 वर्ग फीट बिना छत अधिकार भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 14.02.2020

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

---

## वसूली अधिकारी-I का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण -III, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

**बिक्री उद्घोषणा सूचना**

आरसी सं. 812/2018 — दिनांकित : 01.02.2020

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

**देना बैंक बनाम मैसर्स श्यामजी ट्रेडिंग कं. एवं अन्य**

**सीडी सं. 1** मैसर्स श्यामजी ट्रेडिंग कं., प्रोपराईटर श्री भारत भुषण गुप्ता, प्लॉट नं. 1 ब्लॉक-एफ, पॉकेट-18, सेक्टर-8, रोहिणी दिल्ली-110085, **इसके अलावा:** प्लॉट नं. 25 पॉकेट डी, सेक्टर-2, डीएसआईआईडीसी इंडिस्ट्रयल एरिया बवाना दिल्ली-110039 **इसके अलावा:** शॉप/ऑफिस नंबर 11, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट 128, संपत्ति नंबर 1915 (पुराना) 4080-81 (नया) नया बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली -110006

**सीडी सं. 2** भारत भूषण गुप्ता, पुत्र श्री स्वर्गीय श्यामजी गुप्ता, प्लॉट नंबर 1, ब्लॉक एफ, पॉकेट 18, सेक्टर -8, रोहिणी, दिल्ली -110085, **इसके अलावा:** प्लॉट नंबर 25, पॉकेट डी, सेक्टर 2, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, बवाना, दिल्ली -110039, **इसके अलावा:** शॉप/ऑफिस नंबर 11, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट 128, संपत्ति नंबर 1915 (पुराना) 4080-81 (नया) नया बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली -110006।

**सीडी सं. 3** सावित्री देवी, पत्नी श्री स्वर्गीय श्यामजी गुप्ता प्लॉट नंबर 1, ब्लॉक एफ, पॉकेट 18, सेक्टर -8, रोहिणी, दिल्ली -110085, **इसके अलावा:** प्लॉट नंबर 25, पॉकेट डी, सेक्टर 2, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, बवाना, दिल्ली -110039, **इसके अलावा:** शॉप/ऑफिस नंबर 11, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट 128, संपत्ति नंबर 1915 (पुराना) 4080-81 (नया) नया बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली -110006।

**जबकि आप पीठ अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 114/2017 में आहरित वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय रू. 1,30,74,138.61/- (रूपए एक करोड़ तीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ अंडतीस तथा पैसे इकसठ मात्र) की राशि, प्रमाणपत्र के अनुसार लागत, अनुषंगी खर्चे तथा यह ओ. ए. दाखिल करने की तिथि यानि 28.02.2017 से 12 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज सहित, चुकाने में असफल रहे हैं।**

**और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र के समाधान में नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में, उक्त सम्पत्ति 10.04.2020 को अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने की स्थिति में स्वतः विस्तार क्लॉज सहित, यदि अपेक्षित है) सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्योर), ए-201/208, वॉल स्ट्रीट-II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) फोन : +91 079 61200594/598/568/587/538 के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बोलीदान" द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ हेतु सम्पर्क करें श्री नितिश झा मोबाईल नं. 7982880393, ईमेल: delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net**

**आगे विवरण के लिए सम्पर्क करें : सीएच बैंक श्री सिद्धार्थ त्यागी झा मोबाई नं. 8890950000**

**उपरोक्त नामक प्रतिवादी की जिस सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी, उसका वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति की देयताएं तथा संबंधित दावे, जिनका अभी तक अभिनिश्चयन किया गया है, अनुसूची में प्रत्येक लॉट के सामने वर्णित अनुसार हैं।**

**बिक्री से संबंधित कोई ड्यूटी करने वाला कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा, बेची गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा। यह बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी।**

**संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।**

**1. सम्पत्तियों का वर्णन, सुरक्षित मूल्य तथा ईएमडी निम्नानुसार हैं :**

| क्र. सं. | सम्पत्ति विवरण | सुरक्षित मूल्य/ईएमडी |
|---|---|---|
| 1. | **इसके अलावा:** शॉप/ऑफिस नंबर 11, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट 128, संपत्ति नंबर 1915 (पुराना) 4080-81 (नया) नया बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली -110006। | रू.16,77,700/- (रूपए सोलह लाख सत्तर हजार सात सौ मात्र) ईएमडी रू. 1,67,770/- (रूपए एक लाख सड़सठ हजार सात सौ सत्तर मात्र) |

**2. सम्पत्तियां सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएंगी।**
**3. रकम जिससे बोली बढ़ायी जायेगी, वह रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) है। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी तत्काल दोबारा की जाएगी।**
**4. उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली अस्वीकार/स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।**
**5. ईएमडी वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर के रूप में 08.04.2020 तक लिफाफे में वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी ई-नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।**
**6. पैन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपनी स्वयं की ओर से अथवा अपने प्रधानों की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में, उन्हें प्राधिकारपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चूक करने पर उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज, जो कम्पनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करता हो, जमा करना होगा और ऐसी जमा की रसीद/प्रतिपन्ना उक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक को ई-मेल द्वारा या अन्य प्रकार से उक्त तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए और उसकी हार्ड कॉपी वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।**
**7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली की 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक उक्त खाते में वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी द्वारा जमा करनी होगी।**
**8. क्रेता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1,000/- तक 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर 1 प्रतिशत की दर पर निरोध शुल्क "दि रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
**9. सम्पत्ति संभावित बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण के लिए 03.04.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. .4.00 बजे तक खुली रहेगी।**
**10. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे मान्य होंगे।**
**11. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।**
**12. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाई जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।**
**13. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्तियों के संबंध में कोई राजस्व/ऋणभार अथवा मांगदावा का विवरण नहीं है। तथापि, संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे, अपने स्वयं के हित में, ईएमडी जमा करने से पूर्व बिजली/पानी/गृह कर बिल के बकाया अथवा किसी अन्य ऋणभार के संबंध में सावधानीपूर्वक जांच कर लें।**
**14. असफल बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि को अथवा पूर्व एक आवेदन डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। ईएमडी तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/अनुवर्ती तिथि को वापस की जाएगी।**
**15. यहां ऊपर विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।**
**16. सीएच बैंक को इसमें दिए गए विवरण की सत्यता की जांच करने तथा प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है।**

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 01 फरवरी, 2020 को दिया गया।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

---

## इण्डियन ओवरसीज बैंक

पानीपत ब्रांच (1297) एससीएफ 38 सैक्टर 11-12, हुडा जिला-पानीपत फोन : 0180-2660852, ई-मेल- iob1297@iob.in

**कब्जा सूचना (सांकेतिक) (परिशिष्ट-IV(नियम 8(1))**

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांक **09.08.2019** जारी की थी, जिसमें उधारकर्ताओं/बन्धककर्ताओं/गारंटरों **मैसर्स पुन्या ट्रेडिंग क. (प्रोप. श्री दीपचन्द गाबा पुत्र भगवान दास गाबा), प्लॉट नं. 48सी, हुडा सैक्टर-25, पार्ट-II, पानीपत, हरियाणा-132103** (यहां इसमें आगे उधारकर्ताओं कहे गए हैं), **श्री लोकेश गाबा पुत्र दीपचन्द गाबा (गारन्टर), श्रीमति राम देवी पत्नी श्री दीपचन्द्र गाबा (गारन्टर), श्रीमति रेनू गाबा पत्नी श्री लोकेश गाबा (गारन्टर)** से सूचना में वर्णितानुसार 31.07.2019 तक बकाया राशि **रु. 39,16,851.55 (रु. उन्तालीस लाख सोलह हजार आठ सौ इक्यावन और पचपन पैसे मात्र)** वसूलीकरण की तिथि तक संविदात्मक दरों तथा अंतरालों पर भावी ब्याज एवं प्रभारों इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकाने की मांग की गई थी।

(1) उधारकर्तागण निर्धारित देय राशि चुकाने में विफल हो चुके हैं, अतः एतद्द्वारा उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **13 फरवरी, 2020** को ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ताओं को विशिष्ट रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई भी लेन-देन 31.07.2019 तक बकाया **रुरु. 39,16,851.55 (रु. उन्तालीस लाख सोलह हजार आठ सौ इक्यावन और पचपन पैसे मात्र)** की एक राशि तथा उपर्युक्त वर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक, मांग सूचना के निर्गमन उपरान्त किए गए प्रतिभुगतानों, यदि कोई हुए हों, को घटाकर, उस पर अनुबंधितानुसार संविदात्मक दरों पर ब्याज एवं शेषों, प्रभारों इत्यादि हेतु इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभाराधीन होगा। कब्जा लिए जाने की तिथि के अनुसार भुगतानयोग्य देयराशि भुगतान किए जाने की तिथि तक संविदात्मक दरों पर भावी ब्याज एवं शेषों, प्रभारों इत्यादि के साथ 31.01.2020 तक **रु. 41,38,263.55 (रु. इकतालीस लाख अड़तीस हजार दो सौ तिरसठ और पचपन पैसे मात्र)** है।

(2) उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसम्पत्तियां छुड़ाने के लिए, उनके पास उपलब्ध समय के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

प्रापर्टी नं. 915, वार्ड नं. 7, नियर पचरंगा बाजार, एम सी लिमिट पानीपत माप 118.70 वर्ग गज, श्री दीपचन्द गाबा पुत्र भगवान दास गुप्ता के स्वामित्व में कॉमर्शियल एवं आवासीय बिल्डिंग स्थित

**दिनांक : 13.02.2020, स्थान : पानीपत** — **प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक**

---

## HDB FINANCIAL SERVICES

From the trusted family of HDFC Bank

**पंजीकृत कार्यालय:** राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 **शाखा कार्यालय:** एचडीएफसी बैंक, 1ला तल, 3रा पार्क स्ट्रीट, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, एमआई रोड, जयपुर, राजस्थान-302006

**सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना**

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक तथाा गारन्टरों ने अपनी अचल सम्पत्तियों को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

| | |
|---|---|
| 1. | **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नामः** मुकेश कुमार सैनी, दिनेश कुमार सैनी, कैलाश देवी सैनी एवं रमेश चन्द सैनी, सभी डी-68, इंजीनियर्स कॉलोनी, एम.एल.ए. क्वा. के सामने, न्यू संगनेर रोड, मानसरोवर तथा साथ हींः कार्यालय का पताः 49, ओ ब्लॉक, इंजीनियर्स कॉलोनी, न्यू सांगनेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302020, कैलाश देवी सिंह, साथ हीं फ्लैट नं. टी-112, प्रथम तल, फेज-1, ब्लॉक-3 रंगोली गार्डन रोड, खसरा नं. 234/2, 234/308/2 एवं 236 में स्थित, ग्राम कणकपुरा, जयपुरा, रमेश चंद सैनी, साथ हींः प्लॉट नं. ई-2 स्कीम नं. 6 डी इंजीनियर कॉलोनी मनीव्यावस, न्यू संगनेर रोड जयपुर, साथ हींः नया प्लॉट नं. ई-1 (पुराना पी नं. 205), स्कीम नं. 6-डी, इंजीनियर्स कॉलोनी, साथ हींः न्यू प्लॉट नं. डी-68 (पुराना पी नं. 207) स्कीम नं. 6-डी, इंजीनियर्स कॉलोनी, ऋण खाता सं. 766948, 1322078, ऋण राशिः रु. 30,000,000.00 (रुपये तीन करोड़ मात्र) ऋण खाता संख्या 766948 द्वारा तथा रु. 7,000,000.00 (रुपये सत्तर लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 1322078 द्वारा, मांग सूचना तिथि 28.01.2020, मांग की गई राशिः क) ऋण खाता सं. 766948 के लिये 28 जनवरी, 2020 को बकाया राशि का बायफर्केशन एवं ख) ऋण खाता संख्या 1322078 के लिये 28 जनवरी, 2020 को बकाया राशि का बायफर्केशन (क)+ (ख) अर्थात् रु 22,128,027.27/- (रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख अटठाईस हजार सत्ताईस तथा पैसे सत्ताईस मात्र) 28 जनवरी, 2020 को तथा वास्तविक वसूली तक अनुबंधित आगे का ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि। एनपीए तिथिः 3.11.2019, प्रतिभूति का विवरण सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पत्ति सं. 1. सम्पत्ति प्लॉट नं. ई-2, स्कीम नं. 6-डी, इंजीनियर कॉलोनी मनीव्यावस, न्यू संगनेर रोड, जयुपर, सम्पत्ति के एरिया की माप 400 वर्ग यार्ड्स। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः अन्य सम्पत्ति पी. नं. 205, पश्चिम रोड, उत्तरः अन्य सम्पत्ति पी. नं. 184, दक्षिणः रोड, सम्पत्ति सं. 2ः सम्पत्ति फ्लैट नं. टी-112, प्रथम तल, फेज-1, ब्लॉक-3 रंगोली गार्डन रोड, खसरा नं. 234/2, 234/308/2, एवं 236 में स्थित, गार्डन रोड, खसरा नं. 234/2, 234/308/2, एवं 236 में स्थित ग्राम कणकपुरा, जयपुर, सम्पत्ति माप 1176 वर्ग फीट का सभी भाग, सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः ब्लॉक नं. 4, पश्चिमः फ्लैट नं. टी-110, उत्तरः खुला, दक्षिणः फ्लैट नं. टी-111, सम्पत्ति सं. 3, सम्पत्ति नया प्लॉट नं. ई-1 (पुराना पी. नं. 205), स्कीम नं. 6-डी इंजीनियर्स कॉलोनी मन्वीयावास, न्यू संगनेर रोड, जयपुर, एरिया माप 4650 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य प्लॉट नं. 204, उत्तरः अन्य प्लॉट पी. नं. 184, दक्षिणः रोड, सम्पत्ति सं. 4 सम्पत्ति नया प्लॉट नं. डी-68 (पुराना पी. नं. 207) स्कीम नं. 6, डी इंजीनियर कॉलोनी, मन्वीयावास, न्यू संगनेर रोड, जयपुर, एरिया माप 455 वर्ग यार्डस, सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः 25 फीट रोड, दक्षिण अन्य प्लॉट, पूर्व अन्य प्लॉट, पश्चिमः 40 फीट रोड। |
| 2. | ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नामः जीनत प्लाईवुड एंड टिम्बर्स, आसिफ अली, असगर अली, दानिश अली, एमओ सबीर, नजमा बेगम एम, जीनत प्लाईवुड एंड टिम्बर्स एवं मोहम्मद साबिर अली, सभीः 51, ए उद्योग नगर, निबारू रोड, झोटवारा, जयपुर 302012, राजस्थान तथा साथ ही सभीः 51, 51ए, उद्योग नगर, निबारू रोड, झोटवारा, जयपुर 302012, राजस्थान तथा साथ हीः 76, उद्योग नगर, निबारू रोड, झोटवारा, जयपुर 302012, राजस्थान, ऋण खाता सं. 1103029 एवं 1757518, ऋण राशिः रु. 15,000,000.00 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 113029 द्वारा तथा रु. 6,011,215.00 (रुपये साठ लाख ग्यारह हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) ऋण खाता संख्या 1757518 द्वारा। मांग सूचना तिथिः 29.1.2020, मांग की गई राशिः क) ऋण खाता संख्या 113029 के लिये 29 जन. 2020 को बकाया राशि का बाईफर्मेशन एवं ख) ऋण खाता संख्या 1757518 के लिये ऋण खाता के लिये 29 जनवरी, 2020 को बकाया राशि बायफर्मेशन, दोनों (क)+(ख) अर्थात् रु. 19074214.80 (क)+(ख) अर्थात् रु. 19074214.80 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख चौहत्तर हजार दो सौ चौदह एवं पैसे अस्सी मात्र) 29 जनवरी, 2020 को तथा वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज, लागत, अन्य अनुषांगिक खर्चे तथा चार्जेज आदि। **एनपीए तिथिः** 4.12.2019, प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति सं. 1ः सम्पत्ति प्लॉट नं. 76, उद्योग विहार, झोटवारा, जयपुर, सम्पत्ति एरिया 216.84 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति सं. 2ः** सम्पत्ति प्लॉट नं. 51-ए, उद्योग नगर, झोटवारा, जयपुर, माप 150 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति सं. 3ः** सम्पत्ति पी नं. 51, उद्योग नगर, झोटवारा, जयपुर माप 150 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। |
| 3. | ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नामः मुकेश कुमार तथा पर्मिला यादव, दोनोंः 160, कस्तूरबा नगर, पीओ श्याम नगर, जयपुर-302019 राजस्थान, ऋण खाता नं. 1596359, 3163486, ऋण राशिः रु. 9700000.00 (रुपये सत्तानवे लाख मात्र) ऋण खाता सं. 1472034 द्वारा तथा रु. 1,200,000.00 (रुपए बारह लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 2457036; मांग सूचना तिथिः 29.1.2020, मांग की गई राशिः क) ऋण खाता सख्या 1596359 के लिये 29 जनवरी, 2020 को बकाया राशि का बायफर्मेशन एवं ख) ऋण खाता सं. 3163486 के लिये 29 जनवरी, 2020 को बकाया राशि का बायफर्मेशन। दोनों (क)+(ख) अर्थात् रु. 13675526.31 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ छब्बीस तथा पैसे इक्कतीस मात्र) 29 जनवरी, 2020 को तथा वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत एवं चार्जेज आदि। एनपीए तिथिः 3.10.2019; प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति सं. 1, प्लॉट नं. 160, कस्तूरबा नगर, अजमेर रोड, जयपुर, माप 266.66 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** उत्तरः अन्य, दक्षिणः रोड 30', पूर्वः प्लॉट नं. 61, पश्चिमः प्लॉट नं. 159 |
| 4. | **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नामः** मै. पलमार्ट, प्रेम लता एवं सुरेन्द्रपाल, सभीः 153 आरटीओ लिंक रोड, इण्डेन गैस गोदाम के सामने, बहदवसिया जोधपुर 342001, राजस्थान तथा साथ हीः मकान सं. 59, विश्वकर्मा नगर, बहदवसिया, जोधपुर-342001, राजस्थान, तथा साथ हींः प्लॉट नं. 153-ए एवं 153-बी (उत्तर दक्षिण भाग) खसरा नं. 64, 67, 68 एवं 72, गुलजार नगर, भदवसिया, बीजेएस कॉलोनी के निकट, जोधपुर 342001, ऋण खाता सं. 3958022 एवं 2427543, ऋण राशिः रु. 5,500,000.00 (रुपये पचपन लाख मात्र), ऋण खाता सं. 3958022 द्वारा तथा रु. 17500000.00 (रुपये एक करोड़ पहचत्तर लाख मात्रः ऋण खाता सं.2427543 द्वारा। मांग सूचना तिथिः 29.01.2020, मांग की गई राशिः क) ऋण खाता सं. 3958022 के लिये 29 जनवरी, 2020 को बकाया राशि का बायफर्केशन एवं ख) ऋण खाता सं. 2427543 के लिये 29 जनवरी, 2020 को बकाया राशि का बायफर्केशन। दोनों (क)+ (ख) अर्थात 21824103.76 (रुपये दो करोड़ अठारह लाख चौबीस हजार एक सौ तीन तथा पैसे छियत्तर मात्र) 29 जनवरी, 2020 को तथा उसके साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि। एनपीए तिथिः 4.12.2019, प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति प्लॉट नं. 153-ए एवं 153-बी (उत्तर एवं दक्षिण भाग) खसरा नं. 64, 67, 68 एवं 72, गुलजार नगर, भदसिया, बीजेएस कॉलोनी के निकट, जोधपुर 342001 का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः खसरा नं. 64, दक्षिणः रोड 35', पूर्वः प्लॉट नं. 152, पश्चिमः रोड। |

अतएव, आप ऋणधारकों/ सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

**(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)**

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करेंः श्री प्रशांत राठोर, फोनः 9928818000, जीतेन्द्र सिंह, 9983291777

स्थानः मुम्बई
तिथिः 17.02.2020

हस्ता./-एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए
(प्राधिकृत अधिकारी)

## खबर कोना

बर्लिन : अमेरिकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने इस साल के लारेस का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता।

### सानिया-गर्सिया दुबई ओपन युगल प्री क्वार्टर फाइनल में

दुबई, 18 फरवरी (भाषा) ।

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और फ्रांस की उनकी जोड़ीदार कारोलिन गर्सिया ने मंगलवार को यहां रूस की अल्ला कुद्रीयावत्सेवा और स्लोवानिया की कैटरीना सर्बोतनिक पर संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करके दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सानिया और गर्सिया की जोड़ी ने पहले दौर में अपनी रूसी प्रतिद्वंद्वी टीम पर 6-4, 4-6, 10-8 से जीत दर्ज की। उनका अगला मुकाबला चीन की साइसाइ च्यांग और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेसीकोवा की पांचवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। तैंतीस वर्षीय सानिया पिंडली की चोट से उबरने के बाद दुबई ओपन में वापसी कर रही है।

### मनप्रीत की अगुआई में आस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज आस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 और 22 फरवरी को खेले जाने वाले एफआइएच प्रो लीग मुकाबले के लिए हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह की अगुआई में मंगलवार को 24 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले के लिए हरमनप्रीत सिंह टीम के उपकप्तान होंगे। हाल ही में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंची भारतीय टीम ने एफआइएच प्रो लीग के पिछले मुकाबले में विश्व चैम्पियन बेल्जियम को पहले मैच में 2-1 से हराया था जबकि दूसरे मुकाबले में उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। 24 सदस्यीय टीम में गोलकीपर पीआर श्रीजेश और कृष्ण पाठक के अलावा अमित रोहिदास, सुरेंद्र कुमार, बीरेंद्र लकड़ा, हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, गुरिंदर सिंह और रूपिंदर पाल सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं।

### एआइएफएफ को एएफसी की 'ब्रांज लेवल' सदस्यता मिली

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) ।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) को एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) की 'ग्रासरूट चार्टर ब्रांज लेवल' सदस्यता मिली है जिससे यह राष्ट्रीय महासंघ अपनी आधारभूत प्रतियोगिताओं को एएफसी से मान्यता प्राप्त के रूप में बढ़ावा दे सकता है। एआइएफएफ महासचिव कुशाल दास को भेजे गए पत्र में एएफसी ने लिखा है, हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपके 'एएफसी ग्रासरूट चार्टर' की 'ब्रांज लेवल' सदस्यता के आवेदन को एएफसी ग्रासरूट पैनल ने 14 फरवरी 2020 को मंजूरी दे दी है। एएफसी ग्रासरूट चार्टर की शर्तों के अनुसार अब एआइएफएफ अपनी जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं और गतिविधियों को एएफसी के सहयोग और मान्यता प्राप्त के रूप में बढ़ावा दे सकता है। दास ने इसे एआइएफएफ के सभी अच्छे कार्यों को मान्यता मिलना करार दिया। उन्होंने कहा, इससे निश्चित तौर पर हमें जमीनी स्तर के साथ युवा लीग के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

# तेंदुलकर को मिला लारेस का सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे का पुरस्कार

बर्लिन 18 फरवरी (भाषा) ।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 2000 से 2020 तक के लारेस सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे के पुरस्कार के लिए चुना गया। उधर मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने भी तेंदुलकर को इस पुरस्कार को जीतने पर बधाई दी।

भारतीय प्रशंसकों के समर्थन से तेंदुलकर को इस पुरस्कार के लिए सबसे ज्यादा मत मिले। भारत की 2011 विश्व कप में जीत के संदर्भ में तेंदुलकर से जुड़े लम्हे को 'कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन' शीर्षक दिया गया था। टेनिस के महान खिलाड़ी बोरिस बेकर ने इस पुरस्कार की घोषणा की जिसके बाद आस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव वॉ ने तेंदुलकर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। लगभग नौ साल पहले तेंदुलकर अपने छठे विश्व कप में खेलते हुए विश्व खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य बने थे।

भारतीय टीम के सदस्यों ने इसके बाद तेंदुलकर को कंधे में उठाकर मैदान का 'लैप ऑफ ऑनर' लगाया था और इस दौरान इस दिग्गज बल्लेबाज की आंखों से आंसू गिर रहे थे। भारत ने विश्व कप फाइनल में जीत तेंदुलकर के घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दर्ज की थी। पुरस्कार के लिए सूची में पहले 20 दावेदारों को शामिल किया गया था लेकिन वोटिंग के बाद सिर्फ पांच दावेदारों को सूची में जगह मिली थी जिसमें तेंदुलकर विजेता बने।

*सम्मान* बोरिस बेकर ने इस पुरस्कार की घोषणा की, स्टीव वॉ ने ट्रॉफी देकर किया सम्मानित *2011 विश्व कप* में जीत के संदर्भ में तेंदुलकर से जुड़े लम्हे को दिया गया था शीर्षक 'कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन *पुरस्कार के लिए सूची में* पहले 20 दावेदारों को शामिल किया गया था लेकिन वोटिंग के बाद सिर्फ पांच दावेदारों को सूची में जगह मिली थी जिसमें तेंदुलकर विजेता बने।

ट्रॉफी लेने के बाद तेंदुलकर ने कहा, यह शानदार है। विश्व कप जीतने की भावना को शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। यह कितनी बार होता होगा जब किसी प्रतिक्रिया में लोगों की भावनाएं मिलीजुली न होती हों। ऐसा तो बहुत ही कम होता है जब पूरा देश जश्न मनाता हो। भारतीय दिग्गज ने कहा, यह इस बात की भी याद दिलाता है कि खेल कितना सशक्त माध्यम है और यह हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। अब भी मैं उस लम्हे के बारे में सोचता हूं और वही अहसास होता है।

तेंदुलकर के ट्रॉफी हासिल करने के बाद बेकर ने उनसे अपनी भावनाओं को साझा करने को कहा तो इस भारतीय खिलाड़ी ने कहा, मेरी यात्रा (क्रिकेट) की शुरुआत तब हुई थी जब मैं 10 साल का था। भारत ने विश्व कप जीता था। मुझे उस समय उसके महत्त्व के बारे में पता नहीं था। चूंकि हर कोई जश्न मना रहा था तो मैं भी उस में शामिल हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे पता था कि देश के लिए कुछ अच्छा हुआ है और मैं भी एक दिन इसका अनुभव करना चाहता था....और यहीं से मेरा सफर शुरू हुआ। एकदिवसीय और टैस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी के ज्यादातर रेकार्ड अपने नाम करने वाले इस खिलाड़ी ने कहा, यह (विश्व कप जीतना) मेरी जिंदगी का सबसे गौरवान्वित करने वाला पल था। मैंने 22 साल तक इसका पीछा किया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारा। मैं सिर्फ अपने देश की तरफ से ट्रॉफी उठा रहा था। तेंदुलकर ने कहा कि लारेस ट्रॉफी हासिल करना उनके लिए बेहद ही सम्मान की बात है। इस मौके पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला के प्रभाव को भी साझा किया। तेंदुलकर जब मंडेला से मिले थे तब इस क्रिकेटर की उम्र केवल 19 साल थी। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, उनकी कठिनाई ने उनके नेतृत्व को प्रभावित नहीं किया। उनके द्वारा दिए गए कई संदेशों में से मुझे सबसे महत्त्वपूर्ण यह लगा कि खेल में सभी को एकजुट करने की शक्ति है।

### मेसी-हैमिल्टन ने साझा किया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार

ब्रिटिश एफ-वन चालक लुईस हैमिल्टन और दुनिया के महान फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेस्सी को यहां लारेस खेल पुरस्कारों में संयुक्त रूप से साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दोनों खिलाड़ियों को बराबर संख्या में वोट मिले। इन पुरस्कारों के 20 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब ज्यूरी के सदस्य हैमिल्टन और मेस्सी में से एक विजेता को नहीं चुन सके। फीफा के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार को छह बार जीतने वाले मेस्सी लारेस पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) को जीतने वाले पहले टीम-खिलाड़ी हैं। वह हालांकि सोमवार को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मौजूद नहीं थे। मेस्सी और हैमिल्टन ने टाइगर वुड्स, केन्या के मैराथन धावक एलिउड किपचोगे, राफेल नडाल और मोटो जीपी चैंपियन मार्क मार्केज को पछाड़ कर यह खिताब हासिल किया।

# खौफ : एशियाई चैंपियनशिप में मास्क में दिखे पहलवान

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) ।

चीन में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का असर भारत में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी दिख रहा है जहां जापान, कोरिया और चीनी ताइपे के पहलवानों को मंगलवार को मास्क में देखा गया। दूसरे देशों के पहलवानों और अधिकारियों ने हालांकि कहा कि वे 'एहतियात' के तौर पर मास्क लगा रहे हैं।

कोरोना वायरस

नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के कारण भारत सरकार ने चीन के खिलाड़ियों को वीजा जारी नहीं किया जिससे वहां के पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। चीन में 72,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के संक्रमण की चपेट में है जबकि अब तक 1900 लोगों की मौत हो गई है। कोरियाई टीम के चिकित्सा सदस्य सीएओन ली ने एजंसी से कहा, हमारे दल में 28 खिलाड़ी है और उसमें से कुछ खिलाड़ियों और पहलवानों ने मास्क लगाए हैं। हमें पता है कि यहां वह वायरस नहीं है और यह जगह सुरक्षित है लेकिन फिर भी जोखिम क्यों उठाना। यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग (यूडब्लूडब्लू) के डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर को भी यहां मास्क में देखा गया। उन्होंने कहा, यह वायरस एशियाई देशों में फैल रहा है इसलिए मेरा परिवार चिंतित है। हमें पता है कि यहां वायरस नहीं है क्योंकि चीन के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया है। कुछ खिलाड़ियों के लिए दिल्ली का वायु प्रदूषण चिंता की बात है। जापान टीम के एक सदस्य ने कहा, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी सही नहीं है और वायरस को लेकर भी चिंता है क्योंकि हमें पता है कि कुछ एशियाई देश इसकी चपेट में है। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लूएफआइ) ने कहा कि खिलाड़ी और अधिकारी मास्क का इस्तेमाल दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए कर रहे हैं। डब्लूएफआइ के एक अधिकारी ने कहा, कोरिया, थाईलैंड और जापान के कुछ पहलवान मास्क पहने हुए हैं जो काफी आम बात है। वे दिल्ली के प्रदूषण स्तर को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, यहां चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है वे कोरोना वायरस के कारण अतिरिक्त सवधानी बरत रहे हों लेकिन यहां सब कुछ सुरक्षित है। इस चैंपियनशिप को यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग ने तोक्यो ओलंपिक के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट का दर्जा दिया है। टूर्नामेंट को तीन श्रेणियों में खेला जाएगा। जिसमें पुरुषों की फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिलाओं की कुश्ती शामिल है।

# सुनील को एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

सुनील कुमार ने मंगलवार को 87 किग्रा वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान के अजात सालिदिनोव को 5-0 से हराकर भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में 27 साल में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। सुनील से पहले पप्पू यादव ने 1993 में ग्रीको रोमन में 48 किग्रा वर्ग का खिताब जीता था।

सेमी फाइनल में पिछड़ने के बाद जीत दर्ज करने वाले सुनील ने यहां केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में 87 किग्रा वर्ग के फाइनल में अपने विरोधी को आसानी से पछाड़ दिया। इससे पहले सुनील सेमी फाइनल में कजाखस्तान के अजामत कुस्तुबायेव के खिलाफ 1-8 से पिछड़ रहे थे लेकिन इसके बाद जोरदार वापसी करते हुए लगातार 11 अंक के साथ 12-8 से जीत दर्ज करने में सफल रहे। सुनील 2019 में भी इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे लेकिन उन्हें खिताबी मुकाबले में हार के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा था।

सुनील ने खिताब जीतने के बाद कहा, आज भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर मैं काफी खुश हूं। मैंने अपनी तकनीक पर काफी कड़ी मेहनत की और अपने पिछले साल के प्रदर्शन से बेहतर करके काफी अच्छा लग रहा है।

सुनील के एतिहासिक स्वर्ण पदक से पहले

### ग्रीको रोमन खिताब का भारत का 27 साल का इंतजार खत्म

*चैंपियन* 87 किग्रा वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान के अजात सालिदिनोव को शिकस्त देने के बाद स्वर्ण पदक के साथ सुनील कुमार।

अर्जुन हलाकुर्की ने भी ग्रीको रोमन वर्ग की 55 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के प्ले आफ में कोरिया के डोंगहियोक वोन को 7-4 से हराया। अर्जुन का अपने पहले सीनियर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में यह पहला पदक है। अर्जुन सेमी फाइनल में ईरान के पोया मोहम्मद नासिरपोर के खिलाफ 7-1 से आगे चल रहे थे लेकिन उन्हें 7-8 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की पदक की तीसरी उम्मीद मेहर सिंह (130 किग्रा) को हालांकि कांस्य पदक के मुकाबले में किर्गिस्तान के रोमान किम के खिलाफ 2-3 से हार झेलनी पड़ी। मेहर को सेमी फाइनल मुकाबले के दौरान कलाई में लगी चोट के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेमी फाइनल में मेहर को कोरिया के मिनसियोक किम के खिलाफ 1-9 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।

# 'कोहली को आउट करने का बेसब्री से इंतजार'

वेलिंगटन, 18 फरवरी (भाषा)।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने फिटनेस हासिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई लेकिन शुक्रवार से यहां शुरू होने वाली दो टैस्ट मैचों की श्रृंखला के दौरान वह भारतीय कप्तान विराट कोहली का विकेट चटकाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को यादगार बनाना चाहते हैं।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टैस्ट में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था जिसके बाद वह भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में टीम का हिस्सा नहीं थे। छह सप्ताह तक टीम से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले इस तेज गेंदबाज ने शुरुआती टैस्ट से पहले अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। पहले टैस्ट के लिए यहां पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय कप्तान को चेतावनी भरे लहजे में कहा, जब भी मैं खेलता हूं तो मेरी कोशिश उनके (कोहली) जैसे बल्लेबाज को आउट कर खुद को साबित करने की होती है। मैं उनको आउट करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन वह कमाल के खिलाड़ी हैं। सबको पता है कि वह महान खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड को पिछली टैस्ट श्रृंखला में आस्ट्रेलिया ने 3-0 से हराया था और उनके लिए भारत भी कठिन चुनौती पेश करेगा। बोल्ट ने कहा, वे मजबूत टीम हैं और आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष पर हैं।

ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआती टैस्ट से पहले अपनी प्राथमिकताओं को किया स्पष्ट

वे इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि उन्हें कैसे खेल खेलना है। आस्ट्रेलिया में हमारे लिए मुश्किल समय था। यह देख कर अच्छा लग रहा है कि हम वापसी कर रहे है। यहां बेसिन रिजर्व मैदान की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जहां बोल्ट भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते है। न्यूजीलैंड के लिए 65 टैस्ट में 256 विकेट लेने वाले 30 साल के इस खिलाड़ी ने कहा, मैं अच्छे विकेट के हिसाब से तैयारी कर रहा हूं। आमतौर पर यहां कि पिच अच्छी होती है और मैच आखिर (पांच दिन) तक चलता है। मुझे यहां खेलना पसंद है। मैं मैच शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं। बोल्ट ने कहा कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत से 0-5 से हारना निराशाजनक था लेकिन टीम ने एकदिवसीय में वापसी की और 3-0 से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो हुआ सो हुआ।

# अभ्यास मैच में भारतीय महिला टीम ने वेस्ट इंडीज को हराया

ब्रिसबेन, 18 फरवरी (भाषा) ।

स्पिनर पूनम यादव के तीन विकेट से भारत ने आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के अभ्यास मैच में मंगलवार को यहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो रन से जीत दर्ज की।

टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर सिर्फ 107 रन का मामूली स्कोर खड़ा कर सकी। जीत के लिए 108 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 105 रन ही बना सकी। पूनम ने चार ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए। वेस्ट इंडीज की टीम 13 ओवर में एक विकेट पर 57 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी। दीप्ति शर्मा ने जैसे ही सलामी बल्लेबाज ली-एन किर्बी (42) को आउट किया वेस्ट इंडीज की पारी लड़खड़ा गई।

इसके तुरंत बाद कप्तान स्टेफनी टेलर (16), चेडिन नेशन (00) और डिएंड्रा डोटिन (01) भी पवेलियन लौट गए जिससे टीम का स्कोर 17वें ओवर में पांच विकेट पर 67 रन हो गया। हेली मैथ्यूज (25) और चिनले हेनरी (17) ने 19वें ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़ा जिसके बाद वेस्ट इंडीज को जीत के लिए अंतिम छह गेंदों पर 11 रन बनाने थे। हेनरी ने पूनम की गेंद पर चौका मारा लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यूज आउट हो गयी। आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी लेकिन हेनरी वेदा कृष्णमूर्ति को कैच थमा बैठी। इससे पहले भारत का शीर्ष क्रम भी लड़खड़ा गया।

# एक अन्य कम्बाला धावक ने श्रीनिवास गौड़ा का तोड़ा 100 मीटर का रेकार्ड

मंगलुरु, 18 फरवरी (भाषा) ।

एक अन्य कम्बाला धावक ने कर्नाटक में पारंपरिक भैंसा दौड़ के दौरान 100 मीटर दूरी रेकार्ड 9.51 सेकेंड में तय करके श्रीनिवास गौड़ा के समय में सुधार किया जो हाल में इस दौड़ में शानदार प्रदर्शन करके सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।

*निशांत शेट्टी ने* 9.51 सेकेंड में तय किया 100 मीटर की दूरी

आयोजकों ने कहा कि बजागोली जोगीबेट्टू के रहने वाले निशांत शेट्टी ने रविवार को वेणूर कम्बाला के दौरान 28 साल के गौड़ा का रेकार्ड तोड़ा। कम्बाला के आयोजकों ने बताया कि शेट्टी सहित चार प्रतिभागियों ने 100 मीटर की दौड़ 10 सेकेंड से कम समय में पूरी की है। शेट्टी के अलावा इरुवाथुर आनंद (9.57 सेकेंड), अकेरी सुरेश शेट्टी (9.57 सेकेंड) और श्रीनिवास गौड़ा (9.55 सेकेंड) ने दौड़ पूरी करने के लिए 10 सेकेंड से कम का समय लिया। आनंद और सुरेश शेट्टी ने भी उसकी वेणूर कम्बाला दौड़ में हिस्सा लिया जिसमें निशांत ने बाजी मारी। एक फरवरी को गौड़ा ने मंगलुरु के समीप एकाला गांव में कम्बाला दौड़ के दौरान सिर्फ 13.62 सेकंड में 142.5 मीटर की दौड़ लगाई थी। उन्होंने पहले 100 मीटर की दूरी सिर्फ 9.55 मीटर में तय की जिसके बाद उनकी तुलना कई बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट से होने लगी जिनका 100 मीटर में विश्व रेकार्ड 9.58 सेकेंड का है। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर छा गए थे।

**विजयी**

दुबई में मंगलवार को दुबई टेनिस चैंपियनशिप के महिला एकल मुकाबले में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को 6-2, 6-2 से पराजित करने के बाद जश्न मनातीं अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 94, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com